

02946

P

113



भारत के  
नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

संख्या 2

सिविल

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष



हरियाणा सरकार

दिनांक 23/02/12 को विधानसभा  
को प्रस्तुत करते हैं।  
Presented to the Legislature  
on.....

भारत के  
नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

संख्या 2

सिविल

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

100  
110  
115  
120

47

				የኢትዮጵያ
67	2.3			መተዳደሪያ, የወጪ አውጭ
39	2.2			በት ተከተል የት ትንተኞች
11	2.1			ቀበታዊ ቅዱሳዊነት የት ትንተኞች
				በተጨማሪ የት ትንተኞች
				በተጨማሪ - 2
6	1.6.3			አገልግሎት የሚሰራ የት መተዳደሪያ
6	1.6.2			የቴክኖሎጂ የት ትንተኞች የት ጽጻ
8	1.6.1			ፖ.ሮግራም የሚሰራ የት መተዳደሪያ
8	1.6			አገልግሎት የሚሰራ የት መተዳደሪያ የት የቴክኖሎጂ
9	1.5.2			ሙ-ሙ የት መተዳደሪያ የሚሰራ የቴክኖሎጂ
3	1.5.1			ቴክኖሎጂ/ኤሌክትሬኒክ/ፎርሙል የት ትንተኞች የሚሰራ የቴክኖሎጂ
3	1.5			ተዘጋጀ የሚሰራ የቴክኖሎጂ የት መተዳደሪያ
3	1.4			አገልግሎት የሚሰራ የቴክኖሎጂ የት መተዳደሪያ
2	1.3			አገልግሎት የሚሰራ የቴክኖሎጂ
1	1.2			ሚለስት የሚከተሉት
1	1.1			የት ማረጋገጫ የሚሰራ የቴክኖሎጂ
				አገልግሎት
				በተጨማሪ - 1
(VII)				አገልግሎት
የቴክኖሎጂ / ማናኛ	ማተጋዙያ መተዳደሪያ			
	ተክኖሎጂ			የቴክኖሎጂ

የቴክኖሎጂ

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ / अभ्युक्तियां
<b>अध्याय – 3</b>		
<b>सम्पादनों की लेखापरीक्षा</b>		
<b>नियमों की अननुपालना</b>	<b>3.1</b>	
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (जिला रैड क्रास सोसाइटी) अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण के कारण गबन	<b>3.1.1</b>	105
लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शारवा) स्टील की गलत थोक विक्रय मूल्य सूची को अपनाने के कारण अधिक भुगतान	<b>3.1.2</b>	107
औचित्य लेखापरीक्षा / अनुचित व्यय	<b>3.2</b>	
लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शारवा) रिचार्ज बोर्डेलज के निर्माण पर व्यर्थ व्यय	<b>3.2.1</b>	109
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क शारवा) ठेकेदार को अदेय वित्तीय सहायता	<b>3.2.2</b>	110
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय	<b>3.2.3</b>	111
अव - मानक कार्य के निष्पादन के कारण व्यर्थ व्यय	<b>3.2.4</b>	112
कृषि विभाग (हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड) अपूर्ण कोल्ड स्टोरेज कार्य पर निष्फल व्यय	<b>3.2.5</b>	114
गृह विभाग पुलिस स्टेशन, मोहाना में निर्मित आवासीय मकान खाली रहे	<b>3.2.6</b>	115
निरीक्षण / शासन की विफलता	<b>3.3</b>	
लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शारवा) पेय जलापूर्ति को दूषित करती निष्क्रिय डिच ड्रेन	<b>3.3.1</b>	117
सिंचाई नहर इसके निर्माण से अप्रयुक्त पड़ी रही	<b>3.3.2</b>	119

131	4.1	አማካይ ከፊት - ሳይስ ቁጥር ደብ ችግራዊያን	አማካይ ከፊት - ሳይስ ቁጥር ደብ ችግራዊያን	
128	3.3.7	መሬት በጥቅምት የሚከተሉ የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ	(መሬቱ የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ)	መሬት በጥቅምት የሚገልጻ
127	3.3.6	ክቡር በኩል የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ	ደረሰት ብቻ መሬታ ቁጥር	ክቡር በኩል የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ
124	3.3.5	ትክክለኛ የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ	(መሬቱ በጥቅምት የሚገልጻ የሚገልጻ)	ትክክለኛ የሚገልጻ የሚገልጻ
122	3.3.4	የሚቀርብ የሚገልጻ የሚገልጻ		የሚቀርብ የሚገልጻ የሚገልጻ
121	3.3.3	የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ	(ሁኔታ ተከራካሪ ስልጣን ቁጥር የሚገልጻ የሚገልጻ)	የሚገልጻ የሚገልጻ የሚገልጻ
			ቁጥር	
		መሬታ	መሬታ	
		የዚህ /		

**परिशिष्ट**

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विघटन दर्शने वाली विवरणी	1.6.1	161
1.2	निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई गंभीर अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण दर्शने वाली विवरणी	1.6.1	162
1.3	वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 (सिविल प्रतिवेदन) के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, के विवरण	1.6.3	163
1.4	उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूलियां इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	1.6.3	165
1.5	लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों, जिन पर अभी सरकार को अन्तिम निर्णय लेना है, को दर्शने वाली विवरणी	1.6.3	166
2.1	2006-2011 के दौरान परीक्षाओं में बैठे और उत्तीर्ण विद्यार्थियों के विवरण	2.1.8.4	167
2.2	अप्रयुक्त अनुदानों को दर्शने वाली विवरणी	2.1.8.7	168
2.3	वन विभाग की 2006-11 के दौरान कार्यान्वित स्कीमों के विवरण	2.2.7	169
2.4	ऐसे मामले दर्शने वाली विवरणी, जहां बजट प्रावधान विद्यमान था किंतु कोई व्यय नहीं किया गया था	2.2.7.1	172
2.5	वन नियम-पुस्तिका के प्रावधानों के उल्लंघन में विभाग द्वारा पुनः विनियुक्त राशियां दर्शने वाली विवरणी	2.2.7.1	173
2.6	राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण, हरियाणा की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कार्य दर्शने वाली विवरणी	2.2.7.6	174
2.7	मोरनी-पिंजौर पहाड़ियों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क एवं कालेसर में ईको-टूरिज्म की परियोजना की स्थिति	2.2.13.1	175
2.8	स्टाफ की कमी दर्शने वाली विवरणी	2.2.16.1	176
2.9	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन दर्शने वाली विवरणी	2.2.17	178
2.10	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में अनियमितताओं के श्रेणीवार विवरण दर्शने वाली विवरणी	2.2.17	179

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
2.11	नर्सों एवं बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (महिला) की स्टाफ स्थिति का व्यौरा	2.3.8.3	180
2.12	स्टाफ की स्थिति का व्यौरा	2.3.11.1	181
4.1	पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग में लागू अधिनियमों/नियमों तथा आदेशों को दर्शनीवाली विवरणी	4.1.1	182
4.2	पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमों की सूची दर्शने वाली विवरणी	4.1.1	183
4.3	लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाईयों की सूची	4.1.5	184
4.4	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियां दर्शने वाली विवरणी	4.1.6.1	185
4.5	विभिन्न जिलों में बैंक खातों में पड़ी निधियों के ब्यौरे दर्शनीवाली विवरणी	4.1.7.2	186
4.6	उन अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होने उनकी तैनाती के स्थानों से पृथक् स्थानों से वेतन आहरित किया, का व्यौरा	4.1.10.2	187
4.7	विभिन्न कार्यालयों में निपटान की प्रतीक्षा में पड़े बेकार भंडारों/वाहनों का व्यौरा	4.1.11.3	188
संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली		189-193	



## መ/ቁጥር ተስፋዬ

- 2010-11 ዓ.ም ማቅረብ ማቅረብ ከ መ/ቁጥር 11 ማስቀመጥ ይችላል ሲሆን, ማቅረብ  
ይሠራ ተስፋዬ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
6. የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ

## አገልግሎት ተስፋዬ

- አገልግሎት ተስፋዬ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
5. የሚከተሉ ማቅረብ, የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
አገልግሎት ተስፋዬ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
31 ቀን 2011 ዓ.ም የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
4.

- የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
3.

- አገልግሎት ተስፋዬ
2. የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
1.

## በ/መ/ቁጥር ተስፋዬ

- በ/መ/ቁጥር ተስፋዬ የሚከተሉ ማቅረብ 15 ዓ.ም የሚከተሉ ማቅረብ የሚከተሉ ማቅረብ  
የሚከተሉ ማቅረብ

አገልግሎት



## अध्याय 1

प्रत्तावना



## अध्याय – 1

### प्रस्तावना

#### 1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) का यह प्रतिवेदन सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों के चुनिन्दा कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुबृति लेखापरीक्षा से उत्पन्न ग्रामलों से संबंधित है।

अनुबृति लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षित अस्तित्वों के व्यय से संबंधित लेन-देनों की जांच की और संकेत करती है कि क्या भारत के साधान के प्रावधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों एवं अनुदेशों की अनुपालना की जा रही है। दूसरी तरफ, निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुबृति लेखापरीक्षा संचालित करने के अतिरिक्त यह जांच भी करती है कि क्या कार्यक्रम/गतिविधि/विभाग के उद्देश्यों को ग्रिटव्ययी रूप से तथा प्रभावी ढंग से प्राप्त किया गया है।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधान - मण्डल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षण मानक अपेक्षा करते हैं कि रिपोर्टिंग के लिए विषयी स्तर, लेन-देनों की प्रकृति, आत्मा तथा भहता से मेल खाना चाहिये। लेखापरीक्षा के परिणामों से कार्यकारी को सुधारामक कार्रवाइयां करने के साथ नीतियां एवं निर्देश तैयार करने के लिए सक्षम बनाने की प्रत्याशा की जाती है जो इस प्रकार बेहतर अभियासन की ओर योगदान देते हुए संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबन्धन की ओर ले जाएंगे।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की आयोजना एवं विस्तार का वर्णन करने के अतिरिक्त युनी हुई स्कीमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कार्यालयों तथा उपलब्धियों, लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुबर्तन का सांश प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय - 2 में युनी हुए कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्भूत परिणाम समाविष्ट हैं। अध्याय - 3 में सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों में लेन-देनों की लेखापरीक्षा पर अभ्युक्तियां समाविष्ट हैं। अध्याय - 4 पश्चापलन तथा डेरी - उद्योग के कार्यालयन का मह्यांकन प्रस्तुत करता है।

#### 1.2 ऑडिटी प्रोफाइलस

राज्य में सचिवालय स्तर पर मुख्य सचिव/वित्ताधिकारी तथा प्रधान सचिवों/आयुक्तों एवं सचिवों, जो विशेष सचिवों/अतिरिक्त सचिवों/निवेशकों तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता - प्राप्त होते हैं, की अध्यक्षता वाले 56 विभाग हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा भर्पुर निधिबद्ध स्थानीय निकाय, 49 स्वायत्त निकाय तथा 163 अन्य स्वायत्त निकाय हैं, जिनकी लेखापरीक्षा सी.ए.जी. की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा द्वारा की जाती है।

वर्ष 2010-11 के दौरान तथा पूर्ववर्ती दो वर्षों में सरकार द्वारा किए गए व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका - 1 में दी गई है।

### तालिका 1: व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

संवितरण	2008-09			2009-10			2010-11		
	प्लान	नान - प्लान	कुल	प्लान	नान - प्लान	कुल	प्लान	नान - प्लान	कुल
<b>राजस्व व्यय</b>									
सामान्य सेवाएं	54.16	5,970.31	6,024.47	68.02	7,687.33	7,755.35	65.84	9,262.30	9,328.14
सामाजिक सेवाएं	2,662.19	4,596.54	7,258.73	4,014.59	5,887.63	9,902.22	4,329.69	6,574.39	10,904.08
आर्थिक सेवाएं	1,201.56	5,834.19	7,035.75	1,632.16	5,897.75	7,529.91	1,855.98	6,140.75	7,996.73
सहायता - अनुदान एवं अंशदान		215.78	215.78	-	69.91	69.91	-	81.24	81.24
<b>कुल</b>	<b>3,917.91</b>	<b>16,616.82</b>	<b>20,534.73</b>	<b>5,714.77</b>	<b>19,542.62</b>	<b>25,257.39</b>	<b>6,251.51</b>	<b>22,058.68</b>	<b>28,310.19</b>
<b>पूँजीगत व्यय</b>									
पूँजीगत लागत	3,989.86	511.81	4,501.67	4,203.29	1,015.19	5,218.48	3,845.01	186.09	4,031.10
संवितरण एवं अधिनियम	20.44	311.87	332.31	615.76	213.93	829.69	538.50	183.37	721.87
लोक ऋण का पुनर्भुगतान		1,291.84	1,291.84	-	2,745.97	2,745.97		3,971.08	3,971.08
आकाशिक निधि		-	-	-	-	-		190.00	190.00
लोक लेखा संवितरण		11,441.82	11,441.82	-	14,319.66	14,319.66		15,324.41	15,324.41
<b>कुल</b>	<b>4,010.30</b>	<b>13,557.34</b>	<b>17,567.64</b>	<b>4,819.05</b>	<b>18,294.25</b>	<b>23,113.80</b>	<b>4,383.51</b>	<b>19,854.95</b>	<b>24,238.46</b>
<b>सकल योग</b>	<b>7,928.21</b>	<b>30,174.16</b>	<b>38,102.37</b>	<b>10,533.82</b>	<b>37,837.37</b>	<b>48,371.19</b>	<b>10,635.02</b>	<b>41,913.63</b>	<b>52,548.65</b>

### 1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 और नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त किया गया है। सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 13<sup>1</sup> के अंतर्गत हरियाणा सरकार के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. संचालित करता है। 49 स्वायत्त निकायों, जिनकी लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 19(3)<sup>2</sup> तथा 20(1)<sup>3</sup> के अंतर्गत की जाती है, के संबंध में सी.ए.जी. एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। इसके अतिरिक्त, सी.ए.जी. उन 163 अन्य स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भी सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14<sup>4</sup> के अंतर्गत संचालित करता है जिन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में निधिबद्ध किया जाता है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के सिद्धांत तथा पद्धतियां सी.ए.जी. द्वारा 2007 में जारी लेखा तथा लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षण मानकों एवं विनियमों में निर्धारित किए गए हैं।

<sup>1</sup> (i) राज्य की समेकित निधि से सभी लेन-देनों, (ii) आकाशिक निधि तथा लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देनों, तथा (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखाओं, तुलन-पत्र तथा अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

<sup>2</sup> संबंधित विधानों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानसंगठन द्वारा स्थापित अथवा बनाए गए कानून के अंतर्गत नियमों (कंपनियां न होने पर) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

<sup>3</sup> ऐसे निवधानों एवं जर्तों पर, जिन पर सी.ए.जी. तथा सरकार के मध्य सहमति हो, राज्यपाल के आग्रह पर किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

<sup>4</sup> राज्य की समेकित निधि से अनुदानों या ऋणों द्वारा भरपूर निधिकृत निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्यय तथा (ii) किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा, जहां ऐसे निकाय या प्राधिकरण को राज्य की समेकित निधि से एक वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुदान या ऋण दिए गए हैं।

#### 1.4 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, किए गए व्यय, गतिविधियों की विवेचनात्मकता / जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, समग्र आन्तरिक नियंत्रणों के निर्धारण तथा स्टेकहोल्डर्स की चिन्ताओं पर आधारित सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा देखे गए जोखिमों के निर्धारण के साथ शुरू होती है। इस कावायद में पिछले लेखापरीक्षा परिणामों पर भी विचार किया जाता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन विभागों के अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं। विभागों से निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के छः सन्ताह के भीतर लेखापरीक्षा परिणामों के उत्तर प्रस्तुत करने का आग्रह किया जाता है। जब - जब उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उद्भूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्यक्तियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के प्रस्तुत किए जाते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

2010 - 11 के दौरान 1,453 इकाईयों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा करने के लिए तथा दो विभागों, एक विश्वविद्यालय तथा एक जिले की निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए 7,171 पार्टी - दिवसों<sup>5</sup> का उपयोग किया गया था। लेखापरीक्षा योजना ने उन इकाईयों/संस्थानों को आवृत्ति किया जो हमारे निर्धारण के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिमों से असुरक्षित थे।

#### 1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्यक्तियां

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चुने हुए विभागों में आन्तरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त निष्पादन लेखापरीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यात्मकत्वन में कई महत्वपूर्ण कमियों पर प्रतिवेदन दिए हैं। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुवृत्ति लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कमियों पर भी स्पोर्ट दी गई थी।

##### 1.5.1 कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षाएँ

इस प्रतिवेदन में चार निष्पादन लेखापरीक्षाएँ समाविष्ट हैं जिनकी विशिष्टताएँ अनुवर्ती अनुच्छेदों में दी गई हैं:

##### 1.5.1.1 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कार्यपाली

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि विकास गतिविधियों के लिए कोई दीर्घ - अवधि परिपेक्ष्य योजना इसके द्वारा तैयार नहीं की गई थी। इसका योजना बोर्ड सिंतंबर 2000 से निष्क्रिय था। इसके प्रारंभ से ही विष्वविद्यालय ने कोई तुलन - पत्र तैयार नहीं

<sup>5</sup> लेखापरीक्षा तथा स्थानीय निकाय: पार्टी - दिवस: 1,199 (लेखापरीक्षित इकाई: 197), निरीक्षण सिविल: पार्टी - दिवस: 3,318 (लेखापरीक्षित इकाई: 972), निरीक्षण/वन पार्टी - दिवस: 1,279 (लेखापरीक्षित इकाई: 39)। वाणिज्यक: पार्टी - दिवस: 1,375 (लेखापरीक्षित इकाई: 39)।

۷۷۷-۱۰۰۰ میلادی میان سده های دهم و هفدهم میلادی در ایران و خاور نزدیک اسلام پس از پیروزی علیه مسیحیان و مهرابیان برپا شد. این اسلام پس از پیروزی علیه مسیحیان و مهرابیان برپا شد. این اسلام پس از پیروزی علیه مسیحیان و مهرابیان برپا شد.

### 1.5.1.3 *Finalité*

(અનેક 2.2)

16

#### 1.5.1.2 *all* *functions* *are* *declarative*

(۳۱۰ تا ۲۱)

मरम्मत कार्यों के निष्पादन की मानीटिंग की कमी थी तथा कई स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएँ नहीं थी। 2006 - 11 के दौरान जांच किए गए 8,969 नमूनों में से कुल 851 नमूनों में जीवाणु - विज्ञानी समिक्षण थे। जुलाना टाइन में मलनिर्यास सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी जबकि सफीदों टाइन में मल - निर्यास उपचार संबंध नहीं लाया गया था। पंचायती राज संघानों में निर्माण कार्यों के विविधिक निष्पादन तथा उन्हें अधूरा छोड़ने, निधियों के विपथन, अनियमित व्यव्य, परिस्मर्पति रजिस्टरों का अनुरक्षण न करना, परिवेक्षण की कमी, अधिक भुगतानों इत्यादि जैसी कमियां थीं। जीन्द्र तथा उचाना टाइनों के लिए सालिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं थे। जन सवितरण प्रणाली में कमियां जैसे जाली राशन कार्डों का पता न लगाना, लाभार्थियों को स्वाद समझी के सवितरण में विवरण, परिवेक्षण की कमी इत्यादि देखी गई थी। जिले में पुलिस कार्मिकों की कमी तथा अपराधों में उदीयमान प्रवृत्ति थी।

(अनुच्छेद 2.3)

#### 1.5.1.4 पशुपालन तथा डेरी - उद्योग विभाग की कार्यविधि

पशुपालन तथा डेरी - उद्योग विभाग के मुख्य उद्देश्य देशी नस्तों को उन्नत तथा सुरक्षित रखने, पशु आहार दूध एवं दुग्ध - उत्पादों की गुणवत्ता का नियंत्रण तथा डेरी - उद्योग के वायम से स्वरोजगर मुहैया करवाने के लिए पशुधन की स्वास्थ्य देवव्यापार तथा प्रजनन सुविधाएँ प्रदान करना था। विभाग के कार्यों की निष्पादन लेवापरिक्षा ने प्रकट किया कि दूध, अण्डों तथा ऊन के उत्पादन में वृद्धि के लिए लक्ष्य ग्याहर्वीं पंचवर्षीय योजना में नियत किए गए थे किन्तु पशुधन की संख्या बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। जहां तक दूध तथा अण्डों के लक्ष्यों की प्राप्ति का संबंध था विभाग ने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि इन उत्पादों की प्रति व्यवित उपलब्धता बढ़ गई। तथापि, 2007 की पशुधन जनरणना के अनुसार पशुधन की संख्या 2003 में 94.43 लाख से 2007 में 90.50 लाख तक कम हो गई थी।

कार्यान्वयन अधिकरणों से ₹ 20.47 करोड़ के व्यय के विवरण प्राप्त किए बिना भारत सरकार को ₹ 35.20 करोड़ के उपयोग प्रमाण - पत्र प्रस्तुत किए गए थे। सुर्ख विकास स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹ 2.73 करोड़ के अधिक प्रोत्साहन धन का भुगतान किया गया था। वित्तीय उपयुक्तता के मानकों का उल्लंघन करके कृषिम गर्भाधान सेवाएँ बाहर से ली गई थी। 1,100 डेरी इकाइयों की स्थापना करने के लक्ष्य के विरुद्ध उच्च - तकनीक वाणिज्यिक डेरी स्कीम के अंतर्गत केवल 445 इकाइयां स्थापित की गई थी। मिल्क प्लाटों के दृढ़ तथा दुध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उनके नमूने लेने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। विभाग द्वारा मानीटरिंग प्रभावी नहीं थी तथा कोई आन्तरिक लेवापरिक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

(अनुच्छेद 4.1)

(31 جے ۳۔۲۔۱)

111 מילון עברי-נורווגי ו-נורווגי-הברית, תרגום ועורך: דוד גוטמן, פורטראט: יוסי שטרן, צילום: יוסי שטרן, הוצאת: מרכז לתרבות יהודית, נורווגיה, 1988.

11.55 मिनीट से अधिक वक्ता को एक बार लेना चाहिए।

#### 1.5.2.2 အမြတ်အမာနစွမ်းပိုင်ဆောင်ရည်

(31 مئے ۲۰۲۴ ۳۔۱.۲)

(۱۱۳-۲۸۳)

### 1.5.2.1. **የተዘጋጀ ማቃሚያዎች**

- በዚህ የሚከተሉት ስልክ አገልግሎት  
• የሚከተሉት ስልክ አገልግሎት  
• የሚከተሉት ስልክ አገልግሎት

1.5.2 କ୍ରମ-କାରୀ କାରୀ ବିତ୍ତନୀତି ମାଧ୍ୟମିକରଣ

(I.E.E. 2021)

1197

#### 1.5.2.3 תְּמִימָה/תְּמִימָה או תְּמִימָה

(۳۱۲۹۶ ۳.۲.۶)

THESE TWO WORDS HAVE TO BE WRITTEN

የትኩረት ተከራክሩ የሚገባውን ስራውን ተከራክር ተችሱ ተስተካክል ነው እና ተስተካክል ተችሱ ተስተካክል ነው

(۳.۲.۵)

111. *Chlorophytum comosum* L. (Liliaceae). - A small, tufted plant, 10-15 cm. tall, with a cluster of long, narrow, linear leaves at the base. The flowers are numerous, white, bell-shaped, 5-lobed, arranged in a terminal spike.

(الجواب ٣.٢.٤)

31.52 रुपये का एक नोट जिसकी दोनों ओर से लाइन्स लिखा है। यह नोट 30 मिनट के अंतराल में दो बार लिखा गया है।

(31 مئے ۲۰۲۳)

1182 מִנְחָה לְתַלְמִידֵי רֹאשׁ הַבָּנָה וְלִבְנָיו 601 \*

(317282 3.2.2)

लोहारू जल सेवाएं मंडल, चरखी दादरी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ₹ 1.15 करोड़ के उच्च लागत उधार तथा उस पर ₹ 75.90 लाख के ब्याज भुगतान सहित निर्मित सिंचाई चैनल सितंबर 2005 में इसके निर्माण से अप्रयुक्त पड़ा था।

(अनुच्छेद 3.3.2)

तीन जिलों (कैथल, झज्जर तथा महेन्द्रगढ़) में 34 गांवों, जिनमें पहले ही पेयजल आपूर्ति किया जा रहा था, को ₹ 4.21 करोड़ की लागत वाले जल शोधन संयंत्रों की स्थापना हेतु चुना गया था।

(अनुच्छेद 3.3.3)

कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियानिकी मंडल, तोशाम ने ₹ 2.99 करोड़ खर्च करके सिवानी टाऊन के लिए एक मलनिर्यास स्कीम का निर्माण किया किन्तु डिस्पोजल प्लाइंट का निर्माण न करने तथा निवासियों को सीवर कनैक्शन उपलब्ध न करवाने के कारण स्कीम अक्रियाशील रही।

(अनुच्छेद 3.3.4)

पात्र अभ्यर्थियों की सूची के अनन्तिमकरण के कारण ₹ 62.01 करोड़ खर्च करके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पंचकुला में निर्मित 2,072 निवास इकाइयां दो वर्षों तक खाली पड़ी रही। अंबाला में 1,640 यूनिटों का निर्माण ₹ 55.49 करोड़ खर्च करने के बाद भी गलत स्थल चयन के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 3.3.5)

पांच जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा सिरसा) 2008 के खरीफ भौम सम हेतु किसानों को भुगतान किए गए बोनस के रिफिंड का समय पर दावा करने में विफल रहे परिणामस्वरूप ब्याज के कारण सरकार को ₹ 2.04 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.3.6)

हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रमिकों के लाभ हेतु कल्याण स्कीमों का प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों से एकत्रित ₹ 376.98 करोड़ का उपकर अप्रयुक्त रहा।

(अनुच्छेद 3.3.7)

## 1.6 लेखापरीक्षा को सरकार की जबाबदेही में कमी

### 1.6.1 ब्रकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों के साथ लेखापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.जे) जारी करते हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को तत्परता से दूर करने और छ: सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की प्रत्याशा की जाती है। छ: सप्ताह से अधिक लम्बित आई.आर.जे की अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट लम्बित आई.आर.जे में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा

अनुपालना को सुगम बनाने के लिए विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भी भेजी जाती हैं।

शिक्षा विभाग (प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा) के विभिन्न कार्यालयों के मार्च 2011 तक जारी किए गए आई.आरज की समीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 278.91 करोड़ (परिशिष्ट 1.1) के धन मूल्य वाले 2,267 आई.आरज के 6,189 अनुच्छेद 30 जून 2011 को बकाया थे। इनमें से 805 आई.आरज से आवेष्टित 1,581 अनुच्छेद पांच वर्षों से अधिक पुराने थे। इन आई.आरज, जिनका 30 जून 2011 तक समाधान नहीं किया गया था, के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण परिशिष्ट 1.2 में इंगित किए गए हैं।

विभाग के प्रशासनिक सचिव, जिन्हें अर्ध-वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से स्थिति की सूचना दी गई थी, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तुरंत एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने में विफल रहे। मामला मार्च 2011 में वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा को भेजा गया था।

### 1.6.2 प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

वर्ष 2010-11 से संबंधित प्रारूप अनुच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जून तथा सितम्बर 2011 के मध्य संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को छः सप्ताह के भीतर उनकी प्रतिक्रियाएं भेजने के आग्रह के साथ अर्ध-सरकारी तौर पर अग्रेषित किए गए थे। इस प्रतिवेदन में शामिल की गई चार निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में से एक तथा 15 अनुच्छेदों में से एक को विभागीय उत्तर प्राप्त किए गए हैं। उत्तर, जब-जब प्राप्त हुए, उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

### 1.6.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्टूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ए.आरज) में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, इस बात की परवाह किए बगैर कि क्या ये मामले लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिए गए थे या नहीं, स्वतः सकारात्मक एवं निश्चित कार्रवाई आरंभ करनी अपेक्षित थी। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को ए.आरज के प्रस्तुतिकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई इंगित करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् जांची गई विस्तृत टिप्पणियां प्रस्तुत करनी भी अपेक्षित थी।

31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि तक के ए.आरज में शामिल किए गए अनुच्छेदों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों (ए.टी.एनज) की प्राप्ति के संबंध में स्थिति की समीक्षा ने प्रकट किया कि 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 की अवधि के ए.आरज, जो राज्य विधान-मंडल को प्रस्तुत किए गए थे, में शामिल किए गए 24 प्रशासनिक विभागों के 74 अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 23 प्रशासनिक विभागों के मामले में

<sup>6</sup> लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07: मार्च 2008, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2007-08: फरवरी 2009 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008-09: मार्च 2010.

ԱՐԵՎԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

## अध्याय 2

### निष्पादन लेखापरीक्षा

- पृष्ठ
- ❖ कर्तृक्षेत्र विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली 11
  - ❖ वन विभाग की कार्यप्रणाली 39
  - ❖ जिला जीद 67



## अध्याय – 2

### निष्पादन लेखापरीक्षा

### उच्चतर शिक्षा विभाग

#### 2.1 कृष्णेन विश्वविद्यालय की कार्यपणाली

##### विशिष्टताएं

कृष्णेन विश्वविद्यालय की स्थापना विशेष रूप से संकृत, प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1956 में की गई थी। बाद में, 1986 में, विश्वविद्यालय को, राज्य के 11 जिलों के अधिकार - क्षेत्र के साथ उन्नत किया गया था। विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा ने आयोजना, बजट प्रतिपादन, वित्तीय प्रबंधन, लेखाओं के अनुरक्षण इत्यादि में कमिया प्रकट की। कुछ कोसों में विद्यार्थियों की सफलता की निम्न दर, शिक्षक तथा गैर-शिक्षक स्टाफ की कमी के कारण थी। अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति तथा अनुसंधान छात्रों द्वारा औसिय का प्रस्तुतिकरण स्वरीय नहीं था। विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में कलास लम्हों, प्रयोगशालाओं एवं एक पुस्तकालय तथा लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए हास्तल आवास में अपर्याप्त मूलभूत संरचना थी।

विकासशील गतिविधियों के लिए एक दीर्घ - अवधि परिपेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी। गत 11 वर्षों से शैक्षिक आयोजना बोर्ड नियंत्रित रहा।

(अनुच्छेद 2.1.6.1)

बजट प्रक्षेपण वास्तविक नहीं थे तथा प्राप्त नहीं किए जा सके। विश्वविद्यालय की वेतन व्यय में वृद्धि की दर अन्तरिक प्राप्तियों में वृद्धि की दर से बहुत अधिक थी, जो विश्वविद्यालय के वित्तीय आधार को क्षय कर सकती थी।

(अनुच्छेद 2.1.7)

विश्वविद्यालय ने प्रारंभ से ही कोई तुलन - पत्र तैयार नहीं किया परिणामस्वरूप इसकी कुल परिस्मितियों तथा देयताओं का पता नहीं था। आगे, प्राप्तियों तथा भुगतानों के लेखाओं के अनुरक्षण के लिए विकसित एक आंतरिक साप्टवेयर प्रोग्राम सुरक्षित नहीं था तथा गम्भीर त्रुटियों की ओर प्रवृत्त था।

(अनुच्छेद 2.1.7.2 एवं 2.1.7.3)

₹ 66.74 लाख की राशि की युवा कल्याण एवं सास्कृतिक फीस 94 सम्बद्ध कालेजों के विरुद्ध बकाया थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.6)

अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के कारण 1998 – 2011 के दौरान कर्मचारियों को दिए गए ₹ 5.89 करोड़ की राशि के अस्थाई अग्रिम असमायोजित रहे।

(अनुच्छेद 2.1.7.8)

आयोजना के अभाव तथा लापरवाही के कारण विद्यार्थियों की भर्ती क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए ₹ 30 करोड़ में से ₹ 20 करोड़ उपयोग नहीं किए जा सके।

(अनुच्छेद 2.1.8.7)

54 अनुसंधान परियोजनाओं में से केवल 17 परियोजनाएं 2006 – 11 के दौरान पूर्ण की गई थी। पी.एच.डी. के 117 पंजीकृत अनुसंधान छात्रों में से केवल 28 अनुसंधान छात्रों ने निर्धारित अवधि के भीतर अपने थीसिज प्रस्तुत किए।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 और 2.1.9.2)

सामान्य कोर्सों के लिए 26 प्रतिशत तथा स्वयं वित्तपोषित कोर्सों के लिए 61 प्रतिशत शिक्षण स्टाफ की कमी थी, जिसका प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने से विभिन्न कोर्सों में सफल छात्रों की प्रतिशतता में कमी हुई।

(अनुच्छेद 2.1.10.1)

विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में क्लास रूमों, प्रयोगशालाओं तथा एक पुस्तकालय के लिए अपर्याप्त जगह तथा लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए हास्टल आवास की समग्र कमी थी।

(अनुच्छेद 2.1.11.2 और 2.1.11.3)

परिसम्पत्तियों, भण्डारों तथा पुस्तकालय इत्यादि का भौतिक सत्यापन लंबे समय से नहीं करवाया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.12.5)

## 2.1.1 प्रस्तावना

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, विशेष रूप से संस्कृत, प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एकात्मक प्रकार के विश्वविद्यालय के रूप में 1956 में स्थापित किया गया था। सरकार ने राज्य के 11<sup>2</sup> जिलों के अधिकार-क्षेत्र के साथ दिसंबर, 1986 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विश्वविद्यालय को एक शिक्षण व संबद्ध विश्वविद्यालय के तौर पर पदोन्नत किया।

31 मार्च 2011 को विश्वविद्यालय के साथ 434 कालेज सम्बद्ध थे। इसमें 23 गैर-शिक्षक विभागों के अतिरिक्त पी.एच.डी. एवं 130 कोर्स प्रदान करने वाले 46 स्नाकोत्तर (पी.जी.)

<sup>1</sup> सम्बद्ध कालेजों के बिना विश्वविद्यालय।

<sup>2</sup> अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, पंचकूला, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार तथा यमुनानगर।

ללא מושג של אמצעים כלכליים או טכנולוגיים, לא ניתן לסייע לאנושות.

- **የብርሃን ተስፋኑ ተስፋኑ ተስፋኑ ተስፋኑ ተስፋኑ ተስፋኑ ተስፋኑ ተስፋኑ**

2.1.3 આધુનિક સ્વરૂપ

2.1.2 የኢትዮጵያዊ ዴንብ

### 2.1.7 वित्तीय प्रबंध

विश्वविद्यालय को राज्य सरकार, यू.जी.सी. तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठनों जैसे ए.आई.सी.टी.ई., वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) इत्यादि से अनुदानों (प्लान तथा नान-प्लान) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से फीस एवं जुर्मानों, प्रकाशनों तथा अध्ययन सामग्री की बिक्री, पट्टा किराया इत्यादि के जरिए अपनी स्वयं की आय भी उत्पन्न करता है। 2006-11 की अवधि हेतु प्राप्तियों एवं व्यय के विवरण नीचे तालिका - 1 में दिए गए हैं:

तालिका 1: प्राप्तियों एवं व्यय के विवरण दर्शाने वाली विवरणी


(₹ करोड़ में)

वर्ष	आर्थिक जोख	आय	व्यय	अंत जोख
2006-07	53.07	114.55	110.30	57.32
2007-08	57.32	170.23	129.41	98.14
2008-09	98.14	159.80	154.75	103.19
2009-10	103.19	193.97	197.72	99.44
2010-11	99.44	194.70	227.29	66.85

स्रोत: विश्वविद्यालय का आय एवं व्यय लेखा

नोट: 2010-11 के आंकड़े प्रत्याशित हैं।

सरकार वेतनों के लिए नान-प्लान के अंतर्गत अनुदान प्रदान करती है। यह देखा गया था कि सरकार इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार निधियां जारी नहीं कर रही थीं। वेतन व्यय, सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदानों से बहुत अधिक था जैसा कि नीचे चार्ट में चित्रित किया गया है।



सरकार वेतन के लिए विश्वविद्यालय को पर्याप्त निधियां जारी नहीं कर रही थीं।

उपर्युक्त चार्ट से यह देखा जाएगा कि सरकार से अनुदान 2006-07 में ₹ 23.57 करोड़ से 2010-11 में केवल ₹ 28 करोड़ तक बढ़े जबकि इस अवधि के दौरान वेतन पर व्यय ₹ 40.21 करोड़ से ₹ 104.96 करोड़ तक बढ़ गया। विश्वविद्यालय द्वारा स्वतः वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा तथा कोर्सों से प्राप्त आय से घाटा बहन किया गया था। विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कंप्यूटर सुविधाओं, हास्टल आवास इत्यादि

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.11.3 और 2.1.12.4) के लिए पर्याप्त मूलभूत संरचना सृजित नहीं कर सका जो दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम तथा स्वतः वित्तपेषित स्कीमों से प्राप्त आय से सृजित की जा सकती थी।

आगे, आन्तरिक प्राप्तियों से आय 2006-07 में ₹ 36.91 करोड़ से 2010-11 में ₹ 70.70 करोड़ (92 प्रतिशत) तक बढ़ गई जबकि इस अवधि के दौरान वेतन पर व्यय ₹ 40.21 करोड़ से ₹ 104.96 करोड़ (161 प्रतिशत) तक बढ़ गया।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि जनवरी 2006 से वेतन संशोधन के कारण सरकार को ₹ 94.44 करोड़ का अनुदान प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया लेकिन इसने अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

#### 2.1.7.1 प्राप्तियों एवं व्यय के बजट अनुमानों की तैयारी

बजट वार्षिक वित्तीय कार्यसूची को नियत करते हैं तथा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। अतः यह अनिवार्य है कि इसकी तैयारी देय सावधानी तथा परिश्रम द्वारा चिह्नित की जाए। अच्छी तरह प्रतिपादित बजट लक्ष्यों के विरुद्ध व्यय की प्रगति की मानीटरिंग एक महत्वपूर्ण प्रबंध निरीक्षण कार्य है। खराब बजटीय नियंत्रण के फलस्वरूप न केवल विरल वित्तीय संसाधनों का अद्वेष्ट उपयोग होता है बल्कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति को भी रोकता है।

2006-11 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों, वास्तविक प्राप्तियों तथा व्यय के विवरण नीचे तालिका 2 में दिए गए हैं:

तालिका 2: प्राप्तियों एवं व्यय के बजट अनुमानों के विवरण

अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य विभिन्नताएं थी।

वर्ष	प्राप्तियाँ			व्यय			(₹ करोड़ में)
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	
2006-07	126.58	165.16	114.55	123.38	124.05	110.30	
2007-08	149.99	183.73	170.23	162.78	152.75	129.41	
2008-09	158.64	246.27	159.80	176.69	197.72	154.75	
2009-10	204.11	215.02	193.97	200.17	238.87	197.72	
2010-11	193.04	214.16	194.70	235.97	230.56	227.29	

स्रोत: विश्वविद्यालय के बजट तथा आय एवं व्यय लेखे।

जैसाकि तालिका से स्पष्ट है कि संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अंतर थे। विश्वविद्यालय ने प्राप्तियों की वसूली में कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था, यद्यपि 2006-07 और 2008-09 वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण कमियां थी।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (अगस्त 2011) कि अनुमान विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार किए गए थे परन्तु वास्तविक वसूली बजट प्रक्षेपण से काफी कम थी। इस प्रकार, विभागों ने अवास्तविक अनुमान तैयार किये थे।

## 2.17.2 वार्षिक लेखाओं का संकलन

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 की धारा 26 (1) प्रावधान करती है कि विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष कार्यकारी परिषद के निर्देशों के अंतर्गत वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र तैयार करेगा।

**विश्वविद्यालय**  
तुलन - पत्र तैयार नहीं कर रहा था याहां परीक्षा करने वाले अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अपेक्षित था।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय केवल आय एवं व्यय लेखे तैयार कर रहा था किन्तु तुलन - पत्र तैयार नहीं कर रहा था। तुलन - पत्रों के अभाव में कार्यों की स्थिति अर्थात् परिस्थितियां, देयताएं, कृष्ण एवं अग्रिम, व्यय पर आय का सचित आधिक्य या इसके विपरीत को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (अगस्त 2011) कि अप्रैल 2009 से पहले इसे तुलन - पत्र तैयार करने से छूट थी और वर्ष 2009 - 10 और 2010 - 11 के तुलन - पत्र अनिम्नकरण अधीन थे। तुलन - पत्र तैयार करने से छूट संबंधी उत्तर पुस्ति योग्य नहीं है क्योंकि निदेशक उच्च शिक्षा तुलन - पत्र तैयार करने की छूट देने के लिए सक्षम नहीं थे क्योंकि इस अधेक्षा का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान किया गया था। अधिनियम के संशोधन के माध्यम से केवल विधानसभा छूट देने हेतु सक्षम थी।

### 2.17.3 रोकड़ बहिया

पंजाब वित्तीय नियमों जैसा कि हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए ये के नियम 2.2 के प्रावधान के अनुसार सभी धन लेन - देनों, जैसे ही वे घटित हों, को रोकड़ - बही में दर्ज किया जाना चाहिए। तथा जांच के टोकन के रूप में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक भाव के अंत में कार्यालयाध्यक्ष को रोकड़ बही में रोकड़ शेष का सत्यापन करना चाहिए। तथा उस प्रभाव का हस्ताक्षरित और दिनांकित प्रमाण - पत्र दर्ज करना चाहिए।

विश्वविद्यालय तथा इसके विभागों के अधिकारियों की जांच ने प्रकट किया कि यह रोकड़ - बही का अनुरक्षण नहीं कर रहा था। लेखा शारखा फाक्स प्रो - बेस में विकसित इन - हाउस प्रोग्राम में प्राप्तियां एवं भुगतान दर्ज कर रही थी।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि सहायक - रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया जा रहा था और समस्या के समाधान के लिए एक बहुउपयोग लाइसेंस टेली ई.आर.पी. 9 (एक सॉफ्टवेयर) तीन महीनों के भीतर क्रियाशील बनाया जाएगा। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि सहायक - रोकड़ बहियों (आय और व्यय रजिस्टर) संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित नहीं की जा रही थी।

स्वतः वित्तोपयित स्कैमों के नियमानुसार स्वतः वित्तोपय करने वाले विभागों को उनके कोर्सों के आय एवं व्यय के पृथक लेखे अनुरक्षित करने थे। तीन स्वतः वित्तोपय विभागों अर्थात् जनसचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी, औपध विज्ञान तथा विश्वविद्यालय अधियाविकी एवं ग्रौद्योगिकी संस्थान (यू.आई.ई.टी.) के अधिकारियों की जांच ने प्रकट किया कि ये विभाग आय एवं व्यय के पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं कर रहे थे। इन विभागों की सभी प्राप्तियां जैसे फीस, जुमानि तथा विविध आय प्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय खाते में परिकलित किए गए थे।

ગુજરાત 1999 દિનાંક 2000: શ્રી 0.01 રૂપાએ, ગુજરાત 2001 દિનાંક 2005: શ્રી 3.41 રૂપાએ ગુજરાત 2005 દિનાંક

የኢትዮጵያ ቤት የፍትሬት ማስተካከል እና የፍትሬት (ዓመት 2011) የዚህ የሰነድ-ወጪ ተችል ተደርጓል

၁၂၁၃ ၁၂၁၄ ၁၂၁၅ ၁၂၁၆ ၁၂၁၇ ၁၂၁၈ ၁၂၁၉ ၁၂၁၁၀ ၁၂၁၁၁ ၁၂၁၁၂ ၁၂၁၁၃ ၁၂၁၁၄ ၁၂၁၁၅ ၁၂၁၁၆ ၁၂၁၁၇ ၁၂၁၁၈ ၁၂၁၁၉ ၁၂၁၁၁၀ ၁၂၁၁၁၁ ၁၂၁၁၁၂ ၁၂၁၁၁၃ ၁၂၁၁၁၄ ၁၂၁၁၁၅ ၁၂၁၁၁၆ ၁၂၁၁၁၇ ၁၂၁၁၁၈ ၁၂၁၁၁၉

118 119 120

Digitized by srujanika@gmail.com

الله يحيى العرش

#### 2.1.7.4 रोकड़ प्रबन्ध

त्रुटिपूर्ण रोकड़ प्रबन्ध के परिणामस्वरूप सावधि जमाओं में निवेश में विलंब।

विश्वविद्यालय अतिरिक्त निधियां अपने मुख्य बैंक खाते से सावधि जमाओं में निवेश करता था। निदेशक, दूरस्थ शिक्षा तथा युनिवर्सिटी कालेज, कुरुक्षेत्र क्रमशः दो<sup>7</sup> बचत बैंक खातों तथा एक चालू बैंक खाते का अनुरक्षण कर रहे थे तथा आगे निवेश हेतु इन खातों के शेष प्रत्येक माह की 7वीं तारीख को मुख्य खाते अर्थात् वी.सी. के संग्रहण खाते में स्थानांतरित की जाती थी। यह देखा गया कि ₹ पांच लाख तथा ₹ 7.41 करोड़ के मध्य श्रृंखलित निधियां बचत/चालू खातों में पड़ी थीं। 2006-11 की अवधि के दौरान इन बैंक खातों से कोई व्यय नहीं किया गया था। यदि ये विभाग निधियों को तुरंत विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खाते में स्थानांतरित कर देते तो इसे सावधि जमाओं में निवेशित किया जा सकता था।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि यह अपनी रोकड़ प्रबंधन नीति की समीक्षा करेगा और केवल अपेक्षित राशि को चालू/बचत लेखाओं में अनुरक्षित करेगा।

#### 2.1.7.5 झूठे उपयोग प्रमाण - पत्र का प्रस्तुतिकरण

₹ 26.26 लाख का झूठा उपयोग प्रमाण - पत्र इग्नू को प्रस्तुत किया गया।

बायोइन्फोर्मेटिक्स के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव शक्ति की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय के निदेशक, दूरस्थ शिक्षा ने 2006-07 से बायो-इन्फोर्मेटिक्स में पोस्ट-एम.एस.सी. डिप्लोमा तथा बायो-इन्फोर्मेटिक्स में पी.जी. डिप्लोमा शुरू करने के लिए निदेशक, दूरस्थ शिक्षा, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) को ₹ 81.70 लाख की वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 2006)। इग्नू ने ये कोर्स शुरू करने के लिए ₹ 40 लाख प्रदान किए (जून 2006)। विश्वविद्यालय ने इग्नू को ₹ 26.26 लाख का उपयोग प्रमाण - पत्र (यूसी.) प्रस्तुत किया (अप्रैल 2008) तथा ₹ 13.74 लाख की शेष राशि वापस कर दी (सितम्बर 2007)। तथापि, देखा गया कि विश्वविद्यालय ने ये नए कोर्स अभी तक आरंभ नहीं किए थे परन्तु चालू कोर्सों पर ₹ 26.26 लाख व्यय कर दिए थे। इस प्रकार, इग्नू को प्रस्तुत किया गया यूसी. झूठा था क्योंकि व्यय उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए निधियां प्रदान की गई थीं। आगे, ये नए कोर्स शुरू नहीं हुए थे जिसके परिणामस्वरूप विद्यार्थी इन कोर्सों के लाभ से वंचित रहे।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि दूरस्थ शिक्षा परिषद, इग्नू ने उपयोग प्रमाण - पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत यूसी. ने निधियों का विपर्यास इंगित किया।

#### 2.1.7.6 एकीकृत निधि की अनुपयोगिता और युवा-कल्याण एवं सांस्कृतिक फीस की अवसूली

एकीकृत निधियों के अनुसार छात्रों से एकीकृत निधि के अंतर्गत संगृहीत राशियों को विद्यार्थियों के लाभ हेतु विशिष्ट मदों जैसे खेल-सामग्री, खेल मैदानों और स्विमिंग पूलों के रख-रखाव, एन.सी.सी कैडेट हेतु सुविधाएं तथा ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक अथवा अन्य शैक्षिक-रूचि के स्थानों की यात्राओं, छात्रों की पाठ्यक्रम से विभिन्न गतिविधियों, खेल टीमों के यात्रा भत्ते, वार्षिक खेलकूद अधिवेशन इत्यादि के आयोजन से संबंधित खर्चों के लिए व्यय किया जाना था।

<sup>7</sup> ओरिएंटल बैंक आफ कार्स का बचत खाता संख्या 11442010000100, 11442010000110 तथा भारतीय स्टेट बैंक का चालू खाता संख्या 10139650016.

विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिक संस्थान ने 2004 से 2011 के दौरान इस उद्देश्य के लिए ₹ 61.41 लाख की राशि की निधियां एकत्र की। फिर भी, केवल ₹ 10.94 लाख की राशि रखर्च की गई थी तथा ₹ 50.57 लाख की राशि अव्ययित पड़ी थी (मार्च 2011)। यह देखा गया कि विश्वविद्यालय ने छात्रों को ये सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की थी जिसके फलस्वरूप निधियां अप्रयुक्त रही तथा इन निधियों में अंशदान के बाद भी छात्र इन सुविधाओं से वंचित रहे।

विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया (अगस्त 2011) कि एकीकृत निधि के अंतर्गत उपलब्ध धन का उपयोग 2011-12 के दौरान किया जाएगा।

94 संबद्ध महाविद्यालयों के विरुद्ध ₹ 66.74 लाख की राशि की युवा कल्याण तथा सांस्कृतिक फीस बकाया थी।

इसी प्रकार, महाविद्यालयों द्वारा ₹ 40 प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से युवा कल्याण तथा सांस्कृतिक फीस एकत्र की जानी अपेक्षित थी जिसमें से ₹ 30 विश्वविद्यालय के युवा तथा सांस्कृतिक कार्यों के विभाग को भेजे जाने थे तथा ₹ 10 कालेजों द्वारा रखे जाने थे। बीएड कालेजों सहित तकनीकी संस्थाओं द्वारा ₹ 500 प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर पर फीस एकत्र की जानी अपेक्षित थी, जिसमें से ₹ 375 विश्वविद्यालय को भेजने थे तथा ₹ 125 संबंधित महाविद्यालय द्वारा रखे जाने थे। ये निधियां सांस्कृतिक समारोहों तथा युवा समारोहों को आयोजित करने के लिए प्रयुक्त की जानी थी।

विश्वविद्यालय के युवा कल्याण तथा सांस्कृतिक विभाग के लेखाओं की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 94 महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा तकनीकी संस्थाओं ने मार्च 2011 तक छात्रों से एकत्रित ₹ 66.74 लाख की युवा कल्याण तथा सांस्कृतिक फीसें विश्वविद्यालय को जमा नहीं करवाई थी। आगे, विभाग के पास 52 महाविद्यालयों में विभिन्न वर्गों में भर्ती छात्रों की संख्या का व्यौरा नहीं था। छात्रों की संख्या के अभाव में इन विद्यालयों की बकाया युवा और सांस्कृतिक फीसों की प्रमात्रा परिकलित नहीं की जा सकी। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (अगस्त 2011) कि महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को बकाया युवा कल्याण की फीस जमा करवाने तथा 52 महाविद्यालयों के छात्रों की वास्तविक संख्या परिकलित करने का अनुरोध किया गया है।

### 2.1.7.7 छात्रवृत्ति का अप्रत्यर्पण

अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की एक स्कीम भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

संस्वीकृति आदेशों के अनुसार अवितरित राशियां स्थानीय ट्रेजरी में जमा करवाई जानी तथा ‘‘0250 - अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्कीमों से प्राप्ति’’ शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट किया जाना अपेक्षित था। 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान जी.ओ.आई. ने एस.सी./पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लाभार्थ ₹ 3.18 करोड़ के अनुदान जारी किए। जिनमें से 182 छात्रों से संबंधित ₹ 23.54 लाख<sup>8</sup> अवितरित पड़े थे (अप्रैल 2011)। विश्वविद्यालय ने अवितरित राशि को संस्वीकृति आदेशों के अनुसार ट्रेजरी में जमा नहीं करवाया।

<sup>8</sup>

2007-08: ₹ 2.11 लाख, 2008-09: ₹ 4.21 लाख, 2009-10: ₹ 1.01 लाख तथा 2010-11: ₹ 16.21 लाख।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि यह राशि तथ्य के कारण सवितरित नहीं की जा सकी कि लाभाग्रहियों ने या तो विश्वविद्यालय छोड़ दिया था या उन्हें उच्चतर मूल्य की छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं और आश्वासित किया कि बकाया निधियां संबंधित तिमाही में शीघ्र वापस कर दी जायेंगी। विश्वविद्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय को इस प्रकार की संभाव्यताओं के परिहार तथा छात्रवृत्ति स्कीम का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति का सवितरण सुनिश्चित करना चाहिये। इस प्रकार यह सुझाव है कि भविष्य में इस प्रकार की चीजों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा योजना तैयार की जानी चाहिए।

#### 2.1.7.8 अस्थाई अग्रिमों का असमायोजन

1998 – 2011 के दौरान दिए गए ₹ 5.89 करोड़ की राशि के अस्थाई अग्रिम असमायोजित रहे।

विश्वविद्यालय लेखा सहिता के अनुच्छेद 10.13 के अनुसार अस्थाई अग्रिम तीन दिनों के भीतर उपयोग किए जाने तथा आहरण की तारीख से एक माह के भीतर समायोजित किए जाने चाहिए। विभागाध्यक्ष का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना था कि लेखे यथाशीघ्र बना लिए गए थे तथा अवसरों/खरीदों के अंतिमकरण के बाद अवितरित शेष तुरंत वापस कर दिए गए थे।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय कोडल प्रावधानों का अनुसरण नहीं कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप 1998 – 99 से 2010 – 11 की अवधि से संबंधित ₹ 5.89 करोड़<sup>9</sup> के अस्थाई अग्रिम अगस्त 2011 को असमायोजित पड़े थे। अस्थाई अग्रिमों पर अपर्याप्त नियंत्रण निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम से सलिल्प है। विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि संबंधित विभागों को अग्रिमों के त्वरित समायोजन हेतु परामर्श दिया गया था।

#### 2.1.7.9 कंप्यूटर तथा वाहन अग्रिम पर जुर्माना ब्याज का अनुदग्धण

विश्वविद्यालय के अग्रिमों से कंप्यूटरों तथा वाहनों की खरीद के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

विश्वविद्यालय लेखा सहिता का अनुच्छेद 20.3.1 प्रावधान करता है कि पंजीकरण प्रमाण – पत्र, क्रय दस्तावेज, बंधक विलेख इत्यादि क्रय के एक माह के भीतर या अग्रिम के आहरण की तारीख से दो माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिसके विफल रहने पर 10 प्रतिशत की दर पर जुर्माना ब्याज आहरण की तारीख से उद्गृहीत किया जाएगा।

यह देखा गया था कि 1,182 कर्मचारियों, जिन्होंने ₹ 7.04 करोड़ की राशि के कंप्यूटर अग्रिम तथा वाहन अग्रिम लिए थे, ने विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए खर्च की गई राशि के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। इन मामलों के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 3: कम्प्यूटर तथा वाहन अग्रिमों के विवरण

वर्ष	कंप्यूटर अग्रिम		वाहन अग्रिम	
	कर्मचारियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	कर्मचारियों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
2006-07	शून्य	शून्य	102	38.08
2007-08	200	80.00	101	40.90
2008-09	195	58.25	97	94.48
2009-10	75	22.50	196	190.15
2010-11	50	15.00	166	165.08
कुल	520	175.75	662	528.69

स्रोत: अग्रिमों के रजिस्टर।

<sup>9</sup> 2006 – 07 तक: ₹ 0.06 करोड़, 2007 – 08: ₹ 0.18 करोड़, 2008 – 09: ₹ 0.60 करोड़, 2009 – 10: ₹ 1.34 करोड़ तथा 2010 – 11: ₹ 3.71 करोड़।

विश्वविद्यालय ने न तो दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया और न ही जुर्माना व्याज उद्गृहीत किया। अपेक्षित दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण मानीटर करने के लिए विश्वविद्यालय को प्रत्येक ऋणी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के विवरण को इग्निट करने वाले एक रजिस्टर अनुरक्षित करना चाहिये फिरभी, विश्वविद्यालय में ऐसा कोई रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (अगस्त 2011) कि लेखा शाखा ने ऋणियों से समयबद्ध तरीके से सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी थी।

### 2.1.8 शैक्षिक गतिविधियां

#### 2.1.8.1 कोर्सों की आयोजना

विश्वविद्यालय के शैक्षिक कोर्सों को शैक्षिक परिषद के अनुमोदन से विनियमित किया जाता है। बोर्ड ऑफ स्टडीज विभिन्न अवस्नातक (यू.जी.) तथा स्नातकोत्तर (पी.जी.) कोर्सों के लिए विनियम, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-विवरण तैयार करता है तथा उन्हें शैक्षिक परिषद तथा सिंडीकेट से अनुमोदित करवाता है।

विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में से एक ऐसे कोर्सों की खोज तथा संचालन करना है जो समाज की वर्तमान आवश्यकताओं से संबद्ध हों। यह देखा गया कि विश्वविद्यालय के नियमित कोर्सों में भर्ती ने तो बढ़ती प्रवृत्ति इग्निट की लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा द्वारा प्रस्तावित कुछ कोर्सों ने घटती प्रवृत्ति दर्शाई जैसाकि नीचे तालिका में विवरण दिया गया है:

**तालिका 4: दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में विद्यार्थियों के नामांकन की प्रवृत्ति**

कोर्स	नामांकन (संख्या में)					2006-07 के संबंध में 2010-11 में प्रतिशतता की कमी
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
एमए. <sup>10</sup>	4,599	3,124	3,109	3,915	3,097	33
एमएससी. <sup>11</sup>	1,251	1,016	1,007	1,044	859	31
पी.जी. डिप्लोमा <sup>12</sup>	4,967	4,613	3,843	2,314	1,268	74
एमसी.ए.	890	795	814	805	539	39
एमबी.ए.	985	983	798	579	378	62

स्रोत: दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अभिलेख।

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, इन कोर्सों में विद्यार्थियों के नामांकन में कमी 31 तथा 74 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

निदेशक (दूरस्थ शिक्षा) ने इन कोर्सों में छात्रों के नामांकन में कमी के लिए, छात्रों की तकनीकी/व्यावसायिक कोर्सों में बढ़ती रुचि, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पर्धा इत्यादि को अरोपित किया (जनवरी 2011)।

<sup>10</sup> हिन्दी, पंजाबी, संस्कृत, अर्योजी, फिलॉस्फी, राजनीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र, लोक प्रशासन तथा इतिहास।

<sup>11</sup> गणित तथा भूगोल।

<sup>12</sup> पर्यावरण शिक्षा, पत्रकारिता तथा जनसंचार, निर्यात विपणन प्रबंधन, कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा अनुवाद।

### 2.1.8.2 विद्यार्थियों का कैम्पस प्लेसमैट

विश्वविद्यालय ने 2003 में एक नियोजन कक्ष स्थापित किया था। कक्ष द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित कोर्सों में विद्यार्थियों का नियोजन घटती प्रवृत्ति दर्शा रहा था।

**तालिका 5: विद्यार्थियों का कैम्पस प्लेसमैट दर्शनेवाली**

विभाग	वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या		चयनित विद्यार्थियों की प्रतिशतता
		पात्र	चयनित	
प्रबंधन	2006-07	75	63	84
	2007-08	130	103	79
	2008-09	130	34	26
	2009-10	140	41	29
कंप्यूटर साईंस तथा एप्लीकेशन	2006-07	54	54	100
	2007-08	56	38	68
	2008-09	55	25	45
	2009-10	54	18	33

स्रोत: प्लेसमैट सैल के अभिलेख।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विद्यार्थियों को कैम्पस प्लेसमैट की प्रतिशतता प्रबंधन कोर्सों में 84 से 26 प्रतिशत तक तथा कंप्यूटर साईंस तथा एप्लीकेशन के संबंध में यह 100 से 33 प्रतिशत तक कम हो गई।

विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने 2008 से अपना प्लेसमैट सैल शुरू किया। विभिन्न कोर्सों के विद्यार्थियों का कैम्पस प्लेसमैट अधोगामी प्रवृत्ति दर्शा रहा था जैसाकि नीचे वर्णित है:

**तालिका 6: विभिन्न कोर्सों की अधोगामी प्रवृत्ति**

वर्ष	स्ट्रीग	कुल विद्यार्थी	प्लेसमैट
2004-05 से 2007-08	कंप्यूटर इंजीनियरिंग	40	33 (82 प्रतिशत)
	इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग	40	30 (75 प्रतिशत)
	बायो - टेक्नोलॉजी	40	5 (12 प्रतिशत)
2005-06 से 2008-09	कंप्यूटर इंजीनियरिंग	57	7 (12 प्रतिशत)
	इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग	57	11 (19 प्रतिशत)
	बायो - टेक्नोलॉजी	40	1 (2 प्रतिशत)
2006-07 से 2009-10	कंप्यूटर इंजीनियरिंग	57	7 (12 प्रतिशत)
	इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग	56	7 (12 प्रतिशत)
	बायो - टेक्नोलॉजी	37	शून्य (शून्य प्रतिशत)

स्रोत: यू.आई.ई.टी. के प्लेसमैट सैल के अभिलेख।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि विभिन्न कोर्सों से विद्यार्थियों का कैम्पस प्लेसमैट बहुत कम था तथा बुरी तरह से घट गया।

विश्वविद्यालय ने छात्रों के अल्प प्लेसमैट के लिए वैश्विक मंडी तथा प्राईवेट सैक्टर की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नौकरियों के लिए छात्रों की प्राथमिकता को आरोपित किया (अगस्त 2011)।

### 2.1.8.3 परिणामों की विलम्बित घोषणा

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कैलेण्डर के अनुसार परीक्षाओं के परिणाम परीक्षा के समाप्तन के चार सप्ताह बाद प्रकाशित किए जाने चाहिए।

यह देरवा गया कि विश्वविद्यालय की परीक्षा/परिणाम शार्का ने 2005 से 2010 के दौरान 34 कोर्सों के परिणाम परीक्षाओं की समाप्ति के आठ से 24 सप्ताहों के बाद घोषित किए।

इसी प्रकार, विश्वविद्यालय की परीक्षा शार्का ने पुनः मूल्यांकन के परिणामों की घोषणा भी विलम्ब से की। अप्रैल 2009 से मई 2010 की अवधि में पुनः मूल्यांकन के 122 मामलों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि आवेदनों की प्राप्ति के छः से 40 सप्ताहों के बाद परिणाम घोषित किए गए थे।

परिणामों की विलम्बित घोषणा आगामी शैक्षिक सत्र के प्रारंभ को विलम्बित कर सकता था। आगे, परिणामों की घोषणा में विलम्बों के कारण छात्र अपनी रुचि के अन्य संस्थाओं में प्रवेश पाने से वचित रह सकते थे।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने परिणामों की घोषणा में विलम्ब सैमेस्टर प्रणाली के प्रारम्भ को अरोपित किए। जिसने उत्तर पुस्तिकाओं की मात्रा बढ़ा दी। यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय एक कमेटी गठित करेगा जो परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया तेज करने के लिए रास्तों और तरीकों का सुझाव देगी।

2006-10 के दौरान पुनः मूल्यांकन हेतु कुल 2.34 लाख<sup>13</sup> आवेदन प्राप्त किए गए थे जिसने इंगित किया कि बड़ी संख्या में छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं थे। मूल्यांकक-बार डाटा उन मामलों को मानीटर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया जहां पुनः मूल्यांकन के बाद अंकों में वृद्धि/कमी के कारण परिणामों में परिवर्तन था ताकि मूल्यांककों का उत्तरदायित्व नियत किया जा सके जिन्होंने उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गलती की।

#### 2.1.8.4 विद्यार्थियों की उत्तीर्ण प्रतिशतताएं

63 कोर्सों में से 16 कोर्सों (**परिशिष्ट 2.1**) में छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशतताएं बहुत संतोषनक नहीं थी जैसा नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 7: विद्यार्थियों के परिणामों की स्थिति दर्शानेवाली

वर्ष	परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण घोषित विद्यार्थियों की संख्या	सफल विद्यार्थियों की प्रतिशतता
2006-07	21,397	11,038	52
2007-08	25,654	11,947	47
2008-09	23,809	13,718	58
2009-10	25,541	14,112	55

स्रोत: परीक्षा शार्का के अभिलेख।

परिशिष्ट के डाटा का विश्लेषण दर्शाता है कि एम.एस.सी. (सार्विकी) (22 से 65 प्रतिशत), एम.एस.सी. (गणित) (13 से 28 प्रतिशत), एम.एस.सी. (कंप्यूटर साईंस) (29 से 40 प्रतिशत), एम.ए. (इतिहास) (31 से 54 प्रतिशत), एम.ए. (संस्कृत) (19 से 75 प्रतिशत), पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशनज (17 से 28 प्रतिशत) इत्यादि में सफल विद्यार्थियों की प्रतिशतताएं संतोषजनक नहीं थी। विश्वविद्यालय को उपचारात्मक कार्यवाई के लिए खराब परिणामों के कारणों सुनिश्चित करना चाहिए। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (अगस्त 2011) कि उचित कार्यवाही हेतु मामले की जांच की जाएगी।

<sup>13</sup>

2006-07: 53,223, 2007-08: 57,488, 2008-09: 57,486 तथा 2009-10: 65,660

三月廿五

111. 1st 1st 9th 9th 10th 10th

תְּמִימָנֶה תְּמִימָנֶה  
תְּמִימָנֶה תְּמִימָנֶה  
תְּמִימָנֶה תְּמִימָנֶה

יְהוָה בְּנֵי

1999년 10월 20일(2011년 3월 25일)에 제작된 『2011년 3월 25일』은 2011년 3월 25일에 제작된 2011년 3월 25일이다.

1월 1주 11주차 14주 17주 4주 11주 9주 13주 16주

ପାଇଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ

לְבָבֵךְ תִּבְחַתְתִּי תְּלִבְבֶּךְ יְהִי תְּלִבְבֶּךְ תְּלִבְבֶּךְ תְּלִבְבֶּךְ תְּלִבְבֶּךְ

#### 2.1.8.5 **ԹԻԳՐԱՆ ՏԻՄԻՐ** (ՊԿ. ՅՒ.Վ.) ՓՈՒ ՅԱՅՈՒԱՀԱՐ

የኢትዮጵያ ቢሮ የስራ ስርዓት አንቀጽ ፩

an	an	an	an	an	an	an	an	an	an
2006-07	4	44.09	3	32.88	11.21				
2007-08	5	45.04	5	45.04	-				
2008-09	12	170.58	4	9.10	161.48				
2009-10	8	244.36	-	-	244.36				
2010-11	3	315.24	-	-	315.24				
	32	819.31	12	87.02	732.29				

**10** **11** **12** **13** **14** **15** **16**

311644 001 115, 001 115 00000 00000 32 000000 000000 311644 001 115

#### 2.1.9.1 ከተማውን ጥሃት ባቻ ማረዳዎች የሰነድ መተካት በቅርቡ ተከተሉ

የዚህ የዕለታዊ ማኅበር በቻ የሚከተሉት ነው፡፡

2.1.9 አማርኛ ተቋላቸዋል

የኢትዮጵያ ቤትና የሚከተሉት ሰነድ ነው፡፡

אנו נספחים למדינת ישראל

11744 '21-14412 데리 46 12446 46 12547 1224646 7 11166의 85112 4641126105

અધ્યાત્મ વિજ્ઞાન ૩/૩૨ અપ્રેલ ૨૦૨૧ |

תְּהִלָּה וְעַמְּדָה  
בְּ 10.34 מִזְרָחָה  
בְּ 03.00 מִזְרָחָה

2.1.8.7 Relegat Relegat Relegat Relegat

सरकार प्रयोजित 32  
अनुसंधान परियोजनाओं  
में से 2006 – 11 के  
दैरण के बाबल 12 पूर्ण की  
गई थी।

जैसाकि ऊपर तालिका से देखा जा सकता है कि सरकार प्रयोजित 32 परियोजनाओं में से केवल 12 पूर्ण की गई। इन परियोजनाओं में से पांच, एक से 16 महीनों की देरी के बाबल पूर्ण की गई थी।

इसी प्रकार, ₹ 1.37 करोड़ के बाप से अवैष्टि 22 यू.जी.सी. प्रयोजित अनुसंधान परियोजनाएं 2006 – 11 के दौरान आरंभ की गई थी। इनमें से, 14 परियोजनाएं पूर्णता के लिए देय थी परन्तु केवल पांच परियोजनाएं जून 2011 तक पूर्ण की गई थी। इनमें से तीन, छ. से 14 महीने की देरी के बाबल पूर्ण की गई थी।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि अधिकतर परियोजनाएं देय तरीख तक पूर्ण कर ली गई थी किन्तु उपयोग प्रमाण - पत्रों का प्रस्तुतिकरण लम्बित था जो शीघ्र किया जाएगा।

### 2.1.9.2 थीसिस के प्रस्तुतिकरण में विवरण

विश्वविद्यालय के डाकटोरेट आफ फिलास्फी सम्बन्धी अध्यादेश के अनुसार पी.एच.डी. की सामान्य अवधि पूर्णकालिक रिसर्च स्कालरों (आरएस.) के लिए चार वर्ष तथा अंशकालिक स्कालरों के लिए पांच वर्ष है। नमूना - जांच किए गए विभागों में थीसिस के प्रस्तुतिकरण की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 9: थीसिस के प्रस्तुतिकरण दर्शानेवाली

विभाग का नाम	पंजीयित आरएस. की संख्या	निर्धारित अवधि के भीतर थीसिस प्रस्तुत करने वाले आरएस. की संख्या	आरएस. की संख्या प्रस्तुत करने वाले आरएस. की संख्या		निर्धारित अवधि के भीतर थीसिस प्रस्तुत करने वाले आरएस. की प्रतिशतता
			प्रस्तुत की गई	अपील प्रस्तुत की जानी हुई	
राजनीति विज्ञ	6	4	2	2	66
गणविज्ञान	17	8	9	9	47
इण्डियनिक साहित्य	13	7	6	6	54
वास्तव	31	9	9	21	1
प्रबंधन	50	9	21	10	10
कुल	117	28	47	31	11
					23

चोत: संबंधित विभागों से प्राप्त डाटा।

पी.एच.डी. के 117 पंजीयित रिसर्च स्कालरों में से केवल 28 ने निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत थीसिस की प्रतिशतता 18 तथा 66 प्रतिशत के मध्य शृंखलित थी। थीसिस के विलम्बित प्रस्तुतिकरण ने विद्यमान मूलभूत संरचना पर भार डाला।

### 2.1.10 प्रशासन तथा स्थापना

#### मानव संसाधन तथा मूलभूत संरचना

##### 2.1.10.1 शिक्षक कैडरों में रिक्तियाँ

सामान्य कोर्सों में शिक्षक स्टाफ की कमी 26 प्रतिशत थी।

विश्वविद्यालय में यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा नियत मानकों के अनुसार पद संस्वीकृत किए गए थे। मार्च 2011 में विश्वविद्यालय के विद्यमान फैकल्टी सदस्यों (बजटीय शीर्षों में) की संख्या तथा संस्वीकृत संख्या निम्नवत् थी:

तालिका 10: सामान्य कोर्सों में शिक्षक स्टाफ की रिक्ति की स्थिति

क्रम संख्या	कैडर का नाम	अनुमोदित पद	तैनाती	कमी	कमी की प्रतिशतता
1	प्रोफेसर्ज	122	104	18	15
2	एसोसिएट प्रोफेसर्ज	120	79	41	34
3	सहायक प्रोफेसर्ज	244	175	69	28
	कुल	486	358	128	26

स्रोत: शैक्षिक शारावा के अभिलेख।

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, कमी 15 तथा 34 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

इसी प्रकार, स्वयं वित्तपोषण स्कीमों के अंतर्गत शिक्षण स्टाफ के 141 पदों (61 प्रतिशत) की कमी थी (मार्च 2011) जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 11: एस.एफ.एस. शिक्षण स्टाफ की रिक्ति की स्थिति दर्शानेवाली

क्रम संख्या	कैडर का नाम	संस्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्त पद	रिक्त पदों की प्रतिशतता
1	प्रोफेसर्ज	19	2	17	89
2	एसोसिएट प्रोफेसर्ज	39	5	34	87
3	सहायक प्रोफेसर्ज	172	82	90	52
	कुल	230	89	141	61

स्रोत: शैक्षिक शारावा से प्राप्त डाटा।

उपर्युक्त तालिका प्रकट करती है कि स्टाफ की कैडर-वार कमी 52 से 89 प्रतिशत तक श्रृंखलित थी।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि विश्वविद्यालय रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में था। स्वयं वित्त पोषित स्कीमों के अंतर्गत, पदों की वित्तीय व्यावहारिता को उनको भरने के समय भी ध्यान में रखा जा रहा है। यह भी उल्लेख किया गया कि सभी रिक्त पदों को भरने से वेतन का भार प्रबलतापूर्वक बढ़ जायेगा तथा विश्वविद्यालय व्यय उठाने योग्य नहीं होगा। इसलिए, सरकार को पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया जायेगा। विश्वविद्यालय का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि इसे अपने शुल्क ढांचे की समीक्षा करके अपने संसाधन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

### 2.1.10.2 शिक्षक - छात्र अनुपात

ए.आई.सी.टी.ई. तथा यू.जी.सी. मानकों के अनुसार एक विश्वविद्यालय में शिक्षक - छात्र अनुपात 1:15 होना चाहिए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 31 मार्च 2011 को तकनीकी कोर्सों के लिए शिक्षक - छात्र अनुपात 1:31 का तथा गैर-तकनीकी के लिए यह 1:18 था। अपर्याप्त शिक्षक - छात्र अनुपात असंतोषजनक परिणामों तथा कम प्लेसमैट के कारणों में से एक हो सकता था जैसाकि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में चर्चित था। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (अगस्त 2011) कि अध्यापन कार्य के लिए अध्यापकों को ठेका आधार पर रखा गया था।

### 2.1.10.3 गैर - शिक्षक कैडरों में रिक्तियाँ

**गैर - शिक्षक स्टाफ में 31 प्रतिशत की कमी थी।**

गैर - शिक्षक कैडरों की विभिन्न श्रेणियों में 2,555 संस्कृत पदों के विरुद्ध 31 मार्च 2011 को वास्तविक संख्या 1,769 थी। निश्चित श्रेणियों, अर्थात् स्वतः वित्तपोषण कोर्सों में लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन, स्पोर्ट्स कोच, इंकर, लर्नर, बाइंडर, चपडासी तथा स्वीपर्ज तथा परीक्षा शाखा में तकनीकी सहायकों में कमी 100 प्रतिशत थी क्योंकि एक भी पद भरा नहीं गया था। स्टाफ की कमी विश्वविद्यालय के प्रशासन को बुरी तरह प्रभावित कर रही थी। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि यद्यपि सरकार नई भर्ती पर रोक लगने के कारण रिक्त पदों को नहीं भर सकी, बाहरी सूत्रों के माध्यम से कार्य प्रबन्धित किया जा रहा था। फिरभी, यह अवलोकित किया गया कि बाहरी सूत्रों का स्तर सभी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की आवश्यकता पूरी नहीं कर रहा था।

### 2.1.10.4 शिक्षक स्टाफ की दक्षता उन्नयन

विश्वविद्यालय/संबद्ध कालेजों में शैक्षिक फैकल्टी की सहायता करने के लिए उनके चुने हुए सुविज्ञता क्षेत्रों में उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए शैक्षिक स्टाफ कालेज (ए.एस.सी.) की स्थापना की गई थी। यह देखा गया कि कालेज में ओरिएण्टेशन/रिफरेशर कोर्स आयोजित नहीं किए गए थे जैसाकि योजनागत था। कमियां 29 से 50 प्रतिशत तक थी जैसाकि नीचे विवरणित है:

तालिका 12: प्रशिक्षण कोर्सों की स्थिति दर्शानेवाली

वर्ष	नियोजित कोर्सों की संख्या	आयोजित कोर्सों की संख्या	कमी
2005-06	16	8	8 (50 प्रतिशत)
2006-07	15	10	5 (33 प्रतिशत)
2007-08	17	12	5 (29 प्रतिशत)
2008-09	18	11	7 (39 प्रतिशत)
2009-10	19	12	7 (37 प्रतिशत)
कुल	85	53	32 (38 प्रतिशत)

स्रोत: शैक्षिक स्टाफ कालेज से प्राप्त डाटा।

यह देखा गया कि सूचना प्रौद्योगिकी, लाइफ साईंसिज, रिसर्च मैथडोलॉजी तथा संस्कृत पर दक्षता उन्नयन कोर्सों की योजना 2007-10 के दौरान प्रत्येक वर्ष बनाई गई थी किन्तु प्रशिक्षण कोर्स आयोजित नहीं किए गए थे। आगे, विश्वविद्यालय ने गैर - शिक्षक स्टाफ की दक्षता उन्नयन के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि आवेदकों की अपर्याप्त संख्या के कारण कोर्स आयोजित नहीं किये जा सके क्योंकि राज्य में बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, खानपुर तथा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार में दो और शैक्षिक स्टाफ कालेजों की स्थापना की गई थी।

## 2.1.10.5 कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना

विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर के कार्यक्रमालयों में से एक विश्वविद्यालय स्टाफ को कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रदान करना था। दो वर्षों में, केन्द्र ने 96 सदस्यों के लिए सिंतंबर और दिसंबर 2010 के मध्य एक सप्ताह की अवधि वाले केवल पांच ट्रेनिंग कार्यक्रम संचालित किये। केवल 30 सदस्यों ने कार्यक्रम में भाग लिया और वह भी एक दिन से पांच दिन की उपस्थिति के साथ। विश्वविद्यालय द्वारा उनके विस्तृद्वारा उनके कारंचाई नहीं की गई जिन्होंने प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया। इसने इंगित किया कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण के प्रति लापतवाही थी। इसके परिणामस्वरूप कंप्यूटर के अनुप्रयोगों में अधिकांश स्टाफ अप्रशिक्षित रहा। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने बताया (आगस्त 2011) कि प्रशिक्षणार्थियों का उपस्थिति रिकार्ड स्थापना शावका को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया था। लेखपत्रिका ने अवलोकित किया कि किसी कार्य योजना के अभाव के कारण कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रदान करते का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

### सम्पदा प्रबंधन तथा सहायक सेवाएं

#### 2.1.11.1 परिसम्पत्तियों के अभिलेखों का अननुरक्षण

सम्पदा अधिकारी की अध्यक्षता वाली सम्पदा विंग विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों के अनुरक्षण/नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। विश्वविद्यालय 400 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है तथा 506 एकड़ कृषीय भूमि का स्वामित्व रखता है जो कि कृषीय प्रयोजन के लिए खली नीलामी के माध्यम से पटटा आधार पर दी जाती है। विश्वविद्यालय के पास विश्वविद्यालय मार्केट काम्पलेक्स में 55 दुकानें, गर्मस लास्टल काम्पलेक्स में 10 दुकानें तथा 14 कैटीन और टी बूथ्स भी हैं। प्रभावी सम्पदा प्रबन्धन के लिए विंग को भूमि/परिसम्पत्तियों के स्वामित्व, भूमि के पटटे, किरायों के संग्रहण इत्यादि से संबंधित डाटाबेस का अनुरक्षण करना अपेक्षित था।

अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि विश्वविद्यालय समेकित परिसम्पत्ति अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं कर रहा था। विभिन्न शावकाएं विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों से डील कर रहे थे अर्थात् सम्पदा कार्यालय शावका कृषीय भूमि से डील कर रही थी, सामान्य शावका भावानों तथा दुकानों के आवंटन से डील कर रही थी और निर्माण शावका भवन अभिलेखों से डील कर रही थी। इनमें से किसी को भी परिसम्पत्तियों के वास्तविक मूल्यांकन का जान नहीं था। इसके परिणामस्वरूप स्थाई परिसम्पत्तियों, चालू परिसम्पत्तियों इत्यादि की प्रमात्रा सुनिश्चित योग्य नहीं थी।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (आगस्त 2011) कि परिसम्पत्तियों के अभिलेख समेकित करने के लिए उचित कार्यवाही की जायेगी।

#### 2.1.11.2 शिक्षण क्षेत्र में मूलभूत संरचना की अपर्याप्तता


ए.आई.सी.टी.ई. मानकों के अनुसार कलास रूमों, प्रयोगशालाओं/वर्कशॉपों तथा लाइब्रेरी/रीडिंग रूमों के लिए प्रशिक्षण क्षेत्रों के आकार क्रमशः 66, 200 तथा 400 वर्गमीटर होने चाहिए।

यह देखा गया कि यूआईईटी. में क्लास रूमों, प्रयोगशालाओं तथा लाइब्रेरियों/रीडिंग रूमों के वास्तविक आकार क्रमशः 57.01, 57.81 तथा 184.32 वर्गमीटर थे। इस प्रकार, विद्यार्थी संकुलित वातावरण में कार्य करने हेतु बाध्य थे।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि वर्ष 2010 में एआईसीटीई के मानक यूआईईटी. में लागू हुए थे तथा इसके भवन के निर्माण की योजना वर्ष 2003 में बनाई गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एआईसीटीई अधिनियम 1987 में लागू हुआ तथा क्लासरूमों, प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं इत्यादि के आकार एआईसीटीई के मानकों के अनुसार होने चाहिए।

#### 2.1.11.3 अपर्याप्त हास्टल आवास

विश्वविद्यालय के कैंपस विद्यार्थियों को हास्टल आवास प्रदान किया गया था। जांच ने दर्शाया कि 2006-07 से 2009-10 तक हास्टलों में भारी भीड़ थी क्योंकि विद्यार्थियों की औसत संख्या भर्ती क्षमता से बहुत अधिक थी जैसा नीचे विवरण दिया गया है:



उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 5,005 विद्यार्थियों की भर्ती क्षमता के विरुद्ध वास्तविक अधिभोग 5,856 था। हास्टलों की अत्यधिक भीड़, अध्ययन तथा स्वच्छ जीवन-यापन के लिए सहायक नहीं थी। आगे 97 बिस्तरों की भर्ती क्षमता हेतु स्थान कार्यालय कार्य के लिए प्रयोग किया गया था इसने भी भीड़ को बढ़ाया।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि 1200 छात्रों की आवास क्षमता बाले और हास्टल निर्माणाधीन थे तथा उनके पूर्ण होने पर और छात्रों को आवासित किया जा सकता था।

#### 2.1.11.4 बुक बैंक

गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता के लिए बुक बैंक के सृजन के लिए अनुदान यूजीसी. द्वारा प्रदान किये जाते हैं। यह तथापि, देखा गया कि विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में

कोई बुक बैंक स्थापित नहीं किया गया था। आगे, 2006-11 के दौरान यू.जी.सी. से प्रयोजन हेतु कोई अनुदान नहीं मांगा गया था।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि कालेजों/विभागीय पुस्तकालयों में बुक बैंक उपलब्ध थे और मुख्य पुस्तकालय में बुक बैंक के सृजन के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव यू.जी.सी. को शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा।

#### 2.1.11.5 विश्वविद्यालय प्रिंटिंग प्रैस

विश्वविद्यालय के पास 74 कार्यरत स्टाफ की संख्या वाली स्वयं की अपनी प्रिंटिंग प्रैस है। यह अवलोकित किया गया कि विश्वविद्यालय की प्रैस आधुनिक प्रौद्योगिकी से भलीभांति सुसज्जित नहीं थी। इसके उपकरण के इतिहास के विश्लेषण ने दर्शाया कि उपकरण के 30 मर्दों में से 28 बहुत पुराने थे तथा दिसंबर 1964 तथा मार्च 2005 के बीच खरीदे गये थे। प्रैस ने 2006-10 के दौरान नीचे दिखाई गई तालिका 13 के अनुसार ₹ 4.44 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया।

तालिका 13 : प्रिंटिंग प्रैस के आय तथा व्यय

वर्ष	आय	व्यय	आय के ऊपर अतिरिक्त व्यय
2006-07	1.40	2.14	0.74
2007-08	1.48	2.38	0.90
2008-09	1.51	2.81	1.30
2009-10	1.33	2.83	1.50
2010-11	1.26	1.86	0.60
कुल	6.98	12.02	5.04

स्रोत विश्वविद्यालय के आय और व्यय की विवरणियां।

विश्वविद्यालय ने अपना कुछ प्रिंटिंग कार्य इस तर्क के साथ बाहर से करवाया था कि प्रैस सुसज्जित नहीं थी। आगे यह देखा गया कि उत्तर-पुस्तिका सहित कई प्रिंटिंग कार्य ₹ 56.24 लाख व्यय करके निजी यूनिटों से करवाये गये थे (2009-11)। विश्वविद्यालय ने न तो हानि के कारणों का विश्लेषण किया और न ही प्रैस को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कोई कार्यवाही की।

#### 2.1.11.6 सीमा शुल्क पर परिहार्य व्यय

जी.ओ.आई. ने अधिसूचित किया (जुलाई 1996) कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) के पास पंजीकृत एक संस्था इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है, यह वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपस्करणों एवं उपकरणों पर सीमा शुल्क से छूट का लाभ उठा सकता है। विश्वविद्यालय डी.एस.आई.आर. के पास पंजीकृत था।

चार<sup>15</sup> विभागों के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया (जनवरी तथा फरवरी 2011) कि इन विभागों ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपस्करणों एवं उपकरणों का आयात किया और ₹ 12.41 लाख की राशि के सीमा शुल्क का भुगतान किया। इसने जागरूकता की कमी दर्शाई तथा इस प्रकार ₹ 12.41 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि खोजबीन के बाद सीमा शुल्क विभाग से सीमा शुल्क की वापसी मांगी जायेगी।


<sup>15</sup> इलैक्ट्रॉनिक साईट (₹ 8.12 लाख), कैमिस्ट्री (₹ 2.47 लाख), विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 0.84 लाख) तथा फीजिक्स (₹ 0.98 लाख)।

የመ/ቁጥር 26 ዓዲስ አበባ 2009 ዓ.ም ተክክለኛ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ተከራካሪ የሚያሳይ

### 2.1.12.2 **Fluoride**, **fluoride** **fluoride** **fluoride**

## 2.1.12.1 المعنى المركب

2.1.12 **תְּלִיפָּתָה** תְּלִיפָּתָה



አክብ ወያዙ አንተ የተ ለ ለበደብ ፩ ፲፻፱

## 2.1.12.4. *ପ୍ରାଚୀନ କୁଣ୍ଡଳିତା*

**הנתקות מהתפקידים הדרושים עליה:**

በዚህ ደንብ 14፡ ከተማው በደንብ ተከራክር ስለሚሸጠል

2.1.12.3 არტიტურა

#### 2.1.12.5 የሰነድ ጥቃት በተላለፈ ነው

Ապրան կը լզիեցիս բայց իւզ

1146 246 11201146 2 4142 1132 1142 2 1142 2 1142

1

31/11/2024 21:11:35 由 田中 田中 田中

የዚህ የሚከተሉት ስምዎች በፊርማ እንደሆነ የሚከተሉት ስምዎች በፊርማ እንደሆነ

四

11. **ପ୍ରକାଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନରେ ଆବଶ୍ୟକ** (୦୫)

תְּלִילָה וְעַמְּדָה יְבֵנָה כִּי 34 חֲמִידָה תְּבִלָּה 34 בְּנָה שְׁמָן תְּלִילָה אֶת הַמִּזְבֵּחַ

፲፻፲፭

፩፻፲፭ ዓ.ም. በ፩፻፲፭ ዓ.ም. ተስፋዬ ስርጓሜ እንደሆነ ተስፋዬ ስርጓሜ እንደሆነ

॥ ੫੭੮ ॥ ਸਾਡੇ

ପ୍ରକାଶକ ମାତ୍ରିକ

፩ የዚህበኝነት ቅዱ ተወስኝ ነው እና ይህንን በዚህ የሚከተሉ የሚያስፈልግ የሚያስፈልግ የሚያስፈልግ

አማርኛ 2.110.2 ከ በታች ማኅበ ተነስ ይገልጻል

ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԱՅ ԱՐԿԱՐ ԲԵ ԿԵԼ ԲԵ ԿԵ ԱՐԴԻ ԿԵ ԱՐՏՈՒՐԻ ԱՅ ԱՐԵՎԱՐԱ

(70) ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରମାନ କାଳିଜୀବି ପାତ୍ରମାନ କାଳିଜୀବି ପାତ୍ରମାନ କାଳିଜୀବି

32. *Alphitonia* *flabellifolia* A. Nels. *Alphitonia* *flabellifolia* Schlecht. *Alphitonia* *flabellifolia*,  
Alphitonia 88. *Alphitonia* *flabellifolia* *flabellifolia* A. Nels. *Alphitonia* *flabellifolia* Schlecht.

॥ अ॒ग्नि॑ व॒त्ति॑ ॥

አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ስራውን ተስፋና መሆኑን በ

לְמִזְבֵּחַ תָּמִיד תְּבֻאֵת הַבָּשָׂר תְּבֻאֵת הַיָּד וְתְּבֻאֵת הַבָּשָׂר

Digitized by srujanika@gmail.com

**ବ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ - କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା**

2.1.14. Reptile

The End

2.1.13 ~~तात्पुरा~~

සංස්කරණ පාලන (සංවාය 2011) වෙත ඇතුළත නිලධාරී ආචාර්යාවලි සහ තුළමුවලි

הנתקה מהתפקידים

年	新規登録	登録者数	登録率	登録者数	登録率	登録者数	登録率	登録者数	登録率
2006	3	1	2	10	8	2			
2007	3	1	2	10	8	2			
2008	3	1	2	10	8	2			
2009	3	1	2	10	8	2			
2010	3	2	1	10	5	5			
年	15	7	8	50	28	22			

ପାଇଁ କୁଟୀ ତୁ ପାଇଁ କୁଟୀ ତୁ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ତୁ କହିଲୁ କୁଟୀ ତୁ କୁଟୀ ତୁ

36414-2 ପ୍ରକାଶତଥିବା

- 31 ዓመት 2011 ከ ማኅበር በቃድ መተካማዎች እንደሆነ አገልግሎት ነው (የፈላጊ)
- የሚከተሉት በቃድ መተካማዎች እንደሆነ አገልግሎት ነው
  - የሚከተሉት በቃድ መተካማዎች እንደሆነ አገልግሎት ነው
  - የሚከተሉት በቃድ መተካማዎች እንደሆነ አገልግሎት ነው
  - የሚከተሉት በቃድ መተካማዎች እንደሆነ አገልግሎት ነው

## वन विभाग

### 2.2 वन विभाग की कार्यपाली

#### विजिष्ठताएं

पारिस्थितिक संतुलन, पर्यावरण स्थिरता, जैव-विभिन्नता संरक्षण, स्वाच्छ सुरक्षा तथा देश के क्रमिक विकास में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का लक्ष्य देश के एक तिहाई भू-वैज्ञानिक क्षेत्र को वनों एवं पेड़ों से आच्छादित करना है। राज्य सरकार ने अपनी वन नीति में 2010 तक राज्य के 10 प्रतिशत क्षेत्र को वनों एवं पेड़ों से आवृत्त करने पर विचार किया। विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा ने इसकी नीति के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 10 प्रतिशत को वनों एवं पेड़ों के अंतर्गत लाने की एक दीर्घ-अवधि परियोग्य योजना तैयार न करने, वन-भूमि की सीमा तय न करने, इको-टूरिज्म को लिए वन भूमि का विकास न करने, वन विकास स्कीमों का धीमा कार्याच्चयन, निधियों का विपथन, पौधारोपण की निम्न उत्तरजीविता तथा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत क्षेत्रों का पासमर व्यापन प्रकट किया। इसके अतिरिक्त, गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन-भूमि के उपयोग हेतु मुआवजे के रूप में वसूल की गई भारी निधियां उपयोग किए बिना रहीं।

सरकार की नीति के अनुसार 2010 तक राज्य के कुल भू-वैज्ञानिक क्षेत्र के 10 प्रतिशत को वन एवं पेड़ के अंतर्गत आवृत्त करने की एक दीर्घ-अवधि परियोग्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.2.6)

चार मण्डलों में ₹ 5.56 करोड़ की राशि प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंध एवं आयोजना प्राधिकरण (सी.ए.एम.पी.ए.) के पास जमा करवाने की बजाए क्वात्रो में रखी गई थी।

(अनुच्छेद 2.2.7.5)

₹ 4.60 करोड़ की देय राशि के विरुद्ध वन भूमि उपयोगकर्ताओं से मुआवजे के रूप में केवल ₹ 2.61 करोड़ वसूल किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.2.7.7)

एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंध एवं गरीबी उम्मूलन परियोजना के अंतर्गत पौधारोपण की उत्तरजीविता दर बहुत कम थी। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.2.8.2)

प्रतिपूरक वन रोपण के लिए सम्मिलित योजना नहीं बनाई गई थी तथा परिणामतः गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोगकर्ताओं से मुआवजे के रूप में नमूना - जांच किए गए 12 मंडलों में वसूल की गई ₹ 109.18 करोड़ की राशि उपयोग नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.2.11)

**वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के विपरीत आरक्षित वन/संरक्षित वनों/वन्यजीव मृग-वन में 11 हर्बल पार्क विकसित किए गए थे।**

(अनुच्छेद 2.2.12)

**निर्धारित अवधि के भीतर मितव्ययी पर्यटन की परियोजनाओं की अपूर्णता के कारण विभाग ₹ 1.30 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त नहीं कर सका।**

(अनुच्छेद 2.2.13.1)

**विभाग/उपायुक्त, गुडगांव द्वारा अपर्याप्त मानीटरिंग के कारण अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन हुआ परिणामस्वरूप वन संस्थानों को क्षति पहुंची।**

(अनुच्छेद 2.2.15.3)

### 2.2.1 प्रस्तावना

हरियाणा, उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों, दक्षिण-पश्चिम में अरावली पहाड़ियों तथा पश्चिम में शुष्क मैदानों से धिरे गंगा के मैदानों में स्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 44.2 लाख हेक्टेयर है। मार्च 2011 को राज्य का वन क्षेत्र 1.59 लाख हेक्टेयर (राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 3.60 प्रतिशत) में फैला हुआ था जिसमें से 15.72 प्रतिशत आरक्षित<sup>19</sup>, 72.96 प्रतिशत संरक्षित<sup>20</sup> तथा 11.32 प्रतिशत अवर्गीकृत एवं अन्य अधिसूचित वन<sup>21</sup> था। इसके अतिरिक्त, 1.41 लाख हेक्टेयर (राज्य के क्षेत्र का 3.19 प्रतिशत) क्षेत्र वृक्ष आवरण के अंतर्गत था। इस प्रकार, वन एवं पेड़ आवरण के अंतर्गत कुल क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 6.79 प्रतिशत था जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में विचार किए गए अनुसार वन एवं पेड़ आवरण के अंतर्गत एक तिहाई क्षेत्र के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत नीचे था। चूंकि राज्य की 81 प्रतिशत भूमि कृषि अधीन थी, राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं थी। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य वन नीति तैयार की (नवम्बर 2006) जिसने 2010 तक 10 प्रतिशत क्षेत्र वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाने तथा अन्तिम रूप से इसे स्तरों में 20 प्रतिशत तक लाने का विचार किया। राज्य में कालेसर तथा सुल्तानपुर में दो राष्ट्रीय पार्क, 10 वन्य जीव मृग-वन तथा तीन छोटे चिड़ियाघर, अर्थात् पिपली, भिवानी तथा रोहतक में, हैं। राज्य वन नीति के कार्यान्वयन के लिए वन विभाग उत्तरदायी है। वन विभाग की गतिविधियों में प्राकृतिक वनों एवं वन्य जीव प्राकृतिक वास का संरक्षण, मृदा एवं जल का संरक्षण, वन भूमि, सार्वजनिक भूमि एवं संस्थागत भूमि पर पौधारोपण करवाना तथा किसानों एवं संस्थानों को अच्छे बीजों के सवितरण के माध्यम से एग्रो-फारेस्ट्री का उन्नयन करना शामिल है। विभाग, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तथा पंजाब भू-संरक्षण अधिनियम, 1900 के वैधानिक ढांचे के भीतर अपनी गतिविधियां संचालित करता है।

<sup>19</sup> सरकारी भूमि, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 3 के अंतर्गत आरक्षित वन के रूप में संघटित की गई है।

<sup>20</sup> सरकारी भूमि, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित की गई है।

<sup>21</sup> भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 38 तथा पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 के अंतर्गत अधिसूचित किन्तु आरक्षित एवं संरक्षित वनों के अंतर्गत आवृत्त न किया गया क्षेत्र।

## 2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

विनायकत एवं प्रधान सचिव (एफ.सी.पी.एस.), हरियाणा सरकार, वन विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया हैं। पंचकुला में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.) नीति - निर्माण, बजटीय नियंत्रण, निदेश जारी करने एवं विभाग के समग्र कार्यालय के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्यालय पर उनकी सहायता के लिए दो अतिरिक्त पी.सी.सी.एफ. (एक वानिकी के लिए तथा दूसरा वन्यजीव के लिए), छ. मुख्य वन संरक्षक तथा दो मुख्य परियोजना निवेशक (सी.पी.डी.) होते हैं। दो सी.पी.डी.ज एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंध एवं गरीबी उभूलन परियोजना तथा सामुदायिक वनरखड़ परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन एवं मानीटिरिंग के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य को चार वन विकास परिमंडलों, एक वन्यजीव परिमंडल, एक उत्तरदान परिमंडल, दो सामुदायिक वनरखड़ परिमंडलों तथा मानीटिरिंग एवं मूल्यांकन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, सामाजिक वनरखड़, प्रभार एवं विस्तार और कार्यालय योजना के लिए प्रत्येक को एक परिमंडल में बांटा गया है। वन संरक्षक परिमंडलों के मुखिया हैं। उपर्युक्त 14 परिमंडलों को आगे 37 वन तथा चार वन्यजीव मण्डलों में बाटा गया है। मण्डल स्तर पर मंडलीय वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.ज) तथा मण्डलीय वन्यजीव अधिकारी (डी.डब्ल्यू.एल.ओ.ज) क्रमशः विभाग की वन तथा वन्यजीव से संबंधित गतिविधियों का संचालन करते हैं।

## 2.2.3 लेरवापरीक्षा उद्देश्य

लेरवापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या:

- एक दीर्घ अवधि परियेक्ष्य योजना तथा वापिक योजनाएं सरकारी नीति के अनुसार विभाग के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए थे;
- विभाग में विद्यमान आवृत्त प्राथमिकताओं के संबंध में दक्ष वित्तीय प्रशासन;
- विद्यमान स्कीमों/कार्यक्रमों के लक्ष्यों की प्रवानगी के संबंध में प्रभावी कार्यक्रम प्रबंध;
- दक्षता उन्नयन हेतु कार्मिक भर्ती, तैनाती एवं प्रशिक्षण के संबंध में मानव संसाधन का प्रबंध दक्ष था; तथा
- आन्तरिक नियंत्रण यंत्रावली सहित पर्याप्त पर्यवेक्षण एवं मानीटिरिंग की विद्यमानता।

## 2.2.4 लेरवापरीक्षा मापदण्ड

लेरवापरीक्षा परिणामों की बेचमार्किंग के लिए प्रयुक्त लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नानुसार थे:

- वन विभाग से संबंधित नीति एवं योजना दस्तावेज, अधिनियम तथा नियम;
- हरियाणा द्वारा यथा अपनाए गए पंजाब बजट भैनुअल तथा पंजाब वित्तीय नियमों/खजाना नियमों के प्रावधान;
- राज्य तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए समय - समय पर जारी सरकारी अधिसंचाराएं तथा अनदेश;
- विभागीय नियमपुस्तकों, नियम तथा विनियम;

- स्कीमों/कार्यक्रमों की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए निर्धारित प्रक्रिया; तथा
- वनों के संरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश।

#### 2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा पद्धति

वन विभाग के कार्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा 2006-11 की अवधि के लिए संचालित की गई थी। पी.सी.सी.एफ., अतिरिक्त पी.सी.सी.एफ. (वन्य जीव) तथा सभी 14 परिमंडलों के अभिलेख संवीक्षा के लिए चयन किए गए थे। सभी 21 प्रादेशिक वन मंडल (एक इको-टूरिज्म मंडल सहित) नमूना-जांच के लिए चुने गए थे। चार वन्यजीव मंडलों में से दो<sup>22</sup>, चार उत्पादन मंडलों में से दो<sup>23</sup>, पांच सामुदायिक वनस्पति मण्डलों में से तीन<sup>24</sup> ‘प्रतिस्थापन के बिना आकार की आनुपातिक स्तरित संभावना यादृच्छिक नमूना पद्धति’ का उपयोग करके नमूना-जांच के लिए चुने गए थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मापदण्ड तथा लेखापरीक्षा के क्षेत्र पर विचार-विमर्श करने के लिए एफ.सी.पी.एस. वन विभाग के साथ एण्ट्री कान्फ्रेंस अप्रैल 2011 में आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा परिणामों पर विचार-विमर्श करने के लिए एफ.सी.पी.एस. के साथ 4 अगस्त 2011 को एग्जिट काफ्रेंस आयोजित की गई थी। विभाग के दृष्टिकोण निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अन्तिमकरण करते समय ध्यान में रखे गए थे।

#### लेखापरीक्षा परिणाम

#### 2.2.6 वन नीति तथा आयोजना

2010 तक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 10 प्रतिशत भाग को वन के अंतर्गत आवृत्त करने की दीर्घ-अवधि परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

वन संसाधनों के क्रमिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हरियाणा राज्य के सृजन के 40 वर्षों के बाद 2006 में इसकी वन नीति तैयार की। नीति ने 2010 तक विद्यमान 6.63 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक तथा अन्ततः स्तरों में 20 प्रतिशत तक राज्य में वन तथा पेड़ आवरण के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य नियत किया। पंचायती, सार्वजनिक तथा संस्थागत भूमि के अतिरिक्त एग्रो-वनस्पति, फार्म वनस्पति तथा शहरी वनस्पति के माध्यम से निजी भूमि पर अधिक पेड़ लगाकर लक्ष्य को प्राप्त किया जाना था।

विभाग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के लिए अपना दृष्टिकोण निम्नानुसार तैयार किया:

- वन तथा वृक्ष आवरण 12 प्रतिशत तक बढ़ाना;
- एग्रो वनस्पति तथा फार्म वनस्पति का विस्तार;
- औषधीय पौधों के प्रचार, कृषि एवं विपणन का प्रतिपादन करना;

<sup>22</sup> मण्डलीय वन्यजीव अधिकारी, पंचकुल तथा रोहतक।

<sup>23</sup> मण्डलीय वन अधिकारी (उत्पादन), करनाल तथा कुरुक्षेत्र।

<sup>24</sup> मण्डलीय वन अधिकारी (सामुदायिक वनस्पति परियोजना), अंबाला, हिंसर तथा कुरुक्षेत्र।

- इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना;
- मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों के माध्यम से मृदा का क्षरण रोकना;
- वनों एवं वन्यजीवन की सुरक्षा; तथा
- सार्वजनिक - निजी सहभागिता से वन्यजीवन संरक्षण शिक्षा केन्द्र की स्थापना।

यह देखा गया था कि विभाग ने 2010 तक राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 10 प्रतिशत की व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने के लिए भौतिक लक्ष्य तैयार करने के लिए कोई दीर्घ - अवधि योजना तैयार नहीं की। विभाग ने यह विनिर्दिष्ट किए बिना, कि इन स्कीमों के माध्यम से क्षेत्र का 10 प्रतिशत वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाने के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा, विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों को कार्यान्वित किया। आगे, विभाग ने वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाए जाने वाले राज्य के क्षेत्रों को चिह्नित करने, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित बजटीय समर्थन, मण्डल/परिमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इत्यादि की विस्तृत परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की। समुचित आयोजना के अभाव में नीचे दिए गए विवरणानुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.79 प्रतिशत तक ही वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई:

#### तालिका 1: राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण की स्थिति

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

वर्ष	राज्य का कुल क्षेत्र	आरंभित वन	संरक्षित वन	अवर्गीकृत वन	वृक्ष आवरण	कुल वन एवं वृक्ष आवरण
2006	44.20	0.25 (0.57)	1.16 (2.62)	0.15 (0.34)	1.37 (3.10)	2.93 (6.63)
2011	44.20	0.25 (0.57)	1.16 (2.62)	0.18 (0.41)	1.41 (3.19)	3.00 (6.79)

(टिप्पणी: कोष्ठकों में आंकड़े राज्य के कुल क्षेत्र की प्रतिशतता इंगित करते हैं)

इस प्रकार, 2006-11 के दौरान वन तथा वृक्ष आवरण से संबंधित स्कीमों पर ₹ 539.58 करोड़ रुपये करने के बाद भी वन एवं वृक्ष आवरण में कुल वृद्धि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.16 प्रतिशत ही थी। यद्यपि विभाग का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था, विभाग ने न तो अपनी नीति की समीक्षा की और न ही राज्य वन नीति 2006 में विचार किए गए अनुसार राज्य के 20 प्रतिशत क्षेत्र को वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई नई योजना प्रतिपादित की। पी.सी.सी.एफ. ने बताया (जुलाई 2011) कि इस लक्ष्य की प्राप्ति की योजना राज्य में फार्म भूमियों पर गहन वनरोपण तथा सभी बेकार भूमियों एवं संस्थान भूमियों पर वृक्ष पौधारोपण के माध्यम से थी तथा ये प्रयास 2008-09 में शुरू किए गए थे जो 2011-12 के बाद परिणाम देंगे क्योंकि छतरियों तथा सैटेलाइट दृश्यों में हरे आवरण के रूप में प्रतिविन्मित होने वाले क्षेत्रों को विकसित होने में सामान्यतः चार से पांच वर्ष लगते हैं। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि विशिष्ट लक्ष्य विनिर्दिष्ट नहीं किए गए थे कि वन तथा वृक्ष आवरण के अधीन 10 प्रतिशत क्षेत्र लाने का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाएगा।

गैर-वन प्रयोजनों के लिए वनभूमि के विपथन के कारण उपयोगकर्ता एजेसियों से सभी प्राप्तियां क्रेडिट करने के लिए भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंध एवं आयोजना प्राधिकरण का गठन किया गया (अप्रैल 2004) था। प्राप्त किया गया धन जी.ओ.आई. से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्राकृतिक सहायता-प्राप्त पुनरुद्धार, वन प्रबंध तथा वन रोपण स्कीमों के लिए उपयोग किया जाना था। यह देखा गया था कि जून 2011 को निधि

में ₹ 274.86 करोड़ के संचयन के बावजूद प्रतिपूरक वन रोपण के कार्यान्वयन के लिए कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई थी, जैसा बाद में अनुच्छेद 2.2.7.6 में विचार-विमर्श किया गया है।

इस प्रकार, आयोजना की कमी ने राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत क्षेत्र को 2006-11 की अवधि के दौरान लगभग निष्क्रिय बना दिया।

### 2.2.7 वित्तीय प्रबंध

विभाग की गतिविधियों का पालन करने के लिए सरकार बजट के माध्यम से विभाग को निधियां प्रदान करती है। पी.सी.सी.एफ. बजट अनुमानों को तैयार करने तथा सरकार के पास प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग ने 14 प्लान स्कीमें (दो केन्द्रीय प्रायोजित साझेदार आधार पर, एक बाहरी सहायता-प्राप्त तथा 11 राज्य प्लान स्कीमें) तथा 12 गैर-प्लान स्कीमें (परिशिष्ट 2.3) कार्यान्वित कीं। इसके अतिरिक्त इको-टूरिज्म के विकास के लिए हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से 2007-08 में ₹ 5.18 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी। वन विभाग की प्राप्तियां मुख्यतः वन उत्पाद जैसे पेड़ों, घास, बांस इत्यादि की बिक्री से थी।

#### 2.2.7.1 बजट तथा व्यय नियंत्रण

वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बजट महत्वपूर्ण साधन है। अच्छी तरह से तैयार किए गए बजट लक्ष्यों के विरुद्ध व्यय की मानीटरिंग महत्वपूर्ण प्रबंध कार्य है। खराब बजटीय नियंत्रण से अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अदक्ष उपयोग ही नहीं होता अपितु यह संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रगति को नुकसान भी पहुंचाते हैं। हरियाणा द्वारा यथा अपनाए गए पंजाब बजट नियमपुस्तिका के पैराग्राफ 5.3 में निर्धारित किए गए अनुसार सामान्य व्यय के बजट अनुमानों को जहां तक संभव हो ठीक-ठीक तैयार किया जाना चाहिये। व्यय की सभी मर्दें, जिनका अनुमान लगाया जा सकता है, जुटाई जानी तथा उचित उप-शीर्षों के अंतर्गत शामिल की जानी चाहिये। संवितरण अधिकारियों से प्रस्तावों के विवरण निर्धारित फार्म में नियंत्रक अधिकारी को अग्रेषित करने की अपेक्षा की जाती है, जो बजट अनुमानों की तैयारी के लिए उनकी आगे जांच करता है।

2006-11 के दौरान प्लान, गैर-प्लान के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक प्राप्तियों तथा उनके विरुद्ध किया गया व्यय निम्नानुसार था:

तालिका 2: बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूल बजट आवंटन			अन्तिम बजट आवंटन			व्यय			मूल बजट के विरुद्ध आविष्करण (+)/ बद्धत (-)	वास्तविक प्राप्तियां
	प्लान	नान-प्लान	कुल	प्लान	नान-प्लान	कुल	प्लान	नान-प्लान	कुल		
2006-07	99.95	49.37	149.32	91.14	49.51	140.65	124.79	49.45	174.24	(+) 24.92	38.62
2007-08	103.54	35.05	138.59	98.96	34.00	132.96	102.07	34.02	136.09	(-) 2.50	33.79
2008-09	117.15	37.52	154.67	118.25	38.23	156.48	120.87	39.32	160.19	(+) 5.52	40.74
2009-10	101.40	93.75	195.15	95.79	91.49	187.28	94.95	91.87	186.82	(-) 8.33	56.13
2010-11	128.53	66.56	195.09	130.91	75.30	206.21	119.41	86.68	206.09	(+) 11.00	33.56
कुल	550.57	282.25	832.82	535.05	288.53	823.58	562.09	301.34	863.43	(+) 30.61	202.84

स्रोत: संबंधित वर्षों के विस्तृत विवियोग लेरवे।

जैसा उपर्युक्त तालिका से प्रमाण है 2006-07, 2008-09 तथा 2010-11 के दौरान मूल बजट आवंटनों तथा 2007-08 एवं 2009-10 के दौरान बचत पर आधिकार्य था। किसी औचित्य के बिना मूल बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय के मध्य भारी अंतर ने दोषपूर्ण बजटिंग इग्निट की। 2006-07 में ₹ 24.92 करोड़ के कुल आधिकार्य में से ₹ 23.46 करोड़ हरियाणा समुदायिक चानिंकी परियोजना के संबंध में था। यह भागमा 3। मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) - हरियाणा सरकार के अनुच्छेद 2.3.8 में इग्निट किया गया था। तथापि, लोक लेखा समिति की सिफारिशों प्रतीक्षित थी। यह आगे देखा गया था कि यद्यपि विभाग ने सवितरण अधिकारियों से विवरण प्राप्त करके नान-प्लान व्यय के संबंध में बजट अनुमान तैयार किए किन्तु प्लान अनुमानों के संबंध में ऐसी कोई कवायद नहीं की जा रही थी।

पीसीसीएफ. ने बताया (मई 2011) कि विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत आधिकार्य, मजदूरी की दरों में वृद्धि तथा भवनों के अनुरक्षण के कारण थे जबकि बचतें रिक्त पदों तथा स्कीमों के कारणन्यन पर कम व्यय के कारण थी। उत्तर इग्निट करता है कि बजट नियम - पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार बजट तैयार नहीं किए गए थे क्योंकि मजदूरी की दरों में वृद्धि, भवनों का अनुरक्षण, रिक्त पद इत्यादि पूर्वानुमान योग्य थे तथा व्यय की इन मर्दों को ध्यान में रखने के बाद अनुमान तैयार किए जाने चाहिए।

आभिलेखों की जांच ने निम्नलिखित कामियां प्रकट की:

- चार<sup>25</sup> स्कीमों (*पारिशिष्ट 2.4*) में 2006-10 दौरान ₹ 1.55 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया था तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन ताशि वापस की जानी थी। पी.सी.सी.एफ. ने बताया (जून 2011) कि इन स्कीमों के लिए प्रदान की गई निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के कारण स्कीमें निष्पादित नहीं की जा सकी। इस प्रकार, इन स्कीमों के लिए बजट में समुचित प्रावधान नहीं किये गये थे।
- हरियाणा वन नियम - पुस्तिका के अनुसार वेतनों से बचतों को व्यय के अन्य आनक उद्देशों की ओर पुनः विनियुक्त नहीं किया जाना था। दो स्कीमों (*पारिशिष्ट 2.5*) पर किया गया ₹ 25.13 लाख का अतिरिक्त व्यय, वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन वेतनों से बचत में से पुनः विनियुक्त किया गया था जो न केवल वन नियमपुस्तक के प्रावधानों के विपरीत था बल्कि खराब बजटीय नियंत्रण भी इग्निट किया।

#### 2.2.7.2 बजट नियंत्रण रजिस्टर का रत्व - रत्वाव न करना

हरियाणा बजट नियमपुस्तक खण्ड - II (अनुच्छेद 14.35) के अनुसार पी.सी.सी.एफ. द्वारा बजट नियंत्रण रजिस्टर का रत्व - रत्वाव किया जाना था, जिसमें विभाग के वित्तों पर प्रभावी जांच एवं नियंत्रण के लिए वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय के साथ आज तक के सभी हस्तांतरणों, संलोकितियों, पुनः विनियोग तथा अतिरिक्त अनुदानों, यदि कोई हो, को दर्शाया जाना था। यह देख गया था कि यद्यपि विभाग के सभी आहरण एवं सवितरण अधिकारी (डी.जी.ओज.) पी.सी.सी.एफ. को प्रत्येक माह वास्तविक व्यय एवं प्राप्ति विवरणी भेज रहे थे, डी.जी.ओ. - वार

<sup>25</sup> सूचना प्रोत्तोगिकी, राज्य समाधान प्रबंध आजीविका परियोजना; वन संरक्षणों का संरक्षण तथा उपयोग; कृषि वानिकी कलेनल तथा नान - वलेनल का विकास।

2008-09: 0.60, 2009-10: 0.97, 2010-11: 0.97

27

**סְבִּירָה**, **אֲלִיכָּה**, **חַרְבָּה**, **לְמִתְּהִלָּה**, **מִלְּגָדָה**, **מִלְּגָדָה**

26

1121P>4

גָּמְבָּרֶךְ

Page 2 of 2

#### 2.2.7.4 النوع المادي والغيرمادي

سالہ فوج

### 2.2.7.3 የተወቃጠና ተቀባዩ እና ማስረጃ መለያዎች

ተዕዛዝ በትኩረም የሚከተሉት ስልጣን ተከራክር ነው፡፡ የሚከተሉት ስልጣን ተከራክር ነው፡፡

### 2.2.7.6 የኢትዮጵያ ማኅበርና ቤትና የተዘጋጀ አገልግሎት

20. گلستانه از ۲۰۱۰ تا ۲۰۰۴-۲۰۱۰ در ۵.۵۶٪ کاهش داشت. این نتیجه از تغییرات اقلیمی و انسانی می‌باشد.

#### 2.2.7.5 סָבִיב מְלֵאָה חַדְשָׁה מִתְּמֻמָּה

卷 167 第 15 頁

الآن، يُمكنك إنشاء ملخص ملحوظ بخطوات بسيطة، حيث يُمكنك إدخال ملخصك في المربع المخصص، ثم النقر على زر "إنشاء ملخص".

30

29

ପ୍ରକାଶକ

۱۶۷۴

2.2.7.7. የተ-በት ማረጋገጫ ተቻል ማረጋገጫ ተቻል ማረጋገጫ ተቻል

三國志 卷之二

۷۲۴.۴۸ سهیم سی

### 2.2.7.8 सी.एम.पी.ए. को निधियों का हस्तान्तरण न करना

विभाग ने राज्य राजस्व शीर्ष के अंतर्गत सी.एम.पी.ए. की ₹ 4.06 करोड़ की राशि जमा करवाई।

20 प्रदेशिक मण्डलों में से सात<sup>31</sup> जी.ओ.आई. ने 56 नामलों में गेर-वन उपयोग हेतु वनभूमि के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की (जुलाई 2003 - नवम्बर 2010)। उपयोगकर्ता अधिकारणों ने सी.एम.पी.ए. के पास जमा करवाने के लिए विभाग के पास ₹ 25.37 करोड़ की राशि जमा करवाई। यह देखा गया था कि इन निधियों में से इन मण्डलों ने जी.ओ.आई. के तत्रैव दिशानिर्देशों के विपरीत राज्य सरकार के जमा शीर्ष 8782 - वन प्रेषण के अंतर्गत ₹ 4.06 करोड़ की राशि प्रेषित की। इसने ₹ 4.06 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूरक वनरोपण निधि के सचयन को प्रभावित किया। दो<sup>32</sup> ही.एफ.ओ.ज ने बताया (फरवरी 2011) कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से वसुले गए केलिंग चार्टिंज से संबंधित राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत निधियां जमा करवाई गई। उत्तर जी.ओ.आई. के निवेशों से मेल नहीं खाता क्योंकि केलिंग चार्टिंज, प्रतिपूरक वनरोपण प्रभारों के परिकलन में शामिल किए गए थे तथा उसी रूप में सी.एम.पी.ए. के पास जमा करवाए जाने थे।

### 2.2.7.9 हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग आवर्ती संग्रह निधि

वन विभाग ने लकड़ी आधारित उद्योगों को लाईसेंस प्रदान करने के लिए लाईसेंस फीस के प्रावधान को अधिसूचित किया (मार्च 2006, सितम्बर 2009) तथा लाईसेंस फीस के माध्यम से सूचित निधियों के प्रबंध के लिए हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग आवर्ती निधि नियम 2009 का वन प्रबंध नामक नियम बनाए। एकत्र की गई निधियां भूमि के अधिग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों अर्थात् मिट्टी, जल, पौधों एवं प्राणियों तथा वनरंड को बढ़ावा देने के लिए समिति द्वारा अनुमोदित किसी अन्य गतिविधि के लिए उपयोग की जानी थी। जून 1997 में जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार सरनस्स निधियां केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा आंशक किए गए ऋण प्रपत्रों, राष्ट्रीयकरत/सहकारी बैंकों इत्यादि के पास सावधि जमाओं में निवेश की जानी थी।

वनरंड को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग आवर्ती संग्रह निधि के ₹ 26.18 करोड़ रखर्च करने की और न ही नियमित अन्तरालों पर सावधि जमाओं में राशि निवेश की यद्यपि उन्नयन पर खर्च की और न ही नियमित अन्तरालों पर सावधि जमाओं में राशि निवेश की यद्यपि 2007 - 2011 के दौरान बचत बैंक खाते में न्यूनतम शेष ₹ 71.99 लाख से ₹ 16.41 करोड़ तक रहे। विभाग ₹ 63.31 लाख का ब्याज अर्जित करता थादि अतिरिक्त धन को सावधि जमाओं में निवेश किया जाता। आगे, वनरंड को बढ़ावा देने के लिए इस निधि को सूचित करने का प्रयोजन भी पूरा नहीं हुआ।

### कार्यक्रम कार्यान्वयन

विभाग ने तीन परियोजनाओं सहित 14 प्लान स्कीमें (दो केन्द्रीय प्रयोजित साझेदार आधार पर, एक बाहरी सहायता प्राप्त तथा 11 राज्य प्लान स्कीमें) तथा 12 गेर-प्लान स्कीमें कार्यान्वयन की। कुछ प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं के संबंध में लेखप्रक्षा अध्युक्तियों पर नीचे विचार-विमर्श किया गया है:

<sup>31</sup> अंबाला, फतेहाबाद, झजर, महेन्द्रगढ़, पिंजोर में मोरनी, रेवाड़ी तथा रोहतक।

<sup>32</sup> फतेहाबाद तथा महेन्द्रगढ़।

## 2.2.8 एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंध तथा गरीबी उन्मूलन परियोजना

एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंध तथा गरीबी उन्मूलन परियोजना जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कार्पोरेशन (जे.बी.आई.सी.) {अब जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.)} द्वारा निधिकृत बाहरी रूप से सहायता प्राप्त परियोजना थी। 2004-05 में आरंभ हुई परियोजना 2010-11 तक चालू थी। परियोजना क्षेत्र में राज्य के गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिलों को छोड़ते हुए 19 जिलों में से 17 जिलों के 800 गांव शामिल किए गए। परियोजना के मुख्य उद्देश्य, पारिस्थितिकी रूप से जारी रीति में वन भूमियों को पुनः स्थापित करना; वन के नजदीक बसे ग्रामीणों के जीवन-स्तर में सुधार करना; पुनः वनरोपण, वन रोपण, उन्नत मृदा एवं जल संरक्षण उपायों इत्यादि के माध्यम से एकीकृत ढंग से डिग्रेड वनों तथा सार्वजनिक भूमियों का विकास एवं प्रबंध करना थे।

परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 286 करोड़ थी जिसमें से साफ्ट लोन के रूप में जे.आई.सी.ए. का हिस्सा ₹ 234.33 करोड़ था। इसके विरुद्ध ₹ 279.48<sup>33</sup> करोड़ की राशि 2010-11 तक खर्च की गई थी। जे.आई.सी.ए. ने प्रतिवर्ष 0.75 प्रतिशत की व्याज दर पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जी.ओ.आई. को साफ्ट लोन प्रदान किया। उपर्युक्त ऋण 10 वर्षों की गेस अवधि सहित 30 वर्षों में वापस भुगतान किया जाना था। जी.ओ.आई. ने परियोजना प्रावधानों के अनुसार यह ऋण राज्य सरकार को हस्तांतरित किया।

विभाग ने जे.आई.सी.ए. से 2004-11 के दौरान ₹ 235.18 करोड़ की राशि का प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया। जे.आई.सी.ए. ने तथापि, ₹ 3.87 करोड़ का शेष छोड़ते हुए ₹ 231.31 करोड़ की प्रतिपूर्ति की। यह देखा गया था कि निधियों के विपथन, पौधों की कम उत्तरजीविता इत्यादि जैसी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के कारण प्रतिपूर्ति अननुमत की गई थी।

स्कीम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित बिन्दु देखे गए थे:

### 2.2.8.1 भौतिक लक्ष्य

परियोजना में विभिन्न घटकों<sup>34</sup> के अंतर्गत 48,800 हेक्टेयर के पौधारोपण का लक्ष्य 17<sup>35</sup> मण्डलों में आवंटित किया गया था। इसके विरुद्ध परियोजना अवधि (2004-11) के दौरान 45,685 हेक्टेयर में पौधारोपण किया गया था परिणामतः 3,115 हेक्टेयर के वनरोपण में कमी थी। फार्म वनरखंड घटक के अंतर्गत लक्ष्य 37 प्रतिशत तक प्राप्त किए बिना रहे किन्तु अन्य घटकों के अंतर्गत लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त किए गए थे। परियोजना निदेशक, जे.आई.सी.ए. परियोजना ने बताया (जून 2011) कि स्थानीय लोगों द्वारा पौधों की कम मांग के कारण पौधारोपण में कमी थी तथा पौधों की उन्नत किस्मों से भविष्य में पौधों की मांग में वृद्धि होगी।

<sup>33</sup> 2004-05: ₹ 15.04 करोड़, 2005-06: ₹ 48.50 करोड़, 2006-07: ₹ 57.79 करोड़, 2007-08: ₹ 65.50 करोड़, 2008-09: ₹ 55.84 करोड़, 2009-10: ₹ 26.77 करोड़ तथा 2010-11: ₹ 10.04 करोड़।

<sup>34</sup> निरावृत वन पौधारोपण, ब्लाक वन पौधारोपण, सामुदायिक भूमि पौधारोपण तथा फार्म वनरखंड।

<sup>35</sup> अंबाला, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

## 2.2.8.2 पौधों की कम उत्तरजीविता

पी.सी.सी.एफ. के आदेशों (जनवरी 1992) के अनुसार बाजानों की न्यूनतम उत्तरजीविता प्रतिशतता 70 तक होनी अपेक्षित थी। आगे, उन भागों में जहाँ पौधारोपण में उत्तरजीविता की प्रतिशतता भानक से कम थी, कुछ अपवाहों, अर्थात् बाढ़, अग्नि के कारण नुकसान अथवा कुछ अन्य विकास गतिविधियों के लिए पौधा लगाई गई भूमि का दिक्षणपरिवर्तन, के अधीन पौधों की निम्न उत्तरजीविता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों से पौधारोपण की लागत वसूल की जानी थी।

पौधारोपणों की उत्तरजीविता की निम्न प्रतिशतता के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

विभाग के भानीटरिंग एवं मूल्यांकन स्कंध द्वारा इगत किए गए अनुसार नमूना-जांच किये गये 17 प्रांतीय मंडलों में से आठ<sup>36</sup> में 2005-08 के दौरान ₹ 2.52 करोड़ की लागत पर उठाए गए 263.5 हेक्टेयर तथा 473.45 कतार किलोमीटर क्षेत्र में विभिन्न घटकों के अंतर्गत पौधारोपण की उत्तरजीविता में असामान्य विफलता थी। इन भागों में उत्तरजीविता की प्रतिशतता शून्य तथा 65 के मध्य रही जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 77.45 लाख की हानि हुई। भानीटरिंग एवं मूल्यांकन स्कंध द्वारा रिपोर्टिंग की तरीख से 21 से 33 माह की समाप्ति के बावजूद अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। परियोजना निवेशक, जे.आई.सी.ए. परियोजना ने तथ्यों को स्वीकारते समय बताया (जून 2011) कि पौधों की खराब उत्तरजीविता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई आंभ की जा रही थी।

## 2.2.8.3 गरीबी उपशमन के लिए सामुदायिक संगठन

### • एण्ट्री प्लाइंट गतिविधियां

वानिकी विकास तथा आय उत्पादक गतिविधियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ग्रामीणों द्वारा बाहित लघु मूलभूत संरचनाओं का विकास करने के लिए एण्ट्री प्लाइंट गतिविधियां (ई.पी.ए.) प्रारंभिक ग्रोत्सहन हैं। सामुदायिक विकास कार्यों जैसे पेयजल, लघु सिंचाई, स्वच्छता सुविधाएं, सार्वजनिक स्थल तथा स्कूलों के सुधार के लिए थोड़ी राशि खर्च की जाती है।

परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार ई.पी.ए. के लिए स्ट्रिप, ब्लाक अथवा सामुदायिक पौधरोपणों वाले प्रत्येक लक्षित गांव को इस शर्त पर ₹ एक लाख की राशि जारी की जानी थी कि ग्रामवासी ₹ एक लाख का 10 प्रतिशत रोकड़ में अथवा इस प्रकार कि कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो, का योगदान करेंगे।

आगे यह देखा गया था कि 14<sup>37</sup> प्रदेशिक मंडलों ने दो से पांच वर्षों की समाप्ति के बावजूद एण्ट्री प्लाइंट गतिविधियों पर किए गए ₹ 6.11 करोड़ के व्यय के लिए उपयोग प्रमाण - पत्र (यूसीज) प्रस्तुत नहीं किए (आर्च 2011)।

<sup>36</sup> हिसर, झज्जर, जीत, कुक्कोट, महेनगढ़, रेवड़ी, रोहतक तथा यमुनानगर।

<sup>37</sup> अंबाला, फेहडाबाद, फिरार, जीत, कैथल, करनाल, कुक्कोट, महेनगढ़, पानीपत, रेवड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

परियोजना दिशानिर्देशों के अनुसार ई.पी.एज वर्ष 2008-09 तक चलाए जाने थे तथा तत्पश्चात् इन गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया जाना था। परन्तु परियोजना दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में नमूना-जांच किए गए आठ<sup>38</sup> प्रादेशिक मण्डलों में 2009-10 के दौरान ई.पी.एज पर ₹ 30 लाख की निधियां खर्च की गई थीं।

#### ● आय उत्पादक गतिविधियां

वन क्षेत्रों के नजदीकी गांवों से गरीब बेरोजगार व्यक्तियों की पहचान की जानी थी तथा क्षेत्र से संबंधित आय उत्पादक गतिविधियों अथवा माइक्रो-एण्टरप्राइजिज में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। आवश्यक उपकरण, क्रेडिट तथा विपणन का प्रबंध, ग्रामीण वन समितियों (वी.एफ.सी.जे.) /गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.जे.) के माध्यम से किया जाना था। इस उद्यम में भूमिहीन गरीबों, मौसमी बेरोजगार तथा रोजगाराधीन श्रमिकों को प्राथमिकता दी जानी थी।

महिलाओं को आत्म-स्वालम्बी बनाने के लिए स्वयं स्वास्थ्य समूहों (एस.एच.जी.जे.) के माध्यम से विशेष सहायता प्रदान की जानी थी। आय उत्पादक व्यवसायों का उन्नयन न केवल ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति बल्कि उनको सशक्त बनाने के लिए भी वांछनीय था।

दिशानिर्देशों के अनुसार आय उत्पादक गतिविधियों<sup>39</sup> (आई.जी.ए.) एस.एच.जी.जे का गठन करके चयनित गांवों में चलाई जानी थी। एस.एच.जी.जे को ऋण देने के लिए आवर्ती निधियों का सृजन करके ₹ ३ दो लाख के बीज धन वी.एफ.सी.जे को प्रदान किए जाने थे। एस.एच.जी.जे द्वारा वी.एफ.सी.जे से ऋण लेकर आई.जी.ए. को बढ़ावा देना था।

नमूना-जांच किए गए 15<sup>40</sup> प्रादेशिक मण्डलों में 2005-10 (दिसंबर 2010 तक) के दौरान 1,732 एस.एच.जी.जे से बने 668 वी.एफ.सी.जे को ₹ 13.35 करोड़ की राशि जारी की गई थी। इन वी.एफ.सी.जे ने तथापि, दिसंबर 2010 तक एस.एच.जी.जे को ₹ 6.88 करोड़ की राशि के ऋण आगे जारी किए तथा ₹ 6.47 करोड़ की शेष राशि वी.एफ.सी.जे के पास अव्ययित पड़ी रही। लेखापरीक्षा ने देखा कि एस.एच.जी.जे सक्रिय नहीं थे। आगे, राज्य में 2,400 एस.एच.जी.जे के गठन के लक्ष्य के विरुद्ध 2,013 एस.एच.जी.जे बनाए गए थे। आई.जी.एज चलाने के लिए किसी भी एन.जी.ओ. को शामिल नहीं किया गया था।

#### 2.2.8.4 क्षेत्रों की ओवर लैपिंग पर अनुचित व्यय

परियोजना में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार परियोजना के अंतर्गत आवृत्त क्षेत्रों को वनों से संबंधित अन्य किसी केन्द्रीय/राज्य/बाहरी सहायता प्राप्त स्कीम द्वारा आवृत्त के साथ ओवरलैप नहीं किया गया था।

<sup>38</sup> करनाल, महेन्द्रगढ़, पिंजौर में मोरनी, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत तथा यमुनानगर।

<sup>39</sup> गत्स्यपालन, मधुमक्खी-पालन, कुटीर उद्योग, कृषि स्वाद बनाना, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, पुष्योत्पादन तथा साइलो में रखना।

<sup>40</sup> अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, पिंजौर में मोरनी, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

उन क्षेत्रों, जो अन्य स्कीमों के अंतर्गत पहले ही आवृत्त किए गए थे, में ही.पी.ए. तथा आई.जी.ए. पर ₹ 92 लाख का व्यय किया गया था।

₹ 92 लाख का व्यय किया गया था।

परियोजना दस्तावेज में यह दर्ज किया गया था कि प्रस्तावित क्षेत्रों को किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत आवृत्त नहीं किया गया था, इ.पी.ए. तथा आई.जी.ए. हेतु लिए गए 32 गांव अन्य स्कीमों<sup>41</sup> के अंतर्गत पहले ही आवृत्त पाए थे। इ.पी.ए. तथा आई.जी.ए. स्कीमों पर ₹ 92 लाख का व्यय किया गया था। तीन<sup>42</sup> ही.एफ.ओ.जे. ने बताया (नवम्बर 2010 से फरवरी 2011) कि परियोजना जी.ओ.आई. के माध्यम से जे.बी.आई.सी. द्वारा अनुमोदित की गई थी तथा प्रस्ताव पी.सी.सी.एफ. द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि इन गांवों की पहचान परियोजना तैयार करते समय ही.एफ.ओ.जे. द्वारा की गई थी।

#### 2.2.8.5 निधियों का विवरण

परियोजना विशानिदेशों के अनुसार राज्य में नौ<sup>43</sup> जिलों में सामुदायिक भूमि पर पैधारोपण किया जाना था। इस घटक के अंतर्गत अंबाला जिला को पैधारोपण के लिए अनुमोदित नहीं किया गया था। तथापि, दिशा - निदेशों के उल्लंघन में जिला में 250 हेक्टेयर सामुदायिक भूमि में नसरी बनाने पर ₹ 1.01 करोड़ का व्यय किया गया (2008 - 09) था। लेखपरीक्षा (मई 2010) में इगत किए जाने के पश्चात विभाग ने अनियन्त्रिता के लिए उत्तरदायित्व नियन्त्र करने की कार्रवाई आरंभ की (जून 2010) किन्तु गामते में अतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2011)।

#### 2.2.8.6 स्वतंत्र मानीटिंग एवं मूल्यांकन संचालित करने में विलम्ब

परियोजना विशानिदेशों में इसकी गतिविधियों की मानीटिंग एवं मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र बाहरी परामर्शदाता का प्रावधान किया गया। उसे भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का निर्धारण करने, सामाजिक - अर्थिक मानकों में लाए गए परिवर्तनों को स्पष्टतया प्रकट करने, ग्राम संस्थाओं द्वारा निभाई गई भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का मूल्यांकन करने, परियोजना कार्यान्वयन में प्राधिकारियों द्वारा देखें गए ढाँचों तथा प्रतिबंधों का विशेषण करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए अध्ययन करना था।

मानीटिंग एवं मूल्यांकन के अध्ययन का कार्य प्रदान करने में विलम्ब के कारण सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कम समय रह गया था।

अध्ययन, आबंटन की तारीख (फरवरी 2009) से एक वर्ष के भीतर कार्य पूर्ण करने की शर्त पर ₹ 27.47 लाख की लागत पर एक फर्म को आवृत्त किया गया (नवम्बर 2008) था। प्रतिफल राशि का पच्चीस प्रतिशत भुगतान आबंटन के समय किया जाना था तथा 50 प्रतिशत अन्तरिम रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण पर और शेष 25 प्रतिशत अन्तिम रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण पर।

यह देखा गया था कि 25 प्रतिशत भुगतान आबंटन के समय किया गया था जबकि 50 प्रतिशत भुगतान अन्तरिम रिपोर्ट की प्राप्ति के बिना सितम्बर में 2010 में परियोजना निवेशक द्वारा जारी किया गया था। मुख्य गतिविधियां वर्ष 2008 - 09 के अंत तक चलाई जानी थी तथा परियोजना अवधि मार्च 2011 में समाप्त होनी थी। फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए

<sup>41</sup> अंबाला, हिसार, कैथल, महेन्द्रगढ़, पिंजौर में भौती तथा सिरस।

<sup>42</sup> सामुदायिक वनवानं परियोजना (सीएफपी) तथा एफडीए के आधार से राष्ट्रीय बनरोपण कार्यक्रम (सीएफपी के अंतर्गत 12 गांव तथा एफडीए के अंतर्गत 20 गांव)।

<sup>43</sup> अंबाला, हिसार तथा महेन्द्रगढ़।

<sup>44</sup> शिवाली, हिसार, झजर, कैथल, करनाल, महेन्द्रगढ़, रेखांशु, रोहतक तथा सिरस।

(नवम्बर 2010) अध्ययन के परिणाम फील्ड कार्यकारियों को दिसम्बर 2010 में कर्तवाई हेतु भेजे गए थे। प्रतिवेदन ने कई वी.एफ.सीज तथा एस.एच.जीज का गठन न करना, एन.जी.ओज की असहभागिता, एस.एच.जीज की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन न करना इत्यादि इगत किया। चूंकि परियोजना अवधि मार्च 2011 तक थी, सुधारात्मक उपायों के लिए बहुत कम समय बचा था। इस प्रकार, अध्ययन का कार्य प्रदान करने में विलम्ब के अतिरिक्त रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब ने मूल्यांकन रिपोर्ट के उद्देश्य को मात्र दी तथा ₹ 20.60 लाख के व्यय को बृहद रूप से निष्फल बना दिया।

### 2.2.9 सामाजिक तथा फार्म वनरवंड

सामाजिक तथा फार्म वनरवंड, आठवीं पंच-वर्षीय योजना से राज्य प्लान स्कीम के रूप में निरन्तर जारी है। इस स्कीम के अंतर्गत मुख्य महत्व राज्य में वृक्ष आवरण में समग्र वृद्धि लाने के उद्देश्य से पौधारोपण के लिए किसानों, सरकारी संस्थानों इत्यादि को मुफ्त पौध आपूर्ति करना और वृक्ष उगाने वाले किसानों की आय में वृद्धि करना है। 2006-11 के दौरान 13.39 करोड़<sup>45</sup> पौधे ₹ 44.02 करोड़<sup>46</sup> का व्यय करके राज्य में बाटे गए थे।

विभाग के मानीटरिंग एवं मूल्यांकन स्कंध द्वारा 4,193 लाभार्थियों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 2007-10 के दौरान 21 मण्डलों की नर्सरीयों से 17 लाख पौधों के निर्गम के विरुद्ध 16.78 लाख पौधे आपूर्ति किए गए थे। स्कीम के अंतर्गत उत्तरजीविता प्रतिशतता नीचे दर्शाए गए अनुसार 13 तथा 33 के मध्य पाई गई:

**तालिका 3 : पौधों की उत्तरजीविता दर्शाने वाली विवरणी**

सामाजिक तथा फार्म वनरवंड के अंतर्गत पौधों की उत्तरजीविता 2007-10 के दौरान केवल 23 प्रतिशत थी।

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	नर्सरी अभिलेखों के अनुसार आपूर्ति पौधे	पौधों की वास्तविक आपूर्ति	उत्तरजीवित पौधे	उत्तरजीविता की प्रतिशतता
2007-08	490	1,81,548	1,81,030	23,727	13
2008-09	1,989	8,73,985	8,69,675	1,49,396	17
2009-10	1,714	6,44,454	6,27,549	2,05,879	33
कुल	4,193	16,99,987	16,78,254	3,79,002	23

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

जैसा उपर्युक्त तालिका से प्रमाण है पौधों की औसत समग्र उत्तरजीविता केवल 23 प्रतिशत थी। सामाजिक तथा आर्थिक वनरवंड के अंतर्गत पौधों की उत्तरजीविता के लिए कोई मानक नियत नहीं किया गया था। पी.सी.सी.एफ. ने बताया (जुलाई 2011) कि सामाजिक वनरवंड घटक के अंतर्गत पौधों की स्वाराब उत्तरजीविता स्थानीय लोगों, जिन्हें पौधे निःशुल्क आपूर्ति किए गए थे तथा उनके रख-रखाव एवं आगे अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी थे, पर विभाग के नियंत्रण के अभाव के कारण थी। पौधों की उत्तरजीविता बढ़ाने के दृष्टिकोण से विभाग को सामाजिक वनरवंड के अधीन पौधारोपण कार्य पर नियंत्रण करने के लिए एक समुचित यंत्रावली का सूत्रपात करना चाहिये।

<sup>45</sup> 2006-07: 2.33 करोड़ पौधे, 2007-08: 2.54 करोड़ पौधे, 2008-09: 2.75 करोड़ पौधे, 2009-10: 3 करोड़ पौधे तथा 2010-11: 2.77 करोड़ पौधे।

<sup>46</sup> 2006-07: ₹ 7.07 करोड़, 2007-08: ₹ 7.19 करोड़, 2008-09: ₹ 9.71 करोड़, 2009-10: ₹ 9.26 करोड़ तथा 2010-11: ₹ 10.79 करोड़।

## 2.2.10 सामुदायिक वनवर्तन परियोजना

हरियाणा सामुदायिक वनवर्तन परियोजना (सी.एफ.पी.) को प्राकृतिक पर्यावरण का सुधार करने तथा सहभागी रूप में लिए गए प्राकृतिक संसाधनों के भली - भाति प्रबंध के भाईयम से भूमि उर्वरता का अनुरक्षण करने के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ नवम्बर 1998 से परिचालित किया गया था। परियोजना जून 2008 में बंद कर दी गई थी।

इस परियोजना के कार्यालयन से संबंधित लेखांकरण अनुक्रितियां 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के नियंत्रक - महालेखापरिषक्त के प्रतिवेदन (सिविल) - हरियाणा सरकार के अनुच्छेद 3.1 में समाविष्ट की गई थी। परियोजना के अनुवर्तन से संबंधित नमूना - जांच में देखे गए बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा की गई है।

### 2.2.10.1 अनुरक्षण के लिए ग्रामीण समुदायों को बांधों की सुपुर्दग्गी न करना

सी.एफ.पी. विशानिंदेशों के समाविष्ट प्रावधान के अनुसार डीग्रेडिंग बांधों के पुनरुत्थार के लिए अंबाला तथा यमुनानगर जिलों शिवालिक पहाड़ियों में वाट - हार्वेस्टिंग डैम्स बनाए जाने थे। डैम्स के नियंत्रण के पश्चात इन्हें, ग्रामीण समितियों द्वारा पानी का समान वितरण, सुरक्षा तथा कैम्पमेट्स का प्रबंध सुनिश्चित करने की शर्त के साथ उनके रख - रखाव के लिए ग्रामीण समुदायों को सुपुर्द किया जाना था।

अंबाला तथा यमुनानगर जिलों में अंबाला तथा कुरुक्षेत्र (सी.एफ.पी.) मण्डल द्वारा ₹ 5.72 करोड़ की लागत पर परियोजना अवधि (1998 - 2008) के दौरान 19 बांध बनाए गए थे। निर्माण तथा परियोजना की समाप्ति के पश्चात विभाग ने इन बांधों को उनकी सुरक्षा तथा प्रबंध के लिए ग्रामीण समुदायों को नहीं सौंपा। लेखांकरण ने देखा कि इन बांधों को बाट के कारण नुकसान पहुंचा तथा 2010 - 11 में उनकी मरम्मत पर ₹ 31.70 लाख का व्यय किया गया था। इस प्रकार, ग्रामीण समुदायों को बांध न सौंपने के कारण सरकार को यह परिहार्य व्यय करना पड़ा। लेखांकरण द्वारा दिसंबर 2010 में इंगित किए जाने पर परियोजना निदेशक (सी.एफ.पी.) ने बताया (जून 2011) कि मार्च 2011 में मरम्मतों के बाद बांध ग्रामीण समुदायों को सौंप दिए गए थे।

### 2.2.10.2 वन उत्पाद की बिक्री प्राप्ति में से पुनः पौधारोपण

परियोजना विशा - निर्देशों के अनुसार पंचायत भूमि, ग्रामीण सामाज्य भूमि (कई ग्रामीणों द्वारा संपुर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त), नदी के किनारों तथा संस्थानात्मक भूमि के 7400 हेक्टेयर में बुलोट्स<sup>47</sup> स्थापित किए जाने थे। तीन वर्ष बाट पौधे आगे प्रबंध के लिए समुदाय को सौंपे जाने थे। ग्राम संसाधन प्रबंध समितियों (वी.आर.एस.सी.ज.), ग्राम पंचायतों तथा विभाग के मध्य हस्ताक्षरित विपक्षीय करार के अनुसार फोरेस्ट हार्वेस्टिंग की बिक्री प्राप्ति का 30 प्रतिशत पुनः पौधारोपण पर उपयोग किया जाना था। वन विभाग को यह मानीटर करना था कि वन किसी प्राप्तियां हार्वेस्टिंग के समय पुनः पौधारोपण पर रखर्च की जा रही थी।

<sup>47</sup> 47 वन उत्पादों के लघु - ऐमाना उत्पादन के लिए सक्षम वन का एक स्वंद बुलॉट है।

डी.एफ.ओ. (सी.एफ.पी.), कुरुक्षेत्र (नमूना - जांच किए गए तीन सी.एफ.पी. मंडलों में से) के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि ग्राम संसाधन प्रबंध समितियों (वी.आर.एम.सी.ज.) ने सितम्बर २०१० तक कुरुक्षेत्र तथा यमुनानगर जिलों में २१,३३० पेड़ गिराए तथा इन्हें ₹ ७९.९५ लाख में बेचा, किंतु विक्री प्राप्तियों की अपेक्षित प्रतिशतता मुनः पौधारोपण पर उपयोग नहीं की गई थी। गत तीन वर्षों से कोई अनुवर्तन नहीं था। एनिजिट कार्नेंस के द्वारा एफ.सी.पी.एस., वन विभाग ने विभागीय अधिकारियों को परियोजना के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया।

#### 2.2.11 गैर-वन उपयोग के लिए विपरीत भूमि के बदले में क्षेत्रों का वनरोपण न करना

₹ १०९.१८ करोड़ के मुआवजे की वसूली के बावजूद १२ मंडलों में पूरक वनरोपण शुरू नहीं किया गया था।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के प्रावधानों के अंतर्गत नमूना - जांच किए गए २० प्रान्तीय मंडलों में से १२<sup>४८</sup> में गैर-वन उपयोग हेतु कुल ७४९.३७ हेक्टेयर वन भूमि के विपथन की अनुमति प्रदान की (जुलाई २००३ से मार्च २०१०)। अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि अनुमति की तारीख से एक वर्ष के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण शुरू किया जाएगा। ₹ १०९.१८ करोड़ की राशि जुलाई २००३ - अप्रैल २०१० के दौरान प्रतिपूर्ति के कारण भूमि उपयोगकर्ता एजेसियों से विभाग द्वारा एकत्र की गई थी किंतु मुआवजे की वसूली के बाद १२ से ९२ माह की समाप्ति के बावजूद वाँछित पूरक वनरोपण आरंभ नहीं किया गया था। छ.<sup>४९</sup> मंडलीय वन अधिकारियों ने बताया (जनवरी - फरवरी २०११) कि पी.सी.सी.एफ. द्वारा उन्हें इन पौधारोपणों के लिए भौतिक लक्ष्य तथा बजट प्रावधान प्रदान नहीं किए गए थे। अन्य मंडलों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

#### 2.2.12 हर्बल पार्कों का विकास

वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० तथा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, १९७२ में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार तेल वाले पौधों, बागवानी फसलों अथवा औषधीय पौधों की खेती गैर-वनरोपण गतिविधियां हैं तथा प्रतिबंधों, जैसे वनों के ही - रेजर्वेशन तथा गैर - वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए लागू हैं, को आकर्षित करती हैं। इस प्रकार, वन भूमि तथा वन्यजीव मृग - वनों पर फलदार वृक्षों, तेल वाले पौधों अथवा औषधीय पौधों की खेती के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड तथा सर्वोच्च न्यायालय का अनुमोदन अपेक्षित है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० तथा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, १९७२ में समाविष्ट वनरोपण की खेती का प्रचार एवं उपयोग करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला में हर्बल पार्क का सूजन करने के लिए सरकार द्वारा हर्बल पार्कों के विकास हेतु एक स्कीम का प्रतिपादन (अप्रैल २००५) किया गया था। इसमें किसानों को संवितरण के लिए उत्तम बीज तथा पौध तैयार करने का लक्ष्य भी रखा गया। पार्कों की स्थापना जिलनी जल्दी संभव हो सके या तो वन क्षेत्र के भीतर (राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्याणों से बाहर) अथवा अन्य किसी उपयुक्त सरकारी भूमि पर की जानी थी।

<sup>४८</sup> अंबाला, फतेहाबाद, गुडाओल, हिंसर, कुरुक्षेत्र, गोन्दगढ़, नूह में भेवत, पिंजौर में मोरी, रेवड़ी, रोहतक, सिरसा तथा सोनोनाल।

<sup>४९</sup> अंबाला, फतेहाबाद, हिंसर, गोन्दगढ़, नूह में भेवत तथा सोनीपत।

यह देखा गया था कि  $10^{50}$  हर्बल पार्क, जी.ओ.आई. से अनुमति प्राप्त किए बिना आरक्षित/संरक्षित वन के 151.60 हेक्टेयर क्षेत्र पर ₹ 8.26 करोड़ की लागत पर विकसित किए गए थे। विभाग ने वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में वन्यजीव मृग-वन में ड्राजर (भिण्डावास हर्बल पार्क) जिला में एक हर्बल पार्क विकसित किया।

नमूना - जांच किए गए सात<sup>50</sup> प्रादेशिक मण्डलों में यह देखा गया था कि 2005-11 के दौरान सात हर्बल पार्कों में 2,82,319 हर्बस/शर्वस उत्पन्न किए गए थे। हर्बल पार्कों को कायम रखने के लिए विभाग को पौधे जनता को बेचने थे। कैथल तथा पानीपत मण्डलों में केवल ₹ 0.67 लाख की राशि उगाही गई थी। हर्बल पार्कों को कायम रखने के लिए अन्य पांच मण्डलों में कोई पौधे नहीं बेचे गये थे। एफ.सी.पी.एस., वन विभाग ने एग्जिट काफेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

### 2.2.13 इको-टूरिज्म का विकास

#### 2.2.13.1 इको-टूरिज्म परियोजना की अपूर्णता

पर्यटन मंत्रालय ने ₹ 6.48 करोड़ की लागत पर हरियाणा में मोरनी-पिंजौर हिल्स, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान तथा कालेसर में इको-टूरिज्म के विकास के लिए परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की (सितम्बर 2007) तथा ₹ 5.18 करोड़ (परियोजना लागत का 80 प्रतिशत) की राशि जारी की (सितम्बर 2007)। परियोजनाएं, संस्वीकृतियों के निर्गम से 24 माह के भीतर वन विभाग द्वारा पूर्ण की जानी थी। विलम्ब के कारण लागत वृद्धि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। परियोजना लागत का शेष 20 प्रतिशत मूल योजना के अनुसार परियोजना की पूर्णता/आरम्भन तथा उपयोग प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतिकरण पर वापस किया जाना था। सुविधाओं के रख-रखाव का उत्तरदायित्व सरकार का था।

इको-टूरिज्म की परियोजनाओं की अपूर्णता के कारण विभाग ₹ 1.30 करोड़ की केन्द्रीय सहायता का लाभ नहीं उठा सका।

₹ 5.18 करोड़ की निधियां निदेशक, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के माध्यम से प्राप्त की गई (दिसम्बर 2007) थी। योजना के अनुसार इको-टूरिज्म के अंतर्गत पर्यटक सुविधा सृजन के लिए ₹ 6.42 करोड़ की लागत पर 90 कार्य किए जाने थे। आगे, पूर्ण किए गए भवन तथा अन्य सुविधाएं, प्रबंध के लिए पट्टा आधार पर निजी आपरेटरों को सुपुर्द की जानी थी।

90 में से 54 कार्य आरम्भ किए गए थे तथा ₹ 5.03 करोड़ की राशि परिशिष्ट 2.7 में दिए गए विवरणानुसार उनके कार्यान्वयन (32 पूर्ण तथा 22 अपूर्ण) पर खर्च की गई (मई 2010) थी। यह देखा गया था कि विभाग ने शेष 36 कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि परियोजना लागतों का 20 प्रतिशत, जो उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण पर जी.ओ.आई. द्वारा लौटाया जाना था, परियोजनाओं की पूर्णता हेतु सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया था।

<sup>50</sup> भिवानी (चौधरी सुरेन्द्र सिंह भेमोरियल पार्क), फरीदाबाद (रत्नजोत वाटिका), गुडगांव (आंवला हर्बल पार्क), हिसार (शतावर वाटिका), कैथल (जामुन वाटिका), कुरुक्षेत्र (अर्जुन वाटिका), महेन्द्रगढ़ (गूगल वाटिका), पंचकुला (कपूर वाटिका, थपली हर्बल पार्क) तथा यमुनानगर (रुद्राक्ष वाटिका)।

<sup>51</sup> फतेहाबाद, हिसार, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा।

**አዲስ አበባ-ክልል ቁ-319**

የኢትዮጵያውያንድ በኋላ ከሚከተሉ ስራ ተስፋል (የሚከተሉ ስራ ተስፋል) ይጠበቃል

יְהוָה 'אֵל הַמְּלָאָכִים

2.2.14 Additional Information

2.2.13.2 ፳፻፲፭-፳፻፲፭ የሰነድ ስልክ ተስፋዣ መመሪያ ተፈጻሚ እና

ପ୍ରକାଶକ ନାମଙ୍କାଳି ପୃଷ୍ଠା

الطباطبائي (جعفر) ، 1972 في جمهورية مصر العربية، حيث يدرس في كلية التربية الأساسية بجامعة القاهرة.

किया गया व्यय निम्नानुसार था:

#### तालिका 4: बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूल बजट प्रावधान	अन्तिम बजट प्रावधान	व्यय	मूल बजट प्रावधान के संबंध में बचत (-) /आधिक्य (+)
2006-07	4.98	4.11	4.25	(-) 0.73
2007-08	5.82	4.91	4.94	(-) 0.88
2008-09	7.67	7.20	7.20	(-) 0.47
2009-10	7.92	5.99	6.05	(-) 1.87
2010-11	8.62	10.55	10.55	(+) 1.93
कुल	35.01	32.76	32.99	(-) 2.02

स्रोत: विनियोग लेखा आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2006-08 तथा 2009-10 के दौरान मूल बजट आबंटन की तुलना में बचत तथा 2010-11 के दौरान आधिक्य था।

यह इंगित किए जाने (जुलाई 2011) पर अतिरिक्त पी.सी.सी.एफ. (वन्य जीव) ने बताया (अगस्त 2011) कि 2006-10 के दौरान बचतें जी.ओ.आई. से सहायता की विलम्बित निर्मिति के कारण थी तथा 2010-11 के दौरान आधिक्य संशोधित वेतनमानों के कारण बकायों के भुगतान के कारण था।

नमूना - जांच के दौरान देखे गए बिन्दुओं का व्यौरा नीचे दिया गया है:

#### 2.2.14.1 'हाथी परियोजना' की पूर्णता में विलम्ब

हाथी पुनर्वास केन्द्र की अपूर्णता के परिणामस्वरूप ₹ 50 लाख का व्यय निष्फल हुआ।

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने यमुनानगर जिला में बसंतौर में ₹ 90.75 लाख की लागत पर हाथी पुनर्वास केन्द्र अर्थात् 'हाथी परियोजना' हरियाणा का निर्माण अनुमोदित किया (नवम्बर 2006)। केन्द्र का उद्देश्य बीमार हाथियों के साथ-साथ महावतों<sup>53</sup> द्वारा अनधिकृत रूप से रखे गए हाथियों का पुनर्वास करना था। स्कीम के अनुसार सोलर पावर फेन्स लगाने, जी.आई. वायर लगाने, हाथियों के लिए 10 शैड्स का निर्माण, हाथियों के लिए पानी के तालाब खोदने, गहरे नलकूपों का निर्माण तथा दो फीड स्टोरों, दो ग्रुप IV क्वार्ट्स, चार महावत क्वार्ट्स, दो गार्ड हट्स, डाक्टर का एक कमरा इत्यादि के निर्माण पर व्यय किया जाना था। ₹ 50 लाख की राशि की पहली किस्त 2006-07 में जी.ओ.आई. द्वारा जारी की गई थी।

यह देखा गया था कि विभाग ने 2008-09 के दौरान गार्डस हट्स, महावत क्वार्ट्स, हाथियों के शैड्स के निर्माण तथा नलकूपों की बोरिंग पर ₹ 50 लाख की राशि खर्च की। शेष कार्य निष्पादित नहीं किए गए (मार्च 2011) थे तथा परियोजना अपूर्ण रही। अतिरिक्त पी.सी.सी.एफ. (वन्य जीव) ने बताया (जून 2011) कि जी.ओ.आई. द्वारा निधियां जारी न करने के कारण हाथी पुनर्वास केन्द्र को पूरा नहीं किया जा सका। जी.ओ.आई. ने विभाग को सूचित किया कि केन्द्र के निकट निर्मित इको-हट्स<sup>54</sup> को हटाए जाने के बाद ही निधियां जारी की जाएंगी। मामले के अनुसरण पर जी.ओ.आई. ने मई 2011 में ₹ 1 एक करोड़ जारी किए। उत्तर इंगित करता है कि इको-टूरिज्म परियोजना तथा इस परियोजना के मध्य समन्वय की कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की पूर्णता में विलम्ब हो रहा था। एफ.सी.पी.एस., वन विभाग ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया तथा विभाग को तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

<sup>53</sup> महावत उस व्यक्ति को कहते हैं जो हाथियों को संभालता है।

<sup>54</sup> पर्यटन संभावना को काम में लाने के लिए वन में इको-इट्स बनाई गई।

### 2.2.14.2 रोहतक जू के जानवरों के बाड़े का निर्माण न करना

केन्द्रीय जू प्राधिकरण ने रोहतक जू के जानवरों के बाड़ों के निर्माण के लिए ₹ 1.81<sup>55</sup> करोड़ की लागत के सहायता अनुदान को अनुमोदन प्रदान किया (अक्टूबर 2005) तथा इस शर्त पर ₹ 50 लाख जारी किए (अक्टूबर 2005) कि कार्य अनुदान जारी करने के 18 माह के भीतर पूरे किए जाएंगे। कार्य के निष्पादन में किसी विलम्ब अथवा कार्य योजना में विचलन के मामले में वित्तीय सहायता को रोक लिया जाना था।

जानवरों के बाड़ों के निर्माण में विलम्ब के कारण सरकार ₹ 1.31 करोड़ की केन्द्रीय सहायता का लाभ नहीं उठा सकी।

एचएफ.डी.सी. ने उन्हें सौंपे गए (सितंबर 2006) अर्थात मगरमच्छ बाड़ा तथा इंचार्ज रूम के निर्माण कार्य ₹ 38.09 लाख की लागत पर पूर्ण किए (जून 2009) जो अनुमोदित लागत से ₹ 19.17 लाख अधिक था। तेंदुआ बाड़ा से संबंधित कार्य प्रगति पर था तथा इस पर ₹ 12.94 लाख का व्यय किया गया था। कार्यों के धीमे निष्पादन के कारण केन्द्रीय जू प्राधिकरण ने आगे सहायता - अनुदान जारी नहीं किया तथा इसके परिणामस्वरूप जू का विकास बाढ़ित स्तर तक नहीं किया जा सका। पीसीसीएफ. ने कार्यों के निष्पादन में विलम्ब स्वीकार करते समय बताया (जुलाई 2011) कि केन्द्रीय जू प्राधिकरण ने निधियां जारी नहीं की जिसके कारण बाड़े अपूर्ण रहे। इस प्रकार, कार्यों के निष्पादन में विलम्ब के कारण विभाग ₹ 1.31 करोड़ की केन्द्रीय सहायता से वर्चित रह गया था। एफ.सी.पी.एस., वन विभाग ने एजिट कार्फिंस के तैरान तथ्यों को स्वीकार किया तथा विभाग को तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

### 2.2.14.3 निधियों को सरकारी रखाते से बाहर रखना

वन्य जीव संरक्षण के लिए सिंचाई विभाग द्वारा योगदान की गई निधियों सरकारी रखाते की बजाए कैंक रखाते में जमा करवाई गई थी।

प्रायोरिया तथा वन मंत्रालय ने भारती मेन लाईन (हांसी-बुटाना शास्त्रवा बहुउद्देश लिंक चैनल), जो पूर्ववर्ती सरस्वती वन्य जीव रिजर्व से गुजरती है, के एक भाग के निर्माण के लिए इस शर्त के साथ अनुमोदन दिया (अक्टूबर 2007) कि सिंचाई विभाग, वन्य जीव संरक्षण के लिए ₹ 1.31 करोड़ का योगदान देगा। तदनुसार, सिंचाई विभाग ने राज्य में वन्यजीव मृग-वनों तथा राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए मुख्य वन्यजीव वाईन के पास राशि (₹ एक करोड़) जमा करवाई (जून 2008)। विभाग ने उस राशि को वैयक्तिक बही रखाते (पी.एल.ए.) में जमा करवाने की बजाए बैंक रखाते में जमा करवा दिया (जून 2008)। मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता वाली राज्य सी.एम.पी.ए. की संचालन समिति ने ट्रैक्युलार्डिंग गनस, ट्रैपिंग नेट्स की खरीद तथा सरस्वती वन में गहरे नलकूपों के साथ वाटर पाइप्स की स्थापना को अनुमोदन दिया (जून 2010)। ₹ 1 एक करोड़ में से ₹ 26.65 लाख की राशि सरस्वती वन में पानी के तालाबों के निर्माण तथा गहरे नलकूपों के स्थापन हेतु जारी की गई (फरवरी-मार्च 2011) थी। ₹ 73.35 लाख की शेष राशि जुलाई 2011 को बैंक में पड़ी थी। सरकारी खाते से बाहर धन के अवैध अवोधन के परिणामस्वरूप सरकार को मार्च 2011 तक ₹ 23.09<sup>56</sup> लाख के ब्याज की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, राज्य में वन्य जीव अभ्यारणों तथा राष्ट्रीय पार्कों के विकास पर निधियों के उपयोग के प्रयोजन को पूरा लाभ नहीं मिला। अतिरिक्त मी.सी.एफ. (डब्ल्यू.एल.) ने बताया (जुलाई 2011) कि पी.एल.एल. खोलने के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त न होने के कारण राशि बैंक रखाते में रखी गई थी तथा कि ₹ 68 लाख की 21 ट्रैक्युलार्डिंग गनस की खरीद का नामला प्रगति में था।

<sup>55</sup> हिमालय बैंक विधर बाड़े का निर्माण: ₹ 45 लाख, विधर बाड़े का निर्माण: ₹ 27.37 लाख, बुल्क बाड़े का निर्माण: ₹ 24.95 लाख, मगरमच्छ बाड़े का निर्माण: ₹ 18.92 लाख तथा तेंदुआ बाड़े का निर्माण: ₹ 65.10 लाख।

<sup>56</sup> बचत बैंक रखाते पर अर्जित ब्याज घावपत्र खालिया वित रखते पर पारिगणित।

### 2.2.15 वनों का संरक्षण

वन, मुक्त पहुंच संसाधन हैं तथा चोरी, आग, चराई एवं अनाधिकार - प्रवेश जैसे विभिन्न प्रकार के खतरों से असुरक्षित हैं। वन भूमियों के अतिक्रमण पर गिरफ्तारी की जानी थी तथा इसकी निरन्तरता को रोकने एवं वनों के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। 2006-10 की अवधि के दौरान वन अपराध मामलों जैसे अग्नि, अवैध कटान, अनधिकृत चराई इत्यादि के कारण वनों को हानियों के विवरण निम्नानुसार थे:

**तालिका 5: 2006-10 के दौरान दर्ज किए गए तथा निर्णीत वन अपराधों के विवरण**

वर्ष	31 मार्च को लम्बनता	वर्ष के दौरान नए मामले	कुल	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	अज्ञात मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष
2006-07	7,962	7,390	15,352	8,004	7	7,341
2007-08	7,341	10,432	17,773	9,494	31	8,248
2008-09	8,248	11,460	19,708	11,398	111	8,199
2009-10	8,199	10,822	19,021	10,022	51	8,948

जैसा उपर्युक्त तालिका से प्रमाण है, 2006-10 के दौरान मामलों की लम्बनता 7,962 से 8,948 तक बढ़ गई। 2006-10 की अवधि के दौरान दर्ज किए गए आग के 215 मामलों में से 193 मामलों में आग के कारणों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार गत एक से 15 वर्षों के लिए छ:<sup>57</sup> जिलों में 2,427 मामलों में कुल 763.53 हेक्टेयर वन क्षेत्र अतिक्रमणाधीन था।

#### 2.2.15.1 वन भूमि का सीमांकन नहीं किया गया

सरकार ने मोरनी हिल्स में 50807 एकड़ भूमि अधिगृहीत की (1969-1979) तथा क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षित वनों के रूप में घोषित किया। संरक्षित वन को आरक्षित वन के रूप में घोषित करने तथा अतिक्रमणों का पता लगाने, चोरियां रोकने इत्यादि के लिए वन समाधान अधिकारी - सह - उप - मंडल अधिकारी (सिविल), कालका (अब अतिरिक्त उपायुक्त, पंचकुला) के पर्यवेक्षण के अधीन वन समाधान परिचालन आरम्भ किए गए (1987) थे। 1989-90 में एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, दो कानूनगो, छ: पटवारियों इत्यादि को इस कार्य में लगाया गया था। तथापि अक्तूबर 1995 तक केवल 522 एकड़ क्षेत्र की पैमाइश की गई थी। तत्पश्चात कोई प्रगति नहीं थी। 1990-91 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान कार्यरत स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.64 करोड़ का व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि स्टाफ को राजस्व विभाग की ओर विपरित किया गया था किंतु उनके वेतन एवं भत्ते वन विभाग से आहरित किए गए। विभाग के अभिलेखों से यह भी देखा गया था कि स्थानीय निवासियों द्वारा 1,376 एकड़ क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया था।

प्रयोजन के लिए कार्यरत स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.64 करोड़ रख्य करने के बावजूद मोरनी हिल्स में वनभूमि का सीमांकन नहीं किया गया था।

राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में हुई (जून 2007) बैठकों में समाधान कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजस्व स्टाफ को लगाने का निर्णय लिया गया था। कुल सात स्टेशन मशीनों<sup>58</sup> की खरीद के लिए एक प्रस्ताव पी.सी.सी.एफ. के अनुमोदन हेतु वन संरक्षक (उत्तर), पंचकुला द्वारा प्रस्तुत किया गया (मई 2008) था किन्तु मार्च 2011 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था। वन तथा राजस्व विभागों द्वारा कार्य की अपूर्णता ने स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर किए गए ₹ 1.62 करोड़ के आनुपातिक व्यय को बेकार कर दिया।

<sup>57</sup> अज्ञात, करनाल, पंचकुला, पानीपत, रोहतक तथा सोनीपत।

<sup>58</sup> इन मशीनों का उपयोग पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की पैमाइश के लिए किया जाता है।

398e 39e 4 (39e 2011)

4. ፳፻፲፭ ዓ.ም. በ፳፻፲፭ ዓ.ም. ከ፻፲፭ ዓ.ም. ማስታወሻ የ፻፲፭ ዓ.ም. ተከራክር የ፻፲፭ ዓ.ም.

1. **ԵՐԱԾՈՒՅԹ** 2. **ԵՐԱԾՈՒՅԹ** 3. **ԵՐԱԾՈՒՅԹ** 4. **ԵՐԱԾՈՒՅԹ** 5. **ԵՐԱԾՈՒՅԹ**

1. **ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା**

የኢትዮጵያ የወጪ ተቋማ አገልግሎት የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ

ይህንና ተቋማና ተቋማና ተቋማና ተቋማና ተቋማና ተቋማና ተቋማና ተቋማና ተቋማና

Exhibit 2009)

#### 2.2.15.2 உடல் நிலைகளைப் படிக்கும் வகையில் அறிவு மீதான அறிவுத்தொழில்

جعفر، علیه السلام ۱۹۲۷ می گذشت ۲۹ نمایندگان از اینجا را نمودند و ۳۴-۴۰۵۶

### 2.2.15.3 अरावली पहाड़ियों का अवैध खनन

पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) तथा 3(2) (v) और पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 के नियम 5(3) (घ) के अंतर्गत समाविष्ट प्रावधानों पर बल देने के उद्देश्य से एम.ओ.ई.एफ. ने खनन प्रक्रियाओं तथा परियोजना की मनाही के लिए अधिसूचना जारी की (मई 1992)। तथापि, अरावली रेंज के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में जी.ओ.आई. की अनुमति से खनन पट्टों का नवीकरण करने, पांच हेक्टेयर से अधिक पट्टा क्षेत्रों सहित खनन परियोजनाओं (प्रमुख खनिज) के मामलों में ही खनन की अनुमति दी गई थी।

विभाग तथा उपायुक्त, गुडगांव अरावली हिल्स में अवैध खनन से क्षति रोकने में विफल रहे।

एम.ओ.ई.एफ. ने सचिव, पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति तथा सरकार को उल्लंघन प्रकरणों की रिपोर्ट करने के लिए उपायुक्त (डी.सी.), गुडगांव की अध्यक्षता में मानीटरिंग समिति गठित करके सुरक्षा उपाय करने की इच्छा प्रकट की (नवम्बर 1999)।

सरकार को पर्यावरणीय महत्वों को एकीकृत करते हुए क्षेत्र के विकास तथा क्षेत्र के भावी भूमि उपयोग को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर प्लान तैयार करना तथा अधिसूचना की निर्गम तारीख (नवम्बर 1999) से दो वर्षों के भीतर उसे अन्तिम रूप से प्रकाशित करना था। यद्यपि, सरकार ने नवम्बर 2001 में उपर्युक्त दोनों समितियों का गठन किया किंतु इसने एम.ओ.ई.एफ. की इच्छानुसार क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार नहीं किया। डी.सी., गुडगांव की अध्यक्षता वाली मानीटरिंग कमेटी ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन का कोई मामला सरकार को सूचित नहीं किया। तथापि, अरावली क्षेत्र के तीन<sup>60</sup> ज़िलों/मण्डलों में अरावली पहाड़ियों के 9 गांवों में अवैध खनन में ₹ 1.39 करोड़<sup>61</sup> मूल्य के प्राकृतिक संसाधनों की क्षति से आवेष्टित 35 मामले डी.एफ.ओ.ज, गुडगांव, मेवात तथा महेन्द्रगढ़ द्वारा देखे गए (जनवरी 2006 - सितम्बर 2009) थे। उपर्युक्त में से नौरंगपुर (ज़िला गुडगांव) में अरावली पहाड़ियों में ₹ 1.20 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 0.40 लाख) की क्षतियों से आवेष्टित 12000 वर्ग मीटर क्षेत्र (प्रत्येक 4000 वर्ग मीटर) में स्टोन क्रशर्स के अवैध परिचालन से संबंधित तीन मामले थे। भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए डी.एफ.ओ., गुडगांव द्वारा क्षति रिपोर्ट पंजीकृत (सितंबर 2009) की गई थी। ये मामले पर्यावरण न्यायालय में अन्तिमकरण हेतु लम्बित पड़े थे (अगस्त 2011)। इस प्रकार, अवैध खनन से वन संसाधनों की क्षति को रोकने के लिए विभाग/डी.सी., गुडगांव द्वारा पर्याप्त मानीटरिंग नहीं की गई थी।

### 2.2.16 मानव संसाधन विकास

#### 2.2.16.1 वन्यजीव गाड़ीं की कमी

31 मार्च 2010 को स्टाफ की 76 श्रेणियों के 4,772 संस्वीकृत पदों के विरुद्ध विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 869 रिक्त पदों (18 प्रतिशत) को छोड़ते हुए 3,903 कर्मचारी थे।

<sup>60</sup> मण्डलीय वन अधिकारी (प्रादेशिक), गुडगांव, महेन्द्रगढ़ तथा मेवात (नूंह)।

<sup>61</sup> महेन्द्रगढ़ मण्डल के 11 अवैध खनन मामलों का धन मूल्य शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वह अभिलेख में दर्ज नहीं था।

वनरखंड तथा वन्यजीव गतिविधियों को चलाने के लिए भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस.) अधिकारियों (13 प्रतिशत), हरियाणा वन सेवा अधिकारियों (17 प्रतिशत), वन रेजर्स (18 प्रतिशत), उप-रेजर्स (11 प्रतिशत), वन गार्ड्स (14 प्रतिशत) तथा वन्यजीव गार्ड्स (32 प्रतिशत) जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े थे (परिशिष्ट 2.8)। मूल स्तर पर वन तथा वन्यजीव का प्रबंध करने के लिए बनाए गए वनगार्डों तथा वन्यजीव गार्डों के सहायक संवर्ग में कमी के कारण वन तथा वन्यजीव अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों के प्रवर्तन मंद पड़ सकते थे।

#### 2.2.16.2 प्रशिक्षण

वन विभाग के पिंजौर तथा सोहाना में दो प्रशिक्षण मंडल हैं। इन मंडलों का मुख्य उद्देश्य विभागीय स्टाफ तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। वन अधिकारियों तथा विभाग के अन्य सभी कर्मचारियों को वानिकी तथा संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम विकास में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 2006-11 की अवधि के दौरान स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की स्थिति निम्नानुसार थी:

**तालिका 6: प्रशिक्षण के लक्ष्य तथा उपलब्धियां**

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां	कमी/अधिक्य
2006-07	270	282	(+) 12
2007-08	210	203	(-) 7
2008-09	160	140	(-) 20
2009-10	145	126	(-) 19
2010-11	155	144	(-) 11
<b>कुल</b>	<b>940</b>	<b>895</b>	<b>(-) 45</b>

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विभाग ने इसके स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्यों को अधिक या कम प्राप्त किया है क्योंकि कमी केवल पांच प्रतिशत थी।

#### 2.2.17 आन्तरिक नियंत्रण

कार्य की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने, त्रुटियों/चूकों तथा अनियमिताओं को कम करने के लिए सभी सरकारी विभागों में आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। यह देखा गया था कि विभाग में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

आवधिक निरीक्षणों के पश्चात, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों साथ लेखा परीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन (आई.आर.ज) जारी करत हैं। कार्यकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह इंगित की गई त्रुटियों एवं चूकों को तत्परता से दूर करे तथा अनुपालन रिपोर्ट छ: सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित करें। छ: माह से अधिक लम्बित आई.आर.ज की अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट भी लम्बित आई.आर.ज में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मानीटर करने तथा अन्तिम रूप देने के लिए विभाग के संबंधित प्रशासनिक सचिव को भेजी जाती है।

राज्य में विभाग के विभिन्न कार्यालयों के 31 मार्च 2011 तक जारी आई.आर. की समीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 126.16 करोड़ के धन मूल्य वाले 134 आई.आर. के 395 अनुच्छेद

(परिशिष्ट 2.9) 31 मार्च 2011 के अंत तक बकाया पड़े रहे। इनमें से, ₹ 10.53 करोड़ के धन मूल्य वाले 87 अनुच्छेदों से समाविष्ट 43 आई.आरज धन वर्षे से अधिक पुणे थे। इन आई.आरज, जो 31 मार्च 2011 को बकाया थी, के माध्यम से इगत की गई अनियमितताओं के श्रेणी - वार विवरण परिशिष्ट 2.10 में दिए गए हैं।

### 2.2.18 मानीटरिंग तथा मूल्यांकन

मानीटरिंग तथा मूल्यांकन, विकास की प्रगति का पता लगाने तथा विकास गतिविधियों की प्रगतिशीक्षण सुधारात्मक कार्रवाई हेतु परिवर्तनों का पता लगाने, प्रशाविकता एवं दक्षता निर्धारण और भावी विकास योजना के पाठ सीखने के लिए प्रबंधकों, योजनाकारों तथा निर्णय लेने वालों के लिए साधन प्रदान करते हैं। वन विभाग ने फील्ड स्टाफ द्वारा निष्पादित कार्यों विशेष रूप से वन भूमि में पौधरोपणों तथा वृक्षों की आवधिक मानीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए करनाल तथा हिसार में मानीटरिंग तथा मूल्यांकन मण्डलों का गठन किया। यह देखा गया था कि विभाग ने इको-टूरिज्म, हर्बल पार्कों, वन्यजीव गतिविधियों इत्यादि जैसी अन्य गतिविधियों की मानीटरिंग के लिए ऐसी किसी यंत्रावली का सूचनात नहीं किया है। आगे, जैसा पहले चर्चा की गई है, निधियों के विषयन, स्कीमों का धीमा कार्यान्वयन, सी.एम.पी.ए. का उपयोग न करने, पौधों की कम उन्नर्जीविता इत्यादि के मामलों ने इगत विभाग की मानीटरिंग प्रभावी नहीं थी तथा राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। स्कीमों के कार्यान्वयन के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए राज्य प्लान स्कीमों का मूल्यांकन न तो विभागीय रूप से किया गया था और न ही किसी बाहरी एजेंसी से करवाया गया था।

### 2.2.19 निष्कर्ष

विभाग, राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत क्षेत्र को वर्तमान 6.63 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए वन नीति 2006 के अंतर्गत नियत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि इस अवधि के दौरान वन एवं वृक्ष आवरण में त्रुट्टि कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.16 प्रतिशत थी। जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया, विभाग का निष्पादन कई क्षेत्रों, जैसे दीर्घ-अवधि परिस्कृत योजना तैयार न करना, गैर-वन प्रयोजनों तथा अतिक्रमणों के लिए वन भूमि का उपयोग रोकने के लिए वन भूमियों का सीमांकन न करना, इको-ट्रूटिंग के लिए स्थलों का विकास न करना, अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन, निधियों का विपथन, आय उत्पादक गतिविधियों का धीमा कार्यान्वयन, पौधों की कम उत्तरजीविता, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत क्षेत्रों की ओवर लैपिंग, इत्यादि में कमियों द्वारा बाधित था। भारी राशिया सी.एम.पी.ए. तथा हरियाणा लकड़ी आधारित उद्योग रिवालिंग कारपस निधि में संचय की जा रही थी किन्तु वनवन्दं तथा वन्यजीव संरक्षण के लिए उनका उपयोग करने के लिए समुचित योजना नहीं बनाई गई थी।

Digitized by srujanika@gmail.com (Digitized 2011)

የኢትዮ-ቴክኖሎጂ ብቻ ተደረገ 2011 ከ ሽያጭ የሚከተሉ የሚከተሉ ተደርሱ, የ



2.2.20 三月三十日

### 2.3 जिला जींद

#### विशिष्टताएं

जींद जिले की एक जिला कोन्स्ट्रिक्ट लेखापरीक्षा, विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति तथा प्रभाव निर्धारित करने हेतु की गई। लेखापरीक्षा संबीक्षा ने प्रकट किया कि जिला आयोजना समिति ने कोई सापेक्ष योजना नहीं बनाई थी। स्वास्थ्य क्षेत्र में, जिले में स्वास्थ्य केन्द्रों, न्यूनतम मूलभूत संरचना तथा डाक्टरों की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप यह, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर कम करने तथा पूर्वप्रसव देवभाल, संस्थानात्मक प्रसव इत्यादि बढ़ाने हेतु लक्ष्यों की प्राप्ति में फिल्ड रहा था। शिक्षा क्षेत्र में, मरम्मत कार्यों निष्पादन पर मानीटरिंग की कमी थी तथा बुहादरसंख्या में स्कूल विज्ञान प्रयोगशालाओं के बिना थे। तेरह गांवों में, न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पेय जल प्रदान नहीं किया गया था। जिले में पांच कस्बों में से, तुलना करका किसी सिवरेज सुविधा से रहित था तथा सफरीदों कस्बा सिवरेज उपचार संयंत्र से रहित था। ठोस अपशेष उपचार संयंत्र जीन्द तथा उचाना शहरों में प्रदान नहीं किए गए थे।

वहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में त्रुटियाँ थीं जैसे जाली राशन कार्डों का पता न लगाना, लाभाहातियों को खाद्य मदों के वितरण में वितरम्ब, परिवेक्षण की कमी इत्यादि। वहाँ पुलिस कर्मचारियों की कमी थी तथा जिले में अपराधों में बढ़ती प्रवृत्ति थी।

पंचायती राज संस्थाओं में त्रुटियाँ थीं जैसे कार्यों को अद्यूता छोड़ना, निधियों का विपथन, मन्द निष्पादन, अनियमित व्यय, परिसम्पत्ति परिजिकाओं का अननुरक्षण, परिवेक्षण की कमी, आधिक भुगतान इत्यादि।

जिला आयोजना समिति ने, जिले के सम्प्रवास हेतु सभी गतिविधियों को आवृत्त करते हुए एक पंचवर्षीय संदर्भ योजना अथवा एक संघीयता योजना तैयार नहीं की थी।

(अनुच्छेद 2.3.6)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देवभाल सुविधाओं में अन्तराल चिह्नित करने हेतु घरेलू एवं सुविधा सर्वेक्षण नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.3.8.1)

वहाँ स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्वास्थ्य संस्थाओं में डाक्टरों की कमी थी तथा मूल स्वास्थ्य देवभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु अपर्याप्त मूलभूत संरचनाएं थीं।

(अनुच्छेद 2.3.8.2 से 2.3.8.3)

2006-11 के दौरान पेय जल के 8,969 नमूनों में से 851 में जीवाणु वैज्ञानिक तौर पर संदूषण था जो इंगित करता है कि निवासियों को सुरक्षित पेय जल प्रदान नहीं किया जा रहा था।

(अनुच्छेद 2.3.12.4)

जुलाना कस्बे में सिवरेज सुविधा उपलब्ध नहीं थी जबकि सफीदों कस्बे में सीवेज उपचार संयंत्र प्रदान नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.3.13)

पंचायती राज संस्थाओं में, त्रुटियां थीं जैसे कार्यों को अधूरा छोड़ना, मन्द निष्पादन, अनियमित व्यय, निधियों का विपथन, परिसम्पत्ति पंजिकाओं का अननुरक्षण, पर्यवेक्षण की कमी, अधिक भुगतान इत्यादि।

(अनुच्छेद 2.3.16)

किसी डम्पिंग स्थल की अनुपलब्धता के कारण, जींद में प्रति दिन उत्पादित होने वाला 30 टन कूड़ाकर्कट शहर के चारों ओर विकीर्ण किया जा रहा था। जींद और उचाना शहरों के लिए कोई ठोस अपशेष उपचार संयंत्र नहीं थे।

(अनुच्छेद 2.3.17.1)

वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली में त्रुटियां थीं जैसे जाली राशन कार्डों का पता न लगाना, लाभग्राहियों को खाद्य मदों के वितरण में विलम्ब, पर्यवेक्षण की कमी, इत्यादि।

(अनुच्छेद 2.3.18)

जिले में पुलिस कर्मचारियों की कमी थी तथा अपराधों में बढ़ती प्रवृत्ति थी।

(अनुच्छेद 2.3.19.1 तथा 2.3.19.3)

### 2.3.1 प्रस्तावना

जिला जींद, पूर्व में पानीपत तथा सोनीपत जिलों, उत्तर में करनाल एवं कैथल जिलों, दक्षिण में रोहतक जिले, पश्चिम में हिसार एवं फतेहाबाद जिलों तथा उत्तर-पश्चिम में हरियाणा पंजाब सीमा से घिरा हुआ है। यह हिसार मण्डल के अधीन आता है। जिले की परिगणना, राज्य की जनसंख्या (211.45 लाख) का 11.90 लाख (5.62 प्रतिशत) है जिसके 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं। लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या आजीविका हेतु कृषि पर आधिक है। जिला, तीन<sup>62</sup> उपमण्डलों, चार<sup>63</sup> तहसीलों तथा तीन<sup>64</sup> उपतहसीलों से समायुक्त है। ग्रामीण विकास के प्रयोजन हेतु जिले को, 300 ग्राम पंचायत (जी.पी.एस.) आवृत्त करते हुए सात विकास खण्डों में बांटा गया है। जिले में दो म्यूनिसीपल परिषद<sup>65</sup> तथा तीन म्यूनिसीपल समितियाँ<sup>66</sup> हैं। साक्षरता दर 62.12 प्रतिशत है जबकि समग्र राज्य में 67.91 प्रतिशत है।

<sup>62</sup> जींद, नरवाना तथा सफीदों।

<sup>63</sup> जींद, जुलाना, नरवाना तथा सफीदों।

<sup>64</sup> अलेवा, पिल्लुलैड़ा तथा उचाना।

<sup>65</sup> जींद तथा नरवाना।

<sup>66</sup> जुलाना, सफीदों एवं उचाना।

### 2.3.4 מִלְאָקַתְּבָתִים



2.3.3 [Algorithm 3594](#)

12  
תְּבִרְכָה (לְבִרְכָה) תְּבִרְכָה שֶׁמְשָׁרֵךְ תְּבִרְכָה שֶׁמְשָׁרֵךְ תְּבִרְכָה שֶׁמְשָׁרֵךְ

2.3.2 **תְּלִימָדָה** גַּלְעָד

1,20,000 तत्कालीन वर्षे अंतर्वर्षीय (लिंग-विभाग) अनुमान 80,000 त

115 116

2.3.8.2 አማካት አለበት

የኢትዮጵያውያንድ የደንብ ስራውን በኋላ እንደሆነ የሚከተሉት ተስፋዎች ተከተሉ ይረዳል፡፡

॥੧੨॥ ਪ੍ਰਭ ਜੇ ਸਾਡੇ  
ਅੰਗੁਹੀ ਵਾ ਸੁਣੈ

Digitized by srujanika@gmail.com

የኢትዮጵያ, የዚህ በንግድ ስራው (ዓመት 2011) ከዚያ ጥሩት የሰጠውን ደንብ እና, ይመንኛል

॥ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਿਉਂ ਹੈ ॥

2.3.8.1 Article

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(גַּם־עֲלֹתָה־מִנְחָה) וְלֹא־כֵן־מִשְׁבְּצָה־פֶּרֶת־מִנְחָה (בְּמִשְׁבְּצָה־מִנְחָה), וְלֹא־כֵן־מִשְׁבְּצָה־פֶּרֶת־מִנְחָה (בְּמִשְׁבְּצָה־מִנְחָה).

एक एस.सी. होनी चाहिए। इन मानकों के निबन्धन में, जिले में सी.एच.सी.ज, पी.एच.सी.ज तथा एस.सी.ज की कमी थी जैसा कि नीचे वर्णित है:

**तालिका 2: सी.एच.सी.ज, पी.एच.सी.ज तथा एस.सी.ज की आवश्यकता उपलब्धता दर्शाते हुए**

व्यावक	सी.एच.सी.		पी.एच.सी.		एस.सी.	
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
मफीलों	1	1	-	4	2	2
उद्ग्राना	2	1	1	6	5	1
जूलाना	2	1	1	4	4	-
कण्ठेला	1	1	-	3	2	1
उचाना	2	1	1	7	5	2
स्वर्करामजी	1	1	-	3	2	1
योग	9	6	3	27	20	7
<b>स्रोत:</b>	सिविल सर्जन, जींद द्वारा आपूरित डाटा					

**नोट:** अलेवा ब्लॉक से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं थी।

- आगे, 31 जनवरी 2011 को, जिले में, सी.एच.सी.ज (सात में से) तथा पी.एच.सी.ज (21 में से) अपर्याप्त मूलभूत संरचनाएं थी जैसा कि नीचे वर्णित है:

**तालिका 3: सी.एच.सी.ज तथा पी.एच.सी.ज में मूलभूत संरचना की अनुपलब्धता दर्शाते हुए**

क्र.सं.	विवरण	केन्द्रों की संख्या जहां सेवा उपलब्ध नहीं थी	
		सी.एच.सी.ज	पी.एच.सी.ज
1	प्रतीक्षालय	1	10
2	लेवर रम	-	4
3	आपेशन थियेटर	3	17
4	कलीनिक रम	-	2
5	आपातकालीन / आक्रिमिक सेवाएं	2	13
6	पुस्त्र एवं स्त्री रोगियों हेतु पृथक् इकाइयाँ	4	10

**स्रोत:** सम्बन्धित सी.एच.सी.ज द्वारा आपूरित डाटा

स्वास्थ्य केन्द्रों में, पर्याप्त मूलभूत संरचनाओं की अनुपस्थिति में, ग्रामीण जनसंख्या को मूलसुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकी।

- स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रदान की जानी अपेक्षित मूल स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, अनेक केन्द्रों में उपलब्ध नहीं थी। जिले में, सी.एच.सी.ज तथा पी.एच.सी.ज में 31 जनवरी 2011 को, इस सम्बन्ध में व्यौरा नीचे दिया गया है:

**तालिका 4: सी.एच.सी.ज तथा पी.एच.सी.ज में मूल स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता**

विवरण	स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जहां सेवाएं उपलब्ध नहीं थी	
	सी.एच.सी.	पी.एच.सी.
रक्त भण्डारण	3	लागू नहीं
नवजात देखभाल	1	12
24X7 प्रसव	जून्य	6
अन्त. गौरी सेवाएं	2	6
एक्स-रे	3	18
अटुसाइड	4	लागू नहीं
ईसी.जी.	4	लागू नहीं
प्रसव सेवाएं	2	10
आपात कल्यान सेवाएं (24 घण्टे)	2	7
दहूबक्टी तथा बेसेक्टी	3	लागू नहीं
गाइनाकोलोगी की आन्तरिक जांच	2	10
पोडियाट्रिक सेवाएं	3	लागू नहीं

**स्रोत:** सिविल सर्जन, जींद द्वारा आपूरित डाटा

उपर्युक्त मूल सेवाओं की अनुपस्थिति में, इन क्षेत्रों की ग्रामीण जनसंख्या इन सेवाओं से वचित रही।

**वहां अपर्याप्त मूलभूत संरचनाएं थीं।**

**सी.एच.सी.ज तथा पी.एच.सी.ज में मूल स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।**

सिविल सर्जन, जींद ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि मूलभूत संरचनाओं के सुधार से सम्बन्धित मामला उच्चतर प्राधिकारियों के साथ उठाया हुआ था।

### 2.3.8.3 मानवशक्ति प्रबन्ध

चिकित्सा देवभाल की गुणवत्ता तथा दक्षता बृहदः मानवशक्ति स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने, 31 दिसम्बर 2010 को चिकित्सा अधिकारियों की कमी दर्शाई जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 5: चिकित्सा अधिकारियों की कमी

जिले में डाक्टरों की कमी 40 प्रतिशत थी।

क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्थाकृत	भरे गए	रिक्त	रिक्त पदों की प्रतिशतता
1	जी.एच. जींद	29	19	10	34
2	जी.एच. नरवाना	11	7	4	36
3	सी.एच.सी. सफीदी	14	6	8	57
4	सी.एच.सी. कालवा	12	4	8	67
5	सी.एच.सी. कण्ठेला	8	3	5	63
6	सी.एच.सी. उचाना	12	11	1	8
7	सी.एच.सी. जुलाना	5	3	2	40
8	सी.एच.सी. ऊडाना	9	6	3	33
9	सी.एच.सी. लक्ष्मणजी	7	5	2	29
	योग	107	64	43	40

स्रोत: सिविल सर्जन, जींद द्वारा आपूरित डाटा।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वहां डाक्टरों की ओवरआल 40 प्रतिशत कमी थी।

आगे, अस्पतालों एवं सी.एच.सीज (परिशिष्ट 2.11) में जुलाई 2011 की समाप्ति पर नर्सों एवं बहुप्रयोजन स्वास्थ्य कर्मियों (स्त्री) की कमी क्रमशः 14 एवं 20 प्रतिशत तक थी।

सिविल सर्जन, जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि डाक्टरों एवं पैरा मैडिकल स्टॉफ के रिक्त पदों को भरने हेतु मामला उच्चतर प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था।

### 2.3.8.4 पलंग अधिभोग

सामान्य अस्पताल, जींद में पलंग अधिभोग अच्छा था तथा 2006-10 के दौरान 75 एवं 108 प्रतिशत के मध्य शृंखलित था। फिरभी, सी.एच.सीज में पलंग अधियोग बहुत कम था तथा 2006-11 के दौरान शून्य एवं 54 प्रतिशत के मध्य शृंखलित था। जैसा कि निम्न तालिका में वर्णित है:

तालिका 6: अल्प पलंग अधिभोग

अस्पताल /सी.एच.एस. का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सामान्य अस्पताल, जींद	108	79	78	88	75
सी.एच.सी., कण्ठेला	जाटा नर्स दिया गया	7	17	29	41
सी.एच.सी., जुलाना	10	8	10	16	21
सी.एच.सी., ऊडाना	7	7	7	7	7
सी.एच.सी., सफीदी	जाटा नर्स दिया गया	14	15	33	54
सी.एच.सी., उचाना	जाटा नर्स दिया गया	12	10	11	1
सी.एच.सी., लक्ष्मणजी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

स्रोत: डाटा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाओं से प्राप्त किया।

यह अवलोकित किया गया कि अल्प पलंग अधिभोग सी.एच.सीज में डाक्टरों की कमी के कारण था तथा जिले में उपलब्ध असन्तोषजनक स्वास्थ्य सेवाएं इंगित की।

### 2.3.8.5 कोल्ड चेन प्रबन्धन

कोल्डचेन उपकरणों को 6,432 मद्दों में से 1,722 खराब थे।

प्रतिरक्षण कार्यक्रम के समर्थन हेतु, कोल्ड चेन प्रबन्धन सभी सी.एच.सीज तथा पी.एच.सीज में सुनिश्चित किया जाना था। कोल्ड चेन सुविधा की उपलब्धता बेसिनज की पोटेसी अनुरक्षित करने हेतु पूर्व वाढ़ित थी। यह अवलोकित किया गया (जनवरी 2011) कि जिले में मार्च 2011 में 6,432 कोल्ड चेन उपकरणों, जैसे बृहद आइस लाइन रेफ्रीजरेटर (आई.एल.आर.), लघु आई.एल.आरज, गहन फ्रीजरज, स्टेबिलाइजरज, थर्मोमीटरज, वैसिन वाहक, कोल्ड बॉक्सिंग तथा आईस तथा आईस पैक्स, में से केवल 4,710 मद्दे क्रियाशील थीं तथा 1,722 मद्दे निष्क्रिय पाई गईं।

उत्तर में सिविल सर्जन, जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि केवल मुख्य उपकरण तात्पर्य बृहद आई.एल.आरज, लघु आई.एल.आरज, लघु गहन फ्रीजरज प्रतिस्थापित किए गए थे। विभाग के उत्तर ने इंगित किया कि अन्य प्रकार के उपकरण तात्पर्य स्टेबिलाइजरज, वैसिन वाहक, आईस पैक्स इत्यादि प्रति स्थापित नहीं किए गए थे जो कोल्ड चेन अनुरक्षण हेतु समान रूप से अनिवार्य थे।

### 2.3.8.6 पूर्व प्रसव डिटेक्शन टैस्ट अधिनियम

जिले में लिंग अनुपात घट रहा था। 2006-10 के दौरान 1,000 पुरुषों के विरुद्ध महिला जनसंख्या का अनुपात 861 एवं 896 के मध्य शृंखलित था जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 7: शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला लिंग अनुपात दर्शाते हुए

वर्ष	लिंग अनुपात		
	शहरी	ग्रामीण	औसत
2006	842	928	891
2007	866	920	896
2008	859	930	895
2009	852	870	861
2010	849	890	868

स्रोत: सिविल सर्जन, जींद द्वारा आपूरित डाटा।

जिले में महिला लिंग अनुपात कम था।

जिले में अल्प लिंग अनुपात के कारण, पूर्व प्रसव डिटेक्शन टैस्ट (पी.एन.डी.टी.) एक्ट का सरक्त कार्यान्वयन, विपरित लिंग अनुपात पूरा करने हेतु एक मूल पद्धति थी। अवैध गतिविधियां रोकने हेतु अल्ट्रासाऊंड केन्द्रों के छापे मारने एवं निरीक्षण करने हेतु समर्पित अधिकारियों की एक टीम से समायुक्त जिलास्तर पर एक कार्यबल संघटित किया जाना था। यह अवलोकित किया गया कि जिले में ऐसा कोई कार्यबल संघटित नहीं किया गया।

जिले में 50 पंजीकृत अल्ट्रासाऊंड केन्द्र थे। यद्यपि, 2006-10 के दौरान विभाग द्वारा इन केन्द्रों के 271 निरीक्षण किए गए थे, पी.एन.डी.टी. एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु किसी अल्ट्रासाऊंड केन्द्र के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं था।

एन.आर.एच.एम. के अधीन, 2008-11 के दौरान ₹ चार लाख का बजट प्रावधान गतिविधियों, हेतु जैसा कानूनी जागरूकता हेतु कार्यशालाएं तथा सेमिनार आयोजित करना, कानूनी विशेषज्ञ किराय पर लेना, स्ट्रीट नाटक करवाना तथा स्वास्थ्य एवं पी.एन.डी.टी. जागरूकता कैम्प आयोजित करवाने, हेतु किया गया जिसमें से ₹ 1.40 लाख स्वास्थ्य एवं पी.एन.डी.टी. जागरूकता कैम्प

आयोजित करवाने पर व्यय किए गए। फिरभी, दो गतिविधियों अर्थात् कानूनी विशेषज्ञ किराय पर लेना तथा स्ट्रीट नाटक करवाने पर कोई व्यय नहीं किया गया।

सिविल सर्जन, जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि समर्पित अधिकारियों की एक टीम से समायुक्त एक कार्यबल, पी.एन.डी.टी. एकट के कार्यान्वयन हेतु संघटित किया जा रहा था जो महिला भूण हत्या इत्यादि के विरुद्ध विनियामक उपाय करने हेतु अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का निरीण करेगा। एकिजट कांफ्रैंस के दौरान आयुक्त, हिसार मण्डल ने सिविल सर्जन, जींद को अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का कारगर ढंग से निरीक्षण करने हेतु निदेश दिया।

### 2.3.8.7 अन्धता के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

अन्धता के नियंत्रण (एन.पी.सी.बी.) हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976-77 में आरम्भ किया गया। एन.आर.एच.एम., हरियाणा की स्टेट्स रिपोर्ट (2005-10) के अनुसार 1.49 प्रतिशत की राष्ट्रीय दर के विरुद्ध हरियाणा में अन्धता की मौजूदा दर 1.13 प्रतिशत थी। जिले में कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत थीं:

एन.पी.सी.बी. के अन्तर्गत, अन्धता की मौजूदा दर, वृद्धि केटरेकट सर्जरी, स्कूली बच्चों की आंखों की जांच, दान की गई आंखों का संग्रहण, दान केन्द्रों तथा आंख बैंकों का सृजन, मूलभूत संरचनाओं के मजबूतीकरण इत्यादि के माध्यम से, 2010 तक 0.50 प्रतिशत तक नीचे लाई जानी थी।

जिले में अंधता की मौजूदगी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर से अधिक थी।

2006-11 के दौरान, केटरेकट सर्जरी एवं स्कूली बच्चों की आई स्क्रीनिंग हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। जिले में, 24,951 केटरेकट सर्जरी तथा 1,29,768 स्कूली बच्चों की आंख स्क्रीनिंग की गई तथा बच्चों को 6,107 ऐनके दी गई। 2009-10 में जिले में अन्धता की विद्यमानता, एन.पी.सी.बी. के 0.50 प्रतिशत के लक्ष्यों की तुलना में 1.70 प्रतिशत थी। यह, राज्य औसत (1.13 प्रतिशत) तथा राष्ट्रीय औसत (1.49 प्रतिशत) से भी उच्चतर थी।

सिविल सर्जन ने बताया (अगस्त 2011) कि आई सर्जरों की कमी के कारण, केटरेकट सर्जरी हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सके जिसने जिले में अंधता की उच्च दर की विद्यमानता को बढ़ाया। उसने, फिर भी, आश्वासन दिया कि जिले में अब पांच आई सर्जरों की तैनाती के साथ पर्याप्त लक्ष्य, केटरेकट सर्जरी हेतु निर्धारित एवं प्राप्त किए जाएंगे।

### 2.3.8.8 मान्य सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

आई.एम.आर., एम.एम.आर., तथा टी.एफ.आर. में कमी के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एन.आर.एच.एम. द्वारा विचारित एक योजना मान्य सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एस.एच.ए.) नामक मान्य महिला समुदाय स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति थी। प्रत्येक एक हजार लोगों के लिए एक ए.एस.एच.ए. नियुक्त की जानी थी तथा समुदाय एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के मध्य अन्तरा पृष्ठ के रूप में कार्य करना था।

विभाग द्वारा आपूरित सूचना के अनुसार, जिले में, 960 ए.एस.ए.ए.ज., 2011 जनसंख्या के अनुसार नियुक्त की जानी अपेक्षित थी। फिरभी, 880 ए.एस.ए.ए.ज चयन की गई, जिसमें से 25 ए.एस.ए.ए.ज ने अपनी नौकरी छोड़ दी। इस प्रकार वहां 105 ए.एस.ए.ए.ज की कमी थी। ए.एस.ए.ए.ज की कमी ने, समुदाय को स्वास्थ्य के निर्धारकों पर सूचना, जैसे पोषण जन्म तैयारी

पर महिलाओं को परामर्श से पृथक, मूल सफाई एवं स्वास्थ्यप्रद प्रथाएं, सुरक्षित प्रसव, दुग्धपान इत्यादि पर सूचना से वर्चित किया।

सिविल सर्जन ने बताया (अगस्त 2011) कि कभी को पूरा करने हेतु ए.एस.एच.एज बहुत शीघ्र चयन की जाएंगी ताकि स्वास्थ्य सेवाएं देहली पर दी जा सके।

### 2.3.9 परिवार कल्याण

#### 2.3.9.1 टर्मिनल पद्धतियां तथा स्पेसिंग पद्धतियां

टर्मिनल पद्धतियां तथा स्पेसिंग, कुल प्रजनन शन्ति पर नियंत्रित करने तथा युग्म सुरक्षा अनुपात बढ़ाने हेतु प्रयोग की जाती है।

दिसम्बर 2010 तक कुल जनन क्षमता दर में 2.3 से 2.05 तक कभी के माध्यम से जनसंख्या स्थिरकरण का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत अनेक अभिक्रम आरंभ किए गए थे (अप्रैल 2005)। 2006-10 अवधि हेतु कुल नसबंदी के संबंध में लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं किए गए तथा प्राप्ति 66.46 तथा 89.66 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

कुल नसबंदी कार्यक्रम में कभी के कारण जन्म दर में वृद्धि थी।

ओरल पिल्स, कान्डोमस तथा इंट्रा-यूटरीन डिवाइसिज (आई.यू.डी.), प्रजनन क्षमता विनियमित करने तथा युग्म सुरक्षा अनुपात बढ़ाने हेतु परिवार नियोजन के तीन विद्यमान स्पेसिंग पद्धतियां हैं। यद्यपि, 2006-07 से 2009-10 अवधि हेतु उपर्युक्त स्पेसिंग पद्धतियों हेतु लक्ष्यों के सम्बन्ध में प्राप्ति की प्रतिशतता 100 से अधिक थी, जन्म दर 2006-07 में 2.3 से दिसम्बर 2010 में 2.5 तक बढ़ गई।

सिविल सर्जन ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि जन्म दर घटाने हेतु उचित प्रयास किए जाएंगे।

#### 2.3.9.2 गर्भपात चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता

गर्भपात चिकित्सा (एम.टी.पी.) हेतु सुविधाओं की संख्या एवं गुणवत्ता बढ़ाना, पुनरुत्पादक तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक था। एम.टी.पी. अधिनियम 1971 के अन्तर्गत एम.टी.पी. कुछ परिस्थितियों में अनुमत थी। एम.टी.पी. सुविधा, जीन्द और नरवाना में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध थी, जहां कुल 4,731 एम.टी.पी. की गई थी। जिले में कुल सात सी.एच.सी.जे में से एम.टी.पी. की सुविधा केवल सी.एच.सी. जुलाना में उपलब्ध थी।

विभाग ने एकिजट कान्फ्रैंस के दौरान बताया कि एम.टी.पी. की सुविधाएं, डाक्टरों की कभी के कारण उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। विभाग का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि सी.एच.सी.जे में सही चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना उनका दायित्व था।

### 2.3.9.3 स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन सूचक

स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन सूचकों की स्थिति निम्नवत थी:

तालिका 8: स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन सूचकों की स्थिति

(डाटा प्रतिशतता में)

क्र.सं.	सूचक	मूल स्थिति 2006 - 07	दिसम्बर 2010 तक लक्ष्य	दिसम्बर 2010 तक उपलब्धि
1	शिशु मृत्यु दर में कमी	46.7	25	41
2	जन्म दर में कमी	22.3	18	23
3	कुल प्रजनन क्षमता दर में कमी	2.3	2.05	2.5
4	मृत्यु दर में कमी	6.3	5.2	7
5	पूर्ण प्रसव देखभाल में वृद्धि	93	98	68.9
6	आपरन एवं फोलिक एसिड टेबलेट्स लेने वाली महिलाओं के अनुपात में वृद्धि	92.33	98	132.5
7	दो टेटनेन टाक्साइड टीके लेने वाली महिलाओं के अनुपात में वृद्धि	96.84	99.58	89.75
8	सत्यानात्मक प्रसवों में वृद्धि	32.55	45	75
9	निपुण जन्म परिचारिकाओं द्वारा सत्यानात्मक प्रसवों में वृद्धि	60	88	59.8
10	कन्ट्रोलेटिव विद्यमान दर में वृद्धि	60.5	73	63
11	बच्चों (12 - 23 माह की आयु के) के पूर्ण परिरक्षण में वृद्धि	87	99	103
12	एस.टी.आई./आर.टी.आई. की विद्यमानता में कमी <sup>69</sup>	19,471 मामले	11,000 मामले	1,498 मामले

स्रोत: सिविल सर्जन, जींद द्वारा आपूरित आंकड़े।

निष्पादन सूचकों के विरुद्ध प्राप्ति में कमियों ने जिले में सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों का असन्तोषजनक कार्यान्वयन दर्शाया। कुछ प्रकरणों में, विशेषतः (i) जन्म दर में कमी (ii) कुल प्रजनन क्षमता दर में कमी (iii) पूर्ण प्रसव देखभाल में वृद्धि, के प्रकरणों में दिसम्बर 2010 में स्थिति, 2006 - 07 में मूल स्थिति से भी बुरी थी। उपर्युक्त सूचकों की प्राप्ति में कमी मुख्यतः अपर्याप्त मूलभूत संरचनाओं तथा डाक्टरों तथा पैरा मैडिकल स्टॉफ की कमी के कारण थी।

### 2.3.10 प्राथमिक शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) जी.ओ.आई. का एक व्यापक एवं संघटित फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो 2000 - 01 में आरम्भ किया गया था। एस.एस.ए. का मुख्य उद्देश्य, एक मिशन रूप में, राज्य में बेसिक शिक्षा का वैश्वीकरण प्राप्त करना था। एस.एस.ए. का लक्ष्य, छ: से 14 वर्षों के आयु वर्ग में सभी बच्चों को लाभदायक एवं सम्बद्ध शिक्षा प्रदान करना था। 2006 - 11 के दौरान ₹ 91.99 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 74.64 करोड़ (81 प्रतिशत) की राशि इस कार्यक्रम पर खर्च की गई थी।

<sup>69</sup>

लैंगिक रूप से संसंचारित संक्रमण /पुनरुत्पादक पाचन क्षेत्र संक्रमण

### 2.3.10.1 स्कूलों में नामांकन की स्थिति

जिले में, 2006-11 के दौरान, बच्चों के नामांकन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्कूलों में बढ़ गए थे जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 9: स्कूलों में बच्चों की प्रवेश संख्या

वर्ष	प्राथमिक स्कूल		उच्चतर प्राथमिक स्कूल	
	स्कूलों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	स्कूलों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
2006-07	470	95,687	286	47,830
2007-08	470	96,983	306	46,248
2008-09	470	88,202	306	44,783
2009-10	470	88,501	307	44,977
2010-11	470	1,25,487	307	70,910

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डाटा।

2006-11 के दौरान, स्कूलों में विद्यार्थियों की वृद्धि संख्या समायोजित करने के विचार से, जिला परियोजना समन्वयकर्ता, जींद ने 735 अतिरिक्त क्लासरूम निर्मित करने हेतु योजना बनाई। इनमें से 652 क्लासरूमस का निर्माण पूर्ण हो गया था, 80 क्लासरूम का निर्माण कार्य प्रगति पर था जबकि तीन क्लासरूमस हेतु निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया था (अगस्त 2011)।

### 2.3.10.2 स्कूल से बाहर बच्चे

डी.पी.सी., एस.एस.ए., जींद ने, न तो बच्चों का प्राथमिक स्कूलों से अलग होना मानीटर किया और न ही 2006-11 अवधि के दौरान स्कूल से बाहर बच्चों से सम्बन्धित कोई डाटा अनुरक्षित किया। फिर भी, 40 नमूना-जांच किए गए प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 2006-11 के दौरान स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या तीन और सात प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 10: स्कूल से बाहर बच्चों की स्थिति दर्शाते हुए

वर्ष	चिन्हित बच्चों की संख्या (6-14 वर्ष)	नामांकित बच्चों की संख्या	स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या	स्कूल से बाहर बच्चों की प्रतिशतता
2006-07	12,013	11,278	735	6
2007-08	12,110	11,668	442	4
2008-09	11,754	11,450	304	3
2009-10	12,182	11,788	394	3
2010-11	12,594	11,680	914	7

स्रोत: खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड संसाधन समन्वयकर्ता द्वारा आपूरित डाटा।

डाटा इंगित करता है कि 40 नमूना-जांच किए स्कूलों में छः से 14 वर्षों के आयुवर्ग में बहुत कम बच्चे स्कूल से बाहर रहे। इस प्रकार, मूल शिक्षा के वैश्वीकरण का एस.एस.ए. का लक्ष्य समीप आता दिखाई दिया।

תלוי בהנתקנות והנתקה, 111 הנתקה הנתקה הנתקה (הנתקה), 89 הנתקה הנתקה

॥  
ਪ੍ਰਾਚੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ॥

151162

جیفیکس ایمپریل لیمیٹڈ کے 30 مئی 2008ء کی تاریخ پر 2008-09 کا سال  
کا 31 دسمبر 2009ء کی تاریخ پر 31 دسمبر 2009ء کی تاریخ پر 2009-10 کا سال  
کا 31 دسمبر 2010ء کی تاریخ پر 31 دسمبر 2010ء کی تاریخ پر 2010-11 کا سال  
کا 31 دسمبر 2011ء کی تاریخ پر 31 دسمبر 2011ء کی تاریخ پر 2011-12 کا سال  
کا 31 دسمبر 2012ء کی تاریخ پر 31 دسمبر 2012ء کی تاریخ پر 2012-13 کا سال  
کا 31 دسمبر 2013ء کی تاریخ پر 31 دسمبر 2013ء کی تاریخ پر 2013-14 کا سال  
کا 31 دسمبر 2014ء کی تاریخ پر 31 دسمبر 2014ء کی تاریخ پر 2014-15 کا سال  
کا 31 دسمبر 2015ء کی تاریخ پر 31 دسمبر 2015ء کی تاریخ پر 2015-16 کا سال  
کا 31 دسمبر 2016ء کی تاریخ پر 31 دسمبر 2016ء کی تاریخ پر 2016-17 کا سال  
کا 31 دسمبر 2017ء کی تاریخ پر 31 دسمبر 2017ء کی تاریخ پر 2017-18 کا سال  
کا 31 دسمبر 2018ء کی تاریخ پر 31 دسمبر 2018ء کی تاریخ پر 2018-19 کا سال  
کا 31 دسمبر 2019ء کی تاریخ پر 31 دسمبر 2019ء کی تاریخ پر 2019-20 کا سال  
کا 31 دسمبر 2020ء کی تاریخ پر 31 دسمبر 2020ء کی تاریخ پر 2020-21 کا سال

### 2.3.10.5 תדריך שימושם של מילויים

۱۴

112 113

### 2.3.10.4 תְּבִיבָה תְּלִימָדֶת בְּגַעֲמָה

2.3.10.3 အနေအထာက်

निम्नवत थी:

तालिका 11 : विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति

कक्षा	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
IX	12,773	20,047	19,417	19,849	21,876
X	16,251	18,001	21,136	18,978	21,439
XI	3,065	13,242	12,818	15,331	15,415
XII	2,760	9,990	12,719	11,166	16,052

स्रोत: जिला शिक्षा अधिकारी जींद द्वारा आपूरित डाटा

डाटा इंगित करता है कि 2006-11 के दौरान कक्षा IX से XII हेतु विद्यार्थियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि थी।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.<sup>70</sup>) के अन्तर्गत किए गए सर्वेक्षण ने प्रकट किया कि जिले में 207 उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में से 30 स्कूलों में खेल के मैदान नहीं थे, जबकि 51 स्कूलों में विद्यमान खेल के मैदानों में सुधार की आवश्यकता थी, 45 स्कूलों में चार दीवारी को भरम्मत की आवश्यकता थी तथा दो स्कूलों में चारदीवारी के निर्माण की आवश्यकता थी।

### 2.3.11.1 शिक्षा की गुणवत्ता

गुणवत्ता शिक्षा तभी दी जा सकती है जब स्कूलों में अध्यापकों की पर्याप्त उपलब्धता हो। यह हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के बोर्ड परिणामों से आंकी जा सकती है।

जिले में, फरवरी 2011 को अध्यापकों के रिक्त पदों की श्रेणीवार स्थिति परिशिष्ट 2.12 में दी गई है। परिशिष्ट में डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि शिक्षण स्टाफ के संस्थीकृत पदों के 23 प्रतिशत तथा प्राचार्यों तथा मुख्याध्यापकों के संस्थीकृत पदों के 54 प्रतिशत रिक्त थे। फिरभी, विभाग ने संस्थीकृत पदों के 17 प्रतिशत की सीमा तक अतिथि शिक्षण स्टाफ नियोजित किया था। प्राचार्यों, मुख्याध्यापकों तथा अध्यापकों की कमी से शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई। विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 80 थी परन्तु विद्यार्थी, जिन्होंने दसवीं कक्षा में 60 प्रतिशत अंक से अधिक प्राप्त किए, की प्रतिशतता लगभग 28 थी (लड़के: 27.41, लड़कियाँ: 28.03)।

अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्न भी प्रकट किया:

- जिले में 207 उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में से केवल 22 स्कूलों में (11 प्रतिशत) में विज्ञान प्रयोगशालाएं थी।
- उपर्युक्त सभी 207 स्कूलों में शौचालय जल कनेक्शनों सहित थे परन्तु केवल 40 स्कूलों में, शौचालय में प्रयोग हेतु जल के लिए भण्डारण सुविधाएं थी।

<sup>70</sup>

आर.एम.एस.ए., सार्वभौमिक सुगम एवं गुणवत्ता माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, 2009 में आरम्भ की गई थी।

### 2.3.11.2 स्कूलों का निरीक्षण

स्कूलों की निरीक्षण टिप्पणियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

डी.ई.ओ. अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूलों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना है। निरीक्षण के दौरान यदि कोई बुराई अवलोकित की जाती है तो डी.ई.ओ. द्वारा उपचारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कि डी.ई.ओ. ने, उसके द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षणों का कोई अभिलेख नहीं रखा गया था। 2006-11 के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या के विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 12: 2006-11 के दौरान किए गए स्कूलों के निरीक्षणों की संख्या

वर्ष	माध्यमिक	उच्च	वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	योग
2006-07	15	25	28	68
2007-08	35	55	45	135
2008-09	53	78	65	196
2009-10	48	63	79	190
2010-11	70	95	72	237

स्रोत: डी.ई.ओ., जींद द्वारा प्रस्तुत डाटा

निरीक्षण टिप्पणियों की अनपुस्थिति में, निरीक्षण के दौरान इंगित की गई त्रुटियों पर कार्यवाही के अनुवर्तन को लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

### 2.3.11.3 छात्रवृत्ति स्कीमें

समाज के कमज़ोर वर्गों के विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ने की दर कम करने के विचार से, सरकार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही थी। अभिलेखों की संवीक्षा ने निम्न बिंदु प्रकट किए:

- जींद और नरवाना में पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कुल 4,844 विद्यार्थी वर्ष 2008-09 में, सरकार से बजट को अप्राप्ति के कारण ₹ 20.98 लाख की राशि के स्टाइपंड से वंचित रहे।
- 11 नमूना-जांच किए गए स्कूलों के विभिन्न श्रेणियों के कुल 728 विद्यार्थी 2006-10 के दौरान निधियों की कमी के कारण ₹ 4.04 लाख के स्टाइफंड से वंचित रहे।
- राजकीय उच्च विद्यालय, खड़कबुरा में, ₹ 2.26 लाख का स्टाइपंड, स्कूल द्वारा बैंक खाते न खोलने के कारण वितरित नहीं किया जा सका तथा विभिन्न श्रेणियों के 134 विद्यार्थी लाभों से वंचित रहे जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 13: स्टाइपंड से वंचित विद्यार्थियों की संख्या

श्रेणी	वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या
अनुसूचित जाति	2008-09	16
	2009-10	32
	2010-11	22
पिछड़ा वर्ग	2009-10	36
	2010-11	26
गरीबी रेखा से नीचे	2010-11	2
	योग	134

स्रोत: सम्बन्धित स्कूलों द्वारा प्रदत्त डाटा

एकिजट कान्सैस के दौरान डीसी. ने बताया कि बैंक अकाउंट खोलने से सम्बन्धित मामला, बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करने के पश्चात् सुलझा लिया जाएगा।

### 2.3.12 जल आपूर्ति

सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त एवं सुरक्षित पेय जल का प्रावधान केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों के लिए प्राथमिक क्षेत्र रह चुका है। जींद जिले में, दो मण्डलों (जन स्वास्थ्य अभियानिकी मण्डल, जींद एवं नरवाना) के माध्यम से पेय जल प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा राज्य प्लान स्कीमें कार्यान्वयन की गई थी। जिले में जलापूर्ति स्कीमों पर 2006 - 11 के दौरान ₹ 186.14 करोड़ का व्यय किया गया।

#### 2.3.12.1 जलापूर्ति की स्थिति

गांव में सभी जिले को पेयजल सुविधाएं प्रदान की जा रही थी। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.इल्यू.एस.पी.) में विए गए प्रावधान के अनुसार चून्हतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एल.पी.सी.डी.) जल आपूर्ति करते के प्रावधान के विकल्प जिले में 307 गांवों में से 13 में जल आपूर्ति स्कीमों का संर्वद्वन संसाधनीकृत किया परन्तु 40 एल.पी.सी.डी. से कम जल आपूर्ति की स्थिति 20 एवं 35 एल.पी.सी.डी. के मध्य शृंखलित थी। सरकार ने, जल आपूर्ति 40 से 70 एल.पी.सी.डी. तक बढ़ाने हेतु ₹ 25.01 करोड़ की अनुमति लागत पर 28 जल आपूर्ति वाले 13 गांव इन संवर्धन स्कीमों में सम्मिलित नहीं थे। एकिजट कान्सैस में, सम्बन्धित अधीक्षण अधिकार्यता ने बताया कि सभी गांवों को 40 एल.पी.सी.डी. जल प्रदान किया जा चुका था।

मार्च 2011 को, 28 संवर्धन स्कीमों में से 25 पूर्ण कर दी गई थी, एक प्रगति में थी तथा दो छोड़ दी गई थी परन्तु बाद में अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ले ली गई थी।

#### 2.3.12.2 प्रावक्कलनों से अधिक व्यय

वित्तीय नियम प्रावधान करते हैं कि प्रावक्कलनों हेतु तकनीकी संस्थैकृति के बिना कोई व्यय नहीं किया जाना चाहिए। प्रावक्कलनों से अधिक व्यय सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाया जाना चाहिए। जिले में जन स्वास्थ्य मण्डल के अधिकारियों की नमूना - जांच ने प्रकट किया कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना 17 प्रकरणों में ₹ 2.03 करोड़ की कुल राशि, प्रावक्कलनों से अधिक व्यय की गई।

कार्यकारी अधिकार्यता (ई.ई.), जन स्वास्थ्य अभियानिकी मण्डल (पी.एच.ई.डी.), जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि अधिक व्यय, प्रावक्कलनों की तैयारी तथा कार्य के आवंटन की अवधि के मध्य समग्री एवं श्रमिक की लागत में बुद्धि के कारण था। ई.ई., पी.एच.ई.डी., नरवाना ने बताया (अगस्त 2011) कि अधिकारियों की जांच की जाएगी तथा संशोधित प्रावक्कलन तैयार करने के पश्चात् अधिक व्यय विनियमित करवा लिया जाएगा।

एकिजट कान्सैस के दौरान एस.ई. ने बताया (सितम्बर 2011) कि आठ प्रकरणों में अधिक व्यय विनियमित करवा लिया गया था तथा शेष प्रावक्कलनों में अधिक व्यय सक्षम प्राधिकारी से विनियमित करवा लिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के बिना विभागीय

प्राधिकारियों द्वारा किया गया अधिक व्यवहारिक नियमों के अतिक्रमण में था तथा ऐसा करना अनुमत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि विभागीय अधिकारियों की ओर से ऐसी प्रवृत्ति से गंभीर वित्तीय परिणाम हो सकते हैं।

### 2.3.12.3 जल एवं सीवरेज प्रभारों की अवसूली

सरकार ने, जल की आपूर्ति तथा सीवरेज सुविधाएँ प्रदान करने हेतु प्रभार्य जल शुल्क की दरें निर्धारित की। मार्च 2011 तक रिहायशियों के विरुद्ध ₹ 1.42 करोड़ (जींद मण्डल: ₹ 0.77 करोड़ तथा नरवाना मण्डल: ₹ 0.65 करोड़) के जल शुल्क बकाया थे।

2006-11 के दौरान, अनुसूचित जाति परिवारों को इन्दिरागांधी पेय जल स्कीम के अधीन कुल 56,715 कनेक्शन दिए गए थे। ये प्रकरण, उपभोक्ता लैजरों में दर्ज नहीं किए गए तथा उनके विरुद्ध बिल प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को ₹ 1.47 करोड़ की राशि के राजस्व की हानि हुई जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 14: एस.सी. परिवारों से बकाया जलप्रभार

कनेक्शनों की संख्या	अवधि	माह	प्रति माह दर (₹ में)	राशि (₹ लाख में)
285	अप्रैल 2007 से जून 2011	51	10	1.45
21,555	अप्रैल 2008 से जून 2011	39	10	84.06
13,329	अप्रैल 2009 से जून 2011	27	10	35.99
16,169	अप्रैल 2010 से जून 2011	15	10	24.25
5,377	अप्रैल 2011 से जून 2011	3	10	1.61
			योग	147.36

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित राशि

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी परिवारों को दिए गए जल कनेक्शनों के वितरण न तो अनुरक्षित किए गए थे न ही जल आपूर्ति हेतु कोई बिल प्रस्तुत किए गए थे।

ई.ई. पी.एच.ई.डी., जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि लैजरें तैयार की जा रही थी तथा इस कार्य की समाप्ति के पश्चात् बिल प्रस्तुत किए जाएंगे।

### 2.3.12.4 जल गुणवत्ता

राज्य में जल स्वास्थ्य मानकों को सुधारने तथा स्वच्छ पेय जल प्रदान करने का कर्तव्य प्रदान करते हुए अनुच्छेद 47 के साथ, भारत के संविधान में स्वच्छ पेय जल के प्रावधान को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए जल नमूनों की जांच हेतु 2,400 नमूनों के मानक निर्धारित किए थे। पेय जल आपूर्ति विभाग, जी.ओ.आई. द्वारा जारी निर्देशों (अप्रैल 2010) के अनुसार एक प्रयोगशाला एक माह में 300 नमूनों की तथा एक वर्ष में 3500-4000 की जांच कर सकती है। यह भी बल दिया गया कि प्रत्येक स्रोत से जल वर्ष में एक बार रासायनिक जांच तथा एक वर्ष में दो से चार बार जीवाणु वैज्ञानिक जांच के अध्यधीन होना चाहिए। इसके आधार पर सरकार ने एक वर्ष के जल नमूनों के लक्ष्य 3500 प्रतिवर्ष तक बढ़ा दिए (मई 2010)।

जींद स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला के अभिलेखों ने प्रकट किया कि 2400/3500 जांचों के विरुद्ध केवल 1,455 से 2,117 जांच 2006-11 के दौरान किए गए। इसने दर्शाया कि वाछित संख्या की जांच नियमित रूप से नहीं की गई। 8,969 नमूनों में से 851 के परिणामों ने

2  
جیلے، مکاراں، مکاراں، ایکھاں جیلے جیلے

ପାଦମୁଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ପାଦମୁଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ପାଦମୁଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ପାଦମୁଣ୍ଡରେ

ଶ୍ରୀ କୃତ୍ୟାମ

፩፻፲፭ ዓ.ም. በ፩፻፲፭ ዓ.ም. ተስፋይ ማስታወሻ እና ተስፋይ ማስታወሻ የ፩፻፲፭ ዓ.ም.

96. የኢትዮጵያ ማኅበር የዕለታዊ አገልግሎት ተወስኑን መረጃ (መሸሪያ 11/2011)

ይመለከተው የትናና ስራ ተስፋል እንደሆነ የሚያስፈልግ ይችላል እና የሚያስፈልግ ይችላል ተስፋል እንደሆነ የሚያስፈልግ ይችላል እና የሚያስፈልግ ይችላል

### 2.3.13 አቀፍ ዘመን ተከታታይ መፈጸም

۱۰۷۳-۱۰۷۴ میلادی، ۱۴۲۳-۱۴۲۴ هجری قمری، در این سال میرزا علی خان از این دو شاهزاده را برای خود کشید و آنها را در زندان قرار داد.

706) **لەپا** 2006-10 نى **ئەنۋەتىم** 31-لىقىنىڭ ئەپەپلىرىنىڭ ئەپەپلىرى

संरचना में सभी वैदर सड़कों, रेलवे कनैकिटविटी, वायुयान सेवाएं तथा सिंचाई आवश्यकताओं का प्रावधान सम्मिलित होता है।

जींद जिला, रेल यातायात से भली भांति संयोजित है। अलेवा को छोड़कर सभी ब्लॉक रेलवे लाइनों से संयोजित हैं।

### 2.3.14 सड़क संयोजनता

#### 2.3.14.1 सड़क कनैकिटविटी की स्थिति

हरियाणा राज्य में बहुत अच्छी सड़क संयोजनता है। जिले में सड़क संयोजनता तथा सड़क लम्बाई की स्थिति निम्नवत थी:

तालिका 15: सड़क लम्बाई की स्थिति दर्शाते हुए

सड़क की प्रकार	सड़क लम्बाई (किलो मीटरज में)
राष्ट्रीय राजमार्ग	127
राज्य राजमार्ग	154
मुख्य जिला सड़कें	50
अन्य सड़कें (गांव सड़कें)	905

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत डाटा।

दो गांवों अर्थात् बाराबन तथा तेगबहादुरपुर (307 गांवों में से) को छोड़ कर सभी गांव, सभी प्रकार की सड़कों से संयोजित हैं। एकिटज कान्फ्रैंस के दौरान डी.सी. की पहल पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2011) कि शेष दो गांवों को लिंक सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित कार्य महात्मागांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) के अन्तर्गत लिया जाएगा।

#### 2.3.14.2 सड़क कार्यों का निष्पादन

जिले में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) तथा केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) स्कीमों के अन्तर्गत नई सड़कों के मजबूतीकरण, चौड़ा करने तथा निर्माण करने के 47 कार्य लिए गए हैं जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 16: निष्पादित सड़क कार्यों की स्थिति

वर्ष	लिए गए कार्यों की संख्या		अनुमोदित लम्बात (₹ करोड़ में)		पूर्ण किए		व्यव (₹ करोड़ में)	
	राज्य	पी.एम.जी.एस.वाई	राज्य	पी.एम.जी.एस.वाई	राज्य	पी.एम.जी.एस.वाई	राज्य	पी.एम.जी.एस.वाई
2006	13	2	32.14	9.69	13	2	28.93	9.60
2007	7	2	24.51	13.00	7	2	22.89	13.21
2008	4	2	4.87	7.32	4	2	4.46	7.71
2009	7	7	41.11	46.19	5	7	13.52	39.81
2010	2	1(सी.आर.एफ.)	2.17	19.38	-	-	-	-
योग	33	14	104.80	95.58	29	13	69.80	70.33

स्रोत: एम.आई.एस. रिपोर्ट से संकलित।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि सड़क संयोजनता से सम्बन्धित कार्य की प्रगति संतोषजनक थी क्योंकि 47 कार्यों में से 42 पूर्ण हो चुके थे। शेष पांच कार्य, फिरभी, उनकी पूर्णता की देय तिथियों के तीन से 11 माह बीतने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं किए जा सके।

115

جیل ٹیکنالوجیز نے 31 اگسٹ 2008ء کی تاریخ پر 21-21-21 نام کا پروپرٹی رائٹز فایل 2008-11 کے مقابلہ میں ثبت کیا ہے۔ اس فایل کا نام 5.02 سینچریز میلی ٹریکٹ (لینے والے) 2.69 میلی ٹریکٹ (لینے والے) اور 2.19 میلی ٹریکٹ (لینے والے) تھا۔ 2010-11 کے 26 جنوری 2011ء کو اس فایل کا 31 اگسٹ 2008ء کی تاریخ پر 21-21-21 نام کا پروپرٹی رائٹز فایل 2008-11 کے مقابلہ میں ثبت کیا ہے۔ اس فایل کا نام 0.14 میلی ٹریکٹ (لینے والے) 2010-11 کے 26 جنوری 2011ء کو اس فایل کا 31 اگسٹ 2008ء کی تاریخ پر 21-21-21 نام کا پروپرٹی رائٹز فایل 2008-11 کے مقابلہ میں ثبت کیا ہے۔ اس فایل کا نام 0.14 میلی ٹریکٹ (لینے والے) 2.69 میلی ٹریکٹ (لینے والے) اور 2.19 میلی ٹریکٹ (لینے والے) تھا۔

卷之三

2.3.15.] ከዚህዏን ስለዚህ ደረሰኗል በዚህዏን ስለዚህ የአጭ ወይም የሚከተሉት ተደርጓል

2.3.15 Finals

1154b24v

### 2.3.15.2 पुनर्वास एवं पुनर्समायोजन नीति को अधीन वार्षिकी का अभ्युतान

भू-स्वामियो/भूमि अधिग्रहण वंचिती के पुनर्वास तथा पुनर्समायोजन (आर.आर.) नीति ने उनको, जिनकी भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी, वार्षिकी के भुगतान हेतु प्रावधान किया। योग्य भू-स्वामियों को, ₹ 15,000 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर पर ३३ वर्षों तक वार्षिकी भुगतान किए जाने थे। वार्षिकी ₹ 500 प्रतिवर्ष बढ़ाई जानी थी। वार्षिकी की राशि, सितम्बर 2010 से ₹ 21,000 प्रति वर्ष तक, ₹ 750 प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ, संशोधित कर दी गई थी।

यह देखा गया था कि जल सेवाएं मण्डल, जींद द्वारा 2006-11 के दौरान माइनरों तथा ड्रेनों के निर्माण के लिए 140.69 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी किन्तु किसानों को विसम्बर 2010 तक भुगतान हेतु देय ₹ 82.63 लाख की राशि की वार्षिक भूमि का भुगतान नहीं किया गया था। ई.ई., जल सेवाएं मण्डल, जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

यह अवलोकित किया गया कि सरकार, सम्बन्धित कृषकों को कथित भुगतान करने तथा सरकार की आर.आर. नीति कार्यान्वयन करने में विफल रही थी। भुगतानों में विलम्ब के परिणामस्वरूप भू-स्वामि, ऐसे बकाया देयों पर व्याज के भुगतान हेतु न्यायिक हस्तक्षेप का अश्रप लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं तथा सरकार को हानि हो सकती है।

### 2.3.16 अन्य विकासशील गतिविधियां तथा रोजगार उत्पादन

जिले में अन्य विकासशील गतिविधियां, जैसे गलियों, ईनस, चौपालों का निर्माण, सफाई, वर्षजल हरावेस्टिंग, ग्रामीण हाउसिंग इत्यादि, जिला योजनागत स्कीम के अन्तर्गत, बारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदानों कुल सफाई अभियान, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि बोर्ड द्वारा दिए गए अनुदानों, इदिरा आवास योजना, स्वर्णजयपत्नी ग्राम स्वरोजगार योजना, महालग्नाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम इत्यादि से ली गई थी ये निम्न अनुच्छेदों में चर्चित हैं।

#### 2.3.16.1 जिला प्लान स्कीम

जिला प्लान स्कीम, जिले में विकासशील कार्य, विशेषतः सड़कों एवं गलियों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य संस्थाओं, चौपालों इत्यादि का निर्माण आवृत्त करते हुए निष्पादन करने हेतु सरकार द्वारा अप्रैल 2008 से आरंभ की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत कार्य डी.पी.सी. द्वारा अनुमोदित किए जाने थे। 2008-11 के दौरान, ₹ 29.03 करोड़ की राशि निष्पादन एजेंसियों को निर्भुत की, जिसमें से केवल ₹ 16.95 करोड़ खर्च किए गए थे। यह अवलोकित किया गया कि नई डी.पी.सी., सभा एवं पंचायत युनाईटों के पश्चात् फरवरी 2011 में बनाई गई थी। चूंकि डी.पी.सी. के निर्माण में विलम्ब था, 2010-11 हेतु ₹ 8.35 करोड़ की राशि की समग्र निधियां अप्रयुक्त रहीं तथा लोग समयपूर्व लाभों से चर्चित होते हैं।

2.3.16.3 દ્વારા આપેલ સિલ્વિકારી

2.3.16.2 **AI**<sub>ED</sub> **AI**<sub>IT</sub> **AI**<sub>DATA</sub> **AI**<sub>ML</sub> **AI**<sub>APPS</sub>

۱۲۰۱۰-۱۱ نامه‌ها را در اینجا آورده‌ایم که در مورد این اتفاقات مذکور شده‌اند.

इस स्कीम के कार्यान्वयन में निम्न त्रुटियां अवलोकित की गईं:

- लेरवापरीक्षा द्वारा पांच समुदाय सफाई परिसरों की संवीक्षा ने प्रकट कि कलोदाकला एवं भीरवेवाला गांवों में दो परिसर, सम्बन्धित जी.पीज द्वारा ही ढंग से अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे जैसा कि नीचे दर्शाए गए छाया चित्रों से स्पष्ट है:



- निधियों का विपथन।
- टी.एस.सी. स्कीम की निधियों में से, ₹ 7.50 लाख छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कारण वेतन के बकायों के कारण, डी.आर.डी.ए., जींद के तीन कर्मचारियों को इस दलील पर भुगतान किए गए (2009-10) कि ये कर्मचारी कथित स्कीम के लिए कार्य कर रहे थे। संवीक्षा के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि ये सभी कर्मचारी नियमित थे तथा बकाया डी.आर.डी.ए. प्रशासन स्कीम से भुगतान योग्य थे। इस प्रकार ₹ 7.50 लाख की टी.एस.सी. अनुदान विपथित किया गया।

#### 2.3.16.4 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि (एच.आर.डी.एफ.) बोर्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासशील गतिविधियां करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को निधियां प्रदान करता है। एच.आर.डी.एफ. बोर्ड से जिले द्वारा 2006-11 के दौरान, ₹ 59.39 करोड़ की राशि की निधियां प्राप्त की गई थीं तथा ₹ 61.72 करोड़ व्यय की गईं। ₹ 2.33 करोड़ का अधिक व्यय, ई.ई. (पंचायती राज), जींद द्वारा अन्य स्कीमों से निधियां विपथित करके, किया गया था। निधियां, चौपालों के निर्माण तथा मरम्मत, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्तियों<sup>73</sup> में गलियों/नालियों के निर्माण हेतु व्यय की गई थीं। निम्नलिखित त्रुटियां अवलोकित की गईं:

- पांच गांवों<sup>74</sup> में गलियों/सड़कों के निर्माण हेतु अलेवा ब्लॉक के पांच जी.पीज को डी.सी., जींद द्वारा ₹ 16.02 लाख की राशि की निधियां निर्मुक्त की गई थीं (मार्च 2010)। केवल गोहियां गांव में कार्य पूर्ण किया गया था जबकि अन्य चार गांवों में कार्य आरंभ नहीं किया गया था। ₹ 12.05 लाख की राशि अव्ययित पड़ी थी (मार्च 2011)। इसी प्रकार, ₹ 38 लाख की राशि की निधिया, बी.डी.पी.ओ., जींद को, 21 गांवों में गलियों/सड़कों के निर्माण हेतु निर्मुक्त की गई थी (मार्च 2010)।

<sup>73</sup> महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ति योजना के अन्तर्गत (2 अक्टूबर 2008 को आरंभ की गई) 100 वर्ग गज के प्लाट बी.पी.एल. परिवारों को आवंटित किए जाने थे।

<sup>74</sup> छुहरपुर, दीलुवाला, गोहियां कुचरानाकलां तथा कुचराना खुर्द।

परन्तु 18 गांवों में कार्य आरंभ नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)। बी.डी.पी.ओ. जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि अव्ययित निधियों को उपयोग करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

### 2.3.16.5 इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) 75:25 के अनुपात में जी.ओ.आई. तथा राज्य सरकार के मध्य लागत शेयर आर पर वित्त पोषित एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। स्कीम का उद्देश्य, मुख्यतः, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों (एस.सी./एस.टी.) के सदस्यों, मुक्त बंधवा मजदूरों तथा गरीबी रेखा से नीचे अन्य गैर एस.सी./एस.टी. ग्रामीण परिवारों की आवासी इकाइयों के निर्माण/उन्नयन हेतु, उनको एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान कर, सहायता करना था। स्कीम के अन्तर्गत 2006-11 के दौरान जिले के लिए भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य एवं प्राप्तियां निम्नवत थीं:

तालिका 17: 2006-11 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं प्राप्तियां

वर्ष	भौतिक लक्ष्य/प्राप्तियां		उपलब्ध निधियां	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)
	(संख्या में)			
2006-07	314	326	1.18	1.18
2007-08	435	438	1.09	1.09
2008-09	435	436	2.24	1.53
2009-10	843	864	3.03	3.02
2010-11	583	597	2.71	2.69
योग	<b>2,610</b>	<b>2,661</b>	<b>10.25</b>	<b>9.51</b>

स्रोत: ए.डी.सी., जींद द्वारा आपूरित डाटा।

जैसा कि उपर्युक्त डाटा से स्पष्ट है, विभाग इस अवधि के दौरान भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा नमूना-जांच के दौरान, निम्न अनियमितताएं अवलोकित की गईः

- पुरुष लाभग्राहियों को अनियमित भुगतान

स्कीम के मार्ग निर्देशों के अनुसार, लाभग्राही महिलाएं होनी चाहिए अथवा रिहायसी इकाई पत्नी और पति दोनों के नाम से होनी चाहिए। नमूना ब्लॉक्स में अभिलेखों की नमूना ने प्रकट किया कि स्कीम के मार्गनिर्देशों के अतिक्रमण में 77<sup>75</sup> पुरुष लाभग्राहियों को 2008-11 के दौरान ₹ 29.15 लाख के अनुदान वितरित किए गए। बी.डी.पी.ओ., अलेवा ने बताया (दिसम्बर 2010) कि ए.डी.सी., जींद द्वारा चयन किए गए लाभग्राहियों को राशियां वितरित की गई थी। एकिजट कान्फ्रेंस के दौरान, डी.सी. ने बताया (सितम्बर 2011) कि मामले की जांच की जाएगी तथा तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

- झूठे उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतिकरण

बी.डी.पी.ओ., अलेवा पिल्लुखेड़ा के अभिलेखों की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि 2009-10 के दौरान प्राप्त क्रमशः ₹ 26.60 लाख एवं ₹ 25.90 लाख के समग्र अनुदानों हेतु उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए थे। फिरभी, मार्च 2010 के समापन पर बैंक पास बुक्स के अनुसार क्रमशः ₹ 10.63 लाख तथा ₹ 8.70 लाख के संवरण शेष थे। इसने इगित

<sup>75</sup>

अलेवा: 13, जींद : 27, पिल्लुखेड़ा : 21 तथा उचाना : 16

किए कि युसीज में तथ्यों का गलत निरूपण था। बी.डी.पी.ओ. अलेवा ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2011) कि ऐसी अनियमितताएं भविष्य में नहीं दोहराई जाएगी।

- पूर्ण किए गए भूकानों की संख्या की गलत सूचना

ए.डी.सी., जींद द्वारा सरकार को प्रस्तुत भौतिक निष्पादन प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार 2,610 के लक्ष्यों के विरुद्ध 2,661 भूकानों का निर्माण, लाभग्राहियों द्वारा पूर्ण किया गया दर्शाया गया। फिर भी, नमूना - जांच किए गए ब्लॉक्स के अभिलेखों की संखिका ने प्रकट किया कि 20 प्रकरणों में, न तो भूकान पूर्ण किए गए थे न ही हितीय किशत निर्मुक्त की गई थी। इस प्रकार, ए.डी.सी., जींद ने सरकार को, ट्स्कीम के अन्तर्गत भौतिक निष्पादन गलत सूचित किया।

### 2.3.16.6 पंचायती राज संस्थाओं में सामाज्य

अनियमितताएं पंचायती राज संस्थाओं में निम्न सामाज्य अनियमितताएं अबलोकित की गईः

- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (अधिनियम) की धारा 26 के प्रावधानों के अनुसार, एक जी.पी. द्वारा, सभा क्षेत्र में आबादी देह<sup>76</sup> का मानचित्र, उसमें भवनों की चारोंदीवारियाँ, सार्वजनिक गलियाँ तथा अन्य सार्वजनिक खुले स्थान दर्शाते हुए, तैयार किया जाना चाहिए। नमूना - जांच के लिए चयन की गई किसी भी जी.पी. द्वारा कोई ऐसा मानचित्र तैयार नहीं किया गया था।
- अधिनियम की धारा 12 (iv) में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार एक जी.पी. द्वारा, इसके द्वारा अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा लिए गए सभी विकासशील कार्यों हेतु लागतें, कार्य की पूर्णता की तिथि, परिसम्पत्तियों का नाम इत्यादि विनिर्दिष्ट करते हुए एक पूर्ण रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना चाहिए। नमूना - जांच किए गए किसी भी जी.पी. द्वारा कोई ऐसा रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था।
- हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 के नियम 12 के अनुसार, प्रत्येक जी.पी. द्वारा, निर्माण कार्य रजिस्टर, आप पुस्तकाएं, प्राप्ति पुस्तका, निर्गम रजिस्टर, उपस्थित नामावली निर्गम रजिस्टर, निर्धारित प्रपत्र में अचल सम्पत्ति रजिस्टर, यह प्रमाणित करने हेतु कि निर्माण कार्य वस्तुतः निष्पादन किए गए थे, अनुरक्षित किए जाने अपेक्षित थे। नमूना - जांच किए गए किसी भी जी.पी. में ऐसे अभिलेख अनुरक्षित किए नहीं थे। गए थे।
- सरकार द्वारा जारी किए गए (अगस्त 2006) सार्वजनिकों के अनुसार ₹ तीन लाख तक के सभी निर्माण कार्य एस.डी.ओ. (पंचायती राज) द्वारा तथा ₹ तीन लाख से ऊपर तथा ₹ 20 लाख तक ई.ई. (पी.आर.) द्वारा निर्माण कार्यों के वैराग्य तथा निष्पादन को पश्चात् अनिवार्य रूप से निरीक्षित किए जाने अपेक्षित थे। निरीक्षण रिपोर्ट्स, सम्बन्धित डी.सी. को भेजी जानी अपेक्षित थी।

<sup>76</sup> गांव में विविध जातों लोग रहते हैं।

- फिर भी, ऐसी कोई रिपोर्ट डी.सी. को नहीं भेजी गई थी। सरकारी निर्देशों (अगस्त 2006) के अनुसार, निर्माण कार्यों के निष्पादन पर निगरानी रखने हेतु ब्लॉक स्तर तथा गांव स्तर पर सतर्कता समितियां संघटित की जानी थी। नमूना-जांच किए गए ब्लॉक्स/जी.पी.ज में कोई ऐसी समितियां संघटित नहीं की गई थी।
- सरकारी मार्गनिर्देशों (सितम्बर 2007) के अनुसार, जी.पी.ज द्वारा निष्पादित विकास कार्यों का तृतीय पार्टी निरीक्षण करवाया जाना था। फिरभी, नमूना-जांच किए गए किसी भी जी.पी. द्वारा, कोई ऐसा निरीक्षण नहीं करवाया गया था।

पंचायती राज अधिनियम तथा नियमों तथा सरकारी निर्देशों के उपर्युक्त प्रावधानों की अनुपालना के कारण गंभीर वित्तीय अनियमितताएं स्थान ले सकती हैं। बी.डी.पी.ओ. (अलेवा, जीन्द, पिल्लुरवेड़ा) ने तथ्य स्वीकार करते समय बताया (अगस्त 2011) कि पंचायती राज अधिनियम तथा नियमों तथा सरकारी निर्देशों के उपर्युक्त प्रावधानों की अनुपालना करने के प्रयास किए जाएंगे।

- जी.पी.ज में निर्माण कार्यों के निष्पादन में अवलोकित अनियमितताएं निम्नवत थी:

क्र. सं.	जी.पी.ज का नाम	आवेष्टित राशि (₹ में)	अनियमितताओं की प्रकृति
1.	रथाना	2,000	मार्च 2010 में ₹ 16,864 की उपस्थिति नामावली के विरुद्ध कैशबुक में ₹ 18,864 का भुगतान दर्शाया गया था।
		42,296	तीन प्रकरणों में, उपस्थिति नामावली भुगतान, मजदूरों के नाम एवं पते उल्लिखित किए दिना, किए गए थे (फरवरी - अप्रैल 2010)।
		17,976	एक ड्रेन के निर्माण हेतु मजदूर 21 से 31 मई 2009 तक कार्य पर लगाए गए थे जबकि निर्माण समर्पी जुलाई 2009 में काय की गई थी।
2.	पांहु पिंडारा	96,000	जनवरी 2010 में काय की गई ईटे न लो स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट की गई न ही किसी कार्य पर उपभुक्त की गई।
		97,000	गांव के पावन तालाब के पास क्षतियस्त ड्रेन ने अवमानक कार्य का निष्पादन (विसम्बर 2006) इंगित किया।
3.	भेरोंरवेड़ा	82,650	ईटे, वास्तविक रखपत के आधिक्य में जारी की गई (नवम्बर 2006 तथा मई 2007) वर्शाई गई।
		10,715	श्रमिकों के हसताक्षरों/अंगूठे के निशानों के दिना उपस्थिति नामावली भुतान किया गया (फरवरी - अप्रैल 2008 तथा जून 2008)।
4.	खेड़ी मसानियां	16,840	वो प्रकरणों में उपस्थिति नामावली भुगतान श्रमिकों के हसताक्षरों/अंगूठे के निशानों के दिना किए गए (मार्च 2009 तथा मार्च 2010)

॥ ੪ ॥ ਮਨ ਮਨੁ ਜਾਗੋ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ

2.3.16.8 ~~اینکاریلیزیت~~ ~~اینکاریت~~ ~~اینکاریت~~ ~~اینکاریت~~ ~~اینکاریت~~

卷之三

## תְּמִימָה וְעַמְלָה

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପରିଷଦ୍ ପାଇଁ କାହାରେ

## السُّلْطَانُ الْمُكْرَمُ الْمُهَمَّدُ

የኢትዮጵያውያንድ የሚከተሉት ስምዎች በመስጠት እንደሆነ የሚከተሉት ስምዎች በመስጠት እንደሆነ

2.3.16.7 ~~આદુલજાહી જીતા આર્થિક જીતા~~

፩፻፲፭ ዓ.ም. ቀበሌ ተከራካሪ, ቀበሌ (፩፻፲፭)

ይታ አቀፍ, የልማት ሰነድ, በዚህ በቻ ማተሚ ሲሆን ተስፋዋል, ይህንን የሚከተሉት ስልክ/

डी.आर.डी.ए. तथा जिला के नमूना-जांच किए गए चार ब्लाकों के अभिलेखों की जांच ने निम्नानुसार प्रकट किया:

- **परिप्रेक्ष्य योजना तैयार न करना**

स्कीम के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार उन कार्यों, जो समुदाय के लिए लाभदायक होंगे तथा दीर्घ-अवधि रोजगार उत्पादन तथा क्षेत्र का कायम रखने योग्य विकास मुहैया करवाएंगे, की किस्मों की पहचान कर अग्रिम योजना को सुगम बनाने के लिए एक पंच-वर्षीय जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जानी थी। परन्तु जिला में योजना तैयार नहीं की गई थी। इसके अभाव में, ए.डी.सी. ने बी.डी.पी.ओज द्वारा अनुमोदित कार्यों के आधार पर निधियां जारी की।

ए.डी.सी. ने यह स्वीकार करते समय कि 2006-10 की अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी, बताया कि योजना तैयारी अधीन थी।

- **भौतिक निष्पादन**

मार्च 2011 को जिला में पंजीकृत, जॉब कार्ड्स जारी किए गए परिवारों/व्यक्तियों, रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या तथा उन परिवारों की संख्या, जिन्होंने 100 दिवस का रोजगार पूर्ण किया। अर्जित किया, निम्नानुसार थी:

**तालिका 18 : एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. के अन्तर्गत उत्पादित रोजगार की स्थिति**

वर्ष	पंजीकृत की संख्या		जाब कार्ड्स जारी किए गए	रोजगार प्रदान किए गए		परिवारों की संख्या (100 दिवस पूर्ण किए)	प्रति परिवार औसत दिवस
	परिवार	व्यक्ति		परिवार	व्यक्ति दिवस		
2008-09	22130	52,953	22130	6749	193500	210	28.67
2009-10	24999	54,812	24999	5456	147500	96	27.03
2010-11	27075	63016	27075	7084	191845	137	27.08

स्रोत: ए.डी.सी. - सह - सी.ई.ओ., डी.आर.डी.ए. जींद द्वारा आपूर्ति आंकड़े।

उपर्युक्त आंकड़े के विश्लेषण ने प्रकट किया कि सभी पंजीकृत परिवारों को 100 दिनों के रोजगार के प्रावधान के विरुद्ध 22,130 परिवारों में से केवल 210 (एक प्रतिशत) परिवार 2008-09 के दौरान 100 दिनों का रोजगार पूर्ण/अर्जन कर सके। 2009-10 में 24,999 पंजीकृत परिवारों में से केवल 96 (0.38 प्रतिशत) तथा 2010-11 में 27,075 पंजीकृत परिवारों में से केवल 137 (0.50 प्रतिशत) 100 दिन का मजदूर रोजगार प्राप्त/अर्जन कर सके।

उपर्युक्त आंकड़े की आगे जांच ने प्रकट किया कि दिनों, जिनके लिए एक परिवार को मजदूरी रोजगार प्रदान किया गया था, की औसत संख्या 2008-09 में 29 थी जो 100 के लक्ष्य के विरुद्ध 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान 27 तक कम हो गई।

ए.डी.सी., जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि हरियाणा में मजदूर एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. में ज्यादा सम्बद्ध नहीं थे क्योंकि एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. को अन्तर्गत से खुले बाजार में मजदूरी दरें उच्चतर थीं।

2007: 46.23 2009: 2120

תלט 2006: כ 55 תלט תלט תלט 2007: כ 25.18 תלט

94

11

2.3.17.1 allais de saje

**۱۷۴۰ ۲۴۶۵ میلادی تا ۱۸۱۷ میلادی**

መስጠት የሚያሳይ ስራውን ተከተል ነው እና ይህንን የሚያሳይ ስራውን ተከተል ነው

፩፻፲፭ ዓ.ም. ቀ.፩፻፲፭ ዓ.ም. ቀ.፩፻፲፭ ዓ.ም. ቀ.፩፻፲፭ ዓ.ም.

2.3.17. የሚቀበል አገልግሎት ጥሩ በዚህ ተከራካሪ ቅጽ

ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ମାତ୍ର ନେ ଯାଇଲୁ

የኢትዮ, የዚያ ተ አድራሻ (3ኛኛ 2011) ተከታታይ መግለጫዎች ጥሩ ተከታታል ይገልጻል የ

## የኢትዮጵያ ቤትና ማንኛውም

Ազգական պատմութեան

एम.सी.जे. द्वारा एकत्रित सालिड वेस्ट शहर में ही विभिन्न स्थानों पर डम्प किया जा रहा था क्योंकि एम.सी. ने कोई सालिड वेस्ट उपचार संयंत्र स्थापित नहीं किया है, उसके द्वारा अनुपचारित वेस्ट तथा प्रदूषण के खतरों से जनता को जोखिम में डाला जा रहा था।



सचिव, एम.सी.जे. ने बताया (अगस्त 2011) कि सालिड वेस्ट उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रयास किए जा रहे थे।

#### 2.3.17.2 निधियों का गबन

नीचे दिए गए विवरणानुसार 2009 – 10 के दौरान एम.सी.जे. स्टॉफ द्वारा ₹ 11,790 की राशि का गबन किया गया था:

- ₹ 4,272 के वेतनों के संवितरण हेतु स्व: चैक संख्या 852449 दिनांक 20 अप्रैल 2009 के माध्यम से ₹ 11,272 की राशि आहरित की गई थी। वाउचर संख्या 138 दिनांक 21 अप्रैल 2009 के अन्तर्गत ₹ 4,272 के वेतनों के संवितरण के पश्चात् ₹ 7,000 की राशि का गबन किया गया था।
- गृह कर शार्वा ने रसीद संख्या 42/1480 दिनांक 22 मार्च 2010 के अन्तर्गत ₹ 715 की राशि वसूल की किन्तु रोकड़ बही में केवल ₹ 115 का लेखांकन किया गया था तथा ₹ 600 की शेष राशि का गबन किया गया था।
- वाउचर संख्या 98 तथा 99 दिनांक 10 नवम्बर 2009 के अन्तर्गत उन्हीं सात श्रमिकों को ₹ 2,720 का दोहरा भुगतान किया गया था। इन सात श्रमिकों के नाम 10 तथा 11 अक्टूबर 2009 के दोनों मास्टर रोलस में प्रकट हो रहे थे।
- उसी प्रकार, दूसरे मामले में एक श्रमिक का नाम 10 से 19 जून 2009 तक के दो भिन्न मास्टर रोलस में प्रकट हुआ। इस व्यक्ति को वाउचर संख्या 31 दिनांक 27 जुलाई 2009 तथा 35 दिनांक 30 जुलाई 2009 के अन्तर्गत दो बार ₹ 1,470 का भुगतान किया गया था।

जनवरी 2011 में यह इंगित किए जाने पर सचिव, एम.सी.जे. ने उपर्युक्त लेखापरीक्षा परिणामों को स्वीकारते समय उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि सम्बन्धित कर्मचारियों

## አዲስ ሂዕስ ቅድመ አገልግሎት የዚሁ

The Little Wallaby

۱۴۶ پیشگیری از

23.18.1 *אֶל-עַמְקָה, אֵת אֲלֹהִים תִּשְׁאַל*

## 10. **לְמַעַן** **בְּגִיאָה** **בְּנֵי** **בְּנֵי**

2.3.18 תְּאַתָּה תִּלְדֹּר עַל כָּל

## አክብ በታች ከዚህ የትምህር ማረጋገጫ

### 2.3.18.2 गेंहू का आबंटन तथा उठान

निम्न तालिका गत पांच वर्षों के दौरान टी.पी.डी.एस. के अन्तर्गत गेंहू के श्रेणीवार आबंटन तथा उठान इगित करती है।

तालिका 19: गेंहू का श्रेणी-वार आबंटन तथा उठान

(मात्रा मीट्रिक टनों में)

वर्ष	मरीजी रेखा से ऊपर			मरीजी रेखा से नीचे			अंदोदय अन्न योजना		
	आबंटित	उठाई गई	प्रतिशतता	आबंटित	उठाई गई	प्रतिशतता	आबंटित	उठाई गई	प्रतिशतता
2006-07	-	-	-	10,020	9,519	95.0	9,504	9,124	96.0
2007-08	3,960	-	-	10,080	9,616	95.4	10,152	9,746	96.0
2008-09	3,960	-	-	20,772	19,858	95.6	8,784	8,379	95.4
2009-10	3,960	-	-	19,908	19,310	97.0	8,820	8,520	96.6
योग	11,880	शून्य	-	60,780	58,303	95.92	37,260	35,769	96.0

स्रोत: डी.एफ.एस.सी., जींद से प्राप्त आंकड़े।

जैसा उपर्युक्त तालिका से प्रमाण है, 2006-10 के दौरान ए.ए.वाई. के अन्तर्गत 35,769 मीट्रिक टन (एम.टी.ज) गेंहू जी.ओ.आई. द्वारा 37,260 एम.टी. के आबंटन के विरुद्ध उठाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ मूल्य के 1,491 एम.टी. गेंहू का कम सवितरण हुआ।

ए.पी.एल. परिवारों को भी ए.पी.एल. परिवार पहचान-पत्रों के माध्यम से अनाज उपलब्ध करवाए गए हैं। ए.पी.एल. श्रेणी के अन्तर्गत गेहूं के निर्गम का पैमाना 15 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह ₹ 6.86 प्रति किलोग्राम की दर पर नियत किया गया है। 2006-10 के दौरान ₹ 11.21 करोड़ मूल्य के 11,880 एम.टी. के आबंटन के विरुद्ध कोई गेंहू नहीं उठाया गया था। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, जींद ने ए.पी.एल. परिवारों द्वारा गेंहू की नान-लिफ्टिंग, उनके उपभोग हेतु हार्डेस्टिंग सीजन के दौरान अनाजों के कारण तथा गुणवत्ता के बारे में जागरूकता को आरोपित की। यह आगे बताया गया था कि इस श्रेणी के लिए गेंहू का आबंटन नियमित नहीं था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि 2006-10 के दौरान ए.पी.एल. परिवारों द्वारा गेंहू बिल्कुल भी नहीं उठाया गया था। इसलिए, स्कीम के लाभों के बारे में लाभार्थियों के बीच विभाग द्वारा जागरूकता सृजित नहीं की गई थी।

### 2.3.18.3 अन्य अनियमितताएं

- सरकार से बी.पी.एल. तथा ए.ए.वाई. परिवारों की सूचियों की अपात्र परिवारों को हटाने तथा पात्र परिवारों को शामिल करने के प्रयोजन हेतु प्रत्येक वर्ष समीक्षा करनी अपेक्षित थी। तथापि, बी.पी.एल./ए.ए.वाई. लाभार्थियों की सूचियां सितम्बर 2008 के बाद संशोधित नहीं की गई थी। जी.ओ.आई. द्वारा संचालित सर्वेक्षण (अक्टूबर 2008) के अनुसार जिला में ए.ए.वाई. सहित बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 0.37 लाख थी जबकि डी.आर.डी.ए. तथा डी.यू.डी.ए. ने सितम्बर 2008 में संचालित उनके सर्वेक्षण के दौरान जिला में 0.72 लाख बी.पी.एल. परिवारों की पहचान की। चूंकि बहुत विभिन्नता थी, लाभार्थी परिवारों की समीक्षा तथा जांच की जानी अपेक्षित थी क्योंकि इसमें नीचे दिए गए विवरणानुसार सितम्बर 2008 से मार्च 2010 तक ₹ 2.86 करोड़ के परिदान

शामिल किए गए:

**तालिका 19: बी.पी.एल. तथा ए.ए.वाई. के अन्तर्गत परिवान की वित्तीय अर्थापत्ति**

वर्ष	गेहू की प्रमाणी (एकड़ी में)	राज्य बजट में किया गया प्रवधान (₹ लाख में)	किया गया व्यय (₹ लाख में)
2008-09 (सितम्बर 2008 से मार्च 2009)	7,380	14.91	14.98
2009-10	13,429	271.22	271.22
योग	20,809	286.13	286.20

स्रोत: डी.एफ.एस.सी., जींद से प्राप्त आंकड़े।

निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना था कि अनाज, प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उचित मूल्य की दुकानों (एफ.पी.एसज) को उपलब्ध करवाए गए थे। जिला के छ: ब्लाकों में 611 एफ.पी.एसज में से चार ब्लाकों के 40 एफ.पी.एसज नमूना-जांच के लिए चयन किए गए थे। चयनित एफ.पी.एसज की नमूना-जांच के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- सहकारी थोक भण्डार लिमिटेड (कॉनफेड) अनाजों के उठान हेतु थेक नोडल एजेंसी है। एफ.पी.एसज से सोलह शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कॉनफेड द्वारा चीनी की डोरस्टेप डिलीवरी नहीं की गई थी।
- सभी एफ.पी.एसज ने कानफेड से माह की आठवीं तथा 20वीं तारीख के मध्य अनाज तथा करोसीन प्राप्त किया, जो अनुदेशों के अनुसार नहीं था;
- 38 प्रतिशत एफ.पी.एसज (15) द्वारा स्टाक बोर्ड दैनिक रूप से अद्यतन नहीं किए गए थे;

लेखापरीक्षा के साथ परस्परिक प्रभाव के लिए बुलाए गए 495 लाभार्थियों में से 417 लाभार्थियों से संपर्क किया जा सका तथा जिला में पी.डी.एस. पर उनकी टिप्पणियां निम्नानुसार थीं:

- चालीस प्रतिशत लाभार्थियों (174) ने बताया कि एफ.पी.एसज नियमित रूप से नहीं खोले गए।
- सत्तर प्रतिशत लाभार्थियों (311) ने बताया कि पी.डी.एस. मद्दें उन्हें पहले विजिट पर प्रदान नहीं की गई थी।
- साठ प्रतिशत लाभार्थियों (276) ने बताया कि स्टॉक की उपलब्धता बोर्ड पर प्रकाशित नहीं की गई थी।
- खाद्य एवं आपूर्ति निदेशालय ने डी.एफ.एस.सी. को राज्य, जिला, ब्लाक तथा ग्राम स्तरों पर अपेक्षित समितियां गठित करने का निदेश दिया (अक्टूबर 2008)। यह तथापि, देखा गया था कि पी.डी.एस. की मानीटरिंग तथा जन शिकायतों के समाधान के लिए जुलाई 2010 तक जिला एवं ब्लाक स्तरीय समितियां गठित नहीं की गई थी।
- पी.डी.एस. (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार सरकार से जिलों में स्थापित किए गए राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों (एन.आई.सी.) के कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एफ.पी.एसज स्तर पर पी.डी.एस. की कार्यप्रणालियों की मानीटरिंग सुनिश्चित करना अपेक्षित थी। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक एफ.पी.एस. को कम्प्यूटरीकृत कोडस भी जारी किए गए थे। यह देखा गया कि पी.आर. केन्द्रों (सफीदों, उचाना, अलेवा तथा पिलुखेड़ा) में सितम्बर 2010 में प्राप्त किए गए ₹ 9.25 लाख की लागत वाले चार कम्प्यूटर

नेटवर्किंग किट्स् क्रियाशील नहीं थे। उन्हें क्रियाशील बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। इसके परिणामस्वरूप एफ.पी.एसज सतर पर पी.डी.एस. के कार्यचालन की मानीटरिंग का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ था।

### सामान्य सेवाएं

#### 2.3.19 पुलिस सेवाएं

पुलिस अधीक्षक (एस.पी.), जींद को जिला में अपराध रोकने एवं पता लगाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है। जिला में यातायात पुलिस स्टेशनों सहित 12 पुलिस स्टेशन हैं। उप-मण्डलों (जींद, सफीदों तथा नरवाना) में पुलिस-उपाधीक्षकों के तीन कार्यालय हैं।

##### 2.3.19.1 स्टॉफ की कमी

जिला में विभिन्न संवर्गों, जैसे निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों, सहायक उप-निरीक्षकों, हैड-कास्टेबल इत्यादि, में पुलिस कर्मिकों की संयुक्त कार्यचालन संख्या 1,234 की संयुक्त संस्थीकृत संख्या के विरुद्ध 1,058 थी। विभिन्न संवर्गों में रिक्तियां 11 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक थी। रिक्ति स्थिति के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 20: पुलिस कार्मिकों की रिक्ति स्थिति

	संवर्ग	संस्थीकृत	तैनात	रिक्त	रिक्त पदों की प्रतिशतता
पुरुष	श्री.एस.पी.	4	3	1	25
	निरीक्षक	18	16	2	11
	एस.आई.	37	23	14	37
	एएस.आई.	108	84	24	22
	हैड कास्टेबल	176	185	9 अधिक	
	कास्टेबल	798	679	119	15
	कुल	<b>1,141</b>	<b>990</b>	<b>151</b>	<b>13.23</b>
	सहिला	-	-	-	-
महिला	श्री.एस.पी.	-	-	-	-
	निरीक्षक	शून्य	2	2 अधिक	-
	एस.आई.	3	2	1	33
	एएस.आई.	6	4	2	33
	हैड कास्टेबल	9	3	6	66
	कास्टेबल	75	57	18	24
	कुल	<b>93</b>	<b>68</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
	सकल योग	<b>1,234</b>	<b>1,058</b>	<b>176</b>	<b>14.26</b>

स्रोत: एस.पी., जींद से प्राप्त आंकड़े।

जिला में पुलिस-जनता अनुपात, राज्य के लिए 1:516 के अनुपात के विरुद्ध 1:1085 था। पुलिस कार्मिकों की कमी के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराध स्थल पर पहुंचने के समय को कम करना बहु मुश्किल हो जाता है।

उत्तर में एस.पी., जींद ने बताया (अगस्त 2011) कि रिक्त पदों को भरने के संबंध में मामला उच्चतर प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था।

### 2.3.19.2 प्रतिक्रिया समय

फील्ड पुलिसिंग के लिए मोबिलिटी में वृद्धि घटना के बाद स्थल पर पहुंचने के लिए पुलिस के प्रतिक्रिया समय को कम करती है। यह तथापि देखा गया था कि सरकार ने प्रतिक्रिया समय का निर्धारण करने के लिए न तो कोई मानक तय किए और न ही इसे कम करने के लिए इसने कोई अनुदेश जारी किए।

### 2.3.19.3 अपराध प्रवृत्तियाँ

एक क्षेत्र में अपराध की घटना वहाँ पर तैनात पुलिस बल के निष्पादन की सूचक है। 2006-10 तथा 2011 (मार्च 2011) तक के दौरान दर्ज किए गए अपराधों की संख्या के साथ-साथ लम्बित अपराध मामलों की संख्या नीचे तालिका में दिए गए अनुसार थी:

तालिका 21: जिला में अपराध प्रवृत्ति को दर्शाने वाली

वर्ष	वर्ष के आरंभ में लम्बित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान सुलझाए गए मामले	वर्ष के अन्त पर लम्बित मामलों की संख्या
				(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
2006	451	3,653	3,128	976
2007	976	2,984	2,804	1156
2008	1156	3,251	2,604	1803
2009	1803	3,612	2,916	2499
2010	2499	3,082	1,811	3770
2011	3770	591	962	3399

स्रोत: एस.पी., जींद द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि अपराधों को हल करने में प्रगति थी किन्तु अपराध दर में कोई सुधार नहीं था। आंकड़ा भी सुझाव देता है कि अपराध दर में वृद्धि थी तथा लम्बित मामलों में इसकी सदृश वृद्धि लोगों के हौसले को क्षति पहुंचाएगी जैसा कि इसने इन मामलों को हल करने में पुलिस की असमर्थता इगित की।

जिला में वर्ष 2006-10 के दौरान न्यायालयों में जमा करवाए गए कुल 14,049 मामलों में से 1,923 (14 प्रतिशत) मामलों में अपराधियों का पता नहीं लग पाया।

### 2.3.19.4 शस्त्रागार

आन्तरिक सुरक्षा को बढ़ाते खतरों से प्रभावी ढंग से तथा दक्षतापूर्वक निपटने के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए जी.ओ.आई. द्वारा पुलिस बल का आधुनिकीकरण स्कीम आरंभ की गई थी। एस.पी., जींद ने पुलिस महानिदेशक को हथियारों के लिए मांग-पत्र भेजा (दिसम्बर 2008) किन्तु अप्रैल 2011 तक जिला में कोई अतिरिक्त हथियार उपलब्ध नहीं करवाया गया था। जिला में विभिन्न हथियारों की आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 22: हथियारों की आवश्यकता, उपलब्धता की स्थिति दर्शानेवाली

हथियार का नाम	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशतता में कमी
एस.एल.आर.	732	632	100	14
रियलवर .38 बोर	205	55	150	73
पिस्टर 9 एमएम	209	109	100	48
इनसेस 5.6 एमएम	100	-	100	100
कारबाइन 9 एमएम	200	100	100	50
एके 47	64	14	50	78
बम नियोनिक उपकरण	1	-	1	100

स्रोत: एस.पी., जींद द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से प्रमाण है, रिवाल्वर 38 बोर, पिस्टल 9 एम.एम., इनसैस 5.6 एम.एम., कारबाइन 9 एम.एम., एके.47 तथा बम निरोधक उपकरण की बहुत कमी थी। आधुनिक हथियारों के अभाव में पुलिस को प्रभावी तथा दक्ष ढंग से आन्तरिक सुरक्षा को बढ़ाती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए मुश्किल होगी।

### 2.3.19.5 पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण

हरियाणा द्वारा यथा अपनाए गए पंजाब पुलिस नियमों में प्रवधान है कि जिला में प्रत्येक पुलिस स्टेशन तथा चौकी की वर्ष में दो बार राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा पुरी तरह जांच की जानी चाहिए। ऐसा कम से कम एक निरीक्षण, अधिकाक द्वारा किया जाना चाहिए। अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि वर्ष 2010 में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

उत्तर में, एसपी. जोंद ने बताया कि स्टफ की कमी के कारण अपेक्षित निरीक्षण नहीं किए जा सके। तथापि, उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में अपेक्षित संख्या में निरीक्षण किए जाएंगे।

### 2.3.20 ई-दिशा परियोजना

ई-दिशा, सरकार तथा नागरिकों के मध्य आईटी संचालित इलेक्ट्रॉनिक अंतरापृष्ठ है। विविध जन सेवाओं के लिए एलीकेशन साफ्टवेयर, सूचना प्रोवायडिंगी विभाग के साथ सहयोग में डी-नेट पर नागरिक अंतरापृष्ठ के रूप में एन.आई.सी.-एच.आर.एस.सी. द्वारा विकसित किए गए थे। परियोजना का कार्यालयन जिला आईटी. सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है। प्रथम चरण में, जिला स्तरीय ई-दिशा केन्द्र (डी.एल.ई.डी.सी.) को शहर लाईसेंसों के नवीनीकरण एवं हास्तांतरण, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्रों तथा ड्राईविंग लाईसेंसों के निर्गम, वाहन पंजीकरण, पासपोर्ट के साथाधन, विभिन्न कल्याण स्कीमों के आवेदनों की प्राप्ति, नागरिकों की शिकायतों का तुरंत समाधान तथा राजस्व अभिलेखों एवं गृह कर डाटा प्रझ्नों के लिए टच स्क्रीन वियोस्क्रप्स से संबंधित सेवाएं प्रदान करना था। यह देखा गया था कि जीद में ई-दिशा केन्द्र जन्म एवं मृत्यु के प्रमाण-पत्रों के निर्गम, राजस्व अभिलेखों के लिए टच स्क्रीन कियोस्क्स तथा विभिन्न कल्याण स्कीमों के आवेदनों की प्राप्ति से संबंधित सेवाएं प्रदान नहीं कर रहा था।

उत्तर में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ई-दिशा, जीद ने बताया (अगस्त 2011) कि जन्म एवं मृत्यु सेवाओं से संबंधित सेवाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बैक-लॉग डाटा की अपूर्णता के कारण प्रदान नहीं की गई थी। टच स्क्रीन कियोस्क्स के संबंध में यह बताया गया था कि टच स्क्रीनज दूसरे चरण में स्थापित की जाएंगी। विभिन्न समाज कल्याण स्कीमों के आवेदनों की प्राप्ति के बारे में यह बताया गया था कि लघु-सचिवाल भवन से जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय की शिपिंग के कारण सेवा बाधित थी।

### 2.3.21 निष्कर्ष

जिला योजना समिति ने जिला के समग्र विकास के लिए सभी गतिविधियों की आवृत्त करते हुए पंच-वर्षीय परियोजना अथवा एकीकृत जिला योजना तैयार नहीं की। निधियां व्ययित के रूप में दर्शाई गई थीं जैसे ही ये वार्ताविक उपयोग हेतु प्रतीक्षा किए जिन्होंना अगले स्तर को जारी की गई थीं। जिला में स्वास्थ्य केन्द्रों, न्यूनतम मूलभूत संरचना तथा डाक्टरों की कमी थी

जिसके परिणामस्वरूप यह शिशु मृत्यु दर, जन्म-दर, मृत्यु-दर कम करने तथा जन्म-पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसवों की वृद्धि, इत्यादि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ रहा था। छ: से 14 वर्षों के आयु-वर्ष में लगभग सात प्रतिशत बच्चे जिला में स्कूल से बाहर थे। तेरह गांवों को न्यूनतम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल मुहैया नहीं करवाया गया था। जिला में पांच नगरों में से जुलाना नगर में कोई मलनिर्यास सुविधा नहीं थी तथा सफीदों नगर में सीकोज ट्रीटमेंट प्लाट नहीं था। पंचायती राज संस्थाओं में कार्यों के कार्यान्वयन में कमिया, जैसे कार्यों को अधूरा छोड़ने, निधियों का विपथन, धीमे कार्यान्वयन, अनियमित व्यय, परिस्मृति रजिस्टरों का अननुरक्षण, परिवेक्षण की कमी, अधिक भुगतान, इत्यादि थी। जीद तथा उचाना नगरों में सालिड वेस्ट उपचार संयंत्र मुहैया नहीं करवाए गए थे। जन सवितरण प्रणाली में कमियां, जैसे बोगस गशन कार्डों का पता न लगाना, लाभार्थियों को खाद्य मरों के सवितरण में विलम्ब, इत्यादि, थी। जिला में पुलिस कार्मिकों तथा शस्त्रांगर की कमी तथा अपराध में उभरती प्रवृत्ति थी।

### 2.3.22 सिफारिशें

- उपायकरण, सभी विभागों की गतिविधियों को आवृत्त करते हुए जिला के लिए होमीलीस्टिक परिप्रेक्ष्य तथा एकीकृत योजनाएं तैयार करें।
- कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों की मात्र निर्मिति से पृथक के रूप में निधियों के वास्तविक उपयोग दर्शने वाली समुचित लेवांकन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
- स्वास्थ्य विभाग मूलभूत संरचना, उपकरण, मानवशक्ति में अन्तरों को मानकों के अनुसार उन्हें समय-बद्ध रीति में भरना सुनिश्चित करें।
- सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समुचित यंत्रावली स्थापित की जानी चाहिए।
- जी.पी.ज द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समुचित यंत्रावली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- वेस्ट प्रबंध योजनाओं को नगर पालिकाओं द्वारा तत्परता आधार पर अन्तिमकृत किया जाना चाहिए।

ये बिन्दु जुलाई 2011 में अर्ध-सरकार रूप से आयुक्त, हिसार मण्डल को संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

### अध्याय ३

सम्पादनों की  
लेखापरीक्षा



## सम्पादनों की लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों, उनके क्षेत्र संघटन तथा स्वायत निकायों की सम्पादन लेखापरीक्षा ने प्रबन्ध संसाधनों में चूकों तथा विनियमिताएँ, औचित्य एवं मितव्यता के आनकों की अनुपालना में विफलता के विभिन्न उदाहरण प्रकट किए। ये अनवर्ती अनुच्छेदों में विस्तृत विषयप्रक शीर्षों के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए हैं।

### 3.1 नियमों की अनुपालना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु यह अनिवार्य है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप किया जाता है। यह न केवल अनियमिताओं, दुर्विनियोजन एवं छलकपटों को रोकता है बल्कि अच्छा वित्तीय अनुशासन अनुरक्षित करने में भी सहायता करता है। नियमों एवं विनियमों की अनुपालना पर कुछ लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवर्त हैं:

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (जिला रेड कास सोसाइटी)

#### 3.1.1 अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण के कारण गबन

भूमि अभिलेखों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों के जारी करने हेतु उद्दृढ़ीत सेवा प्रभारों की प्राप्तियों एवं जमा से सम्बन्धित वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अनुपालना के कारण जिला रेड कास सोसाइटी, करनाल में ₹ 3,76,250 का गबन हुआ।

युद्ध के दौरान बीमार एवं घायल तथा समान प्रकृति के अन्य प्रयोजन को चिकित्सा एवं अन्य सहायता के प्रयोजन हेतु जनता से प्राप्त विभिन्न धनों एवं उपहारों के प्रबंध हेतु तथा शान्तिकाल में भी जारी रहने हेतु आरतीय रेड कास सोसाइटी (आई.आर.सी.) गठित की गई (1920) थी।

पंजाब वित्तीय नियम (नियम 2.2), जैसा कि हरियाणा सरकार को एवं रेड कास सोसायटियों को भी लागू हो, एक आहरण एवं सवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अपेक्षा करते हैं कि सभी वित्तीय सम्बद्धन, जैसे ही वे किए जाते हैं, कैशबुक में प्रतिष्ठ किए जाते हैं तथा वे उसके द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। कर्मचारी जो कैशबुक का प्रभारी नहीं है, सरकार की ओर से धन प्राप्त करता है, के प्रकरण में, उसके द्वारा वह कैश बुक रखने वाले कर्मचारी को प्रेषित करने अथवा उसी दिन या अगले दिन प्रातः कोषालय / लैंक में राशि जमा करवाई जानी अपेक्षित है। कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा, कैशबुक में सभी प्राविष्टियों के योगों सहित सभी प्रतिष्ठियों की जांच किया जाना अथवा कैश बुक के लेखक से अन्य

(i) 阿拉伯, 沃德爾頓, 索諾, 帕爾默, 路易士和史密斯, 哈德, 哈德和史密斯, 史密斯和沃德  
 (ii) 帕爾默, 沃德爾頓, 哈德, 哈德和史密斯, 哈德, 哈德和史密斯, 史密斯和沃德  
 (iii) 帕爾默, 沃德爾頓, 哈德, 哈德和史密斯, 哈德, 哈德和史密斯, 史密斯和沃德

## የኢትዮጵያ የሚከተሉ ቀን እና ስም

የኢትዮጵያ ቤትና የዕለታዊ ሪፖርት ከፌዴራል ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ

七

3.12 ተዕላል ምን ተዕላል የሰነድ ተዕላል የሰነድ ተዕላል የሰነድ ተዕላል የሰነድ

(ପାତ୍ରଙ୍କ କାହାରେ) ମହିଳା ମହିଳା ଫଳା

(三) 2011)

አማርኛውን የሰነድ ማረጋገጫ አገልግሎት ተደርጓል (ጥቅምት 2011)፣ የሰነድ ማረጋገጫ ንግድ ይታወች ይታወች

Digitized by srujanika@gmail.com (Digitized 2011)

1181 12

THE BIBLE

(एम.आई.डी.), नई दिल्ली द्वारा यथा प्रकाशित स्टील (बार एवं रोडस) की अखिल भारतीय औसत थोक बिक्री मूल्य सूची लागू थी।

ई.इ., निर्माण मण्डल सं. 3, कैथल के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ठेकेदार को कार्य के आबंटन के पश्चात्, साईफन के डिजाइन एवं आरेखों में भारतीय तकनीकी संस्थान, रुड़की द्वारा सुझाए गए परिवर्तन के कारण कार्य का क्षेत्र ₹ 33.16 करोड़ से ₹ 48 करोड़ तक बढ़ गया। ठेकेदार 31 दिसम्बर 2007 तक कार्य पूर्ण नहीं कर सका तथा ई.इ. ने समय सीमा 31 मई 2008 तक बढ़ा दी। ठेकेदार कार्य को पूरा करने में पुनः विफल रहा। अधीक्षण अभियंता (एस.ई.), निर्माण परिमण्डल, कैथल ने समय सीमा 31 दिसम्बर 2008 तक बढ़ा दी। ठेकेदार ने कार्य दिसम्बर 2008 में पूरा किया तथा जनवरी 2009 में ₹ 48 करोड़ का भुगतान किया गया जिसमें स्टील के मूल्य समायोजन के कारण ₹ 1.38 करोड़ भी सम्मिलित थे।

आगे यह अवलोकित किया गया कि स्टील हेतु मूल्य समायोजन परिकलित करते समय, स्टील (बार एवं रोडस) के लिए अखिल भारतीय औसत थोक विक्रय मूल्य सूची की बजाय आयरन एवं स्टील हेतु थोक-विक्रय मूल्य सूची परिणाम में ली गई तथा ₹ 75.89 लाख की स्वीकार्य वृद्धि के विरुद्ध ₹ 1.38 करोड़ की राशि की वृद्धि का भुगतान किया गया। इस प्रकार, स्टील के लिए गलत थोक विक्रय मूल्य सूची को अपनाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 62.25 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (27 जुलाई 2010), ई.इ., निर्माण मण्डल संख्या 3, कैथल ने अधिक भुगतान स्वीकार करते समय सूचित किया (फरवरी 2011) कि प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, हरियाणा ने अधिक भुगतान की जांच हेतु दो मुख्य अभियंताओं, एक मुख्य लेखाधिकारी तथा एस.ई. निर्माण परिमण्डल, कैथल की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अधिक भुगतान के लिए तत्कालीन ई.इ. को जिम्मेदार ठहराया (जनवरी 2011)। कमेटी ने यह भी निर्णय दिया कि एस.ई. द्वारा मई 2008 के बाद मूल्य वृद्धि के साथ समय सीमा में विस्तारण सही नहीं था तथा कपटपूर्ण दिखाई देता था। कमेटी ने इस कार्य पर कुल हानि ₹ 5.97 करोड़ समेकित की (निर्धारित क्षतियों के अनुदग्धण के कारण ₹ 4.80 करोड़, स्टील, सीमेंट एवं लुब्रीकैंट्स की अमान्य मूल्य वृद्धि के कारण ₹ 0.55 करोड़ तथा आडिट द्वारा इंगित किया गया ₹ 0.62 करोड़) जिसके लिए एस.ई. एवं ई.इ. जिम्मेदार ठहराए गए।

ई.इ. ने आगे सूचित किया कि गलत मूल्य सूची अपनाने के कारण एजेंसी को किया गया ₹ 62.25 लाख का अधिक भुगतान तत्कालीन ई.इ. के विविध अग्रिम में रखा गया था तथा वसूली के लिए मामले अलग से प्रोसेस किए जा रहे थे। भुगतान की गई अधिक राशि वसूल करने हेतु आगे कार्रवाई प्रतीक्षित थी (अगस्त 2011)।

मामला वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) को प्रेषित किया गया था (अप्रैल 2011)। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

### 3.2 औचित्य लेखापरीक्षा / अनुचित व्यय

सार्वजनिक निधियों से व्यय का प्राधिकरण, सार्वजनिक व्यय के औचित्य एवं दक्षता के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित किया जाना होता है। व्यय करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकारियों से वही सतर्कता प्रवर्तित करने की आशा की जाती है जैसा सामान्य ज्ञान का एक व्यक्ति अपने निजी



116. *Republikanische* und *sozialistische* Parteien im Wahlkampf  
der Präsidentschaftswahlen im April 2007

1121 1241

ପ୍ରକାଶିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାରେ ଏହାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ 68 ପାଇଁ ଏହାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ

### 3.2.1. Fruitful function at each obj

## አዲስ ቅዱስ ቤት (Addis Qudus Bait)

ପ୍ରକାଶକ ମୂଲ୍ୟ

በዚህ በቃላት የሚከተሉት ነው፡፡ የሚከተሉት ስልጣን እና የሚከተሉት ደንብ እና የሚከተሉት ደንብ እና

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किए जाने पर, ई.ई., एन.डब्ल्यू.एस., सिरसा ने बताया (अगस्त 2011) कि ई.ई., एफ.डब्ल्यू.एस. मण्डल, फतेहाबाद ने रिचार्ज बोरज की क्रियाशीलता हेतु जांच एवं परीक्षण केन्द्रीय मिटटी एवं लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल से करवा ली थी, जिसने बताया कि इस प्रकार के रिचार्ज वैल्ज बाढ़ के जल हेतु व्यवहार्य नहीं थे तथा सुझाव दिया कि रिचार्ज बोरवैल क्रियाशीलता हेतु फिट नहीं थे।

इस प्रकार, विभाग द्वारा बोरवैल का, उनकी उपयोगिता निर्धारित किए बिना निर्माण तथा बाद में उनके परित्याग ने ₹ 89 लाख का व्यय व्यर्थ बना दिया। भूमिगत जल रिचार्ज करने की स्कीम का अभिप्रेत प्रयोजन भी प्राप्त नहीं हुआ।

मामला वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शारवा) को अप्रैल 2011 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

### लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क शारवा)

#### 3.2.2 ठेकेदार को अदेय वित्तीय सहायता

अनुबंध की समाप्ति की प्रक्रिया के दौरान एजेंसी को भुगतान करने हेतु कार्यकारी अभियंता, प्रान्तीय मण्डल, कैथल के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा करार की शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार मोबिलाइजेशन अग्रिम की अवसूली के परिणामस्वरूप ₹ 3.99 करोड़ की अवसूली तथा ₹ 47.93 लाख की अदेय वित्तीय सहायता हुई।

कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), प्रान्तीय मण्डल, कैथल ने दो कार्य, अर्थात् “कैथल - असंध सड़क पर रेलवे स्टेशन के नजदीक 200.300 किलोमीटर पर मौजूदा लेवल क्रासिंग के स्थान पर रेलवे ओवरब्रिज की दो लेन अप्रोचिस (कार्य ए) तथा तीन सड़कों<sup>4</sup> का उन्नयन जिसमें उनका चौड़ा करना तथा मजबूतीकरण सम्मिलित था (कार्य बी) एक एजेंसी को ₹ 19.31 करोड़ तथा ₹ 15.34 करोड़ की अनुमानित लागत पर क्रमशः जनवरी 2008 एवं दिसम्बर 2007 में आवंटित किए। ए तथा बी कार्य, आबंटन पत्रों के निर्माण की तिथि से 15 एवं 12 महीनों के अन्दर पूर्ण किए जाने अपेक्षित थे। कार्य ए के लिए, एजेंसी द्वारा कार्य आरम्भ करने की तिथि से क्रमशः 15, 35, 55 एवं 75 प्रतिशत की वित्तीय प्रगति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। कार्य बी के लिए, कार्य की पूर्ति हेतु अनुमत अवधि के तीन, छः, नौ एवं बारह महीने में आद्य अनुबंध मूल्य का क्रमशः कम से कम 12, 38 तथा 67 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाना था।

दोनों कार्यों की प्रगति बहुत धीमी थी तथा एजेंसी बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही। नौ माह की समाप्ति पर कार्य ‘ए’ का 55 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध एजेंसी ने केवल आठ प्रतिशत कार्य पूर्ण किया तथा कार्य ‘बी’ के 67 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध उसी अवधि के दौरान केवल 29 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया था। कार्यों की पूर्ण करने में विफलता पर ₹ 8.09 करोड़ (कार्य ‘ए’ के लिए ₹ 5.47 करोड़ तथा कार्य ‘बी’ के लिए ₹ 2.62 करोड़) की निर्धारित क्षतियां उद्गृहीत करने के पश्चात्

<sup>4</sup> (i) पहाड़पुर से चाकू से रामथली (लम्बाई 7 कि.मी.)।  
(ii) राज्य राजमार्ग - II से भूना अगोंध भाजरा (15.8 कि.मी.) ; तथा  
(iii) खेड़ी गुलाम अली से कगधली वाया पहाड़पुर सायर (लम्बाई 5 कि.मी.)।

जनवरी 2009 में समाप्त कर दिए गए। इसके अतिरिक्त ₹ 1.31 करोड़ मोबिलाइजेशन एडवासिज (कार्य ए के लिए ₹ 0.73 करोड़ एवं कार्य बी के लिए ₹ 0.58 करोड़) के कारण वसूलनीय थे। बैंक गारंटी (₹ 3.70 करोड़), प्रतिभूति जमा (₹ 0.28 करोड़) तथा किए गए कार्य का मूल्य (₹ 1.08 करोड़) से समायोजन के पश्चात् ₹ 4.34 करोड़ (₹ 4.17 करोड़ कार्य ए के लिए तथा ₹ 0.17 करोड़ कार्य बी के लिए) एजेंसी से वूसूल किए जाने थे, जिसमें से ₹ 0.35 करोड़ प्रान्तीय मण्डल सं. 2, सोनीपत में वूसूल कर लिए गए थे। शेष ₹ 3.99 करोड़ वूसूल नहीं किए गए थे (अगस्त 2011)।

ईडी, प्रान्तीय मण्डल, कैथल के अभिलेखों की संविधान (सितम्बर 2010) ने प्रकट किया कि जब एजेंसी के अनुबंध करार समाप्त करने हेतु कार्यवाही नवम्बर 2008 से प्रक्रिया अधीन थी तो ईडी ने दिसम्बर 2008 में ₹ 45.56 लाख (₹ 13.94 लाख कार्य ए के लिए तथा ₹ 31.62 लाख कार्य बी के लिए) के भुगतान जारी किए। यह आगे प्रकट किया गया था कि कार्य 'ए' के लिए वसूली हेतु देय ₹ 7.10 लाख के मोबिलाइजेशन अग्रिम के विरुद्ध, केवल ₹ 4.73 लाख रठिंग विलों से वूसूल किए गए परिणामतः ₹ 2.37 लाख के मोबिलाइजेशन अग्रिम की कम वसूली हुई। इस प्रकार, अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया के दौरान भुगतानों की निर्मित तथा अनुबंधों की शर्तों एवं निवन्धनों के अनुसार मोबिलाइजेशन एडवास की अवसूली एजेंसी को अदेय वित्तीय सहायता के समान थी।

इसके इनित किए जाने पर, ईडी ने बताया (सितम्बर 2010) कि एजेंसी को भुगतान, कार्य पूरा करने हेतु उसे प्रोत्ताहित करने के लिए किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में एजेंसी की विफलता पर अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया ईडी के ध्यान में थी। इस प्रकार, भुगतान जारी करने का निर्णय अविवेकपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप एजेंसी को अदेय लाभ हुआ।

मामला वितायकत एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क शाखा) को प्रेषित किया गया था (अप्रैल 2011)। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

### 3.2.3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय

सोहना में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु स्पष्ट स्थान उचित समय में प्रदान करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप पुनः निविदा पर ₹ 1.09 करोड़ अतिरिक्त व्यय हुए।

भवन एवं सड़क विभाग के आदेशों की नियमपूर्विका (अनुच्छेद 6.15) प्रावधान करती है कि भवन के निर्माण हेतु परियोजना लेने से पूर्व, भवन का स्थल विस्तृत डिजाइन एवं अनुमान तैयार करने से पूर्व निश्चित किया जाना चाहिए। सच्चन्द्रित विभागाध्यक्ष द्वारा चयन किए गए एवं अनुमोदित किए गए स्थान के पश्चात् विस्तृत ऊरस्वन एवं अनुमानों को तैयार करने से पूर्व केन्द्र का विस्तृत सर्वेक्षण उसकी स्थल आकृति सम्बन्धी विशेषताएं तथा रूपरेखाएं दर्शाते हुए किया जाना।

वितायकत एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं वोकेशनल विभाग ने मई 2007 में 'औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.)', सोहना जिला गुडगांव के भवन के

31.4% (2011-12) 2.39% (2012-13), 2012-13 2011-12 (2012-13), 2012-13 2011-12

1185 1186

2.52 ملیمیٹر اور 4.0 ملیمیٹر کا گلہرائیت اسے پہنچانے والے 30 ملیمیٹر کی طرف منتقل کر دیں۔

### 3.2.4 **31a - 411-1ab** **311a** **311b** **311c**

(3月 2011)

የኢትዮጵያውያንድ ከፌዴራል ተስፋዕና ተስፋዕና ስርዓት ተስፋዕና ተስፋዕና ስርዓት ተስፋዕና ስርዓት

The Journal

ይትወቃውን የዚህ ቀልል እና ይጠና ተደርጓል (የካፍል 2011) የዚህ የዚህ የዚህ የዚህ

हिस्से में 0.00 से 2.600 कि.मी. चार लेन की दादरी - लोहारू सड़क का निर्माण कार्य प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया (नवम्बर 2007)। कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), प्रान्तीय मण्डल, चरखी दादरी ने निविदाएं आमंत्रित (जनवरी 2008) करने के पश्चात् कार्य एक ठेकेदार को, 3.32 करोड़ की अनुमानित लागत पर, आठ माह के पूर्ति समय के साथ आबंटित किया। चूंकि सड़क शहरी हिस्से में थी, ट्रैफिक की सघनता तथा कुछ रीचिज में भारी वर्षा के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गई थी। अधीक्षण अभियंता, भिवानी परिमण्डल ने संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन करवाने हेतु प्रमुख अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) को ₹ 5.14 करोड़ का, वृद्धित कार्य क्षेत्र के साथ संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया (दिसम्बर 2008)। संशोधित प्रस्ताव में सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स, वाटर बाऊंड मकेडेम (डब्ल्यू.बी.एम.), बिल्ड अप स्प्रे ग्राउट (बी.यू.सी.जी.) तथा 75 एम.एम. गाढ़ा निम्न बिटुमिनस मकेडेम (एल.बी.एम.) का प्रावधान किया गया। स्थल पर कार्य, सक्षम प्राधिकारी से कार्य के विनिर्देशों एवं क्षेत्र में परिवर्तनों के अनुमोदन के बिना संशोधित प्रस्ताव के अनुसार निष्पादित ₹ 5.02<sup>5</sup> करोड़ का व्यय करके 31 दिसम्बर 2009 को पूर्ण किया गया था। ठेकेदार के साथ अनुबंध में प्रावधान था कि कार्य पूर्ण होने की तिथि से 24 माह की अनुरक्षण अवधि के दौरान अवलोकित कोई त्रुटियां ठीक करने के लिए ठेकेदार जिम्मेवार होगा जिसकी विफलता पर ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर कार्य निष्पादित करवाया जाएगा।

जून एवं अगस्त 2009 में ई.ई. द्वारा निरीक्षण के दौरान, किए गए कार्य की कोटि बहुत घटिया पाई गई। किए गए कार्य के सैम्पल, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.), भिवानी से टैस्ट करवाए गए (जून/जुलाई 2009) तथा किए गए कार्य की कोटि विनिर्देशों से निम्न तथा अवमानक पाई गई। परिणामस्वरूप, लगभग ₹ 2.52<sup>6</sup> करोड़ की लागत पर निर्मित, एक कि.मी. तथा 2.60 कि.मी. के मध्य नवनिर्मित सड़क का 1.480 कि.मी. क्षतिग्रस्त हो गया जिसकी गहन मरम्मत/पुनर्निर्माण अपेक्षित था। यद्यपि अवमानक कार्य को ठीक करने हेतु ठेकेदार को अनेक बार कहा गया था जिसका उसने सुधार नहीं किया परन्तु उसे सितम्बर एवं दिसम्बर 2009 तथा मार्च 2010 में आठवे, नौवें एवं दसवें रनिंग बिलों में क्रमशः ₹ 35.06 लाख, ₹ 6.38 लाख एवं 29.19 लाख का भुगतान किया गया। सड़क को ट्रैफिक योग्य बनाने के लिए कार्य, ₹ 50.03 लाख की अनुमानित लागत पर बी.टाईप सील कोट सहित 20 एम.एम. मोटा प्रीमिक्स कारपेट प्रदान करते हुए आबंटित किया (जनवरी 2011)। कार्य प्रगति पर था (अप्रैल 2011)।

यह अवलोकित किया गया (अक्टूबर 2010) कि ₹ 2.52 करोड़ व्यय करके सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स, डब्ल्यू.बी.एम., बी.यू.एस.जी., एल.बी.एम. इत्यादि सहित विनिर्देशों के साथ निर्मित सड़क की, ठेकेदार, जो अनुबंध की त्रुटि अनुरक्षण देयता प्रावधान के अन्तर्गत सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण करने हेतु उत्तरदायी था, के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए बिना बी.टाईप सील कोट सहित 20 एम.एम. थिक प्रीमिक्स कारपेट प्रदान करने के साधारण विनिर्देशन के साथ मरम्मत करवाई। इस प्रकार, कार्य के अवमानक निष्पादन के कारण, सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से के निर्माण पर किए गए ₹ 2.52 करोड़ के व्यय ने इसका अपेक्षित प्रयोजन पूरा नहीं

<sup>5</sup> ठेकेदार: ₹ 4.42 करोड़; दक्षिण हरियाणा विजली वितरण निगम पोल शिफ्ट करने हेतु ₹ 24.29 लाख तथा बन विभाग वृक्ष काटने हेतु: ₹ 15.17 लाख।

<sup>6</sup> ठेकेदार को भुगतान की गई राशि/सड़क की कुल लम्बाई X क्षतिग्रस्त सड़क की लम्बाई अर्थात्: ₹ 442.41 लाख/2.60 कि.मी. X 1.480 कि.मी. = ₹ 251.83 अर्थात् ₹ 2.52 करोड़।

किया एवं निफल सिद्ध हुआ। यदि सड़क, मूल ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर मरम्मत/पुनर्निर्मित की गई होती तो मरम्मत पर किए गए ₹ 30 लाख (लगभग) के व्यय का परिहार किया जा सकता था।

इसके इनित किए जाने पर, ई.इ. ने सूचित किया (अक्टूबर 2010) कि ब्रिटिश दूर करने तथा अवमानक कार्य को ठीक करने के लिए एजेंसी को बार - बार नोटिस जारी किए गए थे परन्तु एजेंसी ने उत्तर नहीं दिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रथम ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर दोषपूर्ण कार्य निष्पादित करवाने हेतु शास्त्रि धरा लगाई जानी अपेक्षित थी।

नामला, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्णय विभाग (भवन एवं सड़क शारका) को प्रेषित किया गया था (अप्रैल 2011)। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

#### कृषि विभाग (हरियाणा राज्य कृषि विषयन बोर्ड)

##### 3.2.5 आपूर्ण कोल्ड स्टोरेज कार्य पर निष्पत्ति व्यय

**हिजाइनज एवं आरेखण तथा विस्तृत अनुमानों को फाइल किए बिना कोल्ड स्टोरेज का निर्माण आरम्भ करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.72 करोड़ का निष्पत्ति व्यय हुआ।**

मुख्य अभियंता, हरियाणा राज्य कृषि विषयन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.), पंचकूला ने विभिन्न सब्जी मणियों के उन्नयन तथा राज्य में प्री-कलरज, राइपनिंग चैम्बरज /प्रोडिंग लाइनों सहित कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं संस्थापित करने हेतु बोर्ड के चेयरमैन का प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया (दिसम्बर 2006)। अनुमोदन में, सोनीपत में मशहूस एवं अन्य सजिंहों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं प्रदान करने हेतु ₹ 4.40 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित था। कार्यकारी अभियंता (ई.इ.) एच.एस.ए.एम.बी., सोनीपत ने विस्तृत अनुमानों एवं तकनीकी संस्थाकृति के अनुमोदन के बिना, ‘सोनीपत में कोल्ड स्टोरेज तथा पैक हाउस सुविधाओं के संस्थापन हेतु प्री-इंजीनियरड भवन (पी.ई.बी.) तथा ढांचे के निर्माण’ का कार्य ₹ 0.56 करोड़ में, तीन माह के भीतर कार्य पूर्ण करने की शर्त के साथ, एक एजेंसी को आवाटित किया (अगस्त 2007)। एजेंसी द्वारा नींव एवं पी.ई.बी. ढांचे के द्विजाइन एवं आरेखण प्रदान किए जाने अपेक्षित थे। एच.एस.ए.एम.बी. द्वारा सिविल कार्य निष्पादित किया जाना था।

ई.इ., एच.एस.ए.एम.बी. द्विजाइन, सोनीपत के अभिलेखों की जांच (मार्च 2010) ने प्रकट किया कि कार्य के आवंटन के पश्चात, कार्यकारी अधिकारी, मार्किट कमेटी को इस प्रयोजन हेतु नई सब्जी मणी में भूमि प्रदान करने हेतु कहा गया (अगस्त 2007)। उसने तथापि, मणी में भूमि की अनुपलब्धता के कारण अपनी असमर्थता दर्शाई। चूंकि परिवर्तित स्थान पर दी गई (अप्रैल 2008) भूमि निम्न क्षेत्र में थी, बेसमेंट निर्माण करने हेतु निर्णय किया गया। एजेंसी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा अनुमोदित सट्रक्चरल डिजाइन एवं आरेखण आपूरित किए थे (सितम्बर 2007) जो अन्य कोल्ड स्टोरेज के लिए भी कौँमन था। चूंकि मानक कौँमन डिजाइन तथा आरेखण परिवर्तित स्थान के लिए उपयुक्त नहीं थे, ई.इ. को, उपलब्ध भूमि के अनुसार ले - आऊट प्लान /साइट प्लान का अनुमोदन करवाने हेतु कहा गया। इतने में एजेंसी ने प्री-इंजीनियरड भवन सट्रक्चर आपूरित किया (जुलाई 2008) तथा जुलाई 2008

3.2.6 የሚገኘውን ተርጓሜ፣ አካላት ተ ቅዱቷል ስለሚገኘው አባላት ጥሩ


جyllat qayla qayla qayla qayla qayla qayla qayla qayla (31/12/2011) ١٢

لِهَذِهِ الْأَسْنَادِ لِمَنْ يُرِيدُ إِلَيْهِ مُرْسَلاً / وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُ / وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ

የኢትዮጵያ ፌዴራል/ስነድዎች

የኢትዮጵያ ዘመን ስራውን አገልግሎት ተቋርጥ ይችላል (ማተሚያ 2011) በኋላ

12 1149 121 125 115116 1213116 146 1249 1126 11621114916



የክፍል የፌዴራል (፩፻፭፻), አንቀጽ ቁጥር ፩፻፭፻ ስት ያገኘውን ስነ የክፍል የፌዴራል (፩፻፭፻ 2009)

፩ 97.98 ዓላማ ቅዱ ማቅረብ መተዳደሪያ ከፌዴራል

የኢትዮጵያ የዚህ በቃል ነው እና ስለዚህ የሚገኘውን ማረጋገጫ ይፈጸማል

### लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शास्त्रवा)

#### 3.3.1 पेय जलापूर्ति को दृष्टिपक्ष करती निष्क्रिय हिच हेन

**प्रदूषणमुक्त पेय जल प्रदान करने के लक्ष्य से ₹ 10.28 करोड़ की लागत पर उपचारित / अनुपचारित निस्सरण ले जाने हेतु निर्मित एक हिच हेन हिस्चार्ज कार्यम रखने में विफल रही तथा परिचार्मी जमुना नहर जो राज्य तथा दिल्ली में बहुद जनसंख्या को पेय जल प्रदान करती है, में निस्सरणों को बहाया गया।**

हरियाणा कैनाल एवं हेनेज अधिनियम, 1974 की धारा 64 के अन्तर्गत सरकार ने सामान्य जनता के लिए जुलाई 2003 में एक आदेश जारी किया गया कि किसी व्यक्ति को कोई उपचारित / अनुपचारित व्यापार निस्सरण अथवा मल निस्सरण नहरों में छोड़ने हेतु अनुमत नहीं होगा।

यमुनानगर एवं जगाधरी के जुड़वां शहरों में चार मुख्य उद्योग<sup>7</sup> तथा अन्य लघु घरेलु उद्योग हैं

जिनको सीवरेज नहीं दिया गया था, अपने निस्सरण कुछ घरेलु व्यर्थ के साथ रीच डिस्ट्रेंस पर परिचार्मी जमुना कैनाल (डब्ल्यू.जे.सी.) मुख्य लाइन निम्नतर (एम.एल.एल.) में (आर.डी. 71,000 वार्ड और) छोड़ रहे थे। इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग (पी.एच.ई.जी.) भी दो सीवरेज उपचार संयंत्रों के माध्यम से उपचारित निस्सरण, दाई और 71,000 आर.डी. पर तथा वार्ड और 59,000 आर.डी. पर डब्ल्यू.जे.सी. में तत्सम्बन्धी नदी जल प्रदूषित करते हुए छोड़ा जा रहा था। हरियाणा एवं दिल्ली की बहुद जनसंख्या डब्ल्यू.जे.सी. का जल पेय प्रयोजनों हेतु प्रयोग कर रही थी तथा इसलिए, नदी में छोड़े गए निस्सरण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे।

इस समस्या को नियंत्रित करने के विचार से, सरकार द्वारा, 'धनोड़ा एसकेप' में गिरने वाली डब्ल्यू.जे.सी., एम.एल.एल. के साथ, यमुनानगर एवं जगाधरी के निस्सरणों के निपटान हेतु एक हिच हेन का निर्माण<sup>8</sup> परियोजना ₹ 13.71 करोड़ हेतु प्रशासनिक रूप से अनुमोदित की (जून 2007)<sup>9</sup>। परियोजना में डब्ल्यू.जे.सी., एम.एल.एल. की दाई और 71,000 आर.डी. से 60 क्यूंसेक क्षमता वाली एक अरेखाकित 23 कि.मी. लम्बी हिच हेन के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया। हिच हेन, उपचारित / अनुपचारित निस्सरणों को धनोड़ा एसकेप चैनल में ले जाने हेतु थी। धनोड़ा एसकेप चैनल अनन्ततः करनाल जिले में यमुना नहर में गिरती है। इस प्रकार निस्सरणों को यमुना नदी में गिरने से पूर्व 50 कि.मी. की दूरी पार करनी पड़ती थी, इसके परिणामस्वरूप निस्सरणों के अंश, वातन एवं अन्य अवसादन प्रभावों के कारण व्यापक रूप से तनुकृत हो जाते हैं। पी.एच.ई.जी. तथा निस्सरण छोड़ने वाले चार मुख्य उद्योगों को परियोजना की लागत अंशतः<sup>10</sup> बाटनी थी। सिंचाई विभाग द्वारा हिच हेन निर्मित की जानी थी जिसके लिए

<sup>7</sup> (i) बहारपूर उद्योग लिमिटेड, यमुनानगर, (ii) भारत स्ट्राई लिल, यमुनानगर, (iii) स्कॉटली शुगर लिल, यमुनानगर तथा (iv) हरियाणा विस्टिलर्सी, यमुनानगर।

<sup>8</sup> सीवरेज उपचार संयंत्र: (i) 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एम.एल.ई.) की क्षमता का तथा (ii) 10 एम.एल.ई. की। लागत निम्नवत वाली जानी थी:

(i) बहारपूर उद्योग : ₹ 6.76 करोड़, (ii) भारत स्ट्राई : ₹ 0.22 करोड़, (iii) हरियाणा विस्टिलर्सी : ₹ 1 करोड़, (iv) सरकनी शुगर लिल : ₹ 1.54 करोड़ तथा पी.एच.ई.जी. : ₹ 4.19 करोड़।

01

॥ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

፩፻፲፭ ዘመን ከፌ.ዚ.

የኢትዮጵያ/ኢትዮጵያውያንድ ቤትና የመንግሥት ስራውን እና በተደረገው ተከታታለሁ ተስፋል

የኢትዮጵያ 20 ዓ.ም. ማኅበር ቤት ከተማ  
የመሆኑን የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ  
የመሆኑን የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ  
የመሆኑን የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ የሚከተሉ

ወደፊት ተስፋይናንድ በተከሳሽ ተስፋይ


માનવ જીવન 75 પ્રચ્છાત્રી, જીવન/અનુભૂતિ 2007 ના ટે 8.52 કલેક્શન દ્વારા માનવ

የተከተለ በ2005 ዓ.ም ከተከተለ በ2005 ዓ.ም ከተከተለ በ2005 ዓ.ም ከተከተለ በ2005 ዓ.ም

### 3.3.2. የተከለ ተደራ ምተርች ተተካለ ይ ማሳያል እኩ ፕሮ

የኢትዮጵያ ማኅበር አስተዳደር, የሚከተሉ አገልግሎት, የኢትዮጵያ 2011 ዓ.ም.

میں اور، فتح نے 75.90 ملین روپے کی ادائیگی کیا تھا جس کے بعد 115 ملین روپے کا دفعہ اپنے لئے فتح کی طرف سے پردازی کیا گی۔ اسی طرح فتح کی ادائیگی کا مجموعہ 125 ملین روپے کی تھی۔



አዲስ አበባ (ማյի 2010) በትኩረት የመንግሥት ማዕከል መካከል ተወስኗል ተብሎ ተደርጓል

### लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग)

#### 3.3.3 पहले से ही सुरक्षित पेय जल मुहैया करवाए गए गांवों में जल शुद्धिकरण संयंत्रों के प्रतिष्ठापन

पेय जल आपूर्ति किए जाने वाले चौंतीस गांव जल शुद्धिकरण संयंत्रों के प्रतिष्ठापन हेतु चयन किए गए थे परन्तु शुद्ध जल की सुविधा का लाभ उठाने में गांवों की समुचित प्रतिक्रिया ने इन संयंत्रों पर किए गए ₹ 4.21 करोड़ के ल्यय को निष्फल बना दिया।

हरियाणा में जल गुणवत्ता प्रभावित गांवों में सुरक्षित पेय जल आपूर्ति करने के विचार से, राज्य सरकार ने, तीन जिलों के चयन किए गए 100 गांवों (कैथल - 30, झज्जर - 35 तथा महेन्द्रगढ़ - 35) के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस एवं सम्बद्धित प्रैदोगिकी पर आधारित एक परियोजना ₹ 11.25 लाख प्रति संयंत्र की दर पर ₹ 11.25 करोड़ की लागत पर संस्थीकृत की (जुलाई 2008<sup>21</sup>)। सभी उपकरणों एवं भाड़ारण प्रणाली के साथ सुरक्षित पेय जल संयंत्रों के प्रतिष्ठापन एवं चालू करने का कार्य जुलाई 2008 में ₹ 11.25 करोड़ में ऐसर्ज नंदी फाउंडेशन को आबादित कर दिया। सामुदायिक जल प्रणाली के परिचालन, अनुरक्षण एवं भरम्मत तथा अनुबूद्ध सेवा प्रभारों के संग्रहण तथा सुरक्षित पेय जल तथा हाइजीन कानूनेपटस बढ़ाने हेतु गतिविधियां करने के लिए एजेंसी जिम्मेदार थी। प्रथम वर्ष के दौरान फिल्टरह प्लोरीफाईड जल हेतु प्रभार ₹ 0.10 प्रति लीटर, आपसी समझौते के साथ आगे संशोधन के अध्याधीन निर्धारित किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पी.एच.ई.) विभाग द्वारा दृष्टवैल इत्यादि द्विल करवा कर अपरिवृत्त जल का स्रोत प्रदान किया जाना था। गांव, पी.एच.ई. विभाग द्वारा ऐसी के परमार्थ से चयन किए जाने थे।

समझौता नोट की शर्तें एवं निवधनों के अनुसार, ₹ 11.25 करोड़ का भुगतान ऐसी को समान राशि की बैंक गारटियों के प्रस्तुतिकरण पर दो किष्टों में किया गया। ₹ सात करोड़ की प्रथम किष्ट ऐसी को नवम्बर 2008 में दी गई तथा ₹ 4.25 करोड़ की दूसरी किष्ट अक्टूबर 2009 में दी गई। ऐसी ने अक्टूबर 2010 तक चयन किए गए तीन जिलों में 100 जल शुद्धिकरण संयंत्र प्रतिष्ठापित कर दिए।

पी.एच.ई. डिवीजन, कैथल, झज्जर एवं बहादुरगढ़ की लेखापरीक्षा (सितम्बर 2010 तथा जनवरी 2011) के दौरान यह अवलोकित किया गया कि 34 गांवों (कैथल - 13, झज्जर - 4 तथा बहादुरगढ़ - 17) में जहां, नलकूप आधारित जलापूर्ति को पहले ही नहर आधारित जलापूर्ति के साथ परिवर्तित कर दिया गया था, में जल शुद्धिकरण संयंत्र सुरक्षित पेय जल की पर्याप्ति जल की जारी रही थी। सुरक्षित प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एल.पी.सी.डी.) इन गांवों को आपूर्ति की जा रही थी। शुद्धिकरण संयंत्रों के प्रतिष्ठापन के बाद भी बहुत कम "गांव" इन संयंत्रों से जल प्रयोग कर रहे थे। इस प्रकार, शुद्धिकरण संयंत्र के प्रतिष्ठापन हेतु

<sup>21</sup> 21 गांवों में, शुद्धिकरण संयंत्रों से जल प्रयोग करने वाले गांवों की प्रतिशतता पांच से कम थी; सात गांवों में प्रतिशतता पांच और दस के बीच थुलकृति थी, तीन गांवों में यह दस और 20 के बीच थी तथा तीन गांवों में प्रतिशतता 20 और 28 के बीच थुलकृति थी।

इन गांवों का चयन आवश्यकता आधारित नहीं था तथा 34 शुद्धिकरण पम्पों/संयंत्रों के प्रतिष्ठापनों पर किया गया ₹ 4.21 करोड़ का व्यय अधिकांश निष्कल था।

इसके इगत किए जाने पर, कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), पी.एच.ई. डिवीजन, कैथल एवं ब्राजर ने संचित किया (मार्च एवं मई 2011) कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान पर्यावरण अपरिवर्त्त जल की अनुपलब्धता के कारण ये संयंत्र प्रतिष्ठापित किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 40 और 70 एल.पी.सी.टी. के मध्य शृंखलित जल की पर्यावरण गांवों को नहर आधारित जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति की जा रही थी। ई.ई., पी.एच.ई. मण्डल, बहादुरगढ़ ने प्रयोगकर्ताओं की अल्प प्रतिक्रिया, इन गांवों में नहर आधारित जलापूर्ति स्कीमों के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे सुरक्षित पेय जल को आरोपित की (जनवरी 2011)।

इस प्रकार, जल शुद्धिकरण संयंत्रों के प्रतिष्ठापन हेतु गांवों के चयन, जहां नहर आधारित स्कीमों के माध्यम से सुरक्षित पेय जल आपूर्ति किया जा रहा था, के परिणामस्वरूप ₹ 4.21 करोड़ का निष्कल व्यय हुआ। ये लाभ अन्य गांवों को, जहां भूमि जल पीने योग्य नहीं था, विए जा सकते थे।

आमला वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियानिकी शासवा को अगले 2011 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 2011)।

### 3.3.4 निक्षिक्य सीवरेज स्कीम

सिवानी कस्बे के लिए, ₹ 2.99 करोड़ व्यय करके निर्मित सीवरेज स्कीम, निपटान बिंदु के अनिर्माण तथा रिहायशियों को सीवर कैनेक्शनों की अपदाननी के कारण निक्षिक्य रही।

भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई (दिसम्बर 1993) सीवरेज, सीवेज एवं उपचार पर नियमावली ने प्रावधान किया कि व्यर्थ जल संग्रहण, उपचार एवं निपटान प्रणालियां डिजाइन करते समय योजना सामान्यतः अन्तिम निपटान बिंदु (अन्तिम छोर) से पीछे की ओर जाते हुए, टोपोग्राफी एवं उपलब्ध हाईड्रोलिक शीर्षों, यदि अनिवार्य हो तो पम्पिंग द्वारा आपूरित, के अनुकूल संघटित एवं आशापूर्ण डिजाइन आरम्भ किया जाना था।

भिवानी जिले में सिवानी कस्बे में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने के विचार से राज्य सैमीटरी बोर्ड, हरियाणा ने ₹ 5.71 करोड़ की एक स्कीम जुलाई 2007 में प्रशासनिक रूप से अनुमोदित की। अनुमान में स्कीमिंग चैम्बर, संग्रहण टैक्स, पप्प चैम्बरज, चारदीवारी के निर्माण तथा पम्पिंग गशीनरी, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट तथा स्टोनवेयर पाइप सीवर लाइनज बिछाने, निपटान स्थल पर निपटान बिंदु इत्यादि के लिए प्रावधान किया गया। अनुग्रान में, निपटान स्थल के लिए 2.5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रावधान सम्मिलित था। अनुपचारित सीवरेज जल का कच्चा सलेज अपवाहिका के माध्यम से सिंचाई हेतु खेतों में निपटान किया जाना था। फिर भी घरेलु सीवरेज के साथ औद्योगिक निस्तरणों के मिलने से सीवरेज जल हीई., पी.एच.ई. मण्डल, तोशाम द्वारा फसलों के लिए हानिकारक आना गया। अतः, सीवरेज उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) के निर्माण हेतु अन्य अनुमान ₹ 4.55 करोड़ के लिए प्रमुख अभियंता को जनवरी 2006 में

27 (3月 2011)

الى 2011 في المقابلة، ألم يدرك، بحسبه، أن الموقف الذي يتبناه

የኢትዮጵያ ቤትና የሚከተሉ ስራዎች በመስቀል ተከተለዋል እና ተከተለውን ይችላል ይሸጻል

The Archaeological Survey

አዲስ አበባ, የኢትዮጵያ ማኅበር ቤት, የኢትዮጵያ ማኅበር ቤት  
(አዲስ አበባ 2010) እና የኢትዮጵያ ማኅበር ቤት, የኢትዮጵያ ማኅበር ቤት  
የሚከተሉት ደንብ መካከል ይሰጣል፡፡

ይህ ማተሚያ በ 9.75 ነው ይታላቁ ይችላል እና የሚከተሉት ደንብ ያለበት ይረዳል (ማር 2011)।

## नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)

### 3.3.5 संघटित हाउसिंग एवं स्लम विकास कार्यक्रम – आशियाना

योग्य आवेदकों की सूची के अनित्म न करने के कारण ₹ 62.01 करोड़ व्यय करके पंचकूला में निर्मित 2,072 आवासीय इकाइयां दो वर्ष से खाली पड़ी थी। अम्बाला में, 1,640 इकाइयों का निर्माण, ₹ 55.49 करोड़ व्यय करने के पश्चात् भी गलत स्थान चयन के कारण, पूर्ण नहीं किया जा सका। इस प्रकार, झुग्गी वासियों के पुनर्वास तथा सरकारी भूमि खाली करवाने का प्रयोजन प्राप्त नहीं किया जा सका जिससे ₹ 117.50 करोड़ का व्यय निष्पलब बन गया।

#### 3.3.5.1 प्रत्तावना

स्लम वासियों को मूल सुविधाओं के साथ स्वास्थ्यकर लिंगिंग स्पेस प्रदान करने के विचार से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने, ‘संघटित हाउसिंग तथा स्लम डैवैलरज प्रोग्राम (आई.एच.एस.डी.पी.)’ ‘जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण निशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)’ भारत सरकार (जी.ओ.आई.), शहरी निर्धनता उन्मूलन एवं हाउसिंग मंत्रालय की स्कीम के अन्तर्गत आशियाना परियोजना अनुमोदित की (दिसंबर 2006)। स्कीम के अन्तर्गत, हुडा द्वारा दो कमरे वाले मकानों का, या तो सात प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर के साथ 20 वर्षों में भुगतान की जाने वाली भासिक किश्तों के भुगतान पर या सरकार द्वारा निर्णीत योग्यता भानदण्ड<sup>12</sup> पर आधारित भासिक लाइसेंस फीस पर, आवंटन करने हेतु, विभिन्न शहरी सम्पदाओं में निम्न लागत आवासीय इकाइयां निर्मित की जानी थी। वरियता सरकारी/हुडा भूमि के अतिक्रमकर्ताओं को दी जानी थी जो दीर्घ समय से विद्यमान झुग्गी/झोपड़ी कालीनी के विनियमन तथा निकासन से पूर्व विकल्पी शेल्टर प्रदान करने हेतु न्यायालों में चले गए थे।

मुख्य प्रशासक, हुडा पंचकूला कार्यकारी अभियंता, हुडा हिवीजन, अम्बाला के अभिभवों की सर्वीश (फरवरी 2010 तथा जनवरी 2011) ने निम्न अनियमिताएं प्रकट की:

#### 3.3.5.2 आवासीय इकाइयों के अनावंटन के कारण निर्धायों का अवरोधन

पंचकूला में, 7,114 झुग्गी वाले स्लम्स के 13 समूहों को तीन चरणों में पुनर्वासित करने हेतु आयोजना बनाई गई। प्रथम चरण में, 2,072 झुग्गी मालिकों को सैक्टर 20, 26, 28 एवं

<sup>12</sup> (i) न्यायालय भागीलों के अपीलकर्ताओं को प्रथम वरियता जिल्हाने 19 अप्रैल 1999 को पांच वर्षों से अधिक समय से हुआ भूमि को अधिकृत रूप से अधिकृत की हुई थी।  
(ii) दिनेष वरियता उन आवासियों/अधिभेदकर्ताओं को, जो 03 अप्रैल 2008 को पांच वर्षों से अधिक समय से हुआ भूमि का अधिकृत रूप से अधिभोग कर रहे थे।  
(iii) दुनिय वरियता उन आवासियों/अधिभेदों को, जो 01 अप्रैल 2003 को सरकारी/सरकारी एजेंसी भूमि का अधिकृत रूप से अधिभोग कर रहे थे।  
(iv) तत्त्वाचाल अधिकृत अधिभासी जिल्हाने हुडा/सरकारी/सरकारी एजेंसी भूमि का अतिक्रमण किया जिसने सड़क, जलपानी, सीधेज, पुनर इत्यादि आवधक सेवाओं को प्रभावित किया।  
(v) शेष आवासीय इकाइयां, योग्य जी.पी.एल. आवेदकों को लॉट्स के द्वारा आवित की जानी थी जैसा कि जिला शहरी एजेंसियों द्वारा अनियमित किया गया था।

፩፭፲፮ (፩፭፲፮) የፌዴራል ማስታወሻ አገልግሎት ተሸላለሁ ተሸላለሁ ተሸላለሁ ተሸላለሁ



33 گھریلی ہے، 1,640 اگرچہ 31,000 گھریلی (1,000 گھریلی 34 گھریلی 640 گھریلی 33

3.3.5.3 תכנית אובייקטיבית ותכליתית



3

(နှစ် 2011) မြတ်လုပ်များ၊ အရွယ်အစား၊ အဆင့်၊ အမြတ်ဆုံး နှင့် အမြတ်ဆုံး အကြောင်း

የኢትዮጵያ ተስፋዎች ከተሰጠው ስራው ተስፋዎች ከተሰጠው ስራው ተስፋዎች ከተሰጠው ስራው

၁၃၅

- 1,640 ምላቴያዊ የሆነዎች በትክክል የሚከተሉ ነው (መ 2010) በዚህ የሆነዎች በትክክል የሚከተሉ ነው

89 የሆነዎች (180 ፕሮ-ጥረሰኑ በትክክል የሚከተሉ ነው) በዚህ የሆነዎች በትክክል የሚከተሉ ነው

1,640 ምላቴያዊ የሆነዎች በትክክል የሚከተሉ ነው (መ 2011)

99.5 የሆነዎች (180 ፕሮ-ጥረሰኑ በትክክል የሚከተሉ ነው) በዚህ የሆነዎች በትክክል የሚከተሉ ነው

በ 179) የሆነዎች በትክክል የሚከተሉ ነው (መ 3.41 ዓ.ም) 99.5 የሆነዎች (180 ፕሮ-ጥረሰኑ በትክክል የሚከተሉ ነው

## खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

### 3.3.6 कृषकों को भुगतान किए गए बोनस की वापसी का दावा करने में विलम्ब के कारण ल्याज की हानि

2008 की खरीफ ऋतु के लिए कृषकों को दिए गए बोनस का रिफण्ड दावा समयपूर्व करने में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की विफलता तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा रिफण्ड में विलम्ब के परिणामस्वरूप सरकार को ल्याज के कारण ₹ 2.04 करोड़ की हानि हुई।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग (एफ.एस.डी.), हरियाणा, भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की ओर से केंद्रीय पूल के लिए मणियों से धान प्राप्त करता है। तथा इसे मिल करवाने के पश्चात् परिणामी चावल एफ.सी.आई. को निर्धारित सारी के अनुसार वितरित करता है। भारत सरकार (जी.ओ.आई.), मिल चावल व्यापार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.), सावित्रिक प्रभार तथा अन्य प्रासादिक प्रभार निर्धारित करता है। इन दों के आधार पर विभाग, चावल की सुपुर्दग्गी के पश्चात् अनाजों की लागत तथा अन्य प्रभारों का प्रतिपूर्ति दावा एफ.सी.आई. से करता है।

चूंकि एफ.सी.आई. को वितरित स्टॉक में आवेदित नियिदों की बृहद् राशि थी तथा वस्तु में कोई विलम्ब सरकार की अधोधाय स्थिति को बुरी तरह प्रभावित करेगी, सरकार ने समय-समय पर बल दिया कि एफ.सी.आई. को वितरित स्टॉकस हेतु भुगतान उनसे, बिना किसी विलम्ब प्राप्त किए जाने चाहिए। संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डी.एफ.एस.सी.) द्वारा सुनिश्चित किया जाना था कि डिस्पैच किए गए स्टॉक हेतु दस्तावेज़/बिल जो एफ.सी.आई. को स्टाक के डिस्पैच/वितरण के प्रतिदिन (सांयंकाल में) सरकाल कार्यालय द्वारा प्राप्त किए जाते थे, एफ.सी.आई. को उनके कार्यालय में अगले दिन प्रस्तुत किए जाते थे तथा तदनुरूप भुगतान, उसी दिन बैंकिंग समय में, इससे प्राप्त किए जाते थे। खरीफ विषण्णन ऋतु 2008-09 के दौरान धान के क्रय हेतु सरकार ने ₹ 215.96 करोड़ का नकद ऋण संस्कैकूल किया जिसके विरुद्ध विभाग ने ₹ 200 करोड़ की नकद ऋण सीमा का लाभ उठाया।

जी.ओ.आई. ने खरीफ ऋतु 2008 के लिए एम.एस.पी. के ऊपर धान पर ₹ 50 प्रति विवर्तल का ग्रोत्साहन बोनस घोषित किया (अक्टूबर 2008)। ग्रोत्साहन बोनस का भुगतान इस शर्त से अस्वीकृत था कि सरकार बोनस को वैट सहित सभी राज्यकरों एवं उद्यग्यहों से छूट देगी। राज्य एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया जाना था कि बोनस की राशियां वस्तुतः कृषकों को भुगतान की गई थीं।

पांच और एफ.एस.सी.जे<sup>14</sup> की लेखापरिषक्ता (अक्टूबर/नवंबर 2009) के दैरान यह अवलोकित किया गया कि खरीफ सीजन 2008 के दैरान प्राप्त किए गए धान के विरुद्ध कृषकों को ₹ 22.06 करोड़ की राशि के बोनस का भुगतान किया गया। कृषकों को प्रदत्त बोनस की प्रतिपूर्ति हेतु दावे, जो एफ.सी.आई. को 31 मार्च 2009 से पूर्व प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे,

<sup>14</sup> अम्बाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा सिरस।

1122 ԵՐԻԿԻՑ ՀՎԻՃ

፳፻፲፭ ተጠቃሚነት ስለ ተስፋዕስ ተስፋዕስ ተስፋዕስ ተስፋዕስ ተስፋዕስ ተስፋዕስ

3.3.7. Եսկար լեռների մի մասը պահպանության տակ է գտնվում:

(ወጪ መነሻው የተደረገ በዚህ ነገር እና ተብሎ የሚከተሉትን) የሚከተሉትን ነገር እና ተብሎ

Digitized by srujanika@gmail.com on 2011-07-31 11:41:11

የኢትዮጵያ የፌዴራል ተቋማ, ይካሳዎች ተቋማ, የፌዴራል ማረጋገጫ (ጥር 2011)

150 112

የኢትዮጵያ ሚኒስቴር በመተዳደሪያ የፌዴራል አገልግሎት የሚከተሉት ደንብ በቻ ተስተካክለ ይረዳል፡፡

תְּמִימָנָה, תְּמִימָנָה, תְּמִימָנָה - I, תְּמִימָנָה - II, תְּמִימָנָה

91

۱۶-۱۷ (۱۷-۱۶) میان مالک و مالک مالک

112 124

11. የሸጭ ተደርሱ ማቅረብ ከተማዎች አካል

2007-08 ରୁ 2011-12 (ସାଲିକା 2011) ରୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ 10,761 ମିଲିଅର୍ଥାତ୍ ଏବଂ  
1,360 ମିଲିଅର୍ଥାତ୍ ଏବଂ ୨,696 ମିଲିଅର୍ଥାତ୍ ଏବଂ

The first was to be the life of the river.

ብዕለም ችል የሚችለ ጥሩ በዚህ ስንጻ ተከራክሯል ችል አማካይ ተስፋል ተስፋል ተስፋል  
በዚህ ስንጻ ተከራክሯል ችል አማካይ ተስፋል ተስፋል ተስፋል ተስፋል ተስፋል ተስፋል

• ፲፭፻፭

አዲስ አበባ 34 ዓ.ም. ማረጋገጫ ተቻል እና ተስፋል

תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה

- 33,646 ዓ.ም. በመ.ቁጥር 17,552 ማተሚያ ተቀብሱ ቀበሌበት ቀበሌበት 2007-08 ዓ.ም. 2011-12  
 (ማዕቀት 2011 ዓ.ም.) በክልል አካላት የሰነድ ጥቅምት  
 የዚህ ደንብ በመ.ቁጥር 2011 ዓ.ም. ተቀብሱ ተቋሙ ይችላል  
 ተ2.10 የዚህ ደንብ ተቀብሱ ይችላል  
 የዚህ 2011 ዓ.ም. የሰነድ ይችላል  
 ተ2.10 የዚህ ደንብ ተቀብሱ ይችላል

19 ዓ.ም. በመ.ቁጥር 17,552 ማተሚያ ተቀብሱ ተቋሙ ይችላል  
 (ማዕቀት 2011 ዓ.ም.) በክልል አካላት የሰነድ ጥቅምት  
 የዚህ ደንብ በመ.ቁጥር 2011 ዓ.ም. ተቀብሱ ተቋሙ ይችላል  
 ተ2.10 የዚህ ደንብ ተቀብሱ ይችላል

•

## अध्याय 4

सरकारी विभाग  
की कार्यविधि



## अध्याय – 4

### सरकारी विभाग की कार्यविधि

### पशुपालन एवं डेरी - उद्योग विभाग की कार्यविधि

#### 4.1 पशुपालन एवं डेरी - उद्योग विभाग की कार्यविधि

##### विशिष्टताएं

पशुपालन एवं डेरी विभाग के मुख्य उद्देश्य, देशी जनस्रों के उत्थान एवं संरक्षण, पशु आहार की नियन्त्रित युणिकना, दुग्ध एवं दुध उत्पादों और डेरी व्यवसाय के माध्यम से स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए पशुधन हेतु स्वास्थ्य देव तथा प्रजनन सुविधाएं प्रदान करना है। विभाग की कार्यविधि की लेखपरिका में प्रकट किया कि दुग्ध, अण्डे एवं ऊन के उत्थान को बढ़ाने के लिए लक्ष्य घारहवाँ फंच वर्षीय योजना में निर्धारित किए गए थे लेकिन 2007 की पशुधन गणना के अनुसार पशुधन की संख्या को बढ़ाने हेतु कोई लक्ष्य स्थापित नहीं किए गए। निधियों को सरकारी लेवे से बाहर रखने, उपयोगिता प्रमाण - पत्रों की अप्राप्ति, मुर्गीपालन, सुअर पालन तथा डेरी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मन्त्र गति और पशु आहार, दुग्ध एवं दुध उत्पादों की युणिकना पर अपर्याप्त नियंत्रण के दृष्टान्त थे इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा संस्थाओं के निर्माण, मरम्मत और नवीकरण से सबधित कार्यों के निष्पादन में योग्यता विलम्ब था।

निष्पादन अभिकरणों से ₹ 20.47 करोड़ के लिये के विवरण प्राप्त किए बिना ₹ 35.20 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण - पत्र भारत सरकार को भेज दिए गए थे।  
(अनुच्छेद 4.1.7.4)

विभाग द्वारा बीमा पौलिसी की शर्तों एवं विशर्तों की अपर्याप्त छानबीन के कारण 1,128 लाभभोगियों में से 281 लाभभोगी पशुधन बीमा दावे प्राप्त नहीं कर सके थे।  
(अनुच्छेद 4.1.7.6)

मुर्गी विकास योजना के अन्तर्गत लाभभोगियों को ₹ 2.73 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अधिक दी गई थी।  
(अनुच्छेद 4.1.8.2)

प्रतिस्पर्धात्मक दस्तों के प्राप्त करने में निर्धारित प्रक्रिया अपनाएं बिना ₹ 14.35 करोड़ की लागत पर कृत्रिम गर्भधान सेवाएं बाह्य स्रोत से थी।  
(अनुच्छेद 4.1.8.3)

॥ੴ ਪਾਲਿਤ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ)



ארכיאולוגיה

(31st Dec 2017)

תְּמִימָנָה תְּמִימָנָה תְּמִימָנָה תְּמִימָנָה תְּמִימָנָה תְּמִימָנָה

(313282 4.1.9.1)

(317282 4.1.8.9)

ପାଦମୁଖ କିମ୍ବା ପାଦମୁଖ କିମ୍ବା ପାଦମୁଖ କିମ୍ବା ପାଦମୁଖ

(317282 4.18.8)

374 **תְּמִימָה** תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה  
375 **תְּמִימָה** תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה

• **የተለያዩ ተቋማዎች እና ስራው በተለያዩ ቀን መሆኑን የሚያስፈልግ ይችላል፡፡**

4.1.3 არაექიტექტონიკური მდგრადი

1996 ରୁ କାହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

4.1.2 תְּלִוָּתָהָבָבָה

የኢትዮ-ፌዴራል የኢትዮ-ፌዴራል (የተዘረዘሩት ተከታታይ ነው) (የጥርጉት 4.2)

- सरकार के अधिनियम, नियम तथा विनियम और विभागीय नियमावली;
- पंजाब बजट नियमावली के प्रावधान और पंजाब वित्त नियम/कोषालय नियम जो हरियाणा द्वारा अपनाए गए, और
- विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग, आन्तरिक लेखापरीक्षा और सतर्कता के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं।

#### 4.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

विभाग की कार्यविधि से सबधित 2008 - 11 वर्षों के लिए अभिलेख की नमूना - जांच पंचकूला स्थित डी.जी. के कार्यालय और में से 26 क्षेत्र कार्यालयों (परिशिष्ट 4.3) में की गई।

अप्रैल 2011 में एफ.सी.पी.एस., पश्चपालन एवं डेरी विभाग तथा डी.जी. के साथ एक आरम्भिक सम्मेलन किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा आपवण्ड लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई थी। अगस्त 2011 में एफ.सी.पी.एस. तथा डी.जी. पश्चपालन एवं डेरी विभाग के साथ एक समापन सम्मेलन किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों पर चर्चा की गई थी निष्पादन लेखापरीक्षा को अनित्म रूप देते समय विभाग के अधिकारियों के भागों को ध्यान में रखा गया था।

#### लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

#### 4.1.6 योजना

पश्चुद्धन की संख्या बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

#### 4.1.6.1 पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजनाएँ

विभाग ने अपने ध्येयों एवं उद्देश्यों की उपलब्धियों के लिए यारहबीं पंचवर्षीय योजना (2007 - 12) के संदर्भ में अपनी गतिविधियों (परिशिष्ट 4.4) की योजना बनाई। वार्षिक कार्यक्रम तैयार किये गये थे जिनमें विभिन्न गतिविधियों के लिए लक्ष्य नियत किये गये थे तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये बजट अनुमान तैयार किये गये थे। यह देखा गया की क्षेत्र में विद्यमान पशु चिकित्सा मूल संचना के निर्धारण हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। आगे, वार्षिक योजनाएँ जिला कार्यालयों से फीड बैक पर आधारित नहीं थी। डी.जी. ने बताया (जून 2011) कि मानव - शक्ति, सामग्री और विद्यमान पशु चिकित्सा मूलभूत संचना की आवश्यकता के सम्बन्ध में न तो विस्तृत डाटाबेस उपलब्ध था और न ही आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिये सर्वेक्षण संचालित किया गया था।

यारहबीं पंचवर्षीय योजना की छानबीन ने प्रकट किया कि विभाग ने दुग्ध, अणे और ऊन के उत्पादन के संबंध में भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए थे तोकिन पशुधन की संख्या में वृद्धि हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे। यह देखा गया कि अनित्म पशुधन गणना 2007 के अनुसार

भैंस, भेड़ और ऊँटों आदि की संख्या में कमी थी। तथापि, मुर्गी और अन्य जानवरों की संख्या दो गुणी थी जैसा कि नीचे विवरणित है:

**तालिका: 1 पशुधन, मुर्गी तथा अन्य जानवरों की स्थिति**

क्र.सं.	वर्ग	17वीं पशुधन गणना 2003 के अनुसार (हजारों में)	18वीं पशुधन गणना 2007 के अनुसार (हजारों में)	वृद्धि (+) कमी (-) (हजारों में)
<b>पशुधन</b>				
1	पशु	1,540	1,552	(+) 12
2	भैंस	6,035	5,953	(-) 82
3	भेड़	633	601	(-) 32
4	बकरी	460	538	(+) 78
5	सुअर	120	134	(+) 14
6	ऊंट	50	39	(-) 11
7	अन्य (धोड़, एट, खच्चर, मधे तथा कुने)	605	233	(-) 372
	<b>कुल पशुधन</b>	<b>9,443</b>	<b>9,050</b>	<b>(-) 393</b>
8.	मुर्गी तथा अन्य जानवर	13,619	28,785	(+) 15,166

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

विभाग को राज्य में पशुधन की संख्या बढ़ाने हेतु लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए थे। विभाग के पास पशुधन की संख्या से संबंधित उपलब्ध अन्तिम आंकड़ा मात्र 2007 का था। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि विभाग का जोर पशुधन की गुणवत्ता के सुधार पर था न कि संख्या बढ़ाने पर। समापन सम्मेलन के दौरान यह भी बताया गया कि पशुधन की संख्या में कमी के बावजूद पशु उत्पादों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हुई थी। तथापि, यह महसूस किया गया कि आगे आने वाले लम्बे समय में पशुधन की संख्या में वृद्धि के बिना दुग्ध, ऊन आदि के उत्पादों में वृद्धि संभव नहीं होगी।

#### 4.1.7 वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

बजट प्रत्येक विभाग के लिए वार्षिक वित्तीय कार्य सूची निर्धारित करता है और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इस लिए यह अनिवार्य है कि बजट की तैयारी पूर्ण सावधानी व कर्मिष्ठता से व्यक्त हो। सुस्पष्ट प्रतिपादित लक्ष्यों के विरुद्ध व्यय की प्रगति मानीटर करना महत्वपूर्ण प्रबंधन निरीक्षण कार्य है। अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण के परिणामस्वरूप न केवल दुर्लभ वित्तीय संसाधनों का अक्षम उपयोग होता है बल्कि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में भी बाधा डालता है।

##### 4.1.7.1 बजट प्रावधान तथा व्यय

पंजाब बजट नियमावली, जो हरियाणा द्वारा अपनाई गई है, के पैरा 5.3 के अनुसार सामान्य व्यय के लिए बजट प्रावधान जहां तक संभव हो ठीक ठाक बनाए जाने चाहिए। व्यय की समस्त मदें जिनका पूर्वाभास हो सके का प्रावधान किया जाना चाहिए उचित उप-शीर्षों के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए विभाग शीर्ष 2403 - पशुपालन और 2404 - डेरी विभाग के अन्तर्गत योजनागत और योजनेत्तर निधियां प्राप्त कर रहा था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से भी शीर्ष 2401 फसल पालन

के अन्तर्गत निधियां प्रदान की गई थी। 2008-11 के दौरान इन शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान और व्यय के विवरण निम्न प्रकार थे:

**तालिका 2: बजट प्रावधान तथा व्यय**

(₹ करोड़ में)

	2008-09		2009-10		2010-11		योग	
	अन्तिम अनुबंध/ विनियोजन	व्यय						
<b>2403</b>								
राज्य योजनागत	50.21	52.25	44.94	48.32	50.32	49.59	145.47	150.16
राज्य योजनेतर	191.18	185.83	232.48	240.55	247.24	248.96	670.90	675.34
केन्द्रीय योजनागत	1.97	1.96	0.98	0.97	0.93	0.94	3.88	3.87
केन्द्रीय योजनागत हिस्सा आधारित	4.34	4.66	3.09	3.06	1.84	1.84	9.27	9.56
<b>2404</b>								
राज्य योजनागत	2.12	2.18	2.01	2.19	2.05	2.05	6.18	6.42
राज्य योजनेतर	1.16	1.16	1.36	1.36	1.33	1.23	3.85	3.75
<b>2401</b>								
राज्यविधि (सहायतानुदान)	10.52	10.52	23.12	22.51	34.20	34.20	67.84	67.23
योग	<b>261.50</b>	<b>258.56</b>	<b>307.98</b>	<b>318.96</b>	<b>337.91</b>	<b>338.81</b>	<b>907.39</b>	<b>916.33</b>

स्रोत: विनियोजन लेखे।

डी.जी. ने सूचित किया (अगस्त 2011) कि 2009-10 के दौरान अधिक व्यय मुख्यतः छठे वेतन आयोग की अनुशंसा पर कर्मचारियों के बकाया वेतन के भुगतान के कारण था जिसके लिए बजट में उचित प्रावधान नहीं किया गया था। 2010-11 के दौरान बचत मुख्यतः एकीकृत मुर्हा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत थी जिसके लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुई थी। इसी तरह अन्य केन्द्रीय सहायतित स्कीम ए.एस.सी.ए.डी.<sup>2</sup> के अन्तर्गत ₹ 3.37 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि भारत सरकार द्वारा टीकों की आपूर्ति लागत रहित की गई थी। आगे, भेड़ एवं ऊन विकास स्कीम के अन्तर्गत ₹ 30 लाख की बचत भारत सरकार द्वारा निधियों के निर्मुक्त न करने के कारण थी।

#### 4.1.7.2 निधियों को सरकारी लेखे से बाहर रखना

सरकारी लेखे से बाहर निधियां बैंक खातों में रखी गई थीं।

पंजाब वित्त नियमावली, जो हरियाणा में लागू है, का अनुच्छेद 2.10 (ख)(5) प्रावधानित करता है कि कोषालय से कोई भी राशि आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक इसके तुरन्त भुगतान की आवश्यकता न हो। आगे वित्त विभाग ने ममेकित निधि से धन राशि आहरित करने और किसी भी रूप में सरकारी लेखे से बाहर रखने पर रोक लगा दी थी (मार्च 2009)। यह देखा गया कि 18 आहरण एवं सवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओज) ने विभिन्न स्कीमों से संबंधित निधियों को आवश्यकता के अग्रिम में कोषालय से आहरित किया था और उन्हें बैंक खातों में रखा था। ₹ 4.15 करोड़ राशि की निधियां सरकारी खाते से बाहर इन डी.डी.ओज (परिणिष्ठ 4.5) के बैंक खातों में रही (अप्रैल 2010 और जनवरी 2011 के बीच) उन पर अर्जित ₹ 13.68 लाख की राशि का ब्याज बैंक खातों में पड़ा था। आवश्यकता के अग्रिम में निधियों का आहरण और उनको बैंक खातों में रखना वित्तीय नियमों की अवहेलना थी।

<sup>2</sup> पश्च विमारियों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता।

#### 4.1.7.3 अग्रिमों का असमायोजना

डी.जी. ने आर.के.वी.वाई. के अन्तर्गत ₹ 4.76<sup>3</sup> करोड़ की राशि आहरित की थी (मार्च 2009 - मार्च 2010)। राशि एच.एल.डी.बी. तथा उपनिदेशक पशु पालन फतेहाबाद को कटड़ों की आपूर्ति, संगठित अध्ययन यात्रा, चारा बीज फार्म हिसार के सुदृढ़ीकरण आदि हेतु अग्रिम में दी गई थी। डी.जी. को संबंधित अधिकारियों से व्यय का विवरण अव्ययित राशि, यदि कोई है, के अभ्यर्पण सहित व्यय का विवरण प्राप्त करना अपेक्षित था। अभिलेख की नमूना-जांच के दौरान देखा गया कि निधियों आहरण के एक से दो वर्ष व्ययगत होने के बावजूद भी एच.एल.डी.बी./ उपनिदेशक पशुपालन फतेहाबाद से न तो अव्ययित राशि अभ्यर्पित करवाई गई थी और न ही व्यय का विवरण प्राप्त किया गया था जैसा कि नीचे विवरणित है:

- मार्च 2009 में आहरित ₹ 2.40 करोड़ की राशि एच.एल.डी.बी. को, मुर्हाह विकास स्कीम के अन्तर्गत किसानों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु ली गई राशि के समायोजना हेतु दी गई थी। तथापि, एच.एल.डी.बी. के अभिलेख के अनुसार एच.एल.डी.बी. से प्राप्त अग्रिम की राशि मात्र ₹ 2.10 करोड़ थी। इस प्रकार बोर्ड को ₹ 0.30 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण था।
- मार्च 2009 में आहरित ₹ एक करोड़ की राशि एच.एल.डी.बी. को 400 उत्तम मुर्हाह कटड़ों की पंचायतों को आपूर्ति करने हेतु दी गई थी। तथापि, पंचायतों के विवरण जिन्हें कटड़े आपूरित किए गए थे न तो विभाग के पास और न ही एच.एल.डी.बी. के पास उपलब्ध थे।
- ₹ 13 लाख की राशि एच.एल.डी.बी. को पशुधन प्रदर्शनी लगाने (₹ छ: लाख) और आर.के.वी.वाई. के अन्तर्गत अध्ययन यात्रा संगठित करने (₹ सात लाख) हेतु अग्रिम में दी गई थी (मार्च 2009)। यह देखा गया था कि ₹ 8.79 लाख की राशि अध्ययन यात्रा पर व्यय की गई और शेष ₹ 4.21 लाख की राशि एच.एल.डी.बी. के पास अव्ययित पड़ी थी।
- ₹ 13.77 लाख की राशि उपनिदेशक पशु-पालन एवं डेरी फतेहाबाद को अध्ययन यात्रा संगठित करने के लिए अग्रिम में दी गई थी (मार्च 2010)। तथापि, इस राशि के समायोजन हेतु संबंधित अधिकारी द्वारा समायोजन लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया था (अगस्त 2011)।
- ₹ 1.09 करोड़ की राशि हिसार में चार बीज फार्म के सुदृढ़ीकरण हेतु आहरित की गई थी (मार्च 2010)। इस में से ₹ 92.80 लाख की राशि चार दीवारी बनाने हेतु हरियाणा पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन (एच.पी.एच.सी.) के पास जमा करवा दी गई थी और शेष ₹ 16.20 लाख की राशि हरियाणा एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को उपकरणों की आपूर्ति हेतु अग्रिम में दी गई थी। तथापि, उन द्वारा अगस्त 2011 तक व्यय के विवरण/उपयोगिता प्रमाण - पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

<sup>3</sup>

मार्च 2009: ₹ 3.63 करोड़ और मार्च 2010: ₹ 1.13 करोड़।

#### 4.1.7.4 अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियां

विभाग हरियाणा ग्रामीण विकास निधि (एस.आर.डी.एफ.), बारहवे वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) की अनुशंसाओं पर राज्य में पशु चिकित्सा संस्थाओं की मरम्मत एवं नवीकरण हेतु, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) के माध्यम से भारत सरकार और किसी महामारी एवं बिमारियों जो बाढ़/अतिवृष्टि आदि के कारण होती है, के रोगनाशक उपचार के विस्तृ भवेशी धन की चिकित्सा देख-रेख हेतु निरोधी पशुचिकित्सा दवाइयों के क्रय हेतु राजस्व विभाग (शीर्ष: 2245 प्राकृतिक आपदाओं पर राहत) से भी निधियां प्राप्त करता है विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 3: अन्य स्रोतों से निधियां

(₹ करोड़ में)

		राजस्व विभाग	एच.आर.डी.एफ.	जी.ओ.आई.	योग
2008-09 से पहले	आवंटन	--	29.52	20.00	49.52
	ब्याज	--	29.52	20.00	49.52
2008-09	आवंटन	0.30	--	10.00	10.30
	ब्याज	0.30	--	10.00	10.30
2009-10	आवंटन	--	--	5.00	5.00
	ब्याज	--	--	5.00	5.00
2010-11	आवंटन	1.00	2.00	4.00	7.00
	ब्याज	1.00	2.00	4.00	7.00
योग	आवंटन	1.30	31.52	39.00	71.82
	ब्याज	1.30	31.52	39.00	71.82

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

उपरोक्त निधियों के वित्तीय प्रबंधन के अभिलेख की छान-बीन ने निम्नलिखित कमियां प्रकट की:

- **हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से प्राप्त निधियां**

एच.आर.डी.एफ. बोर्ड ने 159 असुरक्षित एवं अमरम्मत योग्य भवनों के पुनर्निर्माण हेतु विभाग को ₹ 31.52<sup>4</sup> करोड़ की निधियां प्रदान की (जुलाई 2007 से मई 2010)। अव्ययित राशि ब्याज सहित प्रबंधक निदेशक, एच.आर.डी.एफ. बोर्ड को वापिस की जानी थी।

डी.जी. के अभिलेख की छान-बीन ने प्रकट किया कि ₹ 31.52 करोड़ की समस्त राशि को बैंक खातों में रखा गया और जुलाई 2010 तक ₹ 89.91 लाख का ब्याज अर्जित किया। आगे ब्याज सहित राशि निधियों की प्राप्ति के दो से 8 माह के अन्तराल के पश्चात् कार्यों के निष्पादन के लिए संबंधित जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों (ए.डी.सी.) को सवितरित की गई। संबंधित जिलों के ए.डी.सी.ज ने एक से तीन माह के अन्तराल के पश्चात् निधियों को कार्यकारी अभियन्ताओं, पंचायती राज को निमुक्त की और निधियों को बैंक खातों में रख कर ब्याज भी अर्जित किया। ए.डी.सी. पानीपत को छोड़ कर किसी भी ए.डी.सी.ज ने अर्जित ब्याज वापिस नहीं किया क्योंकि उन द्वारा पृथक बैंक खाता नहीं खोला गया था। नमूना-जांच किए गए जिलों में से छः कार्यकारी अभियन्ताओं, पंचायती राज ने भी ₹ 63.32<sup>5</sup> लाख का ब्याज भी अर्जित किया।

<sup>4</sup> जुलाई 2007: ₹ 29.52 करोड़ और मई 2010: ₹ दो करोड़।<sup>5</sup> अम्बाला: ₹ 7.17 लाख, भिवानी: ₹ 5.39 लाख, हिसार: ₹ 13.64 लाख (₹ 6.15 लाख ए.डी.सी. हिसार को वापस किए, कैथल: ₹ 16.35 लाख, करनाल: 16.17 लाख और कुरुक्षेत्र: ₹ 4.60 लाख।

न तो विभाग और न ही एच.आरडी. एक बोर्ड ने अभिकरणों से अर्जित ब्याज वापिस करने को कहा। यहां तक कि निष्पादन अभिकरणों ने भी अपने आप उसे वापिस नहीं किया। यह अनियमित था और ब्याज एच.आरडी.एफ. बोर्ड को वापिस किया जाना चाहिए था।

#### ● बाहरवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर भारत सरकार के अनुदान

बाहरवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) की अनुशंसाओं के अनुसार विभाग ने 1,311 भवनों के सुधार हेतु 2006-11 के दौरान भारत सरकार से ₹ 39 करोड़ की राशि प्राप्त की। निधियां एच.एल.डी.बी. की व्यवस्था पर रखी गई थीं और आगे संबंधित जिलों के ए.डी.सी.ज के माध्यम से निष्पादन अभिकरणों को निर्मुक्त की गई थीं।

विभाग के डी.जी. के अभिलेख की छान-बीन ने प्रकट किया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.ज) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति से पूर्व, निधियों के वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित किए बिना निष्पादन अभिकरणों को निर्मुक्त किए गए अनुदान के आधार पर, वित्त विभाग के माध्यम से भारत सरकार को भेजे गए थे। उपयोगिता प्रमाण-पत्र निष्पादन अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय विवरण को जारी किए जाने थे।

आगे यह भी देखा गया कि 2006-10 के दौरान निर्मुक्त की गई निधियों में से बड़ी संख्या में व्यय के विवरण प्राप्त नहीं हुए थे जैसा कि विवरण नीचे दिया गया है:

**तालिका 4 : लम्बित व्यय के विवरण दर्शाने वाली**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निर्मुक्त निधियां	पूर्ण हए कार्य		अयथित राशि	न्यायालय प्रकरणों में लम्बित राशि	कुल लम्बित व्यय विवरण
		प्राप्त व्यय विवरण	अप्राप्त व्यय विवरण			
2008-09 से पहले	20.08	13.18	6.80	0.09	0.01	6.90
2008-09	10.05	1.25	8.80	-	-	8.80
2009-10	5.07	0.30	4.77	-	-	4.77
योग	35.20	14.73	20.37	0.09	0.01	20.47

स्रोत: महानिदेशक द्वारा आपूरित आंकड़े।

उपरोक्त से यह प्रमाणित है कि ₹ 20.47 करोड़ के व्यय विवरण निष्पादन अभिकरणों के विरुद्ध लम्बित थे। इस प्रकार विभाग द्वारा भारत सरकार को भेजे गए प्रमाण-पत्र झूठे एवं दुर्भिरपक्ष थे।

#### 4.1.7.5 दुग्ध अधिभार वसूल करने में विफलता

बोर्ड के पक्ष में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मई 2010 में निर्णय के बावजूद ₹ 61.31 करोड़ का दुग्ध अधिभार वसूल करना शेष रहा।

सरकार ने हरियाणा मुर्ह भैंस अन्य दुग्ध पशु नस्ल (पशुपालन एवं डेरी विकास क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास) अधिनियम 2001 की धारा 6 के अन्तर्गत दुग्ध संयंत्रों पर 10 पैसे प्रति लीटर प्रति दिन की दर से अधिभार लगाया (सितम्बर 2001)। अधिभार संयंत्रों की लाइसेंसिंग क्षमता के आधार पर त्रैमासिक वसूल करना अपेक्षित था। समय पर अधिभार जमा न करवाने पर दो प्रतिशत दण्ड भी लगाया जाना था। एच.एल.डी.बी. के अभिलेख की छान-बीन ने प्रकट किया कि 27 दुग्ध संयंत्रों ने 2002-11 के दौरान ₹ 83.29 करोड़ की देय राशि के विरुद्ध ₹ 21.98 करोड़ का अधिभार जमा करवाया। इस प्रकार दुग्ध संयंत्रों से ₹ 61.31 करोड़ का अधिभार वसूल करना शेष रहा।

एच.एल.डी.बी. ने सूचित किया (फरवरी 2011) कि राशि वसूल नहीं की जा सकी क्योंकि दुग्ध संयंत्र मालिक न्यायालय में चले गए थे, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जिसका निर्णय बोर्ड के पक्ष में मात्र मई 2010 में घोषित किया गया था और अधिभार की राशि को वसूल करने के प्रयास किए जा रहे थे। न्यायालय के मई 2010 में निर्णय के बावजूद राशि वसूल नहीं की गई (मार्च 2011)। डी.जी. ने सूचित किया (अगस्त 2011) कि एफ.सी.पी.एस. ने सभी उपयोक्तों को अर्धशासकीय पत्रों द्वारा लिखा था कि भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दोषी दुग्ध संयंत्र मालिकों से अधिभार वसूल करने सहायता विस्तार करें।

#### 4.1.7.6 पशुधन बीमा

भारत सरकार ने पशुधन मालिकों की, अपने पशुधन की मृत्यु के कारण किसी हानि से, रक्षा के उद्देश्य से एक पशुधन बीमा स्कीम चलाई थी। प्रारम्भ में भारत सरकार द्वारा स्कीम राज्य पांच<sup>6</sup> जिलों के लिए मार्गदर्शी आधार पर अनुमोदित की गई थी (2006-07) और आगे राज्य 10<sup>7</sup> जिलों तक विस्तारित की गई थी। स्कीम हिस्सा आधारित (केन्द्रीय हिस्सा 50 प्रतिशत, राज्य हिस्सा 25 प्रतिशत और लाभभोगी हिस्सा 25 प्रतिशत) क्रियान्वित की जानी थी। आगे चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु पशु चिकित्सकों को मानदेय के भुगतान और प्रचार पर व्यव भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था। विभाग द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन हेतु एच.एल.डी.बी. को नोडल एजेंसी बनाया गया था। वर्ष 2006-11 के दौरान एच.एल.डी.बी. ने स्कीम के लिए भारत सरकार से ₹ 10.32 करोड़ की राशि (2008-09: से पूर्व ₹ 5.32 करोड़, 2008-09: ₹ 1 एक करोड़, 2009-10: ₹ 1 तीन करोड़ और 2010-11: ₹ 1 एक करोड़) प्राप्त की। इस अवधि के दौरान सरकार को ₹ 4.91 करोड़ का अंशदान करना था। सरकार ने अपने अंशदान की ओर से मात्र ₹ 1.50 करोड़ (2008-09: ₹ 0.50 करोड़, 2009-10: एक करोड़) निर्मुक्त किए। इस प्रकार सरकार ने ₹ 3.41 करोड़ की राशि का कम अंशदान निर्मुक्त किया।

जिलों के संबंधित उपनिदेशकों के माध्यम से बीमा कंपनियों<sup>8</sup> को राशि अग्रिम में निर्मुक्त की गई थी। विभाग/एच.एल.डी.बी. के पास किए गए वास्तविक व्यव के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी। एच.एल.डी.बी. ने क्षेत्रीय कार्यालयों से वास्तविक व्यव प्राप्त किए बिना भारत सरकार को ₹ 10.19 करोड़ के यू.सी.जे प्रस्तुत किए, अतः तथ्यों को गलत प्रस्तुत किया गया।

**बीमा कंपनियों ने 281 दावे उन आधारों पर अस्वीकार किए जिनका निविदा में उल्लेख नहीं था।**

राज्य में पशुधन पालने में लगे अनुसूचित जाति के परिवारों के लाभ हेतु इसी तरह की अन्य स्कीम 'विशेष पशुधन बीमा स्कीम' शीर्ष से सरकार द्वारा 2007-08 में चलाई गई। स्कीम के अनुसार पशुधन का बीमा बीमा कंपनी द्वारा किया जाना था और मृत्यु के प्रकरण में दावों का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया जाना था।

अभिलेख की छान-बीन ने प्रकट किया कि निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों (रिलायंस और आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड), ने चार जिलों में 1,128<sup>9</sup> दावों में से 281<sup>10</sup> दावे (25 प्रतिशत)

<sup>6</sup> भिवानी, हिसार, झज्जर, जीन्द और रोहतक।

<sup>7</sup> फरीदाबाद, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, भेवात, महेन्द्रगढ़, पानीपत, सिरसा और सोनीपत।

<sup>8</sup> युनाईटेड बीमा कंपनी, ओरियंटल बीमा कंपनी, नेशनल बीमा कंपनी, आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड सामान्य बीमा और रिलायंस सामान्य बीमा।

<sup>9</sup> अन्बाला: 157 में से 44, हिसार: 305 में से 68, कैथल: 240 में से 65, करनाल: 426 में से 104

प्रसूति संबंधित बिमारियों, समय पर सूचना न देना, बिमार पशु, कुप्रबंधन आदि जैसे आधारों पर अस्वीकार किए। यह देखा गया कि निविदाएं प्रस्तुत करते समय इन बीमा कंपनियों ने इन आधारों पर बीमाकृत पशुओं के अनावृत हेतु ऐसी कोई धारा शामिल नहीं की थी। बीमा कंपनियों द्वारा शर्ते बीमा आवृत नोट पर शामिल की गई थी जिन्हें विभाग/एच.एल.डी.बी. द्वारा अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, इस पहलू पर विभाग की विफलता के कारण लाभभोगी, बीमा प्रीमियम के लिए अपना 25 प्रतिशत अंशदान देने के बावजूद भी, सरकार द्वारा प्रदत्त बीमा आवृत के लाभ से वचित थे।

#### 4.1.7.7 राजस्व लक्ष्यों की अनुपलब्धि

विभाग फार्मों से घेंटों, अण्डों, ऊन अन्य उत्पादों के विक्रय से राजस्व अर्जित कर रहा था। पशुपालन गतिविधियों के अन्तर्गत प्रक्षेपित राजस्व प्रावक्कलन 2010-11 के दौरान प्राप्त नहीं हो रहे थे जैसा कि नीचे विवरणित है:

तालिका 5 राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य एवं उपलब्धि

(₹ लाख में)

प्राप्ति शीर्ष	2008-09		2009-10		2010-11*		कुल	
	लक्ष्य	वास्तविक प्राप्तिया						
पशुपालन	262.00	255.92	300.00	445.27	415.00	131.69	977.00	832.88
देशी विभाग	निर्धारित नहीं	2.22	निर्धारित नहीं	4.08	निर्धारित नहीं	1.95	निर्धारित नहीं	8.25
योग		258.14		449.35		133.64		841.13

\* मिलान की शर्त के साथ विभागीय आंकड़े।

2010-11 के दौरान पशुपालन के अन्तर्गत प्राप्तियों में की 68 प्रतिशत थी।

डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि पशुपालन के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान राजस्व उद्ग्रहण में 68 प्रतिशत की कमी सुअर पालन और मुर्गीपालन फार्मों से, इन फार्मों को चलाने हेतु निधियों के कम आबंटन के कारण, कम प्राप्तियों के कारण थी। इसके परिणामस्वरूप पक्षियों/सुअरों का मूल स्टॉक घटाया जाना था। यह आभास किया गया कि विभाग को सुअर और मुर्गी पालन फार्मों को अच्छी तरह चलाने के लिए सरकार से निधियों का समुचित आबंटन करवाना चाहिए था।

#### 4.1.8 कार्यक्रम क्रियान्वयन

ग्राहकों पंचवर्षीय योजना के अनुसार विभाग ने 2012 तक 54.05 लाख टन दूध से 61.20 टन दूध, 14,198 लाख अण्डों से 25,722 लाख अण्डों और 13.60 लाख कि.ग्रा. ऊन से 23.52 कि.ग्रा. ऊन तक उत्पादन स्तर को लाने के लक्ष्य निर्धारित किए। भार्च 2011 तक इन लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियां निम्न प्रकार थीं:

तालिका 6: दुग्ध, अण्डे और ऊन का उत्पादन

मद	ल्ख	2008-09	2009-10	2010-11
		उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि
दुग्ध (लाख टनों में)	61.20	57.45	60.06	62.50
अण्डे (लाख में)	25,722	38,131.97	38,522.86	41,500
ऊन (लाख कि.ग्रा. में)	13.60	12	12.49	12.80

स्रोत: महानिदेशक द्वारा आपूरित आंकड़े।

ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में निर्धारित में दुर्घट और अपडॉट के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए।

जैसा कि उपरोक्त से प्रमाणित है कि ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में निर्धारित, उन उत्पादन के प्रकरण को छोड़ कर, उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में छेदों के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

विभाग ने 31 स्कीम क्रियान्वित की जिनमें से 17 राज्य योजनागत, 10 केन्द्रीय प्रयोजित और 4 केन्द्रीय योजनागत (हिस्सा आधारित) स्कीमें थी।

#### 4.1.8.1 राज्य पशुधन प्रजनन नीति

विदेशी प्रजनन के सतर के सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ा अनुरक्षित नहीं किया गया था।

जनवरी 2010 में अधिसूचित मवेशियों एवं भैसों के लिए राज्य पशुधन प्रजनन नीति में विचार किया गया कि देशी तथा भैसों की अनुरक्षित होना चाहिए। नीति में देशी मवेशियों तथा भैसों की अनुरक्षिकी पदोन्नति और दुर्घट तथा अन्य पशुधन उत्पादों की प्रमात्रा में बुद्धि पर भी विचार किया गया। यह भी विचार किया कि अव्यवस्थित प्रजनन और निम्न जनन दब्ब के प्रसार से बचा जाएगा और समस्त पशुधन संरक्षा को कृत्रिम गर्भाधान (ए.आई.) या प्राकृतिक गर्भादान (एन.आई.) के माध्यम से व्यवस्थित प्रजनन के अन्तर्गत लाया जाएगा। उद्योगों की प्राप्ति हेतु समस्त क्षेत्रीय पशुचिकित्सा सर्जनी तथा पर्यावरकी अधिकारियों को प्रजनन कार्यक्रम में मात्र गुणवत्ता सांडों के उपयोग का सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित था।

यह देखा गया कि 2007 में पशु गणना करते समय मवेशियों और भैसों के विदेशी प्रजनन से संबंधित आंकड़ा एकत्रित नहीं किया गया था। आंकड़े की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि विदेशी प्रजनन का सतर 50 प्रतिशत तक के स्तर का था। ही.जी. ने बताया (अगस्त 2011) पशुगणना के समय विदेशी प्रजनन के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए समलक्षणीयता<sup>10</sup> के कारण आंकड़ा एकत्रित नहीं किया जा सका और राज्य में 50 प्रतिशत विदेशी प्रजनन का सतर प्रजनन विधि सम्पुर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण और संकरण पशुओं के देशी सांडों के साथ संकटपूर्वज संकरण द्वारा अनुरक्षित रखा गया था। उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि विदेशी प्रजनन का आंकड़ा विदेशी प्रजनन के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए पशुगणना करते समय पशुमालिकों की सहायता से एकत्रित किया जा सकता था।

प्राकृतिक गर्भाधान का आंकड़ा अनुरक्षित नहीं किया गया था।

आगे यह भी देखा गया कि विभाग ने प्राकृतिक गर्भाधान का आंकड़ा अनुरक्षित नहीं किया था। ही.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि प्राकृतिक गर्भाधान भ्रमण करने सांडों के माध्यम से या विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को आपूरित गुणवत्ता वाले सांडों द्वारा किया जाता है लेकिन प्राकृतिक गर्भाधान को कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया गया था। इस प्रकार राज्य पशुधन प्रजनन नीति की आवश्यकता के अनुसार विभाग ने प्राकृतिक गर्भाधान का पर्यवेक्षण नहीं किया था।

विभाग द्वारा आपूरित सूचनानुसार 2008 - 11 के वर्षों के दौरान राज्य में 60 लाख कृत्रिम गर्भाधान के विकल्प 62.23<sup>11</sup> लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए थे। विभाग ने कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं अपनी संस्थाओं और वित्तानों की देहलीज पर अति निम्नदर ₹ 20 (संस्था पर और ₹ 70 (देहलीज पर) से प्रदान की। इसने संस्थाओं और देहलीज पर भी कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य निर्धारित किए थे। देहलीज पर कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित आंकड़े की छान - बीन ने

<sup>10</sup> जीव का भौतिक या जीव स्तरान दृष्टिकोण।

<sup>11</sup> 2008 - 09: 19,48,400, 2009 - 10: 24,37,600, 2010 - 11: 22,37,100.

प्रकट किया कि 2008-11 के दौरान 10.89 लाख कृत्रिम गर्भाधान के लिए देहलीज पर सेवाएं प्रदान करने के लख्य के विरुद्ध 0.65 लाख कृत्रिम गर्भाधान के लिए सेवाएं प्रदान की गई थी जो कि मात्र लक्ष्य का छः प्रतिशत था। जींद और पंचकुला जिलों में उपलब्धि मात्र शून्य प्रतिशत थी। डी.जी. ने बताया (मई 2011) कि राज्य में पशु चिकित्सा संस्थाओं के सघन स्थापित नेटवर्क ने देहलीज पर ए.आईज की संव्या में निम्नता ला दी थी। क्योंकि समस्त रूप से कृत्रिम गर्भाधान की उपलब्धि लक्ष्यों से उच्चतर थी और कमी मात्र देहलीज पर गर्भाधान के संबंध में थी, देहलीज पर ए.आईज करने की संभावना और उसे संस्था पर करना दिखा कर प्रति कृत्रिम गर्भाधान की ₹ 50 की दर के अन्तर के दुर्विनियोजन को वर्जित नहीं किया जा सकता। एफ.सी.पी.एस. पशुपालन एवं डेरी विभाग ने दुर्विनियोजन की संभावना को स्वीकारते समय समाप्त सम्मेलन के दौरान विश्वास दिलवाया कि प्रक्रिया को कारगर बनाया जाएगा और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

#### 4.1.8.2 मुर्हा विकास स्कीम

मुर्हा भैंस 21वीं सदी पशु के रूप में मान्य हो चुकी है और विश्व की इस उत्तम भैंस नस्ल का गृह स्थल होने पर राज्य को गर्व है। न केवल भारत के अन्दर बल्कि देश से बाहर भी इस उच्च उत्पादन करने वाली नस्ल की अत्याधिक मांग है। बहुत से राज्य अपनी निम्न उत्पादन वाली भैंस की परोन्नति के लिए हरियाणा से प्रजनन स्टॉक की अधिप्राप्ति करते हैं। इस उच्च दुग्ध उत्पादन करने वाली किस्म यानी मुर्हा को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विभाग, मुर्हा विकास स्कीम के अन्तर्गत 2006-07 से ऐसी भैंसों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रहा था।

उच्चतर दरों पर  
प्रोत्साहन का भुगतान  
करने के फलस्वरूप  
₹ 2.73 करोड़ का  
अधिक भुगतान हुआ।

2007-08 में भैंसों जिन्होंने 11 कि.ग्रा. से अधिक दुग्ध उत्पादन दिया, के मालिकों को प्रोत्साहन राशि दी गई (11 कि.ग्रा. और 15 कि.ग्रा. के बीच दुग्ध देने वाली भैंस के लिए ₹ 3,000, 15 और 20 कि.ग्रा. के बीच दुग्ध देने वाली के लिए ₹ 6,000 और 20 कि.ग्रा. से अधिक दुग्ध देने वाली के लिए ₹ 10,000)। सितम्बर 2008 में हुई एक रैली में मुख्यमंत्री के घोषणा के आधार पर प्रोत्साहन की दरों को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया जो मई 2009 में अनुमोदित हुआ बशर्ते कि 13 कि.ग्रा. से अधिक दुग्ध देने वाली भैंस के मालिक को 13-16 कि.ग्राम के लिए ₹ 5,000, 16-19 कि.ग्रा. के लिए ₹ 10,000 और 19 कि.ग्रा. से अधिक के लिए 15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग द्वारा सितम्बर 2008 में की गई मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर, सरकार के औपचारिक आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना, मार्च 2009 में प्रोत्साहन की वृद्धिक दरों<sup>12</sup> से भुगतान कर दिया गया। इस अनियमित कार्यवाही के परिणामस्वरूप ₹ 2.73<sup>13</sup> करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि प्रोत्साहन की वृद्धिक दरों की व्यवेत्तर स्वीकृति का मामला सरकार के विचाराधीन था।

आगे यह भी देखा गया कि स्कीम के अन्तर्गत प्रोत्साहन के भुगतान के लिए निधियों का आहरण वित्तीय वर्ष के अन्त में किया गया और सरकारी लेखे से बाहर बैंक खातों में रखी गई

<sup>12</sup> 11 से 15 कि.ग्रा. के लिए ₹ 5,000, 15 से 20 कि.ग्रा. के लिए ₹ 10,000 और 20 कि.ग्रा. से अधिक ₹ 15,000

<sup>13</sup> भिवानी: ₹ 99.35 लाख, फतेहाबाद: ₹ 7.98 लाख, हिसार: ₹ 73.78 लाख, झज्जर: ₹ 71.72 लाख, कैथल: ₹ 4.11 लाख, करनाल ₹ 5.51 लाख, कुरुक्षेत्र ₹ 2.83 लाख और रेवड़ी: ₹ 7.95 लाख।

थी। नमूना-जांच किए गए 7 जिलों में ₹ 4.72<sup>14</sup> करोड़ की राशि मार्च 2010 में आहति की गई थी जो कि मार्च 2011 में सोनीपत में एक सार्वजनिक समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा वितरित की गई यानि निधियों के आहण के एक वर्ष बाद। इस प्रकार, मुख्यमंत्री के समारोह की प्रतीक्षा में निधियां एक वर्ष के लिए सरकारी खाते से बाहर रखी गई थी।

#### 4.1.8.3 कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की आकृतसोर्सिंग घोत

प्रतिस्पर्धात्मक दरों को लेने के लिए प्रक्रिया अपनाएं बिना ₹ 14.35 करोड़ की लागत से कृत्रिम गर्भाधान की आकृतसोर्सिंग थी।

जून 2006 में हुई एक बैठक में मैसर्ज जेके. ट्रस्ट, थाने ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री को अपनी एक परियोजना प्रस्तुत की जिसमें मुख्यमंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का आऊटसोर्सिंग भागदर्शी परियोजना के रूप में मेवात और शिवालिक क्षेत्रों में की जानी चाहिए। तत्पश्चात् विभाग ने यह कहते हुए कि मेवात और शिवालिक क्षेत्रों में लगे स्टॉफ ने अपने स्थानान्तरण करवा लिए और संस्थाएं स्टॉफ विहिन हैं, आऊटसोर्सिंग कृत्रिम गर्भाधान हेतु सरकार को एक प्रस्ताव भेजा (अक्टूबर 2006)। एससीपीएस, पश्चालन एवं डेरी-उद्योग विभाग ने इच्छा व्यक्त की (फरवरी 2007) कि आऊटसोर्सिंग कृत्रिम गर्भाधान के लिए रुचि की अधिव्यक्तियां भागी जानी चाहिए। तत्पश्चात नवम्बर 2007 में रुचि की अधिव्यक्तियां भागी गईं और तीन एन.जी.ओज (ग्राम स्वराज संस्थान हिसार, बी.एल.एफ. विकास अनुसंधान फाउंडेशन, नई दिल्ली और मैसर्ज जेके. ट्रस्ट, थाने) ने परियोजना को लेने में अपनी रुचि व्यक्त की। मैसर्ज जेके. ट्रस्ट, थाने को छोड़ कर एन.जी.ओज के आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिए कि उन द्वारा ऐसे कार्य के अनुभव / क्षमता / निर्भरता / तकनीकी ज्ञान / प्रवीणता के संबंध में सूचनाएं / प्रमाण - पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। तथापि, अभिलेख के छान - बीन ने प्रकट किया कि उन द्वारा ये प्रलेख प्रस्तुत किए गए थे। बी.एल.एफ. विकास अनुसंधान फाउंडेशन नई दिल्ली की रुचि की अधिव्यक्तिसे यह भी देखा गया कि एन.जी.ओ. कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में 1970 से कार्य कर रहा था और उनकी परियोजना 12 राज्यों में चल रही थी। दो एन.जी.ओज के प्रस्तावों को गलत अस्वीकार किया गया। रुचि की अधिव्यक्तिको अस्वीकार करने का दूसरा कारण था कि एन.जी.ओज ने अपनी रुचि की अधिव्यक्ति पर चिचार करने के लिए डिगांड ड्राफ्ट नहीं किया था। इनी बड़ी राशि से आवेस्तित परियोजना हेतु बांडिया प्रतिस्पर्धात्मक बोली सुनिश्चित करने के लिए इस लघु शामले को एन.जी.ओज के साथ सरकार द्वारा सुलझाया जा सकता था। उनसे परियोजना प्रस्ताव भी नहीं आगे गए थे। विभाग ने भेवात और शिवालिक क्षेत्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं हेतु 145 केन्द्र (भिवात: 115, शिवालिक 30) स्थापित करने के लिए अगस्त 2008 में मैसर्ज जेके. ट्रस्ट के साथ एक अनुबंध किया। तत्पश्चात आरके.वी.वाई की राज्य स्तरीय संस्थीकृति समिति (एसएलएससी.) से परियोजना अनुमोदित करवाई गई थी (सितम्बर 2008)। तथापि, एसएलएससी. ने परियोजना इस शर्त के साथ अनुमादित की कि आऊटसोर्सिंग के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और निदेशक, केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान और राज्य डेरी अनुसंधान संस्थान के साथ विचार - विमर्श के पश्चात् विस्तृत विभाग निर्देश बनाए जाने चाहिए। तथापि, ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि विभाग पहले ही अगस्त 2008 में मैसर्ज जेके. ट्रस्ट के साथ अनुबंध कर चुका था। एक वर्ष के अन्दर केन्द्र स्थापित करने हेतु मार्च 2009 में ट्रस्ट को ₹ 2.84 करोड़ की राशि अग्रिम में दी गई थी।

<sup>14</sup> भिवाती: 174.55 लाख, फतेहाबाद ₹ 16.40 लाख, विसार: ₹ 133 लाख, झज्जर: ₹ 100 लाख, करनाल: ₹ 23.35 लाख, कुलमें: ₹ 13.35 लाख और रेवाड़ी: ₹ 11.70 लाख।

बछड़े/बछड़ियों के जन्म के लक्षणों की उपलब्धि मात्र पांच प्रतिशत थी।

लक्षणों के अनुसार मार्च 2011 तक प्रथम वर्ष में 11,600 बछड़े/बछड़ियों की और (मार्च 2015 तक) 5 वर्षों 87,000 बछड़े/बछड़ियों की प्रत्याशा थी जिसके विरुद्ध प्रथम वर्ष में आव 541 बछड़े/बछड़ियों की उपलब्धि थी। इस प्रकार, ट्रस्ट द्वारा लक्ष्यों की उपलब्धि मात्र पांच प्रतिशत थी।

समापन सम्मेलन के दौरान ही.जी. ने बताया कि गर्भधान के पश्चात बछड़े/बछड़ियों के लिए न्यूनतम 10 महीने अपेक्षित थे और बछड़े/बछड़ियों में कभी कृत्रिम गर्भधान केन्द्रों को वित्तम्ब से स्थापना के कारण थी। अधिकेत्व की छान-बीन ने प्रकट किया कि मैसर्ज जेके. ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट मार्च 2011 की थी जो 93 कृत्रिम गर्भधान केन्द्र स्थापित करने के 18 से 22 माह पश्चात थी, जैसा कि केन्द्र मई 2009 और अगस्त 2009 के बीच स्थापित किए गए थे। इस प्रकार कृत्रिम गर्भधानों की प्रगति लक्ष्य तक नहीं थी।

इस तथ्य के बावजूद कि ट्रस्ट का निष्पादन अप्राप्यत था विभाग ने रुचि की अभियुक्ति मार्गे लिना और वही प्रक्रिया, यानि मुख्यमन्त्री को अक्टूबर 2010 में प्रस्तुतिकरण और उसके पश्चात आर.के.वी.वाई. की राज्य सरीय संस्कृति समिति का अनुमोदन प्राप्त करने, अपनाए लिना राज्य में 2,000 केन्द्र स्थापित करने हेतु ट्रस्ट के साथ अन्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया (विसंवर 2010) मार्च 2010 तक विभाग ट्रस्ट को ₹ 11.51 करोड़ अग्रिम है चुका था। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि ट्रस्ट को कार्य पूर्व अनुभव के आधार पर सौंपा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विसंवर 2010 में नया अनुभव करते समय ट्रस्ट का निष्पादन बहुत कम था और प्रतिस्पर्धात्मक दरों प्राप्त करने हेतु रुचि की नई अभियुक्ति मांगने की निर्धारित प्रक्रिया विभाग द्वारा अपनाई जानी चाहिये थी।

इस प्रकार जेके. ट्रस्ट को कृत्रिम गर्भधान स्थापित करने का कार्य, प्रक्रिया की अवहेलना करके और वित्तीय औचित्य के मानकों को दर किनार करके सौंपा गया था जो ट्रस्ट का अदेय सहायता दर्शाता है।

#### 4.1.8.4 मुर्गी विकास कार्यक्रम

पुरानी मशीनरी की उच्च अनुरक्षण लागत के कारण अंबाला में मुर्गी पालन कार्म में अपंज उत्पत्तिशाला का कार्य 2007 में रोक दिया गया था पुरानी मशीनरी की लागत अत्यधिक थी। क्योंकि चूजों का उत्पादन बंद कर दिया गया था, अपंज बाजार में बेच दिए गए थे। हिसार में अपंज उत्पत्तिशाला चल रही थी परन्तु चलाने की लागत बहुत उच्च थी और यह हानि उठा रही थी।

केन्द्रीय ग्रामोजित स्कैम 'राज्य मुर्गीपालन कार्मों को सहायता' के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में सरकार द्वारा ₹ 72.30 लाख (अंबाला: ₹ 40 लाख और हिसार: ₹ 32.30 लाख) की निधियां निर्मुक्त की थीं। स्वीकृति के अनुसार दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों को पैतृक स्टाक, आहार, दवाइया, टीकों के व्यय और विपणन हेतु 15 लाख की परिकमी निधियां सुनित करनी थीं। अण्डों और चूजों की बिक्री से प्राप्त आप को भी इस खाते में क्रेडिट करना अपेक्षित था।

गेष निधियों को, मूल संरचनात्मक ढांचे के सुट्टीकरण, भरमत, शैडों की नवीकरण प्रशिक्षण, प्रयोगशालाओं की सुट्टीकरण और पक्षियों एवं बैकयार्ड मुर्गियों के विषणन आदि पर व्यय किया जाना था।

सहायक मुर्गी विकास अधिकारी अंबाला, ने ₹ 25 लाख की समस्त राशि को कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज के माध्यम से मूल संरचनात्मक ढांचे के विकास, प्रशिक्षण और विषणन आदि पर व्यय की लेकिन पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए गए थे। फार्म के अमितव्यी संचालन के कारण ₹ 15 लाख की परिक्रमी निधि ₹ 9.15 लाख तक नीचे आ गई थी।

हिसार में ₹ 16.80 लाख की निधियाँ बैंक रखाते में पड़ी थी क्योंकि ₹ छ: लाख (लगभग) मशीनरी के क्रय हेतु जून 2007 में हिसार फार्म द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को उनके अनुसरण करने के बाद भी, डी.जी. ने अनुमोदित नहीं किया था। मात्र ₹ 0.50 लाख की राशि पक्षियों एवं बैकयार्ड मुर्गियों के विषणन पर व्यय की गई थी।

अंबाला में अण्डज उत्पत्ति का कार्य नहीं किया जा रहा था और हिसार फार्म में हानि अर्जित होना जारी था और अण्डज उत्पत्तिशाला को चलाने के लिए दी गई समस्त ₹ 15 लाख की राशि की राशि चकनाचूर थी (आर्च 2011)।

डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि मशीनरी के क्रय हेतु प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं किया गया था और इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा कोई निधियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। उत्तर सात्य नहीं है क्योंकि निधियाँ मूल संरचनात्मक ढांचे के सुट्टीकरण हेतु सी गई थी जिसमें मशीनरी शामिल थी। आगे, विभाग को फार्म को कार्यधारण बनाने के लिए अण्डज उत्पत्तिशाला की मशीनरी के क्रय हेतु सम्मिचित प्रावधान किया जाना चाहिये था।

#### 4.1.8.5 मुर्गी बीमारी अन्वेषण एवं पोषक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला।

अंबाला में मुर्गी पोषक नमूनों की जांच पशुधन एवं मुर्गी की बीमारियों के निवान तथा किसानों के मार्गदर्शन देने के लिए मुर्गी बीमारी अन्वेषण एवं पोषक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। प्रयोगशाला अधिकारियों को नमूनों की जांच के पश्चात किसानों को मुफ्त तत्कालीकी मार्गदर्शन देना और बीमार पशुओं एवं पक्षियों के उपचार अनुशासित करना अपेक्षित था। प्रयोगशाला ने 2008-11 के दौरान 34,805<sup>15</sup> के लक्ष के विरुद्ध 34,401<sup>16</sup> नमूने विश्लेषित किए।

यह देखा गया कि विभाग ने पक्षियों के लिए उत्तम गुणवत्ता वाले पोषक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बाजार से मुर्गी पोषक के नमूने नहीं लिए थे। मुर्गी बीमारी अन्वेषण अधिकारी अंबाला शहर ने बताया (जुलाई 2011) कि लक्ष्य, जब कभी मुर्गी पक्षियों में बीमारियों का प्रोप्रो होता है स्थल पर पहुंच कर पूरे किए जाते थे उसने यह भी बताया कि कोई ऐसा अधिनियम नहीं है जो बाजार से मुर्गी पोषक के नमूने एकत्रित करने को दे। इस प्रकार, मुर्गी

<sup>15</sup> 2008-09: 11,595, 2009-10: 11,615 और 2010-11: 11,595

<sup>16</sup> 2008-09: 12,884, 2009-10: 12,759 और 2010-11: 8,753 (नवम्बर 2010 तक)।

पोषक की गुणवत्ता जांचने के लिए बाजार से नमूना लेने के लिए विभाग को अधिकार देने हेतु कुछ नियम बनाने की आवश्यकता थी।

#### 4.1.8.6 सुअर विकास कार्यक्रम

अंबाला और हिसार सुअर फार्म में घेंटों के प्रजनन में घटती प्रवृत्ति थी।

समाज के निर्धन वर्ग से संबंधित लोगों के सामाजिक - आर्थिक स्तर को सुधारने में सुअर प्रजनन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंबाला और हिसार में दो राज्य स्तरीय सुअर फार्म बढ़िया विदेशी नस्ल (बड़े श्वेत यार्कशिर) के घेंटों के प्रजनन में लगे हुए हैं, जो प्रजनन हेतु प्रजननकों को बेचे जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन फार्मों में सुअर प्रजनन की स्थिति निम्न प्रकार थी:

तालिका 7: घेंटों के जन्म और बिक्री के विवरण

वर्ष	फार्म	आरम्भिक जंघ	नव जन्मे	कुल	मृत्यु	बिक्री	अन्त जंघ
2008-09	अंबाला	122	481	603	18	412	173
	हिसार	144	453	597	45	368	184
2009-10	अंबाला	173	294	467	9	336	122
	हिसार	184	444	628	15	420	193
2010-11	अंबाला	122	286	408	7	334	67
	हिसार	193	338	531	18	360	153

स्रोत: विभाग द्वारा आपूर्ति आंकड़े।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से प्रमाणित है, घेंटों के प्रजनन में 2008-11 के दौरान कभी हुई। डी.जी. ने बताया (मई 2011) कि प्रजननकों से कम मांग के कारण घेंटों के प्रजनन को कम करना पड़ा था उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेख की छान-बीन ने प्रकट किया कि सुअरों के पैतृक स्टॉक में 2009-10 में कम उनके पोषक हेतु अप्र्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई थी।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अंबाला और हिसार में विद्यमान सुअर प्रजनन फार्मों में रह रहे पशुओं के पोषक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और सुअर किसानों की सतत बढ़ती मांग को पूरा करने और सुअर पालन इकाइयां स्थापित करने हेतु लाभभोगियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन फार्मों में नए बाड़े<sup>77</sup> स्थापित करने हेतु ₹ 50 लाख का प्रावधान किया गया था। यह देखा गया कि इसे क्रियान्वित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप विद्यमान सुअर फार्मों में सुअरों के पैतृक स्टॉक को घटाना पड़ा था। डी.जी. ने बताया (जून 2011) कि जब से अनुसूचित जाति लाभभोगियों को उनके लिए विभाग की अन्य स्कीमों के अंतर्गत लाभ दिया गया था, स्कीम क्रियान्वित नहीं की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति लाभभोगियों के लिए अन्य स्कीमों के क्रियान्वयन का इस स्कीम के साथ कोई संबंध नहीं था क्योंकि यह स्कीम प्रजननकों को घेंटों प्रदान करने के लिए सुअर फार्मों के सुदृढ़ीकरण हेतु थी।

#### 4.1.8.7 उच्च तकनीकी डेरी शैड स्कीम


केन्द्रीय प्रायोजित आरके.वी.वाई के अन्तर्गत विभाग, न्यूनतम 20 दुधारू पशुओं के सभी वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाकर आधुनिक डेरी शैड बनाने के इच्छुक 18 वर्ष या अधिक आयु के बेरोजगार युवकों को ₹ 1.50 लाख का परिदान प्रदान कर रहा था। स्कीम 2009-10 में शुरू की गई। डेरी शैडों की कुल अनुमानित ₹ छः लाख में से ₹ 1.50 लाख का परिदान दिया जाना

<sup>77</sup> सुअर रखने हेतु धिरा हुआ क्षेत्र।

2009 - 10: 194 3<sup>rd</sup> 2010 - 11: 159

2009-10: 324 ~~file~~ 2010-11: 288

61



﴿الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالنَّعْمَةُ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَنْ يَحْكُمَ الْأَرْضَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَنْ يَحْكُمَ الْأَرْضَ﴾

မြတ်စွာ ၂၀၀၉-။။ ၁၁ ရက် ၂၅ မြန်မာပို့ဆောင်ရေး ၃၇.၅၀ ချောက် ၆၆ ရက်၊ ၂၀၀၉

4.1.8.8 تکمیلی اعلانات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحُكْمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

The image consists of two side-by-side photographs. The left photograph shows a blue-painted wall with two dark, vertical rectangular cutouts. Below these cutouts is a small, rectangular sign featuring a logo and some text. The right photograph shows a white-painted wall with a vertical blue panel. To the right of this panel is a sign with the word 'ELEKTRONIKA' and other smaller text below it. Both photographs appear to be taken from a low angle, looking up at the walls.

የኢትዮጵያ ቤትና የሚከተሉት ስራዎች አንቀጽ 2011) የዚህ ደንብ ይችላል በዚህ ደንብ የሚከተሉት ስራዎች አንቀጽ 2011) የዚህ ደንብ ይችላል

4.1.8.9 Գլուխ ըշտի 31/2 ըշտի 3/3 մասնակի գոյացութիւն

תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה  
תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה

के लिए 1978 - 79 से रोहतक में विभाग की एक डेरी प्रयोगशाला कार्य कर रही थी। प्रयोगशाला, मात्र उपभोक्ताओं द्वारा लाए गए नमूना का विश्लेषण कर रही थी। इस प्रकार, इन पंजीकृत दुग्ध संयंत्रों द्वारा अच्छी गुणवत्ता के दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा उचित कदम नहीं उठाए गए थे।

#### 4.1.8.10 पशु चिकित्सा टीकों का उत्पादन

हरियाणा पशु चिकित्सा टीका संस्थान, हिसर राज्य के लिए टीकों विनिर्माण हेतु स्थापित की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा विनिर्मित टीकों की स्थिति निम्न प्रकार थी:

तालिका: 8 टीकों के उत्पादन को दर्शाने वाली तालिका

(खुराक लाखों में)

टीके का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
हिमोरेजिक सेटीमिया वैक्सीनज	100.00	101.33	100.00	65.42	100.00	84.42
एन्टोटेक्सीमिया वैक्सीन	1.00	1.40	1.00	—	—	—
ब्लैक ब्लार्ट वैक्सीन	6.00	6.62	6.00	4.50	6.00	4.23
शिप पोक्स वैक्सीनज	6.00	6.80	6.00	6.00	6.00	6.88
बेस्ट शी पेटिस रसीनेट्स वैक्सीन	6.00	7.50	6.00	6.00	6.00	3.00
स्वार्डन फीवर वैक्सीन	0.70	0.71	0.70	0.70	0.90	—
गोग	119.70	124.36	119.70	82.62	118.90	98.53

स्रोत: विभाग द्वारा आपूर्ति आंकड़े।

उपरोक्त से यह प्रमाणित है कि वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में 33.56 प्रतिशत और 2010-11 में 21 प्रतिशत टीकों के उत्पादन में कमी थी। 2009-10 और 2010-11 में लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किए गए थे। संस्थान के निदेशक ने बताया कि वैक्टरियल टीकों के उत्पादन के लक्ष्य बोतलों की अनुपलब्धता के कारण प्राप्त नहीं किए जा सके क्योंकि बोतल क्रय करने का प्रकरण निदेशक आपूर्ति एवं निपटान हरियाणा के माध्यम से तैयार नहीं किया जा सका था। दूसरे पुराने लियोफिलिजी<sup>24</sup> कार्य नहीं कर रही थी और नई क्रय नहीं की जा सकी क्योंकि यह प्रकरण भी निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान, हरियाणा के पास लम्बित था। इस प्रकार, इन महत्वपूर्ण मदों के क्रय की असमुचित योजना के कारण टीकों का व्यय उत्पादन हुआ था।

हरियाणा पशु-चिकित्सा टीका संस्थान ड्रग नियंत्रक से अपने लाईसेंस का नवीकरण किए बिना पशु चिकित्सा टीका का विनिर्माण कर रही थी।

यह देखा गया कि संस्थान 2005 से ड्रग नियंत्रक से उचित लाईसेंस प्राप्त किए बिना टीकों का विनिर्माण कर रहा था क्योंकि विभाग अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों को पूरा नहीं कर रहा था, लाईसेंसिंग प्राधिकारी ने टीकों के विनिर्माण पर रोक लगा दी (दिसंबर 2010) और संस्थान ने फरवरी 2011 से टीकों का विनिर्माण रोक दिया। संस्थान के निदेशक ने बताया (मई 2011) कि संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा भवन के रूपान्तरण हेतु कुछ सुझाव दिए गए थे और उसकी अनुपालना प्रक्रिया अधीन थी। समाप्त सम्मेलन के दौरान डी.जी. ने बताया कि संयंत्र में जुलाई 2011 से विनिर्माण पुनः प्रारम्भ कर दिया गया था, लाईसेंस अभी प्राप्त करना था।

<sup>24</sup>

लियोफिलिजी एक मशीन है जो दवाइयां बनाने के काम आती है।

መተዳደሪያ ቁጥር 61: የዚህ ስም ነው (የሚታወቂውን ስም) በዚህ ስም ነው

4.1.9.1 *Jaathura qatirat qatirat qatirat*

#### 4.1.9 ተተለያለ, ተደተኞች የሚገኘውን ትርጓሜዎች

4.1.8.12 تىپ قەلىقىلەتكەن ئىلىقىلىماقى دىرىجىلىنىڭ

4.1.8.11 የነጂዣ ተከታታለዋልኝነት ማተሚያዎች እንደሆነ

हो गया जैसा कि नीचे विवरणित है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की लागत	विभागीय प्रभार
1.	पेट क्लिनिक पंचकुला	7.97	0.72
2.	रोहतक में पशुचिकित्सा पोलीक्लिनिक का निर्माण	3.24	0.29
3.	चारा बीज फार्म, हिसार का सुदृढ़ीकरण	2.15	0.18
योग		<b>1.19</b>	

विभाग ने पी.डब्ल्यू.डी. की बजाय एच.पी.एच. सी. कार्य सौंप कर तीन कार्यों के निष्पादन पर विभागीय प्रभारों पर ₹ 1.19 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

इसने ₹ 1.19 करोड़ का अतिरिक्त व्यय का भार डाल दिया। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) जून 2011 में हुई एक बैठक में एफ.सी.पी.एस. गृह विभाग सहमत हो गये थे कि एच.पी.एच.सी.छ: प्रतिशत विभागीय प्रभार लेगा और पी.डब्ल्यू.डी. भी पांच प्रतिशत विभागीय प्रभार लगा रहा था। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. अगस्त 2005 से विभागीय प्रभार नहीं लगा रहा था।

#### 4.1.9.2 पशु चिकित्सा पोलीक्लिनिक का निर्माण

सरकार के एक नीति निर्णय (2003) के अनुसार राज्य में प्रत्येक जिले में एक पशुचिकित्सा पोलीक्लिनिक अवस्था विधि से स्थापित की जानी थी।

कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नेशनल बैंक (एन.ए.वी.ए.आर.डी.) ने भिवानी और सोनीपत में पशुचिकित्सा पोलीक्लिनिक स्थापित करने के लिए विभाग को ₹ 2.84 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (अगस्त 2004)। सरकार को ₹ 15 लाख का अंशदान देना था। इस प्रकार कार्य की कुल लागत ₹ 2.99 करोड़ थी। परियोजना को 31 मार्च 2007 तक पूर्ण किया जाना था।

भिवानी और सोनीपत में पशुचिकित्सा पोलीक्लिनिकों के निर्माण में विलम्ब के कारण ₹ एक करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

डी.जी. के पास अभिलेख की नमूना-जांच ने प्रकट किया कि सरकार द्वारा दोनों कार्यों के लिए ₹ 3.29 करोड़ (भिवानी ₹ 1.45 करोड़ और सोनीपत: ₹ 1.84 करोड़) प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था जिसे फरवरी 2008 में ₹ 4.01 करोड़ (भिवानी ₹ 1.95 करोड़ और सोनीपत: ₹ 2.06 करोड़) तक संशोधित किया गया था। परियोजना ₹ 3.99 करोड़ की लागत से दिसम्बर 2008 में पूर्ण हुआ था। इस प्रकार, परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण सरकार का ₹ एक करोड़ का अतिरिक्त व्यय अपने संसाधनों से वहन करना पड़ा। डी.जी. ने बताया (मई 2011) विलम्ब प्रक्रियात्मक था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एन.ए.वी.ए. आर.डी. के साथ अनुबंध के अनुसार अतिरिक्त मानवशक्ति और संसाधन प्रदान करके राज्य सरकार को समय-सूची के अन्दर परियोजना की संपूर्णता को सुनिश्चित करना था परन्तु यह नहीं किया गया था।

आगे, मुख्य वास्तुकार, हरियाणा के एक निरीक्षण प्रतिवेदन (मार्च 2011) के अनुसार, भिवानी पोलीक्लिनिक के कार्य की गुणवत्ता बहुत घटिया थी और निष्पादन न तो कुशल मानवशक्ति द्वारा किया गया था और न ही किसी अभियन्ता द्वारा पर्यवेक्षण किया गया था और आरेखण आकार और विशिष्टकरण सुनिश्चित नहीं किए गए थे। सोनीपत पोलीक्लिनिक का कार्य भी घटिया पाया गया था और आरेखण, आकार और विशिष्टकरणोंनुसार नहीं था। घटिया कार्य करने के लिए विभाग द्वारा निष्पादन एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि वस्तुकला विभाग की टिप्पणियों पर संबंधित निष्पादन एजेंसी की राय मांगी गई थी और उनके प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

#### 4.1.9.3 पंचकुला में पेट विलनिक का निर्माण

निष्पादन एजेंसी बदलने के कारण पंचकुला में एक पेट विलनिक के निर्माण पर ₹ 3.94 करोड़ अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था।

विभाग ने पंचकुला में पेट पशुविलनिक के भवन का निर्माण कार्य चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एच.ए.यू.), हिसार को सौंपने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2005)।

₹ 4.03 करोड़ की (10 प्रतिशत विभागीय प्रभारों सहित) प्राक्कलित लागत के विरुद्ध ₹ 3 दो करोड़ (मार्च 2006 और मार्च 2007 प्रत्येक में ₹ एक करोड़) एच.ए.यू. को निर्मुक्त किए। यद्यपि एच.ए.यू. ने विभागीय प्रभार न लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (11 सितम्बर 2007), निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने के कारण एच.ए.यू. से कार्य वापस ले लिया (27 सितम्बर 2007)। कार्य एच.पी.एच.सी. को सौंपा गया जिसने ₹ 6.38 करोड़ के लिए (10 प्रतिशत विभागीय प्रभारों सहित) के लिए कच्ची लागत प्राक्कलन प्रस्तुत किया (नवम्बर 2008)। प्राक्कलित लागत में वृद्धि लागत वृद्धि के कारण थी। अन्ततः, कार्य ₹ 7.97 करोड़ (विभागीय प्रभारों सहित) की लागत पर पूर्ण किया गया था (अगस्त 2009)। विभाग अब तक एच.पी.एच.सी. को ₹ 7.92 करोड़ निर्मुक्त कर चुका था।

इस प्रकार, निष्पादन एजेंसी के बदलने के कार्य निष्पादन में विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.94 करोड़ की लागत वृद्धि हुई। यदि कार्य प्रारम्भ में एच.ए.यू. को सौंपा होता तो विभागीय प्रभारों सहित वृद्धिक लागत को बचाया जा सकता था।

डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि भवन को पूरा करने में विलम्ब निर्माण एजेंसी बदलने के कारण नहीं था बल्कि उनके नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण था। आगे यह बताया गया कि एच.ए.यू. ने कभी भी विभागीय प्रभारों के भुगतान से छूट का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था और एच.पी.एच.सी. को कोई विभागीय प्रभार नहीं दिए गए थे। उत्तर सही नहीं है क्योंकि एफ.सी.पी.एस., कृषि विभाग ने एफ.सी.पी.एस., पशुपालन एवं डेरी विभाग को सूचित किया था (अप्रैल 2007) कि एच.ए.यू. उनके निर्माण कार्यों पर विभागीय प्रभार नहीं लगाएगा। आगे, विलम्ब एच.पी.एच.सी. द्वारा नई निर्माण प्रक्रिया यानि प्राक्कलन तैयार करने, निविदाएं मांगने आदि, शुरू करने के कारण हुई। जहां तक विभागीय प्रभारों का संबंध है, विभाग ने एच.पी.एच.सी. को विभागीय प्रभारों सहित ₹ 7.97 करोड़ के विरुद्ध ₹ 7.92 करोड़ निर्मुक्त कर चुका था। एच.पी.एच.सी. द्वारा शेष राशि को भी अन्य कार्यों हेतु विभाग द्वारा जमा करवाई गई निधियों में से समायोजित किया जा चुका था।

#### 4.1.9.4 कार्यों के निष्पादन की मानिटरिंग की कमी

एच.आर.डी.एफ. की निधियों में से 159 कार्यों में से मात्र 12 कार्य पूर्ण किए गए थे।

जैसा कि प्रारम्भ में कहा गया था, एच.आर.डी.एफ. बोर्ड ने विभाग को ₹ 31.52<sup>25</sup> करोड़ की निधियां 159<sup>26</sup> असुरक्षित और अमरम्भत योग्य भवनों के पुनर्निर्माण हेतु दिए थे (जुलाई 2007 से मई 2010) निधियां, निधियों के निर्मुक्त होने से छः महीने के अन्दर व्यय की जानी अपेक्षित थी।

अभिलेख की छान-बीन ने प्रकट किया कि डी.जी. द्वारा प्रारम्भ में ₹ 31.52 करोड़ की समस्त राशि को बैंक खातों में रखा गया था। ₹ 89.91 लाख के ब्याज सहित आगे राशि को कार्यों के

<sup>25</sup> जुलाई 2007: ₹ 29.52 करोड़ और मई 2010: ₹ दो करोड़।

<sup>26</sup> अम्बाला मण्डल: 36, गुडगांव मण्डल: 33, हिसार मण्डल: 55 और रोहतक मण्डल: 35

የፌዴራል	፩. 7.13	የፌዴራል	፩. 37.16	የፌዴራል	፩. 11.10	የፌዴራል	፩. 6.38
የፌዴራል	፩. 8.08	የፌዴራል	፩. 27.39	የፌዴራል	፩. 8.08	የፌዴራል	፩. 8.08
የፌዴራል	፩. 37.16	የፌዴራል	፩. 8.08	የፌዴራል	፩. 27.39	የፌዴራል	፩. 8.08

4.1.9.5 cl. uqf. att. ach121 24 ach1d8101 cl. qba

12. 한국의 철학은 한국의 문화를 이해하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다. 특히, 한국의 철학은 한국의 전통과 한국의 문화를 연결하는 핵심적인 요소로, 한국의 철학을 통해 한국의 전통과 한국의 문화를 이해하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다. 특히, 한국의 철학은 한국의 전통과 한국의 문화를 연결하는 핵심적인 요소로, 한국의 철학을 통해 한국의 전통과 한국의 문화를 이해하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다.

जैसा पहले बताया गया है, विभाग ने 1,311 पशु-चिकित्सालय भवनों, औषधालयों तथा स्टाकमैन केन्द्रों<sup>30</sup> के सुधार हेतु टी.एफ.सी. की सिफारिशों पर जी.ओ.आई. से ₹ 39 करोड़ प्राप्त किए। निधियां एच.एल.डी.बी., के निपटान पर रखी गई थी तथा जिलों के ए.डी.सी.ज के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को जारी किए गए (2009-10 तक ₹ 35.20<sup>31</sup> करोड़ तथा 2010-11 में ₹ चार करोड़) थे।

नमूना-जांच के दौरान यह देखा गया था कि ऐसी समितियों ने कार्यों के निष्पादन पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण नहीं किए यद्यपि, ₹ तीन लाख से कम मूल्य वाले 899 कार्य तथा ₹ तीन लाख से अधिक मूल्य वाले 412 कार्य निष्पादित किए जाने थे। इस प्रकार, कार्यों के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक नियंत्रण की कमी थी।

#### 4.1.10 मानव संसाधन विकास

##### 4.1.10.1 स्टाफ की कमी

मार्च 2011 को 11,291 संस्थीकृत पद थे जिनके विरुद्ध 8,014 पद भरे गए थे तथा शेष 3,277 पद (29 प्रतिशत) रिक्त थे जैसा नीचे तालिकाबद्ध किया गया गया है:

तालिका 9: विभाग की रिक्ति स्थिति

श्रेणी	संस्थीकृत पद	भरे गए	रिक्त	स्टाफ की कमी की प्रतिशतता
वर्ग I	117	79	38	32
वर्ग II पशुचिकित्सा सहित	1,022	818	204	20
वर्ग III	3,775	3,290	485	13
वर्ग IV	6,377	3,827	2,550	40
कुल	11,291	8,014	3,277	29

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े।

उपयुक्त तालिका से यह प्रमाण है कि विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 13 तथा 40 प्रतिशत के मध्य स्टाफ की कमी थी।

सभी संवर्गों में मानवशक्ति की कमी ने विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रभावित किया, इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रदान की जा रही पशुचिकित्सा सेवाओं को ये ए.आई. सेवाएं बाहरी स्रोत से लेनी पड़ी। कई पशुचिकित्सकों/पशुचिकित्सा पशुधन विकास सहायकों के पास विभिन्न स्थानों पर स्थित एक से अधिक अस्पताल/औषधालय के प्रभार थे जिसने उनके कार्यचालन को प्रभावित किया।

डी.जी. ने, यह तथ्य स्वीकारते समय कि पशुचिकित्सा सेवाएं स्टाफ की कमी के कारण प्रभावित थी, बताया (अगस्त 2011) कि विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए मांग पहले ही हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा वर्ग घ चयन समिति के पास भेज दी थी।

<sup>30</sup> स्टाकमैन केन्द्र, छोटे पशुचिकित्सा औषधालय होते हैं।

<sup>31</sup> ₹ 20 लाख अर्जित ब्याज से जारी किए गए थे।

#### 4.1.10.2 स्टाफ का अनियमित समायोजन

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने तीन - चार माह आधार पर कर्मचारियों के मुख्यालयों के परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया (दिसम्बर 1996) क्योंकि इसे अन्य प्रकार के स्थानान्तरण के रूप में माना गया था।

मुख्य सचिव के आदेश के उल्लंघन में एक सौ तिरसठ कर्मचारियों को उनकी तैनाती के स्थानों से बिना यह तैनात किया गया था। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि संस्थानों के समुचित उपयोग के लिए समायोजन किए गए थे। उनर युक्तियुक्त नहीं हैं क्योंकि ऐसे समायोजन सानवशावित के बौद्धिक पुनर्गठन के बाद नियमित स्थानान्तरण करके किए जाने चाहिए।

#### 4.1.11 मानीटरिंग तथा मूल्यांकन

##### 4.1.11.1 आन्तरिक नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण, लागू नियमों एवं विनियमों की अनुपालना के बारे में प्रबन्धन को उपयुक्त आवासन प्रदान करता है। विभाग में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली स्कीमों के कार्यव्यवस्था को निष्पादन की मानीटरिंग इत्यादि के लिए अपर्याप्त थी जैसा पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

##### 4.1.11.2 शिकायत के मामले

जनता के साथ - साथ विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए डी.जी. के कार्यालय में एक शिकायत कक्ष स्थापित किया गया था। डी.जी. द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार 2008 - 09 से पहले प्राप्त की गई नौ शिकायतें विभाग के पास बकाया थी तथा 2009 - 11 के दौरान 269 नई शिकायतें प्राप्त की गई थी। कुल 278 शिकायतों में से केवल 108 शिकायतें विभाग द्वारा निपटाई गई थी तथा शेष 170 (61 प्रतिशत) शिकायतें प्रक्रियाधीन (मार्च 2011) थी। इनमीं अधिक बकाया शिकायतों ने शिकायत मामलों की मानीटरिंग की कमी इग्नित की। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि 171 में से केवल 20 शिकायतों का निपटन किया गया था तथा शेष शिकायतों का भी जल्द निपटान किया जाएगा।

##### 4.1.11.3 बेकार अणडारं/वाहनों का निपटान न करना

विनियम अपेक्षा करते हैं कि भण्डारों का भौतिक सत्यापन वर्ष में एक बार संचालित किया जाना चाहिए तथा बेकार प्रयोज्य सामान को सक्षम प्राधिकारी से निराकृत करवा लिया जाना चाहिए। इन बेकार सामानों, मशीनों अथवा वाहनों का निपटान विभागीय प्रक्रियाएं अपनाकर किया जाना चाहिए तथा प्राप्त किए गए राजस्व को सरकार के पास जमा करवाया जाना चाहिए ताकि सरकार इन नियमों को उपयोग अधिक की योजनाओं के लिए कर सके। नमूना - जांच

की गई इकाईयों में यह देखा गया था कि ₹ 25.20 लाख (परिशोध्य 4.7) मूल्य के निरकृत भण्डार/मशीनरी/चाहने के पास पड़े थे। डी.जी. ने बताया (अगस्त 2011) कि विभाग ने निरकृत भण्डारों/चाहनों के निपटान के लिए पहले ही कदम उठा लिया थे।

#### 4.1.11.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

विभाग में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

कार्य की समग्र गुणवत्ता सुधारने तथा बुटियों/अनियन्त्रिताओं को कम करने के दृष्टिकोण से सभी सरकारी विभागों में आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए लेखा अधिकारी का एक पद संबोधित किया गया था किन्तु अधिकारी निवेशालय में आहण एवं सोवितण अधिकारी के कर्तव्य निभा रहा था। डी.जी. ने तथ्यों की स्वीकारते समय बताया (अगस्त 2011) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन था।

#### 4.1.11.5 प्रबंध सूचना प्रणाली तथा मानीटरिंग बैठकें

विभागाध्यक्ष के रूप में डी.जी. विभाग के कार्यक्रमों, स्कीमों तथा अन्य गतिविधियों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी था। प्रत्येक स्कीम/कार्यक्रम की मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला स्तर पर डी.जी.ओ.ज द्वारा निवेशालय को प्रस्तुत की गई थी जो केवल संकलित किए गए थे किन्तु डाटा का उपयोग प्रबंध साधन के रूप में नहीं किया गया था। विभाग के एफ.सी.पी.एस. के अंतिकृत डी.जी. ने समय-समय पर स्कीमों/कार्यक्रमों की समीक्षा तथा मानीटर करने के लिए फौल्ड स्टफ के साथ बैठकें आयोजित की। तथापि, मानीटरिंग के लिए स्कीमों तथा कार्यक्रमों का कोई केन्द्रीकृत डाटाबेस नहीं था। परिणामतः डी.जी. स्तर पर मानीटरिंग तदर्थं आधार पर थी।

#### 4.1.12 निष्कर्ष

विभाग ने ग्राहकीं पंचवर्षीय योजना में पशुधन बृद्धि के लक्ष्य नियत नहीं किए थे। विभाग की वित्तीय प्रबंध दस्त नहीं था क्योंकि निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखने, अग्रिमों के असमायोजन, दुग्ध उपकार की भारी राशि वसूल करने में विफलता, इत्यादि को दृष्टात थे। कृत्रिम गर्भाधान सुविधाएं प्रदान करने तथा दूध एवं अण्डों के उत्पादन में बृद्धि करने के विभाग के लक्ष्य बृहद सीमा तक प्राप्त किए गए थे किन्तु पशुधन की संख्या में बृद्धि नगण्य थी। आगे, विभाग का कार्यान्वयन अपर्याप्त था क्योंकि मुग्धपालन, सूअरपालन तथा डेरी विकास कार्यक्रमों के धीमे कार्यान्वयन के दृष्टात थे। पशुचारे, दूध, दुग्ध उत्पादों इत्यादि की गुणवत्ता पर अपर्याप्त नियंत्रण था। पशुधन बीमा पालिसी के निवेदनों एवं गतीं की अपर्याप्त संवीक्षा के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को हानियां हुईं। कार्यों के कार्यान्वयन पर मानीटरिंग की कमी, विभागीय प्रभारों के भुगतान पर परिवर्त्य व्यय तथा कार्यों के उप-मानव कार्यान्वयन के दृष्टात भी अवलोकित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, विभाग में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

#### 4.1.13 सिफारिशें

- विभाग को पशुधन की संत्या बढ़ाने के लिए लक्ष्य तय करने चाहिए।
  - मुर्गीपालन, सुअर पालन तथा डेरी के विकास हेतु स्कीमों की समुचित रूप से तथा प्रभावी ढंग से कार्यान्वयित किए जाने की आवश्यकता है।
  - बीमा कर्मनियों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए उचित अनुबंध किए जाने चाहिए कि सभी लाभार्थी पशुधन बीमा के लाभ प्राप्त कर सकें।
  - विभाग को पशु चारे, दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर नियन्त्रण लगाने के लिए समुचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
  - विभाग को कार्यों के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए।
  - विभागीय प्रभारों के भुगतान से बचने के लिए कार्य सामान्यतः लोक निर्माण विभाग के साध्यम से निष्पादित किए जाने चाहिए।
  - आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- ये बिन्दु मई 2011 में एफडी.पी.एस., पशुपालन तथा डेरी उद्योग विभाग को अर्ध-सरकारी रूप से संवर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2011)।

3/5/2011  
मार्टिन

(ओंकार नाथ)  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

चार्डीगढ़ ०९ जून २०११  
दिनांक : ०९ जून २०११

प्रतिहस्ताक्षरित

मार्टिन

नई दिल्ली १९ दिसम्बर २०११  
दिनांक : १९ दिसम्बर २०११

(विनोद राय)  
आरत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक

1.625000000000000

0.875000000000000

परिशोध



**परिशिष्ट 1.1**

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.1; पृष्ठ 9)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के वर्ष-वार विघटन दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	राशि (₹लाख में)
1	2003-04	219	429	1,444.36
2	2004-05	281	445	2,091.84
3	2005-06	305	707	2,743.53
4	2006-07	292	1,393	4,847.54
5	2007-08	185	429	1,325.41
6	2008-09	244	666	5,238.72
7	2009-10	280	632	3,662.88
8	2010-11	461	1,488	6536.75
	कुल	<b>2,267</b>	<b>6,189</b>	<b>₹ 27,891.03</b>

अर्थात् ₹ 278.91 करोड़

### परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.1; पृष्ठ 9)

निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई गंभीर अनियमितताओं के श्रेणी – वार विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	अनियमितताओं की श्रेणी/प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अवधि
1	उपयोग प्रमाण - पत्र/वाडित ए.पी.आरज <sup>1</sup> की अप्राप्ति/अप्रस्तुतिकरण	309	9,387.01	अप्रैल 2003 से मार्च 2011
2	अवसूली/कम वसूली तथा बकाया प्रभार	5	0.09	-सम-
3	वेतन एवं भत्तों पर अधिक/अनियमित व्यय	948	3,033.60	-सम-
4	अनियमित/व्यर्थ/निष्फल व्यय/निधियों का विपर्यन	284	1,507.63	-सम-
5	अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण/अननुरक्षण	719	1,906.90	-सम-
6	बेकार वाहनों/सामान इत्यादि का निपटान न करना	752	183.37	-सम-
7	सरकारी धन/निधियों/ऋणों का अनियमित अवरोधन/दुरुपयोग/अनुपयोग/सरकारी निधियों का अवरोधन/बजट से अधिक व्यय	942	5,213.15	-सम-
8	अग्रिम भुगतानों/अग्रिमों का असमायोजन	31	66.56	-सम-
9	विविध अनियमितताएं/रोकड़ बही	2,199	6,592.72	-सम-
कुल		6,189	27,891.03	

अर्थात् ₹ 278.91 करोड़

<sup>1</sup> वास्तविक आदाता रसीदें।

**परिशिष्ट 1.3**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.3; पृष्ठ 10)**

वर्ष 2006 – 07, 2007 – 08, 2008 – 09 तथा 2009 – 10 (सिविल प्रतिवेदन) के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, के विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
1.	कृषि	2006-07	2	4.3.2, 4.3.4
		2009-10	1	1.1
2.	शिक्षा	2006-07	2	3.4, 4.3.3
		2008-09	2	2.1.3, 2.1.4
		2009-10	1	2.4.1
3.	पर्यावरण	2006-07	2	3.3, 4.2.3
4.	आबकारी तथा कराधान	2006-07	1	4.3.6
5.	वित्त	2006-07	2	4.5.7, 4.6.2
		2008-09	1	2.6.1
		2009-10	1	2.6.1
6.	सामान्य प्रशासन	2006-07	2	4.4.2, 4.5.6
7.	गृह (पुलिस तथा जेल)	2006-07	1	4.5.2
		2008-09	2	1.2, 2.1.2
		2009-10	1	2.2.6
8.	उद्योग तथा वाणिज्य	2006-07	1	5.1
		2008-09	1	2.4.1
9.	सिंचाई	2006-07	3	4.2.1, 4.2.2, 4.5.5
		2008-09	2	2.1.5, 2.3.8
		2009-10	3	2.2.2, 2.2.3, 2.3.4
10.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	2006-07	2	4.5.3, 4.6.1
		2008-09	3	1.1, 2.1.1, 2.2.2
11.	लोक निर्माण विभाग (बी. एंड आर.)	2006-07	2	4.3.1, 4.5.4
		2008-09	4	2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.7
		2009-10	2	2.2.1, 2.4.2
12.	लोक निर्माण विभाग (पी. एंड एच.)	2006-07	1	3.2, (4.2.1)
		2008-09	1	2.3.6

क्र. सं.	विभाग का नाम	अवधि	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
		2009-10	3	1.3, 2.2.5, 2.4.3, 2.4.4
13.	राजस्व	2006-07	1	4.5.1
		2008-09	1	2.5.1
14.	ग्रामीण विकास	2008-09	1	1.3
		2009-10	1	2.5.2
15.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)	2006-07	1	4.4.3
		2008-09	1	2.3.1
		2009-10	2	1.4,2.3.1
16.	परिवहन	2008-09	1	1.4
		2009-10	1	2.3.2
17.	न्याय प्रशासन	2008-09	1	2.2.1
18.	आपूर्ति एवं निपटान	2008-09	1	2.3.5
19.	महिला एवं बाल विकास	2009-10	1	1.2
20.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2009-10	2	2.1.1,2.5.1
21.	मत्स्य पालन	2009-10	1	3.1
22.	लोक संपर्क	2007-08	1	4.3.7
23.	सहभागिता	2007-08	1	5.5.1
कुल			<b>67</b>	

## परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.3; पृष्ठ 10)

उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूलियां इंगित की गई किन्तु प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई

क्र. सं.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2000-01	6.3	40.45
			6.6	30.60
2.	पशुपालन	2000-01	3.4	21.96
		2001-02	6.3	747.00
3.	वित्त	2001-02	3.3	5.62
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	2002-03	4.6.8	23.89
5.	ग्रामीण विकास (डी.आर.डी.ए.)	2001-02	6.1.11	0.54
		2003-04	4.5.1	273.00
6.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हडा)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.10	4,055.00
कुल			10	20,727.06

अर्थात् ₹ 207.27 करोड़

**परिशिष्ट 1.5**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.3; पृष्ठ 10)**

लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों, जिन पर अभी सरकार को अन्तिम निर्णय लेना है, को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	पी.ए.सी. रिपोर्ट	बकाया सिफारिशों की कुल संख्या
1.	7 <sup>वीं</sup>	1
2.	9 <sup>वीं</sup>	1
3.	14 <sup>वीं</sup>	1
4.	16 <sup>वीं</sup>	1
5.	18 <sup>वीं</sup>	1
6.	19 <sup>वीं</sup>	1
7.	21 <sup>वीं</sup>	1
8.	22 <sup>वीं</sup>	2
9.	23 <sup>वीं</sup>	1
10.	25 <sup>वीं</sup>	3
11.	26 <sup>वीं</sup>	2
12.	28 <sup>वीं</sup>	1
13.	29 <sup>वीं</sup>	3
14.	32 <sup>वीं</sup>	7
15.	34 <sup>वीं</sup>	5
16.	36 <sup>वीं</sup>	9
17.	38 <sup>वीं</sup>	8
18.	40 <sup>वीं</sup>	9
19.	42 <sup>वीं</sup>	10
20.	44 <sup>वीं</sup>	12
21.	46 <sup>वीं</sup>	7
22.	48 <sup>वीं</sup>	3
23.	50 <sup>वीं</sup>	36
24.	52 <sup>वीं</sup>	20
25.	54 <sup>वीं</sup>	13
26.	56 <sup>वीं</sup>	16
27.	58 <sup>वीं</sup>	40
28.	60 <sup>वीं</sup>	39
29.	61 <sup>वीं</sup>	15
30.	62 <sup>वीं</sup>	25
31.	63 <sup>वीं</sup>	28
32.	64 <sup>वीं</sup>	09
33.	65 <sup>वीं</sup>	23
कुल		354

**परिशिष्ट 2.1**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.8.4 पृष्ठ 25)

2006-2011 के दौरान परीक्षाओं में बैठे और उत्तीर्ण विद्यार्थियों के विवरण

क्र. सं.	कक्षाओं के नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		बैठे	उत्तीर्ण	बैठे	उत्तीर्ण	बैठे	उत्तीर्ण	बैठे	उत्तीर्ण	बैठे	उत्तीर्ण
1	एम.एस.सी. स्टैट	18	4	25	9	30	16	23	15	21	5
2	एम.एस.सी. इंडस कैमिस्ट्री	57	26	50	30	29	25	29	25	36	28
3	एम.एस.सी. मैथ	712	135	770	191	780	216	385	100	528	70
4	बी.काम III	6160	4874	6890	5452	7204	5663	7530	6260	9173	6152
5	बी.सी.ए.	441	354	763	201	788	226	703	513	1079	1048
6	एम.एस.सी. कंप्यूटर साईंस	2444	736	2595	821	2730	1081	1637	635	2465	710
7	एम.ए. इतिहास	1665	519	1595	773	1550	761	1708	924	1753	941
8	एम.ए. राजनीति शास्त्र	1491	514	1223	343	1205	435	937	458	1021	255
9	एम.ए. संस्कृत	1170	277	773	180	630	160	682	129	55	41
10	एम.ए. जन संचार	403	214	396	175	418	383	395	282	210	170
11	प्रभाकर	2415	1108	2301	1139	1200	453	908	652	1029	878
12	पोर्ट गेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन	5657	953	लागू नहीं	लागू नहीं	5149	861	5352	922	3422	942
13	एल.एल.बी. III	461	256	279	196	268	175	301	195	279	168
14	एम.कॉम	2126	965	2178	1050	2178	850	1332	1212	496	297
15	एम.बी.ए. Vवां सेमेस्टर	620	369	729	435	865	502	1335	1040	3525	2092
16	एम.ए. पंजाबी	561	242	830	243	630	140	552	356	449	315
	कुल	26401	11546	21397	11038	25654	11947	23809	13718	25541	14112

### परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.8.7; पृष्ठ 27)  
अप्रयुक्त अनुदानों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	आबर्टि निधियां	प्रयुक्त निधियां	शेष राशि
1	बोटनी	32.02	31.38	0.64
2	बायो - टेक्नोलोजी	14.00	13.96	0.04
3	विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	120.00	114.05	5.95
4	जियोफीजिक्स	76.00	71.13	4.87
5	कंप्यूटर साईट एंड एप्लीकेशन	47.57	25.90	21.67
6	गृह विज्ञान	25.60	25.56	0.04
7	भू - गर्भ शास्त्र	59.00	42.72	16.28
8	माइक्रो - बायोलोजी	91.41	63.49	27.92
9	भूगोल	26.70	16.20	10.50
10	मनोविज्ञान	21.50	1.81	19.69
11	रसायन शास्त्र	124.75	40.97	83.78
12	अर्थशास्त्र	15.73	11.04	4.69
13	इलैक्ट्रॉनिक्स साईट	600.00	256.93	343.07
14	प्राणि - विज्ञान	942.80	156.56	786.24
15	गणित	10.00	9.99	0.01
16	बायो - कैमिस्ट्री	20.00	10.75	9.25
17	भौतिकी	153.00	86.32	66.68
18	सारिव्यकी	53.50	9.41	44.09
19	वाणिज्य	4.35	3.93	0.42
20	स्कूल आफ मैनेजमेंट	42.80	33.20	9.60
21	जन संचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी	161.66	8.36	153.30
22	मिनी - लाइब्रेरी	200.00	-	200.00
23	वाई - फाई सिस्टम	102.00	-	102.00
24	लेखा शारवा	55.61	-	55.61
कुल		3000.00	1033.66	1966.34

1.	የኢትዮጵያ ከተማ የዕለታዊ ሪፐብሊክ በንግድ ተስፋ ተስፋ ተስፋ	
2.	በዚህ የዕለታዊ ሪፐብሊክ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ	
3.	የኢትዮጵያ ከተማ የዕለታዊ ሪፐብሊክ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ	
4.	የኢትዮጵያ ከተማ የዕለታዊ ሪፐብሊክ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ	
5.	የኢትዮጵያ ከተማ የዕለታዊ ሪፐብሊክ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ	
6.	የኢትዮጵያ ከተማ የዕለታዊ ሪፐብሊክ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ	
7.	የኢትዮጵያ ከተማ የዕለታዊ ሪፐብሊክ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ	
8.	የኢትዮጵያ ከተማ የዕለታዊ ሪፐብሊክ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ ተስፋ	

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ପାଦ (୫)

በኢትዮጵያ 2006-11 ዓ.ም ዓይነት ማረፊያዎች ተከተሉ ይችላል

(አዲስ አበባ 2.2.7: የፌዴራል 44)

Figure 2.3

क्र. सं.	स्कीम का नाम
राज्य नान - प्लान स्कीमें	
1.	निवेशन एवं प्रशासन
	परिमंडल /मंडलीय स्टाफ
2.	मृदा संरक्षण
	सँझको पर वृक्षों तथा वृक्षों की जातवाओं की काटिंग की परिणाम विशेष स्थलों के बनरोपण प्रशिक्षण हेतु बाटर शेड आधार पर मृदा संरक्षण मरम्भल नियंत्रण हेतु विशेष स्थलों का बनरोपण
3.	अन्य व्यव
	बन विभाग के टेलीफोन तथा विजली के बिल
4.	निवेशन एवं प्रशासन
	योजना सामियकी तथा मूल्यांकन कर्ता मूल्यालय का स्टाफ परिमंडल /मंडलीय स्टाफ
	स्थापना व्यव
5.	शिक्षा तथा प्रशिक्षण
	बन प्रचार, जन संपर्क तथा विस्तारण कार्मिकों का प्रशिक्षण
6.	बन संसाधनों का सर्वक्षण तथा उपयोग
	कार्बनालन योजना
7.	संचार तथा भवन
	संचार बन, राजे तथा सड़कें
8.	बन संरक्षण विकास तथा पुनरुद्धार
	बनों की संरक्षा सिन्हाकृत बनों का सुधार
9.	सामाजिक तथा फर्म वानिकी
	बेकार भूमि कर्तरोपण तथा कृषि वानिकी परियोजना जानी अने बाली किस्मों का पौधारोपण
10.	बन उत्पाद
	सरकारी पर्जनी द्वारा बन से निकाले गए हिम्ब तथा अन्य उत्पाद
11.	अन्य व्यव
	नहरी जल के लिए सिंचाई विभाग को जल प्रभारों का भुगतान (दरमात) नहरी जल के लिए सिंचाई विभाग को जल प्रभारों का भुगतान (प्रभारित)
(रव) बन्य जीव विकास स्कीमें	
क्र. सं. स्कीम का नाम	
कोन्सीय प्रयोजित स्कीमें	
1.	मृदा - बनों का सुदृढ़ीकरण, विस्तारण तथा सुधार (हिस्सेदारी)
राज्य प्लान स्कीमें	
1.	बन्य जीव संरक्षण
	मृदा - बनों का सुदृढ़ीकरण, विस्तारण तथा सुधार

፩. የፌዴራል ተናግነት	፩. የፌዴራል ተናግነት
	፩. የፌዴራል ተናግነት
	፪. የፌዴራል ተናግነት
	፫. የፌዴራል ተናግነት
	፬. የፌዴራል ተናግነት

፩. የፌዴራል ተናግነት	፩. የፌዴራል ተናግነት
	፩. የፌዴራል ተናግነት
	፪. የፌዴራል ተናግነት
	፫. የፌዴራል ተናግነት
	፬. የፌዴራል ተናግነት

**परिशिष्ट 2.4**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.7.1; पृष्ठ 45)

ऐसे मामले दर्शने वाली विवरणी, जहां बजट प्रावधान विद्यमान था किंतु कोई व्यय नहीं किया गया था  
(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	स्कीम का नाम	शीर्ष/उप – शीर्ष	बजट प्रावधान
1.	2006-07	सूचना प्रौद्योगिकी	2406/99- परिमंडल/मंडलीय स्टाफ (राज्य प्लान)	20.00
2.	2006-07	सूचना प्रौद्योगिकी	2406/99 मुख्यालय स्टाफ (राज्य प्लान)	20.00
3.	2007-08	सूचना प्रौद्योगिकी	2406/99 परिमंडल/मंडलीय स्टाफ (राज्य प्लान)	20.00
4.	2008-09	राज्य संसाधन प्रबंध आजीविका परियोजना	2406/69	5.00
5.	2009-10	वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग	2406/99 कार्यचालन योजना (राज्य प्लान)	50.00
6.	2009-10	राज्य संसाधन प्रबंध आजीविका परियोजना	2406/69	5.00
7.	2007-08	कृषि वानिकी क्लोनल तथा नान - क्लोनल का विकास	2406/78	35.00
		कुल		<b>155.00</b>

अर्थात् ₹ 1.55 करोड़

**परिशिष्ट 2.5**

(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.2.7.1 पृष्ठ 45)

**वन नियम - पुस्तिका के प्रावधानों के उल्लंघन में विभाग द्वारा पुनः विनियुक्त राशियां दर्शाने वाली विवरणी**

क्र. सं.	वर्ष	स्कीम का नाम	शीर्ष/उप - शीर्ष	पुनः विनियुक्त राशि (₹ लाख में)	स्कीम / शीर्ष जिसे पुनः विनियुक्त की गई	अभ्युक्तियां
1.	2008-09 (प्लान )	वानिकी - 91 सामुदायिक वानिकी - 01 वेतन	2406-102-91-01- वेतन - प्लान	18.69	आई.एन.आर.टी.पी. सामाजिक एवं फार्म वानिकी 2406-102-70	वेतन की राशि बजट नियम - पुस्तिका के विपरीत पुनः विनियुक्त की गई
2.	2009-10 (नान - प्लान)	2402- मृदा संरक्षण (नान - प्लान)	2402- मृदा संरक्षण नान - प्लान	₹ 6.44 (₹ 189.21 लाख में से ₹ 6.44 लाख पुनः विनियुक्त किया गया था तथा ₹ 182.77 लाख अभ्यर्पित किया गया था)	2402-अंशकालीन कालीन वेतन की मजदूरियां तथा एल.टी.सी. राशि मृदा संरक्षण	मजदूरियों को पुनः विनियुक्त वेतन की राशि ₹ एक लाख, एल. टी.सी. ₹ 5.44 लाख
कुल				25.13		

### परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.7.6 पृष्ठ 48)

राज्य प्रतिपूरक बनरोपण निधि प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण, हरियाणा की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित कार्य दर्शने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	अनुमोदित राशि	जारी की गई राशि	शेष
क	प्रतिपूरक बनरोपण	7.10	4.96	2.14
ख	निवल वर्तमान मूल्य के अंतर्गत कार्यों का प्रस्ताव			
i	बन्यजीवन एवं आवास का संरक्षण, सुधार तथा प्रबंध	1.61	1.55	0.06
ii	झुंझुआ में नगूर एवं चिंकटा के लिए प्रजनन संरक्षण केन्द्र की स्थापना	1.00	-	1.00
iii	200 पौधे प्रति हेक्टेयर बनों के घनत्व सुधार के लिए प्राकृतिक बनों में सहायता प्राकृतिक सपोरण	0.42	0.31	0.11
iv	अग्नि रेखाओं के अनुरक्षण के साथ बन सुरक्षा	0.20	0.20	-
v	गोल टाइ जंगल तहित 250 पौधे प्रति आर.के.एम. रेस्विक बन में लेहे पौधों का पोधारोपण	1.47	1.31	0.16
vi	500 पौधे प्रति आर.के.एम. रेस्विक बनों में दबाव क्षेत्र में पवर्टेशनों पर पोधारोपण	1.35	1.16	0.19
vii	200 पौधे प्रति हेक्टेयर कृषि भूमि (पार्श्ववर्गीय सेवा) पर पोधारोपण द्वारा भूमि-सुधार	0.72	0.57	0.15
viii	सार्वजनिक भूमियों जैसे गांव के तालाबों, विद्यालयों, सामुदायिक जमीनों, अन्य सामान्य स्थानों में छूट बांगों का पोधारोपण	1.12	1.12	-
ix	कुशासा प्रकोष्ठों तथा सम्बद्ध कार्यों की स्थापना	0.56	0.30	0.26
x	मानिटरिंग व मूल्यांकन विग के लिए बाहन	0.15	-	0.15
xi	तीन पर गुडगांव में क्षातिपूरक बनरोपण भूमि की चार दिवारी का निर्माण	0.30	0.15	0.15
xii	पलवल एवं नेवात - नून में नये बनमण्डल हेतु भवन	-	-	-
xiii	कार्यालय परिसर का निर्माण, रोहतक	-	-	-
xiv	प्रिवालिक तथा अरावली में जल भण्डारण निकाय तथा मृदा संरक्षण कार्य	1.80	0.64	1.16
xv	बन प्रशिद्धि केन्द्र में वर्ष- III एवं IV स्टाफ के वर्काफ्टों का निर्माण	0.64	0.35	0.29
xvi	' 500 प्रति प्रशिद्धि प्रति दिन की दर पर छ. दिनों के एक सप्ताह के लिए फ्रेंट लाईन स्टाफ के लिए रिफरेंज प्रशिक्षण	0.09	0.09	-
xvii	अनुसंधान एवं शीज विकास गतिविधियाँ	0.18	0.18	-
xviii	कालेसर राष्ट्रीय पार्क, कालेसर बन्यजीवन अभ्यारण, खोल हाय रेतान तथा शीर शिकारगाह अभ्यारणों के इर्द-गिर्द ईको-सोसाइटी की व्यवस्था	0.02	0.02	-
	कुल	18.73	12.91	5.82
xix	3 प्रतिशत की दर पर आकस्मिक व्यय	0.37	-	0.37
	कुल	19.10	12.91	6.19
xx	सुजलोन को रिफंड	0.01	-	0.01
xxi	कुल योग	19.11	12.91	6.20
xxii	संचालन समिति द्वारा अनुमोदित की जाने वाली जारी राशि		0.61	
	कुल (xxi+xxii)		13.52	
	निवल शेष			5.59

## परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.13.1 पृष्ठ 57)

**मोरनी-पिंजौर पहाड़ियों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क एवं कालेसर में ईको-टूरिज्म की परियोजना की स्थिति**

स्कीम/उप स्कीम का नाम	कुल कार्य	परियोजना लागत (₹ लाख में)	पूर्ण किया गया कार्य एवं व्यय		पूर्ण कार्य एवं व्यय			आरंभ नहीं किए गए कार्य एवं व्यय	
			कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	कार्यों की संख्या	परियोजना लागत (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	कार्यों की संख्या	परियोजना लागत (₹ लाख में)
<b>(क) मोरनी/पिंजौर एवं सुल्तान में ईको-टूरिज्म</b>									
मोरनी किला में ईको-टूरिज्म सुविधाओं का विकास	08	57.68	05	48.12	शून्य	शून्य	शून्य	03	4.94
लालमुनिया बन आराम घृणा	06	31.04	01	1.56	02	25.06	24.05	03	3.17
टिक्कर एवं बड़ा ताल	09	44.45	02	5.18	06	38.06	30.45	01	शून्य
निगरानी टावर	06	12.50	01	2.11	01	2.50	1.75	04	7.50
प्राकृत टहलने का गमना	01	3.96	01	3.17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जल निकाय	19	133.31	07	43.61	06	78.97	62.26	06	2.56
सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क	01	38.70	01	37.93	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	03	7.55	02	7.00	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य
उप योग	53	329.19	20	148.68	15	144.59	118.51	18	18.17
<b>(ख) कालेसर एवं बंसतौर में ईको-टूरिज्म</b>									
कालेसर नेचर कैम्प	12	17.51	02	6.47	01	8.00	6.43	09	2.71
नेचर ट्रायल्स	01	3.50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	01	3.50
चुहारपुर हबल पार्क	10	105.92	06	75.35	02	23.71	14.98	02	2.62
जल निकायों का निर्माण	01	100.00	01	99.22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बंसतौर नेचर कैम्प	12	82.80	02	9.27	04	53.51	20.87	06	17.96
नेचर ट्रायल्स	01	3.50	01	3.49	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप योग	37	313.23	12	193.80	7	85.22	42.28	18	26.79
सकल योग	90	642.42	32	342.48	22	229.81	160.79	36	44.96

**परिशिष्ट 2.8**  
**(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.16.1 पृष्ठ 64)**  
**स्टाफ की कमी दर्शने वाली विवरणी**

क्र. सं.	पद	संस्थीकृत	तैनात कर्मी	कमी	प्रतिशत्ता
1.	भारतीय वन सेवा	69	60	9	13
2.	हरियाणा वन सेवा	54	45	9	17
3.	अनुभाग अधिकारी	1	1	-	-
4.	वन मानचित्र अधिकारी	1	1	-	-
5.	तहसीलदार	1	0	1	100
6.	नायब तहसीलदार	2	0	2	100
7.	वन रेंजर	106	87	19	18
8.	उप रेंजर	123	110	13	11
9.	वनपाल	527	509	18	03
10.	वन रक्षक	1547	1332	215	14
11.	दयूवेल मशीन	2	0	2	100
12.	सर्कल प्रधान ड्राफ्टमैन	5	4	1	20
13.	प्रधान ड्राफ्टमैन	1	1	-	-
14.	ड्राफ्टमैन	11	7	4	36
15.	कानूनगो	7	3	4	57
16.	पटवारी	15	1	14	93
17.	सीमांकन पर्येक्षक	1	1	-	-
18.	तकनीकी सहायक	1	1	-	-
19.	सर्वेयर	3	3	-	-
20.	ड्राफ्टमैन - सह - सर्वेयर	1	1	-	-
21.	कलाकार	1	1	-	-
22.	फोटोग्राफर	1	1	-	-
23.	सास्विकी सहायक	4	4	-	-
24.	कंप्यूटर प्रोग्रामर	2	0	2	100
25.	कंप्यूटर डाटा आपरेटर (परियोजना निदेशक, समुदायिक वानिकी)	13	0	13	100
26.	कैनर	1	1	-	-
27.	अतिरिक्त जिला अटार्नी	5	5	-	-
28.	स्थापना अधिकारी	2	2	-	-
29.	अधीक्षक	14	14	-	-
30.	मुख्य प्रचार अधिकारी	1	0	1	100
31.	उप अधीक्षक	48	48	-	-
32.	सहायक	113	122	(+) 9	-
33.	लेखापाल	0	0	-	-
34.	कलर्क/टाईपिस्ट	236	214	22	09
35.	स्टेनोग्राफर	43	21	22	51
36.	स्टेनो टाईपिस्ट	23	10	13	57
37.	निजी सहायक	1	1	-	-
38.	जमादार सेवादार	6	2	4	67
39.	दफ्तरी	2	0	2	100

क्र. सं.	पद	संस्थीकृत	तैनात कर्मी	कर्मी	प्रतिशतता
40.	सेवादार / चौकीदार / माली	667	600	67	10
41.	प्रधान माली	2	0	2	100
42.	रेस्टोरर	1	0	1	100
43.	कार / जीप / ट्रैक्टर चालक	135	130	5	04
44.	ट्रूबवेल आपरेटर	1	1	-	-
45.	फुल / पार्ट टाईप स्वीपर	2	2	-	-
46.	कंप्यूटर	1	1	-	-
47.	ट्रैक्टर सफाईवाला	5	0	5	100
48.	मोबाफिज ट्री	2	1	1	50
49.	अनुसंधान अन्वेषक	1	1	-	-
50.	श्री.पी.ओ.	2	3	(+) 1	-
51.	पर्यवेक्षक - सह - चालक	1	0	1	100
52.	सफाईवाला - सह - चौकीदार	4	4	-	-
53.	समूह घ (श्रमिक)	753	384	369	49
54.	अन्तरिक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीवन) - सह - मुख्य वन्य जीवन	0	0	-	-
55.	वन संरक्षक (वन्य जीवन)	0	0	-	-
56.	भंडलीय वन्य जीवन अधिकारी	4	1	3	75
57.	वन्यजीवन निरीक्षक	19	16	3	16
58.	वन्यजीवन उप निरीक्षक	16	15	1	06
59.	वन्यजीवन रक्षक	72	49	23	32
60.	ड्राफ्टमैन	1	1	-	-
61.	सिनेमा सहायक	1	1	-	-
62.	ट्रूबवेल आपरेटर	1	1	-	-
63.	अधीक्षक	1	1	-	-
64.	जिला सहायक अटॉनी	1	1	-	-
65.	उप अधीक्षक	2	2	-	-
66.	सहायक	6	6	-	-
67.	कलर्क	8	6	2	25
68.	वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफर	1	0	1	100
69.	चालक	4	3	1	25
70.	सेवादार	7	6	1	14
71.	सेवादार - सह - चौकीदार	5	2	3	60
72.	अटेन्डेन्ट - सह - चौकीदार	1	1	-	-
73.	माली - सह - चौकीदार	4	4	-	-
74.	कीपर	4	4	-	-
75.	चौकीदार	1	1	-	-
76.	समूह घ (श्रमिक)	42	42	-	-
	कुल	4,772	3903	869	

**परिशिष्ट 2.9**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.17 पृष्ठ 65)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन दर्शने वाली विवरणी

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद	राशि (₹ लाख में)
1990-91	1	1	0.25
1991-92	1	1	0.77
1994-95	1	2	1.20
1996-97	1	1	0.80
1997-98	1	1	26.14
1998-99	2	2	4.44
1999-00	1	1	0.40
2000-01	1	1	3.52
2001-02	9	12	129.57
2002-03	7	14	70.51
2003-04	8	16	169.60
2004-05	10	35	645.45
2005-06	15	35	930.27
2006-07	14	30	808.18
2007-08	14	34	391.14
2008-09	21	58	746.04
2009-10	27	151	8,687.91
<b>कुल</b>	<b>134</b>	<b>395</b>	<b>12,616.19</b>

अर्थात् ₹ 126.16 करोड़

## परिशिष्ट: 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.2.17 पृष्ठ 65)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों में अनियमितताओं के श्रेणीवार विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	अनियमित /वर्ध/निष्फल व्यय	72	1885.99
2	पौधारोपणों की विफलता	19	146.20
3	सरकारी धन/निधियों/ऋण का अनियमित अवरोधन/दुरुपयोग/प्रयोग न करना/सरकारी निधियों का अवरोधन तथा बजट से अधिक व्यय	31	1341.18
4	कर्मचारी/एजेसियों/कान्ट्रैक्टरों इत्यादि से बकाया वसूलियां	50	1014.11
5	स्टाफ को पिछली मजदूरियों के भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों से इसकी अवसुली/दिहाड़ी श्रमिकों को अनियमित भुगतान	32	429.59
6	विविध अनियमितताएं	191	7799.12
कुल		395	12,616.19

अर्थात् ₹ 126.16 करोड़

**परिशिष्ट 2.11**

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8.3 पृष्ठ 74)

नर्स एवं बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (महिला) की स्टाफ स्थिति का व्यौरा  
नर्स

क्र. सं.	संस्थान का नाम	संस्थीकृत	भरे गए	रिक्त	रिक्त पदों की प्रतिशतता
1	जी.एच. जींद	30	30	0	0
2	जी.एच. नरवाना	27	17	10	37
3	सी.एच.सी. सफीदों	12	11	1	8
4	सी.एच.सी. उचाना	5	5	0	0
5	सी.एच.सी. उजहाना	5	5	0	0
6	सी.एच.सी. कान्डेला	5	5	0	0
7	सी.एच.सी. कालवा	2	1	1	50
8	सी.एच.सी. खाराकरमजी	2	1	1	50
9	सी.एच.सी. जुलाना	5	5	0	0
कुल		93	80	13	14

**बहुदेशीय कार्यकर्त्ता (महिला)**

क्र. सं.	संस्थान का नाम	संस्थीकृत	भरे गए	रिक्त	रिक्त पदों की प्रतिशतता
1	जी.एच. जींद	2	2	0	0
2	जी.एच. नरवाना	2	2	0	0
3	सी.एच.सी. सफीदों	20	16	4	20
4	सी.एच.सी. उचाना	29	22	7	24
5	सी.एच.सी. उजहाना	27	13	14	52
6	सी.एच.सी. कान्डेला	18	15	3	17
7	सी.एच.सी. कालवा	24	21	3	13
8	सी.एच.सी. खाराकरमजी	17	14	3	18
9	सी.एच.सी. जुलाना	24	24	0	0
कुल		163	129	34	21

## परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.11.1 पृष्ठ 81)

## स्टाफ की स्थिति का व्योरा

क्र. सं.	पदनाम	विषय का नाम	कुल संस्थाकृत	भरे गए	रिक्त	तैनात किए गए गेस्ट शिक्षक
1	प्राचार्य	गैर - शिक्षण	93	75	18	0
2	लेक्चरर	जीव विज्ञान	14	12	2	2
		रसायन विज्ञान	19	12	7	13
		वाणिज्य	15	12	3	11
		अर्थ शास्त्र	66	38	28	12
		अंग्रेजी	118	86	32	29
		फाईन आर्ट्स	1	1	0	0
		भूगोल	17	11	6	3
		हिन्दी	116	78	38	33
		इतिहास	98	59	39	28
		गृह विज्ञान	6	3	3	2
		गणित	32	17	15	10
		संगीत	1	0	1	0
		शारीरिक शिक्षा	1	1	0	0
		भौतिकी	19	7	12	14
		राजनीति विज्ञान	99	76	23	17
		मनोविज्ञान	1	0	1	0
		पंजाबी	5	1	4	1
		संस्कृत	52	43	9	10
		समाजशास्त्र	12	10	2	1
कुल			<b>692</b>	<b>467</b>	<b>225</b>	<b>186</b>
3	मास्टर	गृह विज्ञान	18	18	0	1
		गणित	347	253	94	80
		संगीत	9	9	0	0
		डी.पी.ई	87	54	33	0
		विज्ञान	348	212	136	100
		समाज अध्ययन	686	483	203	174
कुल			<b>1495</b>	<b>1029</b>	<b>466</b>	<b>355</b>
4	सी. एवं वी.	हिन्दी	326	295	31	26
		पंजाबी	28	29	-1	0
		संस्कृत	329	300	29	16
		कटाई एवं सिलाई	4	5	-1	0
		चित्रकला	294	280	14	11
		पी.टी.आई.	321	278	43	0
कुल			<b>1302</b>	<b>1187</b>	<b>115</b>	<b>53</b>
5	प्रधानाध्यापक	गैर - शिक्षण	195	58	137	0
कुल			<b>195</b>	<b>58</b>	<b>137</b>	<b>0</b>

### परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.1 पृष्ठ 132)

पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग में लागू अधिनियमों/नियमों तथा आदेशों को दर्शानेवाली विवरणी

केन्द्रीय अधिनियम तथा आदेश	
1.	पशु निर्मता रोकथाम अधिनियम, 1960
2.	पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984
3.	पशुओं के संक्रमण रोग की रोकथाम अधिनियम, 2009
4.	पशुओं में संक्रमक एवं संपर्कित बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 2009
5.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992
राज्य अधिनियम, नियम एवं आदेश	
1.	हरियाणा मुर्गाह भैंस तथा दुधारु पशु प्रजनन (पशुपालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 2001
2.	पंजाब पशुधन एवं पंक्षी रोग अधिनियम, 1948
3.	पंजाब पशुधन सुधार अधिनियम, 1953
4.	दुधारु पशु अपराध अधिनियम, 1871
5.	पंजाब पशु संक्रमक रोग नियम, 1953
6.	ड्राइट एवं भारवाही पशु पर निर्मता की रोकथाम नियम, 1965
7.	पशुओं पर निर्मता (नालबंदी लाईसेंसिंग) की रोकथाम नियम, 1965
8.	हरियाणा गौ वध नियंत्रण नियम, 1972
9.	परफौरमिंग पशु नियम, 1973
10.	जानवरों का परिवहन नियम, 1978
11.	जानवरों पर निर्मता की रोकथाम (जुगाने लगाना) नियम, 1978
12.	जानवरों पर निर्मता की रोकथाम (दुधारु पशु परिसर का पंजीकरण) नियम, 1978
13.	निर्मता की रोकथाम (जानवरों को कब्जा) नियम, 1972
14.	परफौरमिंग पशु (पंजीकरण) नियम, 2001
15.	जानवरों पर निर्मता रोकथाम (जानवरों का पैदल परिवहन) नियम, 2001
16.	जानवरों पर निर्मता रोकथाम (बूचड़खाना) नियम, 2001
17.	जानवरों पर निर्मता की रोकथाम (जानवरों पर निर्मता की रोकथाम के लिए सोसाईटी की स्थापना तथा विनियम) नियम, 2001
18.	जानवर जन्म नियंत्रण (कुन्ते) नियम, 2001
19.	हरियाणा मुर्गाह भैंस तथा अन्य दुधारु पशु प्रजनन नियम, 2002
20.	हरियाणा संकर दुधारु पशु स्वाद्य का विनियम, संकेन्द्र तथा मिनरल मिश्रण आदेश, 1999

## परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.1 पृष्ठ 133)

पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमों की सूची दर्शाने वाली विवरणी

केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम (100 प्रतिशत)	
1	पशु प्लेग उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.आर.ई.)
2	18वीं पशुधन गणना
3	चारा तथा खाद्य विकास हेतु स्कीम
4	पैर तथा मुँह रोग नियंत्रण कार्यक्रम
5	मवेशी तथा भैंस प्रजनन हेतु राष्ट्रीय परियोजना के लिए स्कीम
6	एकीकृत भेड़ तथा ऊन विकास कार्यक्रम के लिए स्कीम
7	एकीकृत मुर्गाह विकास परियोजना
8	मौजूदा एच.वी.टी.आई, हिसार के अपग्रेडेशन हेतु स्कीम
9.	पशुधन बीमा स्कीम
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)
केन्द्रीय हिस्सेदारी आधारित	
1	पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्य को सहायता (ए.एस.सी.ए.डी.) (75:25)
2	पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना हेतु स्कीम (50:50)
3.	सरकारी पोल्ट्रीफार्म के सुदृढ़ीकरण हेतु स्कीम (भूमि एवं भवन के आकृति में 8 लाख का राज्य हिस्सा)
4.	दूध, अड़े, ऊन तथा मास उत्पादन के नमूना सर्वे प्रावक्कलन हेतु स्कीम (50:50)
राज्य स्कीम	
1	उपनिदेशक/अनुमंडलाधिकारियों के कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण तथा नये जिलों का निर्माण
2	नये पशुचिकित्सा औषधालयों को खोलना
3	पशु चिकित्सा औषधालय/स्टाकमैन केन्द्रों को एच.सी.बी.सी. में बदलना
4	पशु चिकित्सा संस्थानों का निर्माण/पुनरुत्थार/मरम्मत
5	नाबांड आर.आई.डी.एफ. VIII के अन्तर्गत राज्य में पशु चिकित्सा आधारभूत संरचना निर्माण/पुनः निर्माण
6.	मौजूदा पशु चिकित्सा संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण की स्कीम
7	पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय हिसार के गठन की स्कीम
8.	राज्य में पशु स्वास्थ्य देखभाल की स्कीम
9	घरेलू पशु कलीनिक के गठन की स्कीम
10	शिक्षित युवा को विशेष रोजगार हेतु स्कीम
11	हाई-टेक डेरी ईकाईयों की स्थापना हेतु स्कीम
12	कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना की स्थापना हेतु स्कीम
13	एकीकृत मुर्गाह विकास हेतु स्कीम
14	मेवात क्षेत्र में 2 दुधारू पशुओं की डेरी ईकाई की स्थापना
15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पशुधन बीमा (एस.सी.ए.पी.) हेतु स्कीम
16	अनुसूचित जातियों को रोजगार अवसरों की स्कीम
17	शिक्षित युवा को विशेष रोजगार की स्कीम

የዚህ በቃል የሚከተሉት ስምዎች እና በቅርቡ መረጃ

(**અનુભૂતિ: અનુભૂતિ 4.1.5 હવે 134**)

கற்கள் 4.3

**परिशिष्ट 4.4**

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.6.1 पृष्ठ 134)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार पशुपालन तथा डेरी-उद्योग विभाग द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियां दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	गतिविधियां
1.	पशुचिकित्सा संस्थानों का निर्माण/पुनरुद्धार/मरम्मत
2.	राज्य में पशु स्वास्थ्य देखभाल
3.	एकीकृत मुर्चि विकास
4.	अम्बाला तथा हिसार (एस.सी.एस.पी.) में गौजूदा पिंगरी फार्म का सुट्टीकरण
5.	गौजूदा पशुचिकित्सा संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण
6.	पशुधन बीमा
7.	लघु डेरी इकाईयों की स्थापना द्वारा डेरी विकास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों अथवा शिक्षित/अर्ध-शिक्षित युवकों/युवतियों को विशेष रोजगार

### परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.7.2 पृष्ठ 136)

#### विभिन्न जिलों में बैंक खातों में पड़ी निधियों के ब्यौरे दर्शनेवाली विवरणी

क्र. सं.	टी.डी.ओ. का नाम	बैंक का नाम तथा खाता संख्या	जमा राशि	अर्जित ब्याज	को स्थिति
			(₹ लाख में)		
1.	उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), अम्बाला सहायक पॉल्ट्री विकास अधिकारी, अम्बाला	एसबी.आई. अम्बाला (30084161671) एसबी.आई. अम्बाला. 30169378737	0.07 9.15	लागू नहीं 2.28	दिसम्बर 2010 सितम्बर 2010
2.	उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), भिवानी अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), भिवानी अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), चरखी दादरी	पंजाब एण्ड सिंध बैंक (3576) यूनियन बैंक आफ इण्डिया (483002010070222) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (65086128994) भिवानी सेन्ट्रल को - आपरेटिव बैंक (11197)	51.52 90.37 59.59 0.01	8.31 0.35 लागू नहीं लागू नहीं	जनवरी 2011 जनवरी 2011 सितम्बर 2010 जून 2010
3.	उप निदेशक (ए.एच.), फतेहाबाद	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (11117519161)	32.00	लागू नहीं	जून 2010
4.	उप निदेशक (ए.एच.), हिसार सहायक निदेशक राजकीय अंडज उत्पत्तिशाला, हिसार	एक्सिस बैंक (260010100131599) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (30759153803) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (10440798955)	5.67 17.49 0.36	लागू नहीं 1.32 लागू नहीं	दिसम्बर 2010 जनवरी 2011 अप्रैल 2010
5.	उप निदेशक, कैथल अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.) गुलडा	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कार्मस (00452011003677) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (190311050096)	5.38 1.25	0.17 लागू नहीं	दिसम्बर 2010 अप्रैल 2010
6.	उप निदेशक (आई.सी.डी.पी.), करनाल	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कार्मस (52092010009650)	5.43	0.25	दिसम्बर 2010
7.	अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.) पेहोचा	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कार्मस (01962010082740) एक्सिस बैंक (314010100060093) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (55105260611)	10.31 14.41 0.17	0.24 0.65 शून्य	दिसम्बर 2010 दिसम्बर 2010 दिसम्बर 2010
8.	उप निदेशक (ए.एच.), रेवडी अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), रेवडी अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), कोसली	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (30472100469) यूनियन बैंक आफ इण्डिया (2170052028) यूनियन बैंक आफ इण्डिया (2010010336) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (10575563145)	20.71 1.01 2.38 6.37	लागू नहीं 0.05 0.06 लागू नहीं	फरवरी 2011 दिसम्बर 2010 दिसम्बर 2010 फरवरी 2011
9.	अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), नरवाना	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (55088507420)	60.76	लागू नहीं	जुलाई 2010
10.	अनुमंडल अधिकारी (ए.एच.), टोहाना	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	17.50	लागू नहीं	जून 2010
11.	उप निदेशक, राज्य दुर्घास पशु प्रजनन परियोजना, हिसार	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (10440797101)	3.17	लागू नहीं	जून 2010
	कुल		415.08	13.68	

अर्थात ₹ 4.15 करोड़

\* हरियाणा गामीण विकास निधि से संबंधित कार्यों के लिए महानिदेशक द्वारा उपयोग किया गया ब्याज।

### परिशिष्ट 4.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.1.10.2 पृष्ठ 157)

उन अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंने उनकी तैनाती के स्थानों से पृथक् स्थानों से वेतन आहरित किया, का ब्यौरा

तैनाती स्थान तथा आहरित वेतन	व्यक्तियों की संख्या	पद	कार्य का वास्तविक स्थान
अम्बाला	25	पशुचिकित्सा पशुधन विकास सहायक	जींद
पंचकुला	8		फतेहाबाद
करनाल	10		पानीपत
	7		फतेहाबाद
यमुनानगर	5		रेवाड़ी
गुडगांव	16		हिसार
मेवात	20		रोहतक
	14		सिरसा
पलवल	20		सोनीपत
	21		झज्जर
अम्बाला	1	उपाधीक्षक	पंचकुला
फतेहाबाद	2	कलर्क	हिसार
	1	स्वीपर	
हिसार	1	सहायक	हिसार*
	1	पशुचिकित्सा पशुधन विकास सहायक	हांसी
	1		हिसार*
	1	कलर्क	हिसार*
	1	स्वीपर	हिसार*
	1	सेवादार	हिसार*
	1	बेलदार	हांसी
करनाल	2	पशु चिकित्सा सर्जन	रोहतक
	2	प्रयोगशाला सहायक	सोनीपत
	1	सहायक	पंचकुला
कुरुक्षेत्र	1	सहायक	करनाल
कुल	163		

\* इंगित करता है कि कर्मचारी उसी स्टेशन पर काम कर रहे थे किंतु वेतन दूसरे आहरण एवं संवितरण अधिकारी से आहरित कर रहे थे।

መግቢት		25.20
አዲስ ዘመን ቤት, ቤት አዲስ ዘመን ቤት, የዚህ ቤት የዚህ ቤት የዚህ ቤት	10.64	
አዲስ ዘመን ቤት, የዚህ ቤት የዚህ ቤት, የዚህ ቤት	1.24	ማስረጃ
3ኛ ቤት (እና), የዚህ	3.60	ማዘያ
3ኛ ቤት (እና), የዚህ	3.00	ማዘያ
3ኛ ቤት (እና), የዚህ	0.16	የላይ ማለት የዚህ
አዲስ ዘመን ቤት, የዚህ	6.56	የላይ ማለት የዚህ
አዲስ ዘመን ቤት, የዚህ (እና)		

የዚህ ቤት የዚህ ቤት የዚህ ቤት የዚህ ቤት የዚህ ቤት የዚህ ቤት

(አድራሻ: የተመጋገጌ ቀን 11.11.3 ዓ.ም 158)

አጥቃቃ 4.7

शान्दावली













